यह पाठ कवेल एक दस्तावेजीकरण उपकरण का रपू मे ह और इसका कोई कैनुई परभाव नहीं है। यूरूपिये सघं क अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करेंEUR-LEX मे उपलब्ध है।

इस दस्तावेज़ में एम्बेडे का इस्तेमाल किया गया है

► **: ... युरोपीय संसद और परिषद् का विनिअमन (ईय)।2018/848**

इदनाक 30 मई 2018

जीवक उत्पदन और जीवक उत्पदो की लैबिलगन तथा पिरशाद विविनयमन (ई.सी.) को निर्सत् कर्ण पर सखंया 834/2007

(ओजे एल 150, 14.6.2018, पृ. 1)

इसक द्वार सशनोधत्:

		अधिकाकारक जरनैल		
		नहीं	पेज	:जी
► **एम1**	आयोग पर्तययोइजत् विविनयमन (आय)उ 2020/427 इदनाकं 13 जनवरी 2020	एल 87	1	23.3.2020
► **एम2**	4 इदसबंर 2020 क आयोग पार्थयायोइजत विविनयमन (ईय)ओ 2021/269 द्वार सशनोइधत	एल 60	24	22.2.2021
► **एम3**	युरोपीय संसद और 11 नवबंर 2020 की परिषद का इविन्यामन (ईवाई) 2020/1693	एल 381	1	13.11.2020
► **एम4**	आयोग पर्तययोइजत् विविनयमन (आय)उ 2020/1794 इदनाकं 16 इस्तंबर 2020	एल 402	23	1.12.2020
► **एम5**	आयोग प्रत्यायोजित इविन्यामन (ईय)उ 2021/642 इदनाकं 30 अक्तबूर 2020 आयोग	एल 133	1	20.4.2021
► **एम6**	प्रत्यायोइज्जत इविन्यामन (इय)उ 2021/715 इदानुक 20 जनवरी 2021 9 फरवरी	एल 151	1	3.5.2021
► **एम7**	2021 आयोग प्रत्यायोजित इविन्यामन (ईय)ू 2021/1006 इदनाकं 12 अप्लाय 2021	एल 151	5	3.5.2021
► **एम8**	आयोग प्रत्यायोजित इविन्यामन (ईय)उ 2021/1691 इदनाकं 12 जलुए 2021 आयोग	एल 222	3	22.6.2021
► **एम9**	प्रत्यायोजित इविन्यामन (ईय)यू 2021/1697 इदनाकं 13 जुलाई 2021 आयोग	एल 334	1	22.9.2021
► **एम10**	पर्तयायोइजत् विनिअमन (आय)ओ 2022/474 इदनाकं 17 जनवरी 2022	एल 336	3	23.9.2021
► **एम11**		एल 98	1	25.3.2022
► **एम12**	24 नवंबर 2022 का आयोग पर्तयायोइजत विविनयमन (ईवाई)यू 2023/207	एल 29	6	1.2.2023
► **एम१३**	2 इस्तंबर 2024 का आयोग पर्तयायोइजत विविनयमन (ईवाई)यू 2024/2867	एल 2867	1	11.11.2024

दवा साधूरा गया:

► **सी1** शुद्धिपत्र, ओजे एल 270, 29.10.2018, पृ. ऋ 32 (2020/1794)
► **सी2** शुद्धिपत्र, ओजे एल 7, 11.1.2021, पृ. 53 (2018/848)
► **सी3** शुद्धिपत्र, ओजे एल 204, 10.6.2021, पृ. 47 (2018/848)
► **सी4** शुद्धिपत्र, ओजे एल 321, 15.12.2022, पृष्ठ 72 (2018/848)
► **सी5**
► **सी6**

▼:...

विविनयमन (यूरोपीय सघं) 2018/848 का THE यूरोपिय सासंद और परसाद

इदनाक 30 मई 2018

जीवक उत्पदन और जीवक उत्पदो की लेबलिंग पर पिरशाद इविनियमन (ईसी) सख्या 834/2007 को जारी करना

अध्याय 1

विषय-वसत्,उ मित्रा और पितृभाषाएँ

अनछुछे 1

विषय - वस्तु

यह इविन्यामन जीवक उत्पदां क सत्थैपतनो को सत्थैपतं ह और जीवक उतपदं, सबंधत प्रमाणन और लेबेलगं और विज्यपन्न मे जीवक उतपदं को सादरभत करण वाल सकांतो क उपयोग क सबंधं मे नियम निर्धैरत दत ह,इ साथ ही। इविन्यामन (ईय)उ 2017/625 मे निरधैरत न्यातंरनो का अतिरक्त न्यातंरनो पर नियम भी निरधैरत ह।

अनछुछे 2

दायरा

1. यह विनियमन किरश स उत्पन्न ननमनलिखत उत्पदो पर लगघट ह,ए इस्समे जलकिष और मधुमुखि दर्शन भी श्यामल ह,ए जसैआ इकTFEU क अनलुगंक I मे सचुइबध्द ह और उन उतपदो स उतपन्न उतपदो पर, जहां ऐस उतपद उतपदत, तयार, लेबल इके गए, व्यतिरत, बाजार में रख गए, सघं मे महत्व इके गए या सघं स निर्यात् इके गए है या इके जान का इरादा ह:आई

(क) जीवत या अपरसंक्तृ किष उत्पाद, इनेमे बीज और अन्य पादप प्राजनन सामग्री शैमल है;

(ख) खाद्यय क रपु मे उपयोग हते पर्ससंक्तृ किष उत्पाद;

(ग) फ़ीड़.

यह इविन्यामन इस इविन्यामन का अनलुगंक हैमैं सचुइबध्द किरश स नकटता स जदु कछू अन्य उत्पाद पर भी लग होता है, जहां व उत्पदीत, तयार, लेबल इकए गए, व्यतिरत, बाजार में रख गए, सघं मे महत्व इकए गए या सघं स निर्यात कए गए है या एके जान का इरादा रखत है।

2. यह विनियमन अनुच्छेद 1 मे नृदशत उत्पदो स सबंधत गितविधयो मे उतपादन, तयारी और वत्रं का इससी भी चरण मे शिमल इस्की भी विकल्प पर लाग होता है।

3. विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1169/2011 क अनछुछदे 2(2) क इबदं (डी) मे पिरभैषत सामिउहक भोजनकरता द्वारा इके गेद सामिउहक भोजन सचानलन इस अनुछदे मे निर्धैरत काके गए गए को छोड़कर इस इनियम का वंदन नहीं है।

▼:

सदसय राजय सामुहक अनुपात सचानलन स उत्पन्न उत्पदो क उत्पदन, लेबिलगं और अन्यतन पर राष्ट्रीय नियम या, उनका परिचय मे, नं जि मानक लाग कर सकत है। विज्ज़ापन में नहीं इकाया जाएगा, और इसका उपयोग सामिहक रंगों से किया जा सकता है।

4. जहां अन्यता संरक्षण न इक्या हो गया, को छोड़कर यह इविन्यामन सबंधत सघंय कन्नु पर इबना इक्की पुरुवागढ़ का लगघट ह, ऐ विशेषे रपु स खादय शृरृखंला की सरुक्षा, पश स्वस्थ्य और कल्याण, पौधो का स्वस्थ्य और पौधो की परजनन सामाग्री के क्षेत्र में काननू।

5. यह विनियमन बाजार मे उतपदो को राखन स सबंधत अन्य विशेष सघं कन्नू और विशेष रपू स यरूपीय संसद और पिरषद का विनियम (ईय)उ सखन्या 1308/2013 पर इबना इक्की पुरुवागढ़ का लाघघट ह।[1]) एवं विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1169/2011।

6. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कार्य अपनयन का अधिकार ह,ए इसस अतंरगत अनलुगंकआई मे निर्धैरत उत्पदो की सचुई मे सशोधन कर्क सचुई मे और उतपाद जोडकर या जोडिएग परिवसिटयो मे सशनोधन कर्क सशनोधन इकाया जा सकता है।

अनछुछे 3

पिरभाषाएँ

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, नामनिलिखत प्रतिभाषाए लाग होता है:

(1) 'जीवक उत्पदन' स तात्प्रय ह,ए अनच्छुदे 10 मे नृदशत् रपूअतन अवधि के दौरान, उत्पदान विधि का उपयोग जो उत्पडन, तयारी और वत्रण का सभी चरणो में इस इविन्यामन का अनपुलन करत है;न

(2) 'जीवक उत्पद्' स तत्प्रय जीवक उत्पद्न स उत्पन्न उतपद् स ह,ए अनचुच्छदे 10 मे निरि दशत् रपूअतंरन् अवध क अवधि उत्पदत् उतपद् क। जंगली जानवरों का शिकार या मछली पकड़ने का उतपादो को जीव उतपाद नहीं माना जाता है;

(3) 'किष कच्छ माल' स तत्प्रय ऐस किरश उतपाद स ह,ए इसस पर इक्कीस परकार का संरक्षण या परसंक्रण नहीं हो सका ह;ै

(4) 'निवारक उपायो' स तत्प्रय उन मायो स ह जो शीलको दवारा उत्पदन, तयारी और परिवर्तन का प्रत्याके चरण पर जवै विविधता और मदारा गनुवत्ता का संरक्षण को सिनुश्चत करण का इला एके जान है, कीटो और रोगो की रुकावट और नियत्रण के लिए उपाय और पर्यायवरण, पश स्वस्थ्य और पौधो क स्वास्थ्य पर गारंटीकृत प्रभावो स बचन क इले इके जन वाल उपाय;

([1]) युरूपिया सदन और 17 इदसबंर 2013 की पिरषद का इविन्यामन (ईवाई)ओ साखन्या 1308/2013, किष उत्पदो का बाजारो का एक समान्य सगंठन सथिपतता ह और परशाद की इविनयमन (ईआई)यू सखन्या 1308/2013
साखन्या 922/72, (ईईसी) साखन्या 234/79, (ईसी) साखन्या 1037/2001 और (ईसी) साखन्या 1234/2007 (ओजे एल 347, 20.12.2013, पृ.671)।

▼:...

(5) 'एहितयाति उपायो' स तत्प्रय उन मायो स ह जो अपरतेरो दवारा उत्पडन, तयारी और वत्रण का प्रत्यके चरण पर ऐस उत्पदो या पदारथो क साथ सदंशु स बचन का इके जान है जो इस इविन्यामन का अनसुसार जीवक उत्पडन मे उपयोग क इलै अधाकता नाहीं है, और जीवक उतपदो को अजीवक उतपदो के साथ इम्शिरत होन स बचन का इला;

(6) 'रपूअतंरन' का तत्प्रय इस्की निश्चित अवधि के साथ गैर-जीवक स जीवक उत्पदन मे पूर्वरत्न स ह,ए इस्साक अवधि जीवक उपादन स सबबंधत इस इविन्यामन का परावधान लग होत है;न

(7) 'रपूअतांरन उतपाद' स तत्प्रय ऐस उतपद स ह जो अनछुदे 10 मे नृदशत् रपूअतंरं अवध क अवधि उतपइदत इक्या जात ह;ै

(8) 'हॉलिडगं' स तत्प्रय जीवत या अपरसंकत्र किरश उत्पदो क उत्पडन क उद्दशेय स एकल प्रबधन्न क अंडर सचनाइलत स उत्पदन इकैयो स ह,ए इससमे अनचुचदे 2(1) क बिददं (ए) मे नृदशत जल संवर्द्धन और मधुमुखि पालन स उत्पन्न उतपद शैमल ह।

या अवशायिक शास्त्रो और चर्च के अलावा अनलुगंकमैं मे सचुइबध्द उत्पद;

(9) 'उतपदन इकाई' का अर्थ ह इस्की होलिडगं की सभी पिरास्पन्तिताया, जसाई इक परथिमक उत्पदन पिरसर, भीम का टकुद, चे चरगाह, खलुई हवा वाल क्षेत्र, पशु भवन या उसक इहस्स, ई छतत, ई मछली तालाब, शायल या जलीय कृष्ण जानवरों को रोकना पर्णाली और सथ्ल, पालन इकाइया, तत या समदुर तल इरयायते, न औरफालो, एनफल उतपदो, न शवायल उतपदो, न पश उतपदो, न कच्छ माल और इससी भी अन्य पर्सिंगक इनपटु क भदनारं क लाइए पिरसर, इन्हहे इददं (10) , इबादन (11) या इबादन (12) मे व्रिणत अनसुअर परबिन्धत इकाया जात ह;ै

(10) 'जीवक उत्पदन इकाई' स तत्प्रय अनचुचदे 10 मे नृदशत रपूअतनन अविध को छोड़ाकर, ऐसी उतपदन इकाई स ह,ए इस्का प्रबंधन जीवक उत्पडन पर लाग अवसहायक्ताओ क अनपुलन मे इक्या जात ह;

(11) 'रपूअतनमिरत उत्पडन इकाई' स तत्प्रय अनछच्छदे 10 मे नृदशत रपूअतनन अवधि क दौरान एक उत्पडन इकाई स ह,इ इस्का पर्बधन्न जीवक उतपदन पर लग अवशयक्ताओ क अनुपलन मे इक्या जात ह;इ यह भीम क टकुडोह या अन्य पिरस्पन्तित्यो स गितत हो सकत ह,ए इसस्क इलै अनछच्छदे 10 मे नृदशत् रपूअतनं अवध समय क विभन्नं कष्णो पर शरु होता ह;ै

(12) 'गैर-जीवक उत्पदन इकाई' स तत्प्रय ऐसी उत्पडन इकाई स ह इस्का पर्बधन्न जीवक उतपदन पर लग अपकेशाओ क अनपुलन मे नहि इक्या जात ह;ै

(13) 'सचंलक' स तत्प्रय उस पराकिर्तक या कन्नुई व्यकित स ह जो यह सिनुश्चत करण क िलए इजममदेर ह इ क इस ववयमन का अनपूलन उत्पदन, तययारी और वतरन क परतयके चरण मेकया जाए जो वह वककित क नयतंरन मे ह;न

(14) 'इसान' का तत्प्रय पराकिर्तक या कन्नुई व्यकित, या पराकृतक या कन्नुई व्यकितयो का समहू स ह,ए इच्छा उस समहू और उसक सदसयो की राष्ट्रीय काननू का अंडर काननुई सिथित कछ भी हो, जो किष गीतिविध करता ह;

▼:...

(15) 'किष कश्तेर' स तत्प्रय इविन्यामन (ईय)उ सखन्या 1307/2013 क अनछुछदे 4(1) क इबदं (ई) मे पीरबहिष्ट किरश कश्तेर स ह;ै

(16) 'पौधे स तत्प्रय विनियमन (ई.सी.) साखन्या 1107/2009 क अनच्छुदे 3 क इबदं (5) मे पीरभैषत पौधो स ह;ै

(17) 'पौध की प्राजनन सामग्री' स तत्प्रय पौधो और पधो का सभी भागो स ह,ए मुझे बीज भी शामिल है, विकास के इस चरण में जो सपंरुण पौधो को उत्पन्नन करण में सक्षम है और ऐसा करण का लाभ प्राप्त होता है ;ं

(18) 'कार्बिनक विषमाग्नि पदारथ' स तत्प्रय इके एकल वनस्पित वर्ग का अतंर्गत सबस नमान ज्ञात श्रनेई क पौधो क समहु स ह,इ जो:

(क) सामानय फनेओतइपक वषशेताए प्रसत्तुकता ह;ै

(ख) वैकिटगट पर्जनन इकैय्यो क बीच अनवुन्शक और फनेओटाइपक विविधता क उच्च सत्र की विशशेता होती है ह,ए टिक पधो क समहू को समग्र रपू स समग्र द्वारा दर्शना जा सक,ए न इक कछु इकइयो द्वारा;

(सी) पिरषद इविन्यामन (ईसी) साखन्या 2100/94 क अनच्छुदे 5(2) क अर्थ मे विविधता नहि ह (1);

(घ) इस्मो का इम्शर्न नहीं ह;ै और

(ई) इस विनियमन का अनसुअर उपैदत इक्या गया ह;ै

(19) 'जीवक उत्पदन क लाइए उपयकुत् जीवक इसाम' स तत्प्रय विनियमन (ईसी) साखन्या 2100/94 क अनुच्छेद 5(2) मे पीरभैषत इसाम स ह जो:

(के) वैकिटगट पर्जनन इकाइयो के बीच उच्छ सत्र की अनवुन्शक और फ़नेओटैइपकल विवधता की विश्शेता होती है;ए और

(बी) इबदं मे सदृन्भत् जीवक परजनन गितविधयो क पिरानम
इस अनुशासन का अनबुधंद्वितीय क भाग प्रथम क1.8.4;

(20) 'मात पदप' स अभपरय ह ऐसा उत्तेजित हो गया पौधा इसस नय पौधो क परजनन क इलै पदप परजनन सामग्री ली जाती ह;ै

(21) 'पीढ़ी' स पौधो का समहु अभपरते ह जो पूधो के वशं-कर्म में एक एकल चरण का सृजन करता है;

(22) 'पौधा उत्पदोन' स अभपरय ह वैंजियक प्रयोजनो क इले जगंली पौधो क उतपादो की कटाई सहत किरषफल उत्पदो का उतपादन;

(1) समदुइयाक पौध इसम अध्यकारो पर पिरशाद विविनयमन (ईसी) साखन्या 2100/94 इदनकं 27 जलुई 1994 (ओजे एल 227, 1.9.1994, पृष्ठ 1)।

▼:

(23) 'पौध उतपाद' स तत्प्रय विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 1107/2009 क अनुच्छेद 3 क इबदं (6) मे पीरभैषत पादप उपादो स;है

(24) 'पीडक़' का अर्थ युरोपीय संसद और पिरषद का इविनयमन (ईय)उ 2016/2031 का अंछुछदे 1(1) मे पिरबहिसत कीत ह।[1]);

(25) 'बायोडायनैमिक तयैरया'ं स बायोडायनैमिक खाती मे परपणिरक रपू स पर्यकुत् इमशर्न अभपरते ह;ै

(26) 'पौध सरंक्षण उत्पाद' स तत्प्रय विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 1107/2009 क अनच्छुदे 2 मे निरिदशत् उत्पदो स ह;ै

(27) पषधुन उत्पदन स कीतो संगत घरले या पलट सथ्लीय पशौ का उत्पडन अभपरते ह;ै

(28) 'बारामदा' का अरथ ह मुरगीपालन क इल इससी भवन का अतिरक्त, छतयकुत, अचतुआ, बाहरी भाग, इसका सबस लंबा भाग आम तौर पर तार पर की बाद या जाल स ससुजित होता है, ए इससमे बाहरी दुनिया, पराकीरतक और जहा अवशयक हो , कत्रिरम प्रकाश और कडूआ-कचरा याकुत फराश होता है;है

(29) मुरगयाँ का तत्प्रय यवु पशौ स ह।*गैलस गैलस*ऐसी परजैतिया जो 18 सप्ताह स कम उमर की हो;न

(30)अडाना दाने वाली मुरगयाँ स तत्प्रय उण पशौ स ह,इ जो*गैलस गैलस*ऐसी परजैतिया जो उपभोक्ता के लिए एडनो के उत्पदन के लिए अभीपरते है और इसकी आय कम एस कम 18 सप्ताह ह;ै

(31) 'उपयोग योगाय कष्टेर' स तत्प्रय उद्देश्य निर्देशे 1999/74/इसी क अनछुदे 2(2) क इबदं (डी) मे लाभ योगय कष्टेर स ह।[2]);

(32) 'जलकिष' का तत्प्रय यूरूपीय संसद और पिरषद का विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1380/2013 क अनुछदे 4(1) क इबदं (25) मे पिरभिष्ट जलकिष स ह।[3]);

(33) 'जलीय किरुष उत्पाद' स तत्प्रय विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1380/2013 क अनचुछदे 4(1) क इबदं (34) मे पीरभैषत जलकिष उतपदो स ह;ई

([1]) पौधो का कीटो का इखलाफ सरुक्षातमक मायो पर 26 अकटबोर 2016 की युरोपीय संसद के पिरषद का इविन्यामन (ईय)उ 2016/2031, युरोपीय संसद और परशाद का इविन्यामन (इय)उ साखन्या 228/2013, (इय)उ सख्या 652/2014 एवं (ईवाई)यू सखन्या 1143/2014 को सशनोहित करना एवं परीषद का निर्देश 69/464/ईईसी, 74/647/ईईसी, 93/85/ईईसी, 98/57/ईसीई, 2000/29/ ईसी, 2006/91/ईसी और 2007/33/ईसी को नष्ट करना (ओजे एल 317, 23.11.2016, पशुत 4)।

([2]) 19 जलुई 1999 का परिषद् निर्देश 1999/74/ईसी इसमे अडना डेनेवाली के संरक्षण के लिए नयनुतम मानक निर्धैरत एके गए हैं (ओजे एल 203, 3.8.1999, पृ. 53)।

([3]) युरूपेय सदन और 11 इदसबंर 2013 की सामानय मतस्य नित पर पिरषद का इविन्यामन (ईय)उ साखन्या 1380/2013, परशाद इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1954/2003 और (ईसी) साखन्या 1224/2009 को सशनोधत करत हएउ और पिरषद इविन्यामन (ईसी) साखन्या 2371/2002 और (ईसी) साखन्या 639/2004 और पिरशाद निरण्य 2004/585/इसी को नष्ट करत हएउ (ओजे एल 354, 28.12.2013, पृ. 22.

▼:

(34) 'बदं पनु:पिरश्चंराण जलकिष सिउवधा' का अर्थ भीम पर या इसके जल में ऐसी सिउवधा ह, जहां जलकिष जल का पनु:पिरश्चंरण वल बादं शोभा मे होती है और जो जलकिष पशौ क िलए भगवान को सिथर राखन क िलए सथयी बहय उर्जा इनपतु पर नर्भ्र दित ह;ै

(35) 'नवक्रिया सरोतो स ऊर्जा' का तत्प्राय पवन, सौर, भतुआपी, तर्गं, जवारिय, जल विदयतु, लैडनिफल गसै, सीवजे उपचार सयंतंर गसै और बायोगैसयो जसाई जीवाशं सरतो स ऊर्जा स ह;ै

(36) 'हचैरि' स जलकिष पशौ,ं विशेषे रपु स इफनिफश और शलेफश क परांभक जीवन चरणो क मध्यम स परजनन, हिचगं और पालन-पोषण क िलए सथान अभपरते ह;ै

(37) 'नाराश्री' का अर्थ ह वह सथान जहां हाचारी और ग्रो-आउट चरणो के बीच एक मध्यरात्रि जलकिष उत्पडन पूर्ण लाग की जाती है। समोलिटिफ़कशेन पर्किरिया स गजुरन वाली पर्जायतो को छोड़कर, नारीश्री चरण उत्पदान चक्र का प्रथम इथाई का सिंत पुरा हो जाता है;है

(38) 'जल परदशून' का अर्थ येरूपिये सदन और परदशन 2000/60/इसी का अनचुछदे 2 क इबदं (33) और नर्दशे 2008/56/इसी का अनचुचदे 3 क इबदं (8) मे परदश परदशून ह। [1]), उन जल क्षत्रो मे झा इन्मे स परतयके निंदा लाघ होता है;

(39) 'बहक्रुशीश' स अभपराय एक ही शिक्षण उपकरण मे,ं सामानयतः इभन्न-इभनान पोषण सत्रो की दो या अघक परजैतयो का जलकिष मे पालन करना ह;ै

(40) 'उत्पन्न चक्र' स जलकिष पश या शवयाल का जीवन काल अभीपरते ह,ए पररिभक जीवन अवस्थ (जलकिष पशौ क ममल मे नशीचत अदं)ले सेर कथा तक;

(41) 'सथनिया रपु स विकास परजैतयं का तत्प्रय जलकिष परजैतयो स ह जो पिरषद विनियमन (ईसी) साखन्या 708/2007 क अनुछदे 3 क इबदं (6) और (7) क अर्थ क इन न तो वदशेही है और न ही सथनिया रपु स अनपुषितत् परजैताया।[2]) , साथ ही उस विनियमन का अनलुगंकचतुर्थ मे सचुइबध्द परजैतिया;ँ

(42) 'पश्च खुजली उपचार' स तत्प्रय किसी विशिष्ट रोग का होन पर उपचार या निवारक उपचार क सथ ट्रिक स ह;ै

(43) 'पश्च इचिकत्सा औषधीय उतपाद' का तात्प्रय यारूपीय संसद और परामर्श का निर्देश 2001/82/इसी का अनुछदे 1 क इबदं (2) मे पश्च इचिकत्सा औषधीय उतपाद स ह।[3]);

---

(1) युरूपिया सदन और 17 जनू 2008 की परिषद् का निर्देश 2008/56/ईसी, जो समदुरी पर्यारण नित का क्षेत्र मे समदुइयाक काररवाई का लाइए एक रपुरखे सथिपत्कता ह (समदुरि रानीत रपुरखे नर्दशे) (ओजे एल 164, 25.6.2008, पृष्ठ 19.

(2) जलकृष मे वदशे और सथनीय रपू स अनपुषितत परजैतयो क उपयोग क सबंधं मे 11 जनु 2007 का पिरषद इविन्यामन (आईसीसी) साखन्या 708/2007 (ओजे एल 168, 28.6.2007, पश्रित 1)।

(3) पश इचिक्तसा औषधीय उतपदो स सबंधत समदुयिक कोड पर यारूपीय संसद और 6 नवबंर 2001 की शुरुआत का निष्कर्ष 2001/82/ईसीसी (ओजे एल 311, 28.11.2001, पृ. 1)।

▼:

(44) 'तयारी' स तत्प्रय जीवक या रपूअतंनिरत उतपदो क पिरक्षण या परसंक्रण की संकिरयाओ स ह, ऐ या कोई अन्य सकिंरया जो इबना परिभक उतपद मे पिरवरत्न एके विपरीतसंकतृ उत्पद पर की गई ह,ई जसाई वध, सफाई, या इबसाई, साथ ही जीवक उतपादन स सबंधत पकाइजगं, लेबिलगं या लेबेलगं मे एके गए पिरवरत्न;

(45) 'खादय' का तत्प्राय यरूपिये संसद और पिरषद का विनियमन (ईसी) साखन्या 178/2002 क अनुछदे 2 मे पिरभिष्ट खदाय स ह।[1]);

(46) 'फीद' स तत्प्रय विनियमन (ई.सी.) साखन्या 178/2002 क अनछुछदे 3 क इबदं (4) मे पीरबहिसत फ़ीद स ह;ई

(47) 'फ़ीड सामग्री' का अर्थ यारूपी संसद और पिरशाद का विनियमन (ईसी) साखन्या 767/2009 क अन्चुछदे 3(2) की इबादत (जी) मे पीरबहिश्त फ़िड सामग्री ह।[2]);

(48) 'बाजार में रखें' का तात्पर्य विनियमन (ई.सी.) साखन्या 178/2002 क अननुछछदे 3 क इबदं (8) बाजार में रखें दूसरा उद्देश्य (ई.सी.)

(49) 'तर्सेइबिलटी' का अर्थ ह अनच्छुच्छे 2(1) मे नृदशत खद्यय, चर या इक्कीस उत्पाद का पता लगाना और उसके अनसुरन कर्ण की कश्मता, तथ अन्चुछदे 2(1) मे नृदशत खद्यय, चर या इक्कीस उत्पद का पता लगाना क िलए अभीपरते या अपकीशत इससी पदारथ का उत्पडन, तयारी और वतरन क सव चरणो क मधयम स पता लगन और उसक अनसुरन करना;

(50) 'उत्पन्न, तयारी और परिवर्तन का चरण' का तत्प्राय, इस्की जीवक उतपाद का, प्रथमिक उत्पदन स लकेर उसका भण्डारण, पर्ससंक्रण, पर्संक्रण, पर्वाहन और अनंत उपभोक्ता को इबकरी या अपरोहित तक का एक भी चरण स ह,इ इस्समे,न जा पर्सिंगक हो , लैबिलगं, विज्झापन, उद्देश्य, निर्यात और उप-ठके गितिविद्या शैमल है;न

(51) 'घटक' स तत्प्रय विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1169/2011 क अनुछदे 2(2) क इबदं (च) मे पीरभैषत घटक स ह या खादय क बीह अनय उत्पदो क इलै, उत्पदो क निर्माण या तयारी मे उपयोग इक्या जान वाला कोई पदारथ या उतपद जो अभी भी तयार उतपद मे मजादु ह,इ यहा तक इक पिरवारीतत रपु मे भी;

---

(1) युरोपीय संसद और 28 जनवरी 2002 को पिरषद का इविन्यामन (ईसी) साखन्या 178/2002 इस्मे खाद्य कन्नू क सामानय सिद्धातनो और अवशक्ताओ को निर्धैरत इक्या गया ह,इरूपीय खाय्य सरुक्षा परिधाकन की स्थापना की गई ह और खाय सुरक्षा का मामला मे पर्किरायए निर्धैरत की गई है (ओजे एल 31, 1.2.2002, पृ. 1)।

(2) फ़ीड का बाज़ार में उपलब्ध करण और उपयोग पर युरूपिया संसद और परिषद् के 13 जुलाई 2009 के इविनियम (ईसी) सख्या 767/2009, युरोपीय संसद और परिशद इविन्यामन (एससीआई) साखन्या 1831/2003 को सशनोइधत करना। पिरशाद नारदशे 79/373/ईईसी, आयोग निर्देश 80/511/ईईसी, पिरशाद नीरदशे 82/471/ईईसी, 83/228/ईईसी, 93/74/ईईसी, 93/113/ ईसी एवं 96/25/ईसी एवं आयोग निर्देश 2004/217/ईसी (ओजे एल 229, 1.9.2009, पृष्ठ 1) को नष्ट करना।

▼:

(52) 'लबैलगं' का तत्प्रय इस्की उतपद स सबंधत इससी भी शब्द, व्रण, तेरडेमारक, बरादं नाम, इचत्रतमक सामग्री या पर्तिक स ह जो इसकी भी पकाइजगं, दस्तावजे, नोइट्स, लेबल, अगुत्थी या स्थिरता पर रखा गया है जो उतपद क साथ होता है उसस सबंधता होता है ह;

(53) 'विज्ञापन' का अर्थ ह इसके लेबल क अलावा इसके अन्य मध्यम स जनता का समक्ष उत्पदो की प्रस्तुति, इस्का उद्देशेय या तो उत्पदो की इबकरी को प्रत्याक्ष या अपर्तयक्ष रापू स सादिवा दने क मिले दशृतकोन, विश्वास और व्यवाहर को पर्भैवत करना या आकार देना ह;

(54) 'सक्षम परिधकारी' का तत्प्रय विनियमन (ईय)उ 2017/625 क अनुछदे 3 क इबदं (3) मे सक्षम परिधकारी स ह;ई

(55) 'इनायतंरन परिधाकन' का तत्प्रय विनिमयमन (ईय)ू 2017/625 क अनछुछदे 3 क इबदं (4) मे पूबहिष्ट जीवक न्यात्न परिधाकरण या सघं मे जीवक और गराई- रपूअतनं उतपदो क महत्व क इले तीसरे दशेओ मे नियतंर्ण करण क प्रयोजनो क िलए आयोग द्वारा या आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त इससी तीसर दशे द्वार मान्यता प्राप्त प्रयोजन स ह;

(56) 'इनायतनर्ण निकाय' का अर्थ विनियमन (ईय) 2017/625 क अनुच्छेद 3 क इबदं (5) मे पीरभैषत पर्तययोइजात नकाय, य सघं मे जीवक और रपूअतंरन उतपदो क हित क िलए तिहार दशेओ मे नयत्नर्ण करण क प्रयोजनो क इले आयोग दवारा या आयोग दवारा मान्यता प्राप्त इससी तीसर दशे दवारा मान्यता प्राप्त परापत इनकारय ह;

(57) 'गैर-अनपुअलन' का अर्थ है इस इविन्यामन का गैर-अनपुलन या इस इविनयमन का अनसुरा अपनाए गए पर्तययोइजत् या कार्यान्वयन कार्यो का गैर-अनपुलन;

(58) 'अणुविंशक रपु स सशनोइधत जीव' या 'जी भगवान' का अर्थ यारूपेण संसद और पिरषद का निर्देश 2001/18/इसी का अनचुचदे 2 क इबदं (2) मे पइरभइष्ट अणुविंशक रपू स सशनोइधत जीव ह।[1]) जो उस नर्दशे क अनलुगंक कार्बन मे सचुइबधद् अनवुनशक सशनोधन की तकनीको क मध्यम स प्राप्त नहि इक्या गया ह;

(59) 'जी दिव्य स उतपइदत' का अर्थ ह पुरुणतः या एंशक रापु स जी दिव्य स वयत्तुपन्न, इकनत् जी दिव्य याकुत या उसस इमलकर बना हउ;

(60) 'जी दिव्य द्वारा उतपइदत' का अर्थ ह उत्पन्न पर्किरिया मे अनंतम जीवित जीव का रपू मे जी दिव्य का उपयोग करक व्यत्तुपन्न, लेकन जी पियानोकुत् या उनस इमलकर बना नहीं और न जी ही दिव्य स उतपइदत;

(61) 'खाद्य योजाय' का अर्थ यारूपीय संसद और पिरषद का विन्यामन (ईसी) साखन्या 1333/2008 का अनुछदे 3(2) कि इबदं (ए) मे पिरभिष्ट खादय योजाय ह।[2]);

---

(1) युरोपीय संसद और पुरषद के 12 मार्च 2001 के निर्देश 2001/18/ईसी, अनुविंशक रापू स सशनोधत जीवो को जानबहुकर पर्यारण मे छुड़ाना और परदश के 90/220/इसी को नरसत् करण पर (ओजे एल 106, 17.4.2001, पृष्ठ 1.

(2) युरोपीय संसद और खादय विशेषणो पर 16 इदसबंर 2008 की परशाद का इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1333/2008 (ओजे एल 354, 31.12.2008, पृ. 16)।

▼ : ...

(62) 'फीड एडिटवस' का अर्थ यारूपिया संसद और पिरशाद का विवियन (ईसी) साखन्या 1831/2003 क अनुछदे 2(2) क इबदां (ए) मे पीरबिशत फीड एडिटवस है।(1));

(63) 'इजनिन्यारद ननइओमतियेरयल' का अर्थ यारूपिया संसद और पिरशाद का विविनयमन (ईय)ऊ 2015/2283 क अनछुछदे 3(2) क इददं (एफ) मे पइरबहिश्त् इजनीयारद ननइओमतीरयल ह।(2));

(64) 'समतलुयता' का अर्थ ह ऐस नियामो को लाग कर्क समान उद्दशेयो और इद्दधातानो को पुरूआ करना जो अनरुपुता का अश्वासन का समान सत्र को स्यूंश्चित करत है;न

(65) 'पर्ससंक्रण सहायता' का तात्प्राय खद्यय क इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1333/2008 क अनुछदे 3(2) क इबादन (बी) और फ़ीड क इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1831/2003 क अनुछदे 2(2) क इबादत (एच) मे पीरभैषत पर्ससंक्रण सहायता स ह;ै

(66) 'खादय एजेंइम' का अर्थ यारूपीय संसद और पिरषद का विविनयमन (ईसी) साखन्या 1332/2008 क अनचुछदे 3(2) कि इबदं (ए) मे पइरबहिश्त् खदाय एजांइम ह।(3));

(67) अयनीकरण विकरण स तत्प्रय खंड 1 मे पूर्व अयोनीकरण विकरण स ह। पिरषद निर्देशे 2013/59/यरूतेओम क अनुछदे 4 क (46) (4);

(68) 'परुव-पाकै खादय' स तत्प्रय विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1169/2011 क अनचुछदे 2(2) क इबदं (ई) मे पिरबहिश्त् पुरुव-पाकै खाद्य स ह;ै

(69) 'ककुक्तु घर' का अर्थ ह ककुक्तुओ को राखन के लिए एक सिथर या गीतशील भवन, इससे छतो स धिधी सबसे सतह शैमल ह;इ घर को अलग-अलग कोकशो मे विभाइजत इक्या जा ह,ए इसमे स पर्त्यके मे एक ही जुडं रह सकता है;ई

(70) 'मदिरा-सम्बन्धि फल की खाती' स तत्प्रय जीवित मद्र मे उत्पदन या ऐसी मदिरा मे उत्पदन स ह,इ इसस ऐसी समग्रयो और उतपदो क साथ इमशिरत या उरविरत इक्या जात ह,इ इन्हहे उप-मदिरा और आधार-शल्य क सबबंधं मे जीवक उतपादन मे अनमुति दी जाती है;इ

(1) पश पोषण में उपयोग के लिए लिंकरो पर युरूपिया सदन और 22 इस्तंबर 2003 की परशाद का इविन्यामन (ईसी) सख्या 1831/2003 (ओजे एल 268, 18.10.2003, पृष्ठ 29)।

(2) 25 नवबंर 2015 क युरोपीय सदन और नवीन खादय पदारथो पर पिरषद का इविन्यामन (ईय)उ 2015/2283, यरूपी संसद और परीषद क इविनयमन (ईय)उ सखन्या 1169/2011 को सशनोइधत करना और यरूपिया संसद और पिरषद क इविनयमन (ईसी) साखन्या 258/97 और आयोग इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1852/2001 (ओजे एल 327, 11.12.2015, पश्रुत 1) को नरसत् करना।

(3) युरोपीय संसद और खाय एजेंइमो पर 16 इदसंबर 2008 की परशाद का इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1332/2008 और परशाद निरादशे 83/417/ईईसी, परशाद इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1493/1999, निरादशे 2000/13/ईसी, परशाद निर्देश 2001/112/ईसी और अनुशासन (ईसी) सखन्या 258/97 (ओजे एल 354, 31.12.2008, पृष्ठ 7) मे ससंोधन।

(4) 5 दिसंबर 2013 का परिषद् निर्देश 2013/59/यूरोटेओम, इसमे आयनकारी विकास के सपंर्क में एक एस उत्पन्न होन वाल ख़तरो सरक्षा के इलैनुना बिआदि सरुक्षा मादो को निर्धैरत इक्या गया ह, ए और नर्दशे 89/618/युरूतोओम, 90/641/युरूतोओम, 96/29/युरूतेओम, 97/43/युरूतेओम और 2003/122/युरूतेओम को नष्ट कर दिया गया (ओजे एल 13, 17.1.2014, पृष्ठ 1)।

▼:

(71) 'अपर्ससंक्तृ उत्पद्' का तत्प्रायरूपेण सस्ंद और पर्साद क इविन्यामन (ईसी) साखन्या 852/2004 क अनच्छुच्छे 2(1) क इबदं (एन) मे पीरबहिषत् अपरसंक्तृ उत्पदो स ह।[1]), पकाईजगं या लैबिलगं सचनालन पर ध्यान इदा इबना;

(72) 'पर्ससंक्तृ उत्पाद' स तत्प्रय अनच्छुच्छदे 13 मे पूर्वसंक्तृ उत्पदो स ह। (ओ) विनिअमन (ईसी) साखन्या 852/2004 क अनछुदे 2(1) क अनसुअर, पकाइजगं या लेबलगं सचानलन पर ध्यान इदा इबना;

(73) 'पर्ससंक्रण' का तत्प्रय अनच्छुदे 2 क इबदं (एम) मे पर्साभिष्ट पर्संक्रण स है (1) विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 852/2004; इसमे इस विनियमन का अनचुचदे 24 और 25 मे सडंरिभट पदारथो का उपयोग शैमल ह,ए लाइकन इस्मे पकाइजगं या लेबलगं सचनालन शैमल नहि है;न

(74) 'जीवक या रपूतंरन उत्पदो की अखदंता' का अर्थ ह यह तथय इक उतपद् गरै-अनपुलन प्रदरशत नहिकता ह जो:

(क) उत्पदन, तयारी और परिवर्तन का एक भी चरण मे उतपद की जीवक या रपूअन्तरान् वषशेताओ पर्भावता ह;ै या

(ख) डबलवपरून या जानबझूकर इक्या हो गया;

(75) 'बाद'ए स तात्प्रय ऐस पडे स ह इजसमे वह भाग सममिलत ह इससमे पशौ को परितकुलु सीन की सिथित स सरुक्षा प्रदान की जाती ह।

अध्याय 2

जीवक उत्पदन क उददशेय और सिद्धातं

अनछुछे 4

उदद्शेय्

जीवक उत्पदन मे नामनिलिखत सामानय उद्दशेय शैमल होगं:

(क) पर्यावरण एवं जलवाय का संरक्षण मे योगदान देना;

(ख) इमात्ती की दीर्घकैलिक उर्वराता बनाए रखना;

(छ) जवै विविधता क उच्च सत्र मे योगदान देना;

(घ) गैरै विषलै वातावरण मे पर्यापत् योगदान देना;

(ई) उच्छ पश कल्याण मानको मे दान देना और विशेषे रपु स पशौ की परजैत-विशिष्ट व्यवहार सबन्धनि अवशयक्ताओ को पुरुआ करना;

(च) सघं क विभन्नं कष्टेरो मे लघ वत्रान चनैलो और सथनीय उत्पदन को पुरोत्साहित करना;

(1) खादय पदारथो की सवच्छता पर यरूपिये सदन और 29 अप्रैल 2004 की परषद का विनियमन (ईसी) साखन्या 852/2004 (ओजे एल 139, 30.4.2004, पृ. 1)।

▼:...

(च) वलपुट होन का खातिर मे पडी दारुल्भ एव दशेई नसलो का सरंक्षण को प्रोटासइहत करना;

(ज) जीवक कृष की विशिष्ट अवशयक्ताओ और उद्देशेयो क अनकुलु पादप अनवुंशक समग्री की अपरोइट के विकास में योगदान देना;

(i) जवै विविधता क उच्च सत्र मे योगदान देना, विशेषे रपु स विविध पादप अनवुंशक सामग्री का उपयोग करने के लिए,जैसी एक जीवक विषमगानी सामग्री और जीवक उत्पाद का उपयोग करने के लिए एक उपाय;

(जे)ए जीवक क्षेत्र का अनकुलु अरिथक पीरपरकेश्य मे योगदान दने क लाइए जीवक पौध परजनन गीतिविधयो क विकास को लाभ देना।

अनछुछे 5

सामानाय सिद्धातं

जीवक उत्पदन एक इतकौ प्रबन्धन परनालि ह जो नमनिलखत सामानय इद्दधातनो पर हभिरत् ह:य

(क) पर्कित की पर्नाल्यो और चक्रो की परित समन तथा इमात्ती, पानी और हवा की सिथित, पौधो और जानवरों का स्वास्थ्य और उनके बीच सतलुन की सिथरता और वृध;

(ख) पराकिरतक पिरदश्रय तत्त्वो, जसै पराकिरितक विरसत् स्थिरो का संरक्षण;

(छ) ऊर्जा और पराकिर्तक ससंधानो, जसै जल, इमत्ति, कार्बिनक पदारथ और वाय का इज़ामदेराना उपयोग;

(घ) विभन्नं परकार क उच्छ गणुवत्ता वाल खादय और अन्य किष एव जलीय किष उत्पदो का उत्पादन, जो उपभोकताओ की मगन को पुआ करत है तथा इयानका उत्पदान ऐसी पर्किरयाओ का उपयोग एस इक्या जाता है जो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, पौधो के स्वास्थ्य या पश स्वास्थ्य और कल्याण को नकुसान नहीं पहुंचाता है;

▼**सी2**

(ई) खादय एव चार का उत्पदन, तयारी और परिवर्तन का सभी चरणो में जीवक उत्पदन की अखण्डता सिनुश्चित करना;

▼:...

(च) पैरसिथितक तत्नरो पर हभिरत तथा पर्बधन्न परनालि क अतानिरक पराकिरतक ससंधानो का उपयोग करत हएउ जीवक पर्किरयाओ का उपयकुट इदजाइन और पर्बधन्न, ऐसी विधि का उपयोग करत हएउ:

(i)जीवित जीवो और यातनिरक उत्पदन विधि का उपयोग करें;

(ii) मद्रा-सबंधनी फसल की खेती और भीम-सबंधनी पषधुन उतपादन का अभ्यास करना, या जलीय कृष्ण का अभयास करना जो जलीय ससाधनो का सतत दोहन क सिद्धातं का अनपुलन करता हो;

▼:...

(iii) पश इचिक्तसा औषधीय उतपद उतपदो और जी दिव्य द्वारा उतपदो का उपयोग बाहर रखा गया;

(iv) जोखम मालुयक्कन और झा उपयकुट हो, एहितयाति मेयो और निवारक मेयो क उपयोग पर लाभ है;न

(छ) बाहय इनपतु क उपयोग पर पितबधं; जहां बाहय इनपटु की अवशयकता होती है इबदं (च) मे नृदशट्ट उपयकुत् परबधन्न पद्धितया और पद्धितया मौजु नहि है,न वहा बाहय इनपतु इनम्निलिखत तक सीमत होगं:

(i) जीवक उत्पदन स इन्पतु; पादप पर्जनन सामग्री का ममल मे,ं जीवक कृष की विशिष्ट अवशयक्ताओ और उद्दश्यो को पूआ कर्ण की ओर से उनकी क्षमा का आधार पर चयिनत इसमो को पराथिमकता दी जाएगी;

(ii) पराकिरितक या पराकिरितक रपु स वयत्तुपन्न पदारथ;

(iii) कम घलुनसिटी वाल खिंज उरव्रक;

(ज) जहां आश्वासन हो और इस विनियम का ढाँचा के अंदर, स्वच्छता की स्थिति, पैरसिटिटक सतलुन मे क्षत्रिय अतंर, जलवाय और सथानीय सिथितयो, विकास क चरणो और विशेष पश्पुलान पार्थाओ को ध्यान मे रकत हएउ उत्पदन पर्किरया का अनकुलून;

(i) पश कलोइन्गं, कत्रिरम रपु स पियरेत पॉलिपालोइड बायसो का पालन और आयनकारी इविकरण को सपंरुण जीवक खादय श्रृखंला स बाहर रखा गया;

(ज)ए प्रजाइतयो की विशेष अवशयक्ताओ का सम्मान करत हउ पश कल्याण क उच्छ सत्र का पालन करे।

अनछुछे 6

कृष गीतिविद्यो पर लाघ विशिष्ट सिद्धातं और एक्वाकल्चर

कृष गीतिविद्यो और जलकिष क संबंधं मे,ं जीवक उत्पद्न विशेषे रपु स नमनलिखत विशेषत सिद्दधातनो पर हभिरत् होगा:

(के) मद्रा जीवन और पराकिर्तक मद्य उरवर्ता, मद्य सत्यत्व, मद्य जल धारण और मद्य जवै विविधाता का आहार और संवर्द्धन, मद्रा कार्बिनक पदारथ की हन, मद्रा सघन्नन और मद्रा अपादान को लाभ और उनका मकुआबला करना, तथा मखुय रपू स मद्र पयरसिथतकी ततंर क मधयम स पौधो का पोषण करना;

(ख) गरै-नवक्रिय ससंधानो और बाहय इंपतु का उपयोग नयनुतम तक सीमित करना;

(छ) पादप और पष मालू का उपशत और उप-उत्पदो का पादप और पषधुन उत्पदन मे इनपटु क रापू मे पनुर्चकर्ण;

▼:...

(घ) निवारक मेयो दवा पौधो का स्वास्थ्य बनाए रखें, विशेष रपू स कीटो और रोगो क परित प्रतिद्रिधि उपयकुत् परजैतयो, न इसमो या वषमलिंगक सामग्री का चयन, उपयकुत् फल चक्र, यातनिरक और भूतक विधि तथा कीटो का पराकृितक शत्रु स सरुक्ष;

(ई) उच्च सत्रह की अनुवांशिक विविधता, रोग प्रतिरोधक कश्मता और दीर्घकालिक वाल बीजो और पशौ का उपयोग;

(च) पौधो की इस्मो क चयन मे,ं विशिष्ट जीवक उत्पदन पर्णैलयो की विशषेताओ को ध्यान में रक्षित हएउ, कृष संबंधनि परदर्शन, रोग प्रतिरोधक कष्मता, विविध सथानीय इमात्त्ति और जलवाय स्थितियो क अनकुलून और पराकिर्तक पारगमन बाधाओ के परित सममान पर ध्यान केदंमृत करना;

(छ) जीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग, जसाई इक जीवक विषमांगी सामग्री की पादप प्रयोजन सामग्री और जीवक उत्पदन के लिए उपयकुत् जीवक इस्मे;ं

(ज) पराकृतक पर्जनान कष्मता क मध्यम स जीवक इसमो का उत्पदान और पराकीरितक पारगमन बाधाओ का अंतर्विरोध पर ध्यान देना;

(i) विविनयमन (ईसी) साखन्या2100/94 क अनुछदे 14 और सदसय राज्यो क राष्टरीय कन्नू क अंडर दए गए राष्टरीय पौध इसम अ धकारो क प रत प ूवगृह क इबना, इसाणो को जीवक उतपदन क वशेषे स थतयो क अनकुलु अनवुं शक ससं ादनो क े वत दने क इले अपन सव्य क खतेओ स प्राप्त पउध परजनन सामगरी का उपयोग करन क सभनवना;

(ज)ए पशौ की नसलो क चयन मे,न उच्च सत्र की अनुविंशक विविधता, पशौ की सथनिया पिरसिथितयो क अनकुलु धलन की कश्मता, उनक पर्जनन मलुय, उनकी दीर्घाय, उ उनका जीवन शक्ति तथा रोग या स्वस्थ्य समसयाओ क परित उनकी प्रतिरोधकता को ध्यान में रखत हएउ;

(टी) सथल-अनकुइलत और भीम-सम्बन्धि पषधुन उत्पदन का अभ्यास;

(ठ) पश्पालन की ऐसी पद्धति का प्रयोग जो रोग प्रतिरोधक कश्मता को ठीक करता है और रोगो का वरदुध पराकिर्तक सरुक्शा को मज़बूत जगह है, इसस्मे नियाइमत वयाम और खलुई हवा वाल कश्तेरो और चरागाहो तक पहुंच शैमल ह;ै

(एम) पशौ को जीवक उत्पदन स उत्पन्न किरश अवायवो और पराकिर्तक गरै-किरश पदारथो स बन जीवक चार को इखलाना;

(ढ) उन पशौ स प्राप्त जीवक पषधुन उत्पदो का उत्पदन, इन्हे जन्म स लकेर अदं सने तक जीवन भर जीवात्मा पर पाला गया;

(ओ) जलीय पर्यावरण का सतत स्वास्थ्य तथा आस-पास का जलीय एवं स्थिर्य पैरसिथिटकी ततंर की गनुवत्ता;

▼ : ...

(पी) विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1380/2013 क अनसुअर सथयी रपु स शोषत मतस्य पालन स प्राप्त आहार क साथ जलीय जीवो को इखलाना या जीवक जलीय किष सहत जीवक उत्पदन स उत्पनन कश सामग्री और पराकिर्तक गरि-किष पदारथो स बन जीवक आहार क साथ इखलाना;

(कय)उ जीवक उत्पदन स उत्पनन होने वाली संरक्षण इहत की परजैतिओ को इक्कीस भी ख़तर सा बचाएँ।

अनछुछे 7

जीवक खादय क पारसंक्रण पर लाग विशेषत सिद्धातं

पर्ससंक्तृ जीवक खादय का उत्पद्न विशेषे रपु स न्मनिलखत विशेषत इद्दधातनो पर हहिरत होगा:

(क) जीवक किष सामग्री स जीवक खादय का उत्पदन;

(ख) खादय् विशेषरो,ं मखुयतः तकनीकी एवं सवंदे कार्ययो वाल अकारबिनक अवायवो,ं तथा सकुशम पोषक तत्त्वो और पार्संक्रण सहायक पदारथो का उपयोग पर प्रतिबन्धन, ताइक उनका उपयोग नयनुतम सीमा तक तथा कवेल आवेशक प्रौद्योगिकी अव्श्यक्ता या विशेष पोषण प्रायोजनो का उपयोग ही करना चाहिए;

(छ) ऐस पदारथो और पार्संक्रण विधियों का बिहस्कार जो उतपाद की वास्तिवक पर्कित क संबधं मे अहितकर हो सकत है;ं

(घ) जीवक खादय का सावधानीपरूवक परसंक्रण, अधमनतः जीवक, यतनिरक और भूतक विधियो क उपयोग क मध्यम स;हे

(ई) इज़िन्यरद ननैयो समागिरयो स यकुत् या उनस बन खादय पदारथो का बिहस्कार।

अनछुछे 8

जीवक फिड क पारसंक्रन पर लाग विशेषत सिद्धातं

पर्ससंक्तृ जीवक चार का उत्पद्न विशेषे रपु स नामनिलिखत विशेषत इद्दधातनो पर लाभिरत् होगा:

(क) जीवक चरा समग्री स जीवक चरा का उत्पदान;

(ख) आहार योजको और पार्संक्रण सहायक पदारथो क उपयोग पर पितबधं, ताइक उनका उपयोग नयनुतम सीमा तक और कवेल अवकाश प्राप्तकर्ता या परानी-तकनीकी आविष्कारो या विशेष पोषण प्रयोजनो के लिए संभव हो;

(छ) ऐस पदारथो और पार्संक्रण विधियों का बिहस्कार जो उतपाद की वास्तिवक पर्कित क संबधं मे अहितकर हो सकत है;ं

▼:...

(घ) जीवक चार का सावधानपूवक पर्ससंक्रण, अधमनतः जीवक, यतनिरक और भूतक विधि क उपयोग क मध्यम स

अध्याय 3

उतपदं नियम

अनछुछे 9

सामानय उत्पदन नियम

1. विकल्प इस अनछुदे मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो का पालन करेगा।

2. सम्पूर्ण जोत का प्रबन्धन इस अनुशासन की उन आवश्यकताओं का अनपुएलन मे इक्यागे जो जीवक उत्पदन पर लग जाता है।

3. अनचुचदे 24 और 25 तथा अनलुगन्कII मे निरिषट पर्योजनो और उपयोगो का इए, कवेल उन उत्पदो और पदारथो का उपयोग जीवक उतपादन मे इक्या जा सकता है इन्हे उन परावधानो का अनसुअर अधाक्तरी इक्या गया ह,ए बशारत इक गरै-जीवक उतपादन मे उनका उपयोग भी सघंय कनु का प्रसङ्गक परावधानो क अनसुअर और झा लग हो, सघनिय कन्नू पर खैर राष्ट्रिय परावर्तनो क अनसुअर अधिधातृ इक्या गया हो।

इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1107/2009 क अनछुछदे 2(3) मे सदारिभत इनामनिलिखत उत्पदो और पदारथो को जीवक उत्पडन मे उपयोगिता की अनमुइत दी जाएगी, बशारत इक व उस इविन्यामन का अनसुअर अधिधातृ हो:।

(क) पौध सरंक्षण उत्पदो क घटक क रपू मे सफेनर, इसनरिजसत् और सह-सतुर्धार;

(ख) सहायक पदारथ जनेह पौध सरंक्षण उत्पदो क साथ इम्लैया जाना है।

इस इविनयमन द्वार कवर इके गेद उद्दशेयो क बूट अनय उद्दशेयो क इले उत्पदो और पदारथो क जीवक उत्पडन मे उपयोग की अनमुति दी जाएगी, बशारत इक उनका उपयोग अध्यायII मे निर्धैरत सिद्धातनो का अनपुलन करता हो।

4. आयनकारी विकरण का उपयोग जीवक खादय या चार के उपचार में, तथा जीवक खादय या चार में पर्याकुत कच्छ माल के उपचार में नहीं किया जाएगा।

5. पश कलोइनगं का उपयोग, तथ कत्रिरम रपू स पयरेत पॉलिपालोइड पशौ का पालन निषदध होगा।

6. जहां उपयकुत् हो, उत्पडन, तयारी और परिवर्तन के पर्त्यके चरण पर निवारक और एहितयाती उपाय एके जाएंगे।

7. परागरफ 2 का बावजदू, एक होलिडगं को जीवक, इन-कनवर्जन और अजीवक उत्पदन क िलए सप्त रापू स और परभावी रापू स अलग-अलग उतपादन इकैयो मे वभेजत इक्या जा सकता है, ए बशारत और आजीवक उतपदन इकैयो का इलै:

▼:...

(क) जहां तक पषधुन का सबंधं ह,ए इसमे इविभन्न् परजैता शैमल है;न

(ख) पधो क संबंधं मे,ं विभन्नं इसमे शिमल है इणहे सहज स जगा जा सकता है।

जहां तक शवयाल और जलकिष पशौ का संबंधं ह,ए एक ही परजैत शैमल हो सकता है ह,ए बशारत इक उत्पदन सथलो या इकैयो का बीच सप्त और परभावी पथृकक्रण हो।

8. अनचुचदे 7 क इबादन (ख) स वचलन क रपू मे,न शिक्षालो क ममल मे,न इसानक इले कम स कम तीन वर्ष की खाती अविध की अवशयक्ता होती ह,ए इविभनान इसमे इसमे आसाने स वभिदत नहि इक्या जा सकता है ,ए या एक ही इसाम शैमल की जा सकती है,ए बशारत इक विचाराधीन उत्पादन उत्पडन योजना का सदारभ मे हो, और बशारत इक विचाराधीन उत्पडन स सबंधत क्षेत्र का अनंत भाग का जीवक उत्पडन मे पुनर्जन्म यथाशीघ्र शुरू हो और अद्धक्तम पाचं वर्षो का समावेश पूरा हो जाए।

इस प्रकार का ममलो मे:ं

(क) इसान कोशम स.प्र.विधि.
नियतंरन निश्चय को, सबंधत उत्पदो मे स परतयके की कटौती शुरू होन स कम स कम 48 घटं पहिला सिउचत करना होगा;

(ख) फसल कटाई पुरुई होन पर, इसान्सम सक्स परैधकारी को, या झा उपयकुट हो, अन्यातंरण प्राधिकारी या नियतंर्ण निकाय को, सबंधत इकैय्यो स कटी गई सही मात्रा और उत्पदो को अलग करण क िलए गेन गाईन मेयो का बार मे सूिचत करगेआ;

(जी) रपूअन्तरण योजना तथा परभावी एव सप्त पथृकक्रण सिनुश्चत करण क इले आईके जन वाल मायो की पशुइत परतयके वर्ष रपूअतनरन योजना के परर्भन होन क बाद सक्षम परिधाकारी द्वारा, या जहा उपयकुत हो, न्यात्नर् प्रसिद्धि या न्यातंर्ण काय द्वारा की जाएगी।

9. अनचुचदे 7 क इबदं (क) और (ख) मे निर्धैरत विभन्न परजैतयो और इस्मो स सबंधत अवशयक्तए अनसुधानन और शाकैशक केदंरो,ं पौध नरसिरो, बीज गणुको और परजनन कार्यो का मामला मे लग नहीं होगनी।

10. झा,अं पैराग्राफ़ 7, 8 और 9 मे सदरंरिभट ममलो मे,ं इस्की होलिडगं की सभी उत्पदन इकाइया जीवक उत्पदन नियमो का अंडर परबंधत नहि होता है,न वहा संपादक:

(क) जीवक और रपूअतंरन उतपादन इकैय्यो क इले पर्यकुत उतपादो को अजीवक उतपादन इकैय्यो क लये पर्यकुत उतपदो स अलग रखना;

(ख) जीवक, अजीवक और अजीवक उत्पदन इकैयो दवारा उतपइदत उतपदो को एक दसूर स अलग रखना;

(छ) उतपादन इकैयो और उतपदो का परभावी पथिकक्रण को दर्शन का लाभ इरकोर्डिखें

▼:...

11. योग को अनछुड़े 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कटरियो को अपनान का अधिकार ह,ए जो इस अनछदे क परैगाफ 7 मे सशनोधन करगेआ, इसमे इससी होलिडगं को जीवक, गैर-जीवक और गैर-जीवक उत्पद्दनइकाईयो मे वभेजत करण क सबंधं मे,ं विशेषे रपु स अनलुगंकइ मे सचुइबध्द उतपदो क सबंधं मे, या उन जोड गये न्यामो मे सशनोधन कर्क,के एतिरकत नियम जोड़ जाएगा

अनछुछे 10

परिवर्तन

1. शवयाल या जलिय कृष्ण पशौ का उत्पदन करण वाल इसान और सचनालक एक रपूअतंरन अवधि का अनपूलन करेगा। अनछुदे और अनलुगन्कII मे निर्धैरत रपूतांरन पर लाग नियम।

2. रपूअतनरन अवध तब शरू होगी जब शवयाल या जललए कश पशौ का उतपदन करन वल इसान या अपरटर न अनछछदे 34 (1) क अनसुार, उस सदसय राज्य मे सक्षम अ धकायरयो को ग त व ध को अ ध स चत इ या ह इससमे ग त व ध क ज त ह और इससमे उस इसान या ऑपर्टर की जोत नियतंर्ण पर्णाली के अधीन है

3.इसकी भी पुरुव्वृति अवधि को पुरुव्वयपि रपू स रपूअन्तरन अवधि का इहसा नहीं माना जाएगा, इस्काय इसक:

(ए) ऑपरटर के भीम पारसल उन मायो का अनुबंध थ जनेह विविनयमन (ईय)उ का अनसुआर कार्यानिवत कार्यकर्म मे पीरभैषत इकाया गया था।
साखन्या 1305/2013 यह सिनुश्चित करण क उद्दशेय स ह इक उन भीम खदनो पर जीवक उत्पडन मे उपयोग क इले अधाक्तरि उत्पदो या पदार्थो क अलावा इसके अन्य उतपाद या पदारथ का उपयोग नहि हो सका ह;ै या

(ख) ऑपरटर यह परमान द कैन ह इ इक भीम क टकुड पराकिर्तक या किश कश्तर थ,ए इन्हे कम स कम तीन वर्षो की अवधि तक ऐस उत्पदो या पदारथो स उपचरित्र नहि इक्या गया ह जो जीवक उत्पदन मे उपयोग क इले अध्यक्तत्र नहि है।

4. रपूतांरन अविधि के दौरान उतपइदत उतपदो को जीवक उतपदो या रपूअतांरन के दौरान उतपइदत उतपदो को रपू में विपन्न नहीं इक्या जाएगा।

हलांक, रपूअतंरन अविध क दौरान और अनछछदे 1 क अनपुलन मे उतपइदत नमनलखत उतपदो को रपूअतंरन रिहत उतपदो क रपु मे वपन्न इक्या जा सकता है

(क) पदप परजनन सामग्री, बशारत इक कम स कम 12 महीने की रपूअतंरन अवधि का अनपुलन इक्या गया हो;

(ख) पौधो स उत्पन्नं खद्यय् उत्पद् और पौधो स उत्पन्नं उत्पाद, बशारत इक उतपाद मे कवेल एक कृषक घटक शाइमल हो, और बशारत इक कृषि फसल स पहले कम स कम 12 माह की अवधि का अनपुलन इक्या गया हो।

▼:

5. आयोग को 17 जनवरी 2018 को अनबुद्धंII का भाग II मे विविनयिमत परजैतयो का स्थान अन्य परजैतयो क लाइए रपुतंरन न्यामो को जोडकर या उन जोड़ दिए न्यामो को सशनोधिहत करक,ए अनबुधंII क भाग II क इबादन1.2.2 को सशनोधत् कर्क अनच्छुदे 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कत्रयो को अन्नन का अधिकार ह।

6।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 11

जी सिद्धांत का उपयोग प्रतिबन्धन

1. सकुशम जीव या जानवरो का रपू मे नहीं इकया।

2. जी पुराण और जी दिव्य सखाय और चार के मिले उतपइदत उतपदो का संबंधन मे पैराग्राफ 1 मे नृद्धैरत निषधे का प्रायोजनो का लाइए, प्रतिपादक उतपद के उन लेबलो पर विश्वास कर सकत है जो यरूपिया ससंद और पिरशाद का नृदशे 2001/18/इसी, इविनयमन (ईसी) साखन्या 1829/2003 क अनसुअर इचपकाए गए या पर्दान एके गए हैं।[1]) या युरोपीय संसद और परिषद का विनियम (ईसी) सखन्या 1830/2003 ([2]) या इसक अतंर्गत पर्दान इक्या गया कोई भी सालंगन दस्तावजे।

3. सचनालक यह मन सकत है इक खरीदी गई खादय और चार का निर्माण मे इसका भी जीएमओ और जीएमओ का उपयोग कैसे किया जाए, इसका उपयोग नही किया जा सकता है। ऐस उतपदो पर कोई लेबल नहीं लगा ह या उपलबध नहीं लग गया ह,ई या अनछदे 2 मे नरिषत कन्नुई कतरयो का अनसुअर उनक के साथ कोई दोस्ततावजे उपलबध नहीं सजीव हो गया ह,ए जब तक इक उन्हे अन्य ज्ञान प्राप्त न हो गया ह जो यह दरशती ह इक सबंधत उत्पदो की लेबलंग उन कन्नुई कतरयो क अनरापू नहि है

4. अनच्छेदे 1 मे निर्धैरत निषधे के प्रयोजनो के लिए, अनछुए 2 और 3 के अतंर्गत न एक वाल उत्पदो के संबंधन में, तीसरे पक्ष का अधिग्रहण गेर-जीवक उत्पदो का उपयोग करन वाल अपेर्तरो को वकर्ते स यह पशुत करणी है इ व उतपद जी दिव्य स या जी दिव्य द्वार उतपइदत नहीं है

([1]) अनुवुइंशक रपू स सशनोधत् खद्य और चरा पर यरूपे संसद और 22 इस्तंबर 2003 की शुरुआत का विनियमन (ईसी) साखन्या 1829/2003 (ओजे एल 268, 18.10.2003, पश्रित 1)।

([2]) युरोपीय संसद और 22 इस्तंबर 2003 की परशाद क इविन्यामन (ईसी) साखन्या 1830/2003, अनुविंशक रपु स सशनोइधत जीवो की पता लगान योगयता और लेबिलगं तथा अनुविंशक रपु स सशनोइधत जीवो स उतपइदत खद्य और क्र उत्पदो की पता लगान योगिता क संबंधं मे और निर्देश 2001/18/ईसी मे ससंशोधन (ओजे एल 268, 18.10.2003, पृष्ठ 24)।

▼:...

अनछुछे 12

सयन्तंर उतपदं नियम

1. सयंतंर या सयंतंर उतपदो का उत्पदन कर्ण वाल सचानलको को विशेषे रपु स अनबुधंद्वितीय क भागमैं मे निर्धैरत वसत्तृ न्यामो का अनपुलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) असाधारणो क सबंधं मे अनबुधंII क भाग I क इबादन1.3 और 1.4;

(ख) अनलुगंकII क भाग I क इबादन1.8.5 मे अतंरर्पूअतांनिरत और अजीवक पादप परजनन सामग्री क उपयोग क सबंधं मे;न

(ग) अनबुधंII क भाग I क इबादन1.9.5 मे कृष जोतो का सचनालको का बीच समझुतो स सबंधत अतिरकत परावधान जोडकर, या उन जोड गए परावधानो मे सशनोधन कारक;

(घ) अनलुगंकII क भाग I क इबादन1.10.1 मे अतिरक्त कीट एवँ राजकोषीय परबन्धन मेयो को जोडकर, या उन जोड मेयो मे सशनोधन कर;के

(ई) अनलुगंकII का भाग I मे विशिष्ट पौधो और पौध उत्पदो क लाइए वसत्तृ नियम और खाती का तरीको को शिमल करक,ए इससमे अकिंचुरत बीजो को मिले नियाम भी शिमल है,या उन जोड़ गए नियामो मे सशनोधन करक।

अनछुछे 13

पादप पर्जनन उतपदो क विपन्न क िलए विश्षट परावधान
कैरबिनक विषमाग्नि पदारथ की सामग्री

1. कार्बिनक विषमाग्नि सामग्री की विधि जो निर्दश 66/401/ईईसी,66/402/ईईसी, 68/193/ईईसी, 98/56/ईसी,2002/53/ईसी,2002/54/ईसी,2002/55/ईसी,2002/56/ईसी, 2002/57/ईसी,2008/72/ईसी और2008/90/ईसी या उन नर्दशेओ का अनसुरन मे अपनाए गए कटरियो मे निर्धैरत है

2. अनछुए 1 मे उलिलिखत जीवक विषमाग्नि सामग्री की पादप प्रयोजन सामग्री का विपन्न अप्रतिकृता द्वारा नृदशे 66/401/ईईसी,66/402/ईईसी,68/193/ईईसी, 98/56/ईसी, 2002/53/ईसी,2002/54/ईसी,2002/55/ईसी,2002/56/ईसी, 2002/57/ईसी, 2008/72/ईसी और2008/90/ईसी मे नरिदशत इस्ममदेअर एधकारक इन्कायो को जीवक विषमग्नि सामग्री की अद्धशचुना का बाद इक्या जा सकता है, ए जो एक दोइज्यर का मध्यम स बनाया गया ह इससमे इनामनि लिखत शैमल है:

(क) अवधि का सपंर्क विवरण;

(ख) कार्बिनक विषमाग्नि सामग्री की परजैतिया और नाम;

▼:...

(छ) मखुय सस्यिव्ज्ञान और लक्षणप्रपुय वशेताओ का वर्णन जो उस पादप समहू क इले सामानय है,अं जनमे प्राजनन विधाया, उन विशेषेताओ पर परिक्षणो स उपलब्ध पिरानाम, उत्पडन का दशे और पर्यकुत् पाटिक सामग्री शैमल है;न

(घ) अवदेक दवारा इब्नद (क), (ख) और (जी) मे इदा गे तत्त्वो की सत्यता क सबंधं मे घोषित; और

(ङ) एक प्रतिनिध नमनूआ।

यह अघसचूना पजनीकतृ पतर द्वारा या अध्यहकारक इंकायो द्वारा सविक्त्रि सचनार क इक्की अन्य मध्यम स भजेइएगा, तथा इसकी परापित की पशुइत मगनिगेगी।

इरतन रसीद पर दर्शई गई तारीख के तीन महीने बाद, बशारत इक नो एतिरकत जानकारी नहीं मागनी गई हो या दोजयर की अपरोन्ता या अनछुदे 3(57) मे पिरबिहत गराई-अनपुआलन का कारण क िलए कोई औपचिारक मंतव्य अपरुितकरता को सिउचत नइ हो गया हो, इसममदेअर अइधकारक इसका उपयोग कैसे करें और इसकी सामग्री का उपयोग कैसे करें।

अघसचूना को सप्त रपू स या निहत रपु स सविकार करण क बाद, इसममदेर अ धकारक नकाय अ धसचचत कार्बनक वशम सामगरी की सचुई बनान क लए आग बध कैन ह।

इसमें भी कार्बिनक विषमाग्नि सामग्री की सचूकी अन्य सदसय राज्यो का सक्ष्म परिधकारियो और आयोग को शामिल किया जाएगा।

ऐसी कार्बिनक विषमाग्नि सामग्री अंछुछदे 3 क अनसुअर अपनाए गए परताययोइजत कटरियो मे निर्धैरत अवशयक्ताओ को पूआ करगेई।

3. योग को इस इविन्यामन का अनपुरुक अनुच्छेद 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कतृय्यो कोएपान का अधिकार ह,ए जो विशेष वशं या परजैत का कारबिनक वशम् समग्री क पादप परजनन सामग्री का उत्पडन और विपन्न को न्यातनमृत कर्ण वल न्यामो को निर्धृत करता ह,ै जसै:ए

(के) कार्बिनक विषमाग्नि सामग्री का उपयोग, इसमे पर्सिंगक परजनन और उत्पडन विधायिका और प्रियकुत पाटकर सामग्री शैमल ह;ई

(ख) बीज लातो क िलए नयनुतं गनुवत्ता अवशयकताए, जनमे पहचान, विशेषत् सदुधता, अकंरुण दर और सवच्छता गनुवत्ता शैमल ह;ई

(जी) लैबिलगन और पकाइजगन;

(घ) व्यासायक श्लैको दवारा राख जान वाली उत्पादन की जानकारी और नामु;के

(ई) जहां लग हो, कार्बिनक विषम सामग्री का प्रशिक्षण।

▼:...

अनछुछे 14

पषधुन उतपदं नियम

1. पषधुन सचनालको को विशेषे रपु स अनबुधंII का भाग II मे निर्धैरत वसत्तृ उत्पदन न्यामो और इस अनचुचदे का पैराग्राफ 3 मे सदृन्भत इससी भी कार्यान्वयन अधिनियम का अनपुलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) जब सघंय बाजार में जीवक पशौ की पर्यापत उपलब्धता सथइपत हो जाए, तो पशौ की उत्पतित क सबंधं मे पार्थशता को कम कर्क अनबुधंद्वितीय क भाग द्वितीय क इबादत 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 और 1.3.4.4.3 को लाग करना;

(ख) कलु भण्डारन घनतव स जदुइ जीवक नाइट्रोजन की सीमा क सबंधं मे अनलुगंकद्वितीय क भागII का इबदं1.6.6;

(छ) मधुमुखि कालोइनयो क पोषण क सबन्धं मे अनलुगन्कII का भाग II की इबादत 1.9.6.2(ख);

(घ) अनबुधंII क भाग II क इबादन1.9.6.3 (बी) और (ई) मधुमुखि पालन केदारो क कीतनशुओधन क िलए सवकारय उपचार और उनस लदान क ट्रिकओ और उपचारो का संबंधन मे*वानरोआ वधवसंक*;

(ई) 17 जनू 2018 को अनबुधंII क भाग II मे उस भाग मे विविनयिमत् परजैतयो क अलावा अन्य परजैतयो क लाइए पषधुन उत्पदन पर वसत्तृ नियम जोडकर, या उन जोड़ गए नियमो मे सशनोधन करक,ए नामनिलिखत क सबंधं मे:

(i) पशौ की उत्पतित क सबंधं मे अपवाद;

(ii) पोषण;

(iii) आवास एवं पश्पालन पार्था;

(iv) स्वस्थ्य दखेभाल;

(v) पश कल्याण।

3. आयोग, झा उपयकुत् हो, अनबुधंII क भाग II क संबंधं मे कार्यान्वयन अधिनम् अपनाएगा इजासमे इनामिलखत पर नियम पर्दान एके जाएगा

(क) सतनपन करण वाल पशौ को माता दधू इपलान की जान वाली नयनुतम् अविध, जसै इक इब्नद 1.4.1(छ) मे निरिदशत ह;

(ख) पशौ की विकासात्मक, शारिरक और नैतिक अवशक्ताओ की पुरित इब्नद 1.6.3, 1.6.4 और 1.7.2 क अनसुअर सिनुश्चित कर्ण क इले विशिष्ट पषधुन प्रजातयो क इलै सातोइकगं घनतव और अतिनिरक तथौर कश्तेरो क इलै नयनुतम का अनपुल्लन इक्या जाना ह।

▼:...

(छ) अतिरेक और बाह्य कष्टेरो क िलए नयनुतम सतह की विशशेताए और तकनीकी अवशयकताए;ं

(घ) मधुमुखियो के अलावा अन्य सभी पषधुन परजैतयो के लिए भवनो और बड़ो की विश्शेताए और तकनीकी आवशयक्ताए, न ताइक यह सिनुश्चत इक्या जा सक इक पशौ की विकासात्मकता, शरीरिक और नैतिक आवश्यक्ता इबादन 1.7.2 क अनसुरार पूर्ई की जाए;न

(ई) वनसप्त की अवशक्ताए तथा संरक्षत सिवाधाओ और खलु वाय क्षत्रियो की विशशेताए।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 15

शवयाल और जलीय कृष पशौ क िलए उतपदं यम

1. शवयाल और जलकृष पशौ का उत्पदन कर्ण वाल सचानलको को विशेषे रपु स अनबुधं II का भाग III मे निर्धैरत वसत्तृ उत्पदन नियमो और इस अनछुदे का पैराग्राफ3 मे सदृन्भत् इसि भी कार्यान्वयन अधिनयम का अनपुलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) मासंहारे जलीय किरष पशौ क लय चार क सबंधं मे अनबुधंII क भाग III की इबादत 3.1.3.3;

(ख) अनलुगंकII क भाग III क इबादन3.1.3.4 क अनसुअर कछू जलकिष पशौ क िलए आहार पर और अधक विशेष नियम जोडकर, या उन जोड़ दिए नियममो मे सशनोधन कारक;

(छ) जलकृष पशौ क िलए पश इचिक्तसा उपचार क सबंधं मे अनलुगंकद्वितीय क भाग तृतीय का इबदं 3.1.4.2;

(घ) अनलुगंकII का भाग III में बर्ड्सटॉक पर्बधन, परजनन और किशोर उत्पडन के इले पर्तयके परजैत कि इले और अधक वसत्तृ शरते जोडकर, या उन जोडिये गए वसत्तह शरतो मे सशनोधन कर्क।

3. योग, झा उपयकुत् हो, परजैतयो या परजैतयो क समहूं क अनसुअर भदनारं घनतव, तत् उत्पदन परनाइलयो और नियतंर परनैलयो क इले विशेषत विशेषतओ पर वसत्तृ नियम न्याम निर्धैरत करत हहु कार्यान्वयं अधिदिनम अपनेगा, ताइक यह सिनुश्चत इक्या जा सक इक परजैतयो की विशिष्ठ अवशयक्ता पर्ई हो।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

4. यह अनछुदे और अनलुगन्कII क भाग III क योजना क िलए, 'सत्तोइकगं घनत्व' का अर्थ ह विकास चरण क दौरान इससी भी समय परित घन मीटर पानी मे जलकिष पशौ का जीवत वजन, तथा फलतइफश और जिगना का ममल मे,न सतह के परित वर्ग मीटर वजन।

▼:...

अनछुछे 16

पर्ससंक्तृ खद्यय पदारथो क उपादन क नियम

1. पर्ससंक्तृ खद्य पदारथ का उत्पडन कर्ण वाल सहलको को विशेषे रपु स अनबुधंद्वितीय क भागIV मे निर्धैरत वसत्तृ उत्पदन न्यामो तथा इस अनछुदे का परिग्रह3 मे सदृन्भत् इसि भी कार्यान्वयन अधिनयम का अनपुलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) पीरचालको दवारा के जान वाल हितयाति मायो और निवारक मायो के संबंधं मे अनलुगांकII का भाग IV की इबादत१.४;

(ख) अनलुगंकII क भाग IV का इब्नद2.2.2, पर्सांकित खादय मे उपयोग के लिये अनमुत उत्पदो और पदारथो के परकार और सरंचना के सबंधं मे, साथ ही उन सिथित्यो के सबंधं मे जनक अतंर्गत उनका उपयोग इक्या जा सकता है;

(छ) अनछुदे 30(5) क इबादन (क)(ii) और (ख)(i) मे नृदशत किरश अवायवो क पार्थशत की गणना क सबंधं मे अनलुगंकII का भाग IV की इबादत2.2.4, इसमे जीवक उत्पदन मे उपयोग क इले अनछुडे 24 क अनसुअर अध्यक्तरि खादय मेकर शिमल है, न इन्हे ऐसी गणनाओ क प्रयोजन क इले किश अवायव माना जाता है।

उन पर्तयायोइजत कतरयो मे स्वाद दने वल पदारथो या सवद दने तय वलीइयरयो का उपयोग करन की सभनावना शाइमल नहि होगी जो यरुपए संसद और पिरषद क विणयमन (आईसी) साखन्या 1334/2008 क अनुछदे 16(2), (3) और (4) क अर्थ क इनसाइड पराकिर्तक नहीं है[1]), न ही जीवक।

3. आयोग खादय उत्पदो क पर्ससंक्रण मे अधिधातृ तकनीको को निर्धैरत करण वाल कार्यान्वयन अधिन्यामो को अपनाना हो सकता है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 17

पर्ससंक्त्र फीद क उत्पदन नियम

1. पारसंक्त्रि फ़ीड का उपादान कर्ण वाल ऑपरटेरो को विशेषे रपु स अनबुधंद्वितीय क भाग V मे निर्धैरत वसत्तत्र उत्पदन न्यामो और इस अनच्छुचछे का परिग्रह 3 मे सदृणभत इससी भी कार्यान्वयन अधिनयम का अनपुलन करना होगा।

(1) युरोपीय संसद और पिरषद के 16 इदसम्ब्र 2008 के विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 1334/2008, जो खादय पदारथो मे और उन पर उपयोग के लिए सवाद और सवद दने वाल गनुओ वाल कछु खाय अवायवो पर ह,इ तथ पिरषद वियमन (ई.ई.सी.) साखन्या 1601/91, विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 2232/96 और (ई.सी.) साखन्या 110/2008 और निष्कर्ष 2000/13/ई.सी. (ओ.जे. एल. 354, 31.12.2008, पृ. 34) मे ससंोधन करता हूँ।

▼:...

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर अनबुधंII क भाग वी क इबदं1.4 मे सशनोधन कर्क ऑपरटेरो दवारा जान वल अतिरकत एहितयाती और निवारक मेयो को जोडकर, या उन अतिरकत मेयो मे सशनोधन कर्क परताययोइजत कत्रयो को अपनान का अधिकार ह।

3. आयोग फीड उतपादो के पर्ससंक्रन में उपयोग के लिए अध्याक्त्राति तकनीक को निर्धैरत करण वाल कार्यान्वयन अधिन्यामो को अपनाना हो सकता है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 18

शराब के उत्पाद के नियम

1. वाइन कष्टेर का उतपद बनान वाल सचानलको को विशेष रपू स अनलुगंकII का भाग VI मे निर्धैरत वसत्तृ उत्पदन नियमो का अनपुलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) अनलुगंकII का भाग VI की इबादत3.2 मे आग की मिदरा सबंधनि पार्थाओ, पर्किरिआओ और उपचारो को जोडकर जो निषध्द है, या उन जोड गये तत्वो मे सशनोधन कारक;

(ख) अनलुगंकII क भाग VI का इब्नद3.3.

अनछुछे 19

भोजन या चार का रपू मे उपयोग इके जन वाल्श के उत्पाद नियम

1. व सचनालक जो भोजन या चार का रपू मे उपयोग एके जान वाल यिसत का उत्पडन करत है, उनहे विशेष रपु स अनलुगंकII का भाग VII मे निर्धैरत वसत्ततत्र उत्पदन नियमो का अनपुएलन करना होगा।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर अनबुधंII क भाग VII क इबादन1.3 मे सशनोधन कर्क वसत्तृचाहि उत्पदन नयमो को जोडकर, या उन जोड गए नयमो को सशनोधिहत कर्क पर्तययोइजत कत्रय को अपनान का अधिकार ह।

अनछुछे 20

विशिष्ट पषधुन परजैतयो क लाइए कछु उत्पदन नियमो का अभाव और जलीय कृष्ण जानवरों की परजैतिया

नामनिलिखित को अपनाए जान तक:

(क) अनचुछदे 14(2) क इबादन (ई) क अनसुअर अनलुगन्कII क भाग II क इबादन1.9 मे विविनयिमत् पषधुन परजैतयो क भू अन्य पषधुन परजैतयो क इले अतिरकत सामानय नियम;

▼:

(ख) पषधुन परजैतयो कइले अनच्छुच्छे 14(3) मे नृदशत् कार्यानव्यं अधिदिनम्; या

(छ) जलकृष पशौ की परजैतयो या परजैतयो की समहू की लाई अनछुदे 15(3) मे निरिदशत् कार्यान्यन् अधिदिनम्;

सदसय राजय, इबदं (ए), (बी) और (सी) मे नृदशत मेयो द्वार कवर इके जान वाल तत्त्वो क सबंध मे विश्षत् पर्जायतो या जानवरों की पर्जायतो क समहुओ क इले वसत्तृ राष्ट्रीय उत्पदन नियम लाग कर कैन ह,ए बशारत इक व राष्ट्रीय नियम इस विनियम का अनसुअर हो, और बशारत इक व अपन क्षेत्र का बाहरी उत्पद्यत उतपदो को बाजार में रखन पर प्रतिबन्ध, प्रतिबन्ध या बाधा न स्थापित और जो इस विनियम का अनपुलन करत है।

अनछुछे 21

निमनिलखत शरीनयो मे न एन वाल उत्पदो क लीए उत्पडन नियम अनचुचदे 12 एस 19 मे उलिलिखत उतपद

1. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर अनबुधंद्वितीय मे सशनोधन कर्क पर्तययोइजत् कत्र्यो को अपनान का अधिकार ह,ए इससमे वसत्तृ उत्पदन न्यामो को जोडना, साथ ही उन उत्पदो का लाभ, जो अनचुचदे 12 एस 19 मे नृदशत उत्पदो की श्रेणियो मे नहि आत है,न या उन जोद गेद न्यामो को सशनोइधत कर्क,ए पिरवरत्न का दयत्व पर न्याम जोडना शैमल ह

य परत्यायोजित् कार्य अध्याययII मे निर्धैरत जीवक उपादन क उद्दशयो और इद्दधातानो पर लाभित होगं और अनछुच्छदे 9, 10 और 11 मे नृद्धैरत सामानय उत्पदन न्यायमो क साथ-साथ अनलुगन्कII मे समान उतपादो क लाइए निरधैरत मौजुदुआ वसत्तृ उतपादन नियमो का पालन करेगा व विशषे रपू स, उपचार, पार्थाओ और इनपतु स सबंधत अवशयक्ताओ को निर्धैरत करेगा इणहे अनमुइत दी गई ह या निषदध ह,ए या सबंधत उतपादो क इले रपूअतंरन अविध।

2. अनच्छुच्छे 1 मे उलिलिखत वसत्तृ उत्पदन नियमो का अभाव मे:

(के) ऑपरटर, पैराग्राफ 1 मे सडंरभट उतपदो क सबंधं मे,अं अनचुचदे 5 और 6 मे निर्धैरत इद्दधातनो का पालन करेगां,*यथोइचत् पूर्वरत्न संहत*अनच्छुच्छदे 7 मे निर्धैरत इद्दधातनो और अनचुच्छदे 9 स 11 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो क साथ;

(ख) कोई सदसय राजय, अनछुदे मे नृदशत् उत्पदो क संबंधं में 1, वसत्थृ राष्ट्रीय उत्पदन नियम लाग करे, बशारत इक व नियम इस इविन्यामन का अनरुपु हो, और बशारत इक व अपन क्षेत्र का आउट उत्पदात उत्पदो को बाजार में लान पर रोक, प्रतिबधं या बाधा न डाल और जो इस इविन्यामन का अनपुलन करत हो.

अनछुछे 22

अतिरिक्त उत्पदन नियमो को अपनाना

1. आयोग को इस अनुशासन का अनुपूरक अनुच्छेद 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कत्रयो को भोजन का अधिकार ह:ए

▼:...

(क) यह निर्धैरत करण क लाए मानदं इक काया नो सिथित 'परितकलू जलवाय घटना', 'पाश रोग', 'पर्यावरणीय घटना', 'पराकिर्तक आपदा' स उत्पनन होने वाली विषाणु नाशकारी घटना का रपू मे योगय ह या नहीं
या एक 'विनाशकारी घटना', जसैया इक इविन्यामन (ई)उ साखन्या 1305/2013 क अनछुछदे 2(1) क इबादन (एच), (ऐ), (जे)ई, (क)ए और (एल) मे पीरभैषत इक्या गया ह,इ साथ ही साथ कोई तलुनीय सिथित;

(ख) विशिष्ट नियम, इससमे इस विनियमन स सभनैवत अपवाद भी श्यामल होगं,ए इक यिद सदसय राजय इस अनछुदे को लग करण का निरण्य लाते हैं तो उन्हें ऐसी विषाणकारि पिरसिथितयो स कसाई निपातना ह;ै तथा

(छ) ऐस मामलो मे इंगारानी और इरोपोरिटगं पर विशिष्ट नियम।

य मानदं और नियम अध्याय 2 मे निर्धैरत जीवक उत्पदन क इद्दधातनो क अधीनस्थ होगं।

2. जहां इकसी सदसय राजय न विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1305/2013 क अनचुछदे 18(3) या अनछच्छदे 24(3) मे उलित् इकसी घटना को औपचारिक रपु स पराकिर्तक आपदा क र मे मान्यता दी ह,इ और वह घटना इस इविनयमन मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का पालन करना असभंव स्थिति ह,ए तो वह सदसय राज्य सिमत अविध का पालने उत्पदन नियममो स छत्तु द कैन ह जब तक इक जीवक उत्पदन को इफर स सथैपत नहि इक्या जा सके ह,ए जो अध्यायII मे निर्धैरत सिद्धातनो और परिग्रह1 क अनसुआरे अपनाए गए इससी भी परतायोइजात अधिनयम क अधीन ह।

3. सदसय राजय, आपदा जनक पिरसिथितयो की स्थिति मे जीवक उत्पदन कोजरी राखन या पनु: अरबं करण की अनमुइत दने क इले अनचुदे 1 मे निरिदशत पर्तययोइजत अधिदिनम क अनसुअर उपाय अपना सकत है।

अनछुछे 23

सगंर्हून, पकाइजगं, पिरवहन और भण्डारन

1. सचनालको को यह सिनुश्चित करना होगा इक जीवक उतपदो और पिरवारीतत उतपदो का सगंरहन, पकाइजगं, पिरवहन और भदनारन अनबुधंतृतीय मे निर्धृत न्यायमो क अनसुअर क्या जाए।

2. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पार्थययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) अनलुगंकतृतीय की धारा2;

(ख) अनबुधंतृतीय की धारा3, 4 और 6 में सबंधत उतपादो के पिरवहन और परपित के इलाये अतिरकत विशेषे नियम जोडकर, या उन जोड़ गए नियममो मे सशोधन कारक।

▼:...

अनछुछे 24

जीवक उपयोग हते उतपादो और पदारथो का प्रतिपादन
उत्पदान

1. योग जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए कछु उत्पदो और पदारथ को अध्यक्त्रि कर के कैन ह,ए और नमानलिखित प्रयोजनो के लिए ऐस इसके भी अध्यक्तरि उत्पद और पदारथ को प्रतिबधनातमक सिचुयो मे शिमल करगे:

(क) पौध सरंक्षण उत्पदो मे उपयोग इक्या जान वल सकिराय पदारथ क रापू मे;न

(ख) उरव्रक, मद्र कदानिशनर और पोषक तत्त्वो क रपु मे;न

(छ) पादप, शवयाल, पश यास्क मालू की अजीवक आहार सामग्री का रपू मे या सकुशमजीव या खिंज मालू की आहार सामग्री का रपू मे;न

(घ) फ़ेड मेकर और पर्संक्रन सहायक का रपू मे;न

(ई) लाडो,ं पजंरो,ं टैकोनो,ं रसेव,के बिल्डिंगो या पश उत्पडन का उपयोग करें जान वाल प्रितस्थनो किस्वच्छता और कीतनसुशोधन क इलै उतपाद क रपु मे;न

(च) सयंतंर उत्पदन कइले पर्यकुत् भावनाओ और प्रितस्थानो की सफाई और कीतनशुओधन क िलए उतपद क रापू मे, इसमे कृष जोत पर भण्डारन भी शाइमल ह;ै

(च) पर्ससंक्रण एवं भण्डारण सिउवधाओ मेशुद्धि एवं कीतानशुओधन का उपयोग करें रपु मे।ं

2. अनसुचदे 1 क अनसुअर अधाख्ता उत्पदो और पदारथो का अतिरक्त, आयोग पर्सांकित जीवक खादय और चार का रपू मे उपयोग इके जान वालच्स क उत्पदो और पदारथो को अहितकरत कर सकता ह,ए और नमनलिखित प्रयोजनो क आईएलए ऐस इससी भी अध्यक्तृत उत्पद और पदारथ को प्रतिबन्धनातम्क सिउचयो मे शाइमल करगेआ:

(क) भोजनाय संयोजक और पारसंक्रण सहायक क रपू मे;न

(ख) पर्सांकित जीवक खादय के उत्पदान के उपयोग के इके जान वाल गैर-जीवक किर्श अवायवो क रपू मे;ं

(जी) कैसल और कैसल उत्पदो क उत्पडन क लाइए पर्ससंक्रन सहायता क रापू मे।

3. जीवक उत्पदन में उपयोग क िलए अनछछदे 1 मे नृदशत उत्पदो और पदारथो का परिधकरण अध्यायII मे निर्धैरत सिद्दधातनो और नामनिलिखत मनददनो का कथन होगा, इणका समग्र रपु स मालुयक्कन इक्यागे:

(क) व सतत उत्पदान तथा उसका उपयोग क िलए अवकाश है इससक िलए व अिभपरते है;न

(ख) सभी सबंधत उतपद और पदारथ पौध,ए शवयाल, पश,उ सकुशमजीव या खिंज मालु क है,न इस्वाय उन मामलो को छोड़कर जहां ऐस सरोतो स उतपाद या पदारथ पर्यापत मात्रा या गनुवत्ता में उपलबध नहीं है या जहां विकल्प उपलबध नही है;

▼:...

(जी) पैराग्राफ़ 1 क इबदं (क) मे निरिदशत उत्पदो क ममल मे:ं

(i) उनका उपयोग इस प्रकार है अन्य जीवक, भूतक या प्राजन्न विकल्प, खाती पद्धितया या अन्य परभावी प्रबंध पद्धितया उपलबध नहीं है;

(ii) यिद ऐस उतपाद पौध,ए शवयाल, पश,उ सकुशमजीव या खिंज मालू का नहीं है और अपन पराकृतक रपू का समरपु नहीं है, तो उपयोग का उपयोग करें उनके सिथितया फल का खद्य भागो का साथ इससी भी परतयक्ष सपंर्क को रोकती है;

(घ) पैराग्राफ 1 क इबदं (ख) मे सदंरिभत उत्पदो क ममल मे,ं उनका उपयोग इमात्त्ति की उर्वराता बनान या बनाए रखन या फलो की विशेष पोषण सबंधनि आवश्यक्ताओ को पुरूआ करण क इलै या विशिष्ठ इमत्ति-कदनीशिंगं उद्दशेयो क इले अवशयक ह;ै

(ई) पैराग्राफ़ 1 क इबदं (सी) और (डी) मे सदारिभत उत्पदो क ममल मे:ं

(i) इनका उपयोग पश स्वास्थ्य, पश कल्याण और जीवन शक्ति को बनाये रखना क इले आवेशक ह और सबंधत परजैत्यो की शरीरिक और वैवैहिरक आवेशक्ताओ को परूआ कर्ण वाल उपयकुट आहार मे योगदान तिथि ह या उनके उपयोग की फीड का उत्पडन या सरंक्षण कर्ण के लिए ऐस पदारथो का सहारा लाइए इबना फीड का उतपादन या सरंक्षण सभंव नहिं ह;इ

(ii) खिंज मालू, तृसे ततवो,ं वतइमान या परोइवतइमन का चारा परकिरितक मालू का ह,ए इस्वाय उन मामलो को छोड़कर जहां ऐस सरोतो स उतपद या पदारथ पर्यापत मात्रा या गनुवत्ता में उपलबध नहीं है या जहां विकल्प उपलबध नहीं है;

(iii) पौध या पाश मालू की गैर-जीवक फ़ीड सामग्री का उपयोग अवशयक ह कयिंक जीवक उतपादन न्यामो क अनसुअर उतपइदत पौध या पश मालु की फीड सामगरी पर्यापत मात्रा मे उपलबध नहि ह;ै

(iv) गैर-जीवक मसालो,जदी-बुतयो और गडु का उपयोग अवशयक ह,ए कयोइन्क ऐस उतपाद जीवक रपू मे उपलब्ध नहि है;न उनहे रसायनिक वलयको क इबना उतपइदत या तैय्यर इक्या जाना चाहिए और उनका उपयोग इससी विशेष प्रयोजन के लिए फीड राशन के 1% तक सिमत ह,ए इस्की गणना किरश मालू एस फिड का शशुक पदारथ क प्रितशत क रपु मे वारिषक रपु स की जाती है

4. पर्सांकित जीवक खादय क उत्पडन मे या खदय या चार क रपु मे उपयोग इके जान वल्कश क उतपदन क लीए अनछुदे 2 मे सदारिनभत उत्पदो और पदारथो का परिदधकरण अध्यायII मे निर्धैरत सिद्दधातनो और नामनिलिखत मनददनो का कथन होगा, इस्का समग्र रपु स मालुयक्कन इक्या होगा:

▼:...

(क) इस अनछुदे का अनसुअर अधाक्त्रा वाकलिपक उतपद् या पदारथ या इस विनियमन क अनरुपु तकनीक उपलबध नहीं है;न

(ख) उन उत्पदो और पदारथो का सहारा इलै इबना खादयन्न का उत्पडन या संरक्षण करना या सघंय कनु क आधार पर परदत् आहार सबंधनी अवशयक्ताओ को पूआ करना असभंव होगा;

(जी) वी पर्किरित मे पाया जात है और कवेल यातानिरक, भौइतक, जिवक, एंजाइमिटेक या माइक्रोबायल पर्किरयाओ स हि गुजुर होगन, इस्वाय उन मामलो को छोड़ाकर झा ऐस सरोतो स उतपाद या पदारथ पर्यापत मात्रा या गनुवत्ता मे उपलबध नहि है;न

(घ) जीवक घटक पर्यापत मात्रा मे उपलबध नहि ह

5. इस अनचुचदे का पैराग्राफ 1 और 2 का अनसुअर, रसायिनक रापू स सश्नलिष्ट उतपदो और पदारथो का उपयोग का परिधकरण शक्ति स उन मामलो तक सिमत होगा जहां अनचुचडे 5 का इबदां (जी) मे संदरिबहतोर इनपतु का उपयोग पर्यायण पर असविकारय। प्रभावो मे योगदान दगे।

6. योग को अनछुड़े 54 क अनसुअर परतयोइजत कत्रय्यो को अपनान का अधिकार ह,ए इस्क के तहत इस अनछदे का परिघफ 3 और 4 को सशनोइधत इकया जाएगा, इसमे समय्य रपू स जीवक उत्पन मे तथा विशषे रपु स परसंकत्र जीवक कहाय क उतपदन मे उपयोग के लिए इस अनचुचडे का पैराग्राफ 1 और 2 मे सडंरिभट उतपदो और पदारथो के परिधाकन के लिए उपयोग किया जाता है, ए साथ ही ऐस परैधकारनो को वापस लेने के लिए एतिराकत मनदांद जोड़ा जाता है, एक या एक एतिरकात मनदांदनो मे ससंोधन इक्यागे.

7. जहां कोई सदसय राजय यह मापन ह इकसी उतपाद या पदारथ को अनछछडे 1 और 2 मे नृदशत अिधकतृ उतपदो और पदारथो की सचुइ मे जोडा जाना चाइहए या उसस्स वापस इलिया जानिहाए, या उतपादन न्यामो मे निरिदशत उपयोग का इविनरदेशो को सशनोइधत इक्या जाना चाहिए, तो उस सयुंश्चित करना होगा इक समावशेन, वापसी या अन्य सशनोधनो का कारण यह है कि बताने वाला एक दोजयर एडकैरकविता पर आयोग और अन्य सदसय राज्ययो को भजेया जाए और डेटा सरंक्षण पर सघं और राष्ट्रीय कनु का आश्रित सार्वजिनक रापू स उपलब्ध छुट्टी जाये.

आयोग इस अनचुचदे मे उलिखत इस से भी अनिरुद्ध को परकेशित करगे।

8. आयोग इस अनछुदे मे सदृणभट सिउचयो की नईमत समीक्षा करगे।

पैराग्राफ 2 के इबादन (बी) मे सद्रंरिभट गराई-जीवक अवायवो की सचुई की समीक्षा वर्ष मे कम एस कम एक बार की जाएगी।

9. आयोग अनच्छुदे 1 और 2 क अनसुअर ऐस उत्पदो और पदारथो क परिधावन या परिधातन की वापसी स सबंधत कार्यान्वयं अधिन्यामो को अपनाएगा, इका उपयोगी सामानय रपु स जीवक उतपादन मे और वशेष रपु स परसंकट जीवक लाभ क उतपदन मे इक्या जा सकता है, ऐ और ऐस परिधाकनों के लिए अपनाई जान वाली पर्किरायओ और ऐस उत्पदो और पदारथो की सचुई और, जेहा उपयकुट हो, उनका विवरण, सरंचना सबंधनि अवश्यक्ता और उपयोग की शरते निर्धैरत करगे।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

▼:...

अनछुछे 25

गैर-जीवक कृष्ण सामग्री का प्रयोग
सदसय दशेओ द्वार जीवक खादयः

1. जहां कछु किरश सामग्री तक पहुंचे सिनुश्चित करना अवशयक ह,ए और जहा ऐसी सामग्री जीवक रपू मे पर्यापत मात्रा मे उपलबध ह नहीं,ए वहा कोई सदसय राजय, इसके विपरीत का अनिरुद्ध पर, अघक्तम छह म महेन की अवधि का इलै अपन कष्ट पर्ससंक्तृ जीवक खादयः क उत्पदन क आय गरै-जीवक किष सामग्री क उपयोग को अनंतम रपु स अहिधाकरा कर सकत है।

2. सदसय राजय आयोग और अन्य सदसय राजय को, एक कपंयत्तूर पर्णाली का मध्यम स, जो आयोग द्वार उपलबध वैज्ञानिक गाए गए दस्तावजेओ और सचुनाओ का इलकेत्रोइनक शिक्षा-प्रदान को सक्षम बनाता है,ए अनचुचदे 1 क अनसुअर अपन क्षेत्र का इला इदा गाए। भी परिधाकन के बार मे तरुतां सिउचत करगेआ।

3. सदसय राज्यय अनच्छुदे 1 मे दिदे दिदे परैधकरण को अधिक्तम छह माहीने की तरह दो बार कहा जा सकता है, ए बशारत इक इक्की अन्य सदसय राज्य न अंचछदे 2 मे सदंरिभत् पूर्णाली क मध्यम स यह सकंते दकेर आपितत नहि की हो इक ऐस तत्त्व पर्यापत मात्रा मे जीवक रपु मे उपलब्ध है।

4. अनुच्छेद 46(1) क अनसुअर मनयता प्राप्त न्यातंरं परिधाकन या न्यातं र्ण निकाय तीसरे दशेओ मे अपेर्तरो को, जो ऐस परिधाकन का अनिरुद्ध करत है और जो उस न्यातं र्ण परिधाकरण या न्यातं र्ण निकाय द्वारा न्यातनमृत होत है,। अधाक्तम छह माहिन के लिए, इस अनछुए का लाभ 1 मे सादरभत अनंतम परदान कर सकता है।

5. झा,अं अनंतम परिधाकन क दो वसतार क बाद, कोई सदसय राजय वसतिनुष्ठ जानकारी क आधार पर यह साक्ष्य ह इक जीवक रपु मे ऐस अवायवो के उपलब्धता अपरतेरो की गणुअतमक और मातर्त्तमक अवशयकताओ को परा करण क िलए अपरयपत ह,इ तो वह अनछुछड़े 24(7) क अनसुअर आयोग स अनरुद्ध कर सकत है

अनछुछे 26

जीवक और रपूअतंरन मे सयंतंर परजनन सामग्री, जीवक के बाजार मे उपलब्धता के संबंध मे डेटा का सगंरह
पश और जीवक जलीय किश आईशोर

1. पर्त्यके सदसय राजय यह स्यूंशिचत करगेआ इक उसक क्षेत्र मे उपलब्ध जीवक और रापूतांनिरत पादप परजनन समग्री, इसमे अकारंरू शाइमल नहीं है, अं लाइकन बीज अल शईमल है,न की सचुई क लीए एक नयिमत रपू स अदयतन दाताबसे सथइपत इक्या जाए.

2. सदसय राजयो मे ऐसी पर्णैलया होगनि जो उन पिरचलारो को अनमुइत देगी जो जीवक या रपूअतांनिरत पादप प्राजनन सामग्री, जीवक पशौ या जीवक जलकिष का इशोरो का विपन्न करत है, तथा जो उनहे पर्यापत मात्रा में तथा उइचत अवधि का। अप्रोउत करण मे सक्षम है, सवचैचक आधार पर, नःशलुक, उनका नाम तथा समप्रक लाभ संगत, नमनलिखत के बार मे जानकारी सार्वजिनक कर सकेगन:ए

▼:...

(क) जीवक तथ रपूअन्तनिरत पादप प्रयोजन सामग्री, जसाई इक जीवक विषमाग्नि सामग्री की पादप परजनन सामग्री या जीवक उत्पडन क लए उपयकुत जीवक इस्मो की, इसमे पौध शाइमल ह नह, ए लइकन बीज अल शईमल ह,न जो उपलबध ह;इ उस सामग्री का भार मात्रा; और उसका उपलब्धता क वर्ष की अवधि; ऐसी सामग्री को कम एस कमैट लिन वजैनक नाम का उपयोग करत हएउ सचुइबध्द इक्यागे;

(ख) जीवक पश जनक लाइए अनबुधंII क भाग II क इबादन1.3.4.4 क अनसुअर छतु पर्दान की जा सकती है;ए इलगं दवारा वर्गीकतृ उपलबध पशौ की सखन्या; उपलबध नसलो और उपभदेओ क सबंधं मे पशौ की विभन्न परजैतयो स सबंधत जानकारी, यिद परिगासक हो; पशौ की परजैतिया;पशौ की आय;उ और कोई अन्य पर्सिंगक जानकारी;

(जी) होलिडगं पर उपलब्ध जीवक जलकिष किशोर और पिरषद निर्देश 2006/88/ईसीसी के अनसुरा उनकी स्वस्थ्य स्थिति (1) और पर्तयके जलीय किष परजैत की उत्पदन कष्मता।

3. सदसय राज्य ऐसी परनाइलया भी सथैपत कर सकत है जो उन सचानलको को अनमुति प्रदान करे जो अनलुगन्कII क भाग II क इबादन1.3.3 क अनसुअर जीवक उत्पदन क लाइए अनकुइलत नसलो और उपभदेओ या जीवक मरुगयो का विपन्न करत है और जो उन पशौ को प्राप्त मात्रा में और उइचत् अवधि के भीतर अप्राप्त कर्ण मे सक्षम है, व सच्चैचक आधार पर, नाम और सपंर्क ववरण संगत पार्सिंगक जानकारी नःशलुक सर्वजिनक कर सकत है

4. वी एपर्टर अन्चुचदे 2 और 3 मे नरिषट् पर्णैलयो मे पपप परजनन सामग्री, पशौ या जलकिष क इशोरो का बार मे जानकारी शिमल करण का विकल्प चुनुत है,न जो उन्हे यह सिनुश्चत करनाद हो जाएगा इक जानकारी नयिमत रपू स अदयतन की जात ह,ै और यह भी पढ़ें हो सकता है जब पादप प्रयोजन सामग्री, पश या जलकिष क इशोर उपलब्ध न हो, तो जानकारी को सिउचयो स हटा लिया जाए।

5. अनछुए 1, 2 और 3 के प्रोजेक्ट का उपयोग करें, सदसय राज्य पहले एस माजडू पर्सिंगक सचुना पर्णैलयो का उपयोग करना जारी रख सकता है।

6. आयोग अपने समरिपत वबेसिट पर पर्त्याके राष्ट्रीय डाटाबेस या पर्नाली का लाइलकं सर्वजिनक करगेआ, ताइक उपयोगकरताओ को परु सघं मे ऐस डाटाबेस या पर्नाली तक पहुंच इमल सक।

7. आयोग मिनमनिलिखत परावधान करत हएउ कार्यान्वयन अधिनयम अपना कर सकता है:य

(क) अनचुचदे 1 मे नृदशट्ट डाटाबेस तथा अनचचदे 2 मे नृदशट्ट पर्णाइलो की स्थापना एवं प्रशिक्षण के लिए तकनीकी विवरण;

(1) जलीय कृष्ण पशौ और उनक उत्पदो क लाइ पश स्वस्थ्य अवशयक्ताओ और जलीय पशौ मे कछु बीमारियो की रोकथाम और नियत्रण पर 24 अक्तबूर 2006 का परिषद् 2006/88/इसी (ओ एल 328, 24.11.2006, पृ. 14.

▼:...

(ख) अनछुदे 1 और 2 मे निरिदशत सचुना क सगंर्हन् क सबंधं मे विविनर्दशे;

(छ) अनचुचदे 1 मे नृदशट्ट डाटाबेसो तथा अनचुचदे 2 और 3 मे नृदशट्ट पर्णैलयो मे भागीदारी क इलै वैवस्थो क संबंधं मे विविनर्दशे; तथा

(घ) अनचुचदे 53(6) क अनसुअर सदसय राजयो द्वार परदान की जान वाली सचुना क सबंधं मे ब्यौरा।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 27

गरै-अनपुलन के संधे की स्थिति में दयात्व और काररवाई

जहां एक विकल्प है कि वह दूसरा विकल्प चाहता है, तयार, अयतात या इस दूसरे विकल्प को प्राप्त करने के लिए इस योजना का अनपुएलन नहीं करता है, तो वह दूसरा विकल्प 28(2) कह रहा है:

(क) सबंधत उत्पद की पहचान करना और उसे अलग करना;

(ख) जाच करे इक काया संधे परमैनत हो सके ह;ै

(छ) सबंधत उत्पद को जीवक या गैर-पीरवृतत उतपाद का रपू बाजार में नहीं रखना तथापि जीवोत्पादन में इसका उपयोग नही करना, जब तक इक सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां सदंहे की पशूट हो गई हा या झा इस समापत नहीं इक्या जा सकता है,ए तुरतं सबंधत सक्ष्म परिधकारी को सियौचत करे,अं या जहा उपयकुत् हो, सबंधत न्यातन परिधकारी को सियुचत करे,ं और जहां उपयकुत हो, उपलब्ध तत्त्वो क साथ उसे प्रदान करे;

(ई) सिंदगध गरै-अनपुलन का कारणो की पशूट करण और उनकी पहचान करण मे सबंधत सक्ष्म परिधाकारी, या जहा उपयकुत् हो, सबंन्धत नियतंर्ण परिधाकरण या नियतंर्ण निकाय क साथ परुण सहयोग करना।

अनछुछे 28

अनिधाक्ता व्यकिटयो की उपस्थित स बचन क इहितयाति उपाय उतपाद और पदारथ

1. ऐस उत्पदो या पदारथो स सदंशुं स बचन क लाइए जो जीवक उत्पदन मे उपयोग क लाए अनछुदे 9(3) क पहल उप-अंछददे का अनसुअर अहितयाति उपाय नही है, सचानलको को उत्पडन, तयारी और वत्रण का पर्तयके चरण मे नमनलिखत एहितयाति उपाय कर्ण होगन:ई

(क) गरै-अधिधातृ उत्पदो या पदारथो क साथ जीवक उत्पदन और उतपादो क सदंशुं क जोइखमो की पहचान करन क लाइए अनपुएतक और उपयकुट मेयो को लगना और बनाए रखना, इसमे महतवपूर्न पर्किरयातमक चरणो की वयवसिथत पहचान शिमल ह;ई

▼:...

(ख) गरै-अधिधातृ उत्पदो या पदारथो क साथ जीवक उत्पदन और उतपादो क सदंशुं क जोखम स बचन क लए अनपुएतक और उपयकुट उपाय लाग करना और बनाए रखना;

(छ) ऐस उपायो की नईमत समीक्षा और समायोजन करना; और

(घ) इस विनियम की अन्य पर्सिंगक अवशयक्ताओ का अनपुलन करना जो जीवक, इन-कनव्रज्न और अजीवक उतपादो का पथ्रिकक्रण सिनुश्चित करत है।

2. जहां इसके विकल्प को, इसके उत्पाद में उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे में इस उत्पाद या पदारथ की उपस्थित का कारण संधे होता है। उत्पद का रपू मे उपयोग या वपन्न इक्या जउन ह,इ इक बाद वाला उतपाद इस विनिअमन का अनपउलन नहीं करता ह,इ विकल्प को:

(क) सबंधत उत्पद की पहचान करना और उसे अलग करना;

(ख) जाच करे इक काया संधे परमैनत हो सके ह;ै

(छ) सबंधत उत्पद को जीवक या गैर-पीरवृतत उतपाद का रपू बाजार में नहीं रखना तथापि जीवोत्पादन में इसका उपयोग नहीं करना, जब तक इक सदन को समाप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां सदंहे की पशूट हो गई हा या झा इस समापत नहीं इक्या जा सकता है,ए तुतं सबंधत सक्ष्म परिधकारी को सियौचत करे,अं या जहा उपयकुत् हो, सबंधत न्यातन परिधकारी को सियुचत करे,ं और जहां उपयकुत हो, उपलब्ध तत्त्वो क साथ उसे प्रदान करे;

(ई) गरै-अधिधातृ उत्पदो या पदार्थो की उपसिथित का कारण की पहचान करना और उनके सत्यपन करण मे सबंधत सक्ष्म परिधाकारी, या जहा उपयकुत् हो, सबंधत न्यातंर परिधाकरण या न्यातंर्ण निषेध का साथ पुरुण सहयोग करना।

3. आयोग नर्मनिलिखत को निरिन्दशत् करण क लाइए एकस्मान नियम नृधैरत करत हएउ कार्यान्वयन अधिनियम अपना ह:ए

(क) परिया 2 क इबादन (क) स (ई) क अनसुअर ऑपरटेरो दवारा अपनाए जान वाल पर्किरायतमकस्टेप और उनका दवारा उपलब्ध तकनीशियन जान वाल पर्सिंगक दस्तावजे;

(ख) पीरछदे 1 क इबादन (क), (ख) और (ग) क अनसुअर सदंशुअन क जोखमो की पहचान करन और उनस बचन के लिए एपरेटेरो दवारा अपनाए जान वाल और समीक्षा आईके जान वाल अनपुएतक और उइचत उपाय।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

▼:...

अनछुछे 29

अनिधाक्ता व्यकिटयो की उपसिथित की स्थिति मे पकड़ जान वालस्टेप उतपाद या पदारथ

1. जा सक्ष्म परिधाकारी, या, जा उपयकुत् हो, न्यात्न परिधाकारी या न्यात् नाय, ऐस उत्पदो या पदारथो की उपसिथित क बार मे पशुत् ज्ञान प्राप्त करता है जो जीवक उत्पद्न मे उपयोग क िलए अनछु 9(3) क पहल उप-अनछू क अनसुरा अभक्ति नहीं है, या उस अनचुछदे 28(2) क इबदं (डी) क अनसुअर एपर्ट्रेर दवारा सिउछत इक्या गया ह,ई या वह इक्कीस जीवक या रपूअतनरन उतपाद मे ऐस उत्पदो या पदारथो का पता लगाया ह:ई

(ए) यह तरुतं इविन्यामन (ईय)उ 2017/625 क अनसुअर एक अधकारक जचं करगेआ ताइक सरोत और कारण का पता लगाया जा सक ताइक अनछुड़े 9(3) क पहला उप- अनछुड़े और अनछुड़े 28(1) क साथ अनपुलन को सत्यैपत एकया जा सक;ए ऐसी जाचं यथासभंव शिघर, उइचत अविध का इन पूरी की जाएगी, और उतपद की सत्यता और ममल की जीतलता को ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) यह सबंधत उतपदो को जीवक या रपूअतानिरत उतपदो को बाजार में रखन तथा इब्नद (क) मे नृदशत जचं क पिरानम अन तक जीवक उत्पदन मे उनका उपयोग दो को अनंतम रपु स प्रतिबिन्धत करगे।

2. सबंधत उत्पद को जीवक या गैर-पिरवारीत उतपद क रपू मे विपन्न नहि इकयागे या जीवक उतपदन में उपयोग नहि इक्यागे, जहां सक्ष्म परैधाकारी, या, जहा उपयकुत हो, न्यात्न परैधकरण या न्यात्परन्त नकाय न यह सत्थिपत् इक्या ह इक सबंधित प्रतिनिधि:

(के) जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अनछुए 9(3) के पहले उप-अनछुए के अनसुअर अघक्तृति नहि उत्पदो या पदारथो का उपयोग इक्या ह;

(ख) अनच्छुच्छे 28 मे नृदशत् एहितयाति उपाय नहीं।
(1); या

(छ)सक्षम परिधाकैर्यो, नियतंर्ण परिधाकैरयो या नियतंर्ण निषेधो क परसिंगक इपछल अरुरोधो के प्रत्युत्र में कोई उपाय नहीं बताया गया

3. सबंधत अपार्ट्मेन्ट को परागराफ 1 क इबदं (ए) मे सडंरभत जचं क पिरनामो पर इतपपनि कर्ण का अवसर इदया जाएगा। सक्ष्म परिधाकारी, या, झा उपयकुत् हो, न्यातंरं परिधाकारी या न्यातंरं नकाय, अपन द्वार की गई जाचं का इरकोर्ड रक्खेगा।

जहां आश्वासन हो, सबंधत अपेर्तर भिवशय मे सदंशुं स बचन क इले अवकाश साधुरातमक उपाय करगे।

4. दवारा►**एम3** 31 दिसंबर 2025◄ को आयोग इस अनछुए का कार्यान्वयन, जीवक उत्पदन मे उपयोगिता क इले अनचुछदे 9(3) क पहल उप-अंचछदे क अनसुअर अध्यक्तृति नहि इके गए उतपदो और पदार्थो की उपसिथित और इस अनछुदे का अनचुछदे 5 मे सदारभट राष्ट्रीय न्यायमो क मलूयक्कन पर यारूपिया सदन और पिरषद को एक रिपोर्ट परसत्तु करगेआ। उस इपोर्ट के साथ, जहां उपयकुत् हो, आग का सामजंसय का एक वैध परस्ताव भी हो सकता है।

▼:...

5. ऐस सदसय राजय जनक पास ऐस उत्पद है जनमे एक निश्चत सत्र स अधा उत्पद या पदारथ है जो जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अनुछड़े 9(3) क प्रथम उप- अनच्छेदे का अनसुअर अध्यक्तृति नहीं है, उन्हें जीवक उत्पदो का रपू मे विपन्न नहीं इक्या जाना चाहिए, व उन न्यामो को लाग करनाजरी रख सकत है,न बशारत इक व न्याम अनय सदसय राज्यो मे उतपदत उत्पदो को जीवक उतपदो का रपू मे बाजार मे धारण पर प्रतिबधं, प्रतिबधं या बाधा न डाल,जहा उन उतपदो का उतपदो इस विनियमन क अनपुलन मे इक्या गया था. इस अनछुए का उपयोग करण वाल सदसय राज्य इब्ना डरेई इके योग को सिखाएगा।

6। क अनसुअर अध्यक्तृति नहि इके गे उतपदो और पदारथो की उपसिथित स बचन क इले आग का मायो का भी दुष्परिणाम होगा।

सदसय राज्य ऐसी सचुना अन्य सदसय राजयो तथा आयोग को कपंयत्तूर पर्णाली का मध्याह्न स उपलब्ध नामांकन, ई इसस आयोग द्वार उपलबध सिखाया गया दोस्तावजे और सचूनाओ का इलकेत्रोइनक शामिल-प्रदान सभंव हो सके।

7। ऐस उपाय अन्य सदसय राज्यो मे उतपादन उतपदो को जीवक या इन-कनवर्जन उतपदो का रपू मे बाजार मे राखन पर नहीं रोकापंतगं,ए परितबिन्धत नहि करेगा या बाधा न उतपदो,जहा उन उतपदो का उतपदो इस विमान का अनपुलन मे इक्या गया था। इस अनछुदे का उपयोग करण वाल सदसय राज्य आयोग और अन्य सदसय राज्य को इबना दरेई का सुझाव देगा।

8. आयोग नर्मनिलिखत को निरिन्दशत् करण क लाइए एकसमान नियम निर्धैरत करत हएउ कार्यान्वयन अधिनियम अपनाएगा:

(क) सक्ष्म परिधाकैरयो दवारा, या झा उपयक्तु हो, अन्यत्न परिधाकैरयो या अन्यतन नकायो दवारा, जीवक उत्पदन मे उपयोग क लए अनछच्छदे 9(3) क पहल उप-अनकचद क अनसुअर अ धकता न कए गए उतपदो और पदार्थो क उपसिथत का पता लगन और मालूय कनकण क लए लग क जान वाली करयपर्णाली;

(ख) इस अनछुदे का पैराग्राफ 6 क अनसुअर सदसय राजयो द्वारा आयोग तथा अनय सदसय राजयो को उपलब्ध कराया जान वाली सचूना का ब्यौरा और पररापू।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

9. पर्त्यके वर्ष 31 मार्च तक, सदसय राज्य इलकेत्रोइनक रापू स आयोग को पिपछल वर्ष मे गरै-अधिक्तृति उत्पदो या पदारथो स सदंशुं स जदुद ममलो क बार मे पर्न्गास्क ज्ञान परीषत करेगं,ए इससमे सीमा न्यातन चउक्यो पर एकतिरत जानकारी शिमल ह,ए इससमे पताप्लायड सदंशूण की पर्किंत, और विशेष रापू स सदंशूण का कारण, सरोत और सत्र और साथ ही सदंशूहत उतपदो की मात्रा और पर्किंत शाइमल ह। यह जानकारी आयोग द्वार उपलबध बनाए गए कपंयत्तूर इस्सतम् का मध्यम स एकतर की जाएगी और इसका उपयोग सदंशुं स बचन क इलै सर्वोत्तम पार्थाओ क निर्माण को स्यूवधाजनक बनान क इलै इक्यायोगे।

▼:...

अध्याय 4

लेबल

अनछुछे 30

जीवक उत्पदन को सदृशभत कर्ण वल शब्दो का प्रयोग

1. इस उपकरण का उपयोग कैसे करें, इस उपकरण का उपयोग कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें। फीड सामगरी को फॉलो करने के लिए यह सझुआव दने वाल शब्दो मे वरिणत इक्या गया ह इक उतपाद, अवायव या फीड सामगरी इस इविनियमन का अनसुअर उतपादत की गई ह।ै विशे रापू स,ए अनलुगन्कIV मे सचुइबद्ध शब्द और उनक व्यत्तुपन्न और सकंषपत् शब्द, जसै 'बायो' और 'इको', चाह एकले या सयोनोजं मे,अं पुरु सघं मे और उस अनलुगंक मे सचुइबध्द इससी भी भाषा मे अनछुदे 2(1) मे सादरभट उतपदो की लेबिलगं और वज्ञापन के लिए उपयोग एक जा सकत है जो इस इविनियम का अनपुलन करत है ॐ

2. अनछुड़े 2(1) मे सन्दरीभत् उतपदो का इए, इस अनछुड़े का पैराग्राफ 1 मे सन्दरीभट शब्दो का उपयोग सघं मे कही भी, अनबुधंIV मे सचुइबध्द इससी भी भाषा मे,न इसीसी उतपाद की लैबिलगन, विज्ञानपान सामग्री या लाभकारी दस्तावेज का उपयोग नहीं किया जाएगा जो इस उद्यम का अनपुएलन नहीं करता है।

इसक अलावा, तेरडेमारक या कपंनी का नाम या पार्थाओ मे पर्यकुत् शब्दो संगत इस शब्द का उपयोग लेबलगन या विजन मे नहि इक्याएगा, यिद व उपभोक्ता या उपयोगिताकरता को यह सझुआव दकेर गमुराह कर्ण क िलए उत्तराद हो इक कोई उत्पाद या उसका अवायव इस इविन्यामन का अनपुलन करत है।

3. रपूअतंरन अवधि के दौरान उत्पीड़त उतपदो को जीवक उतपाद या रपूतंरान-विरोधि उतपाद के रपू में लेबेल या विज्निपत नहि इक्यागे।

तथापि, पादप पर्जनन सामग्री, पादप मालू का खद्यय उत्पद् और पादप मालू का चारित्र उतपाद जो रपूअन्तरन अवधि का उतपद्यत एके गए हैं, जो अनचुचदे 10(4) का अनपुलन करत है, उनहे अनचुचदे 1 मे सादरंरिभट शब्दो का साथ 'इनकनव्रज्न' 'या सगंत शब्द का प्रयोग कर्क रापूतंरन उतपादो का रापू मे लेबल और विज्ञानीपत इक्या जा सकता है।

4. अनछुदे 1 और 3 मे उलिखत शब्दो का प्रयोग ऐस उत्पद क लाइए नहीं इक्यागे इस्साक लाइए सघंय कनु क अनसुअर लैबिलगं या विजनपन मे यह उल्लखे करना अवशयक ह इक उतपद मेजीएमओ है, जीएमओ स बना है या जीएमओ स निर्मित है

5. पारसंक्तृ खद्य पदारथो क िलए, परागाफ 1 मे उलिलिखत शब्दो का उपयोग करना संभव है:ऐ

(क) वक्र्य वर्णन मे,तथा अवायवो की सचुई मे,जहा ऐसी सचुई सघं विधान का अनसुअर अनिवारय ह,इ बशारत इक:

▼:...

(i) पर्ससंक्तृ खादय अनबुधं II क भाग IV मे निर्धैरत उत्पदन नियमो और अनछुदे 16(3) क अनसुअर निरधिरत नियमो का अनपुअलन करता ह;ै

(ii) उत्पद क कम स कम95% किश अव्यय वजन क इहसाब स जीवक हो;न और

(iii) स्वाद का ममल मे, उनके उपयोग कवेल पराकिरतक स्वाद पदारथो और पराकिर्तक स्वाद तयैरयो क इलै इक्या जात ह, ऐ इणहे विनियमन (ईसी) साखन्या 1334/2008 क अनुछदे 16(2), (3) और (4) क अनसुअर लेबल इक्या जात ह और सबंधत स्वाद मे सभी स्वाद घटक और स्वाद घटको क कैरो जीवक होत है;ँ

▼**सी 4**

(ख) कवेल सामग्री की सचुई मे,ं बशारत इक:

(i) उतपद क कृष अवायवो का95% एस काम भार जीवक ह,ए और बशारत इक व अवायव इस इविन्यामन मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का अनपुलन करत हो;न तथा

(ii) पर्ससंक्तृ खादय पदारथ अनबुधं II क भाग IV क इबदं1.5, 2.1(ए), 2.1(बी) और 2.2.1 मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का अनपुलन करता ह,ए अनबुधंद्वितीय के भाग चतुर्थ क इबदं2.2.1 मे नृद्धैरत गैर-जीवक किरुष सामग्री का प्रतिबिन्धत उपयोग पर नियमो का असाधारण क साथ, और अनचुछदे 16(3) क अनसुअर निर्धैरत नियमो का साथ;

(छ) वकार्य ववरण और सामग्री की सचुई मे,न बशारत इक:

(i) मखुय घटक शिकार या मछली पकडन का उतपाद ह;ै

(ii) परागराफ1 मे सडंरिभट शब्द इबकरी विवरण मे सप्त रपु स इके अन्य घटक स सबंधत ह जो जीवक ह और मखुय घटक स अलग ह;ै

(iii) अन्य सभी कृषि सामग्री जीवक है;न और

(iv) पर्ससंक्तृ खादय पदारथ अनबुधं II क भाग IV क इबदं1.5, 2.1(ए), 2.1(बी) और 2.2.1 मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का अनपुलन करता ह,ए अनबुधंद्वितीय के भाग चतुर्थ क इबदं2.2.1 मे नृद्धैरत गैर-जीवक किरुष सामग्री का प्रतिबिन्धत उपयोग पर नियमो का असाधारण क साथ, और अनचुछदे 16(3) क अनसुअर निर्धैरत नियमो का साथ।

▼:...

पहले उप-अंचछदे का इबादन (ए), (बी) और (सी) मे उलिखत अवायवो की सचूकी मे यह दर्शया जाएगा इक कौन सा अवायव जीवक है।ं

प्रथम उपअनचुचदे के इबादन (बी) और (सी) मे सदृनभट अवायवो की सचुई मे किश अवायवो की कलु मात्रा का अनपुअत मे जीवक अवायवो का कलु प्रितशत का सकंते शैमल होगा।

पैराग्राफ 1 मे सादरभट शब्द, जब इस पैराग्राफ का प्रथम उपपरया ग्राफ का इबदं (क), (ख) और (जी) मे सादरभत अवायवो की सचुई मे उपयोग एक जात है, और इस पैराग्राफ का तीसरा उपपैरा मे सादरभत पिरितशत का इबादत (क), (ख) और (जी) की सचूकी मे अन्य साकंतेओ का समान रागं, समान आकार और अक्षर शैली में परदृशत होगं।

▼:...

6. पारसंकत्र फीद क िलए, पादराग्राफ 1 मे सदारभत शबदो का उपयोग इबकरी वणर्न और सामाग्री की सचुई मे इक्या जा सकता है, ए बशारत इक:

▼सी 4

(क) पर्ससंकत्रि फ़ीद अनलुगन्कद्वितीय क भाग द्वितीय, तृतीय और पंचम मे निर्धैरत उत्पदन नियमो और अनचुचदे 17(3) क अनसुअर निर्धैरत विशिष्ट नियममो का अनपुलन करता ह;ै

▼:...

(ख) पर्ससंकत्र चार मे शैमल किरष मालु क सभ अवायव जीवक है;न तथा

(छ) उतपद का कम स कम 95% शुशुक पदारथ कार्बिनक हो।

7. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर नमानिलखत सशनोधन करत हएउ पर्तययोइजत कतृय्यो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) इस अनछुदे मे अनलुगंकआई मे सचुइबधद् उतपदो की लैबिलगन पर एतिरकत नियम जोडकर, या उन जोड गये नयमो मे सशनोधन करक;े तथा

(ख) सदसय राजयो क भीतर भाषा विकास को धयान में राखत हउ, अनबुधंचतुर्थ मे निर्धैरत शब्दो की सचुई।

8. आयोग इस अनच्छेद क परिग्रह 3 क अनपुरयोग क िलए वसत्तः आवश्यक्ताए निर्धैरत करण क िलए कार्यान्वयन अधिनयम अपना ह।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 31

फ़सल उत्पदन मे पर्यकुत् उत्पदो और पदारथो की लैबिलगन

अंछुछदे 2(1) मे निरधैरत इस विनियमन का स्थापत्य का वलजदु, पौधो की सरुक्षा उत्पदो या उर्वरको,ं मद्रा कदनिशनर या शिष्य तत्वो का रापू मे उपयोगिक इके जान वाल उतपद और पदारथ जनहे अनछछदे 9 और 24 क अनसुअर अध्यघत्र इक्या गया ह,ए यूएन पर यह केवल इद्या जा सकता है, इस इविन्यामन का अनसुअर जीवक उतपादन में उपयोग के लिए अध्याक्त्रि इक्या गया है।

अनछुछे 32

इन्वाराय सकंते

1. जहां उतपदो पर अनचुचदे 30(1) मे नृदशत शरते लाग होता है,ं इसमे अनछुछदे 30(3) क अनसुअर रिपूअतंरन उतपदो क रपु मे लेबल इके गाए उतपद शैमल है:ं

(के) नियतर्न परिधकरण या नियतर्न निषेध का कोड नबंर, इस्क अधीनस्थ अंतम उतपदन या तयारी सकंरिआ करन वाला ऑपरटर ह,ई लेबिलगं मे भी परदृशत इक्यागे; और

▼:...

(ख) पुरुव-पाकै खादय क मामल मे,ं अनच्छुच्छे 33 मे नृदशत् यरूपिये सघं का जीवक उतापडन लोगो भी पकाइजगं पर इदखाई दगेआ, अनचुचदे 30(3) और अनचुचदे 30(5) के इबादन (ख) और (जी) मे निरिदशत ममलो को छोड़कार।

2. जहां यसरूपी सघं का जीवक उत्पदन लोगों का उपयोग इक्या जाता है,ए उस स्थान का साकंते जहां किर्ष बंधनी कच्छ माल, इसानस उत्पाद निर्मित हो गया है,ए की खेती की गई है,ए लोगों का समान दश्रय कष्टेर में इदखाई दगे और उपयाकुत रपू मे नामनिलिखत मे स एक रपु लगा:

(क) 'ईय किरश', जह किरश कछा माल सघं मे सजाया गया ह;ै

(ख) 'गरै-यरूपीय सघं किरिश', जहां किरश कच्छ माल तीसर दशेओ मे सजाया गया हो गया;

(जी) 'ईय/उगराई-ईय किरश', जहां किरश कच्छ माल का एक इहसा सघं मे तथा एक इहसा इकसी तीसर दशे मे छूट गया

प्रथम उप-अनछुए के प्रयोजनो क लाइए, जहां उपयकुत् हो, 'कृष' शब्द को 'जलकिष' स पार्थसथिपत् इक्या जा सकता है और 'ई.य.उ' तथा 'गराय-ई.य.उ' शब्दो को इसी दशे क नाम स. सपनूरत इक्या जा कैन ह,एद उतपद मे पर्यकुत् सब कृष्ण-कच्छ माल उस दशे मे तथा, यिद लाग हो, तो उस कष्टेर मे ओलाए गए हो।

उस सथान का साकांते के लिए जहां किरश सबंधनी कच्छ माल, इसानस उतपाद बना ह,ए की खती की गई ह,ए जसिया इक पहल और तीसर उप-अंचछदेव मे उल्लखे इकाया गया ह,ए अवायवो का भार का अनसुअर छोटी मटराओ को नजरअंदाज इक्या जा सकता है, बशारत इक नज़र अदानाज इक गया अवायवो की कलु मात्रा किष सबंधनी कच्छ माल क भार क अनसुअर कलु मात्रा क 5% स अधक न हो।

'ई.आई.यू.'

3. इस अनछुदे का पैराग्राफ 1 और 2 तथा अनछुदे 33(3) मे सदृभत सकंते एक ससुप्त सथान पर इस परकार अनिक्त एके जायगं इक व सहज स इदखाई दे तथा सप्त रपु स पध्येय और अइमत हो।

4. आयोग को इस अनछुए का लाभ 2 और अनचुचदे 33(3) मे सशनोधन कारक अनचुचदे 54 क अनसुअर लैबिलगं पर अतिरक्त नियम जोडकर या उन जोड़ गए न्यामो मे सशनोधन कारक परताययोजत कटरियो को भोजन का अधिकार है।

5. आयोग मिनमनिलिखत स सबंधत कार्यान्वयं अधिनियम अपनाएगा:

(क) इस अनछुए का पैराग्राफ 1 के इबादत (के) और पैराग्राफ 2 का और पैराग्राफ 33(3) मे नृदशत् सकांतो क उपयोग, पर्सतिउत, सरंचना और आकार का उपयोग व् यवहारिक व् यवस् था;

▼:...

(ख) नियतंर्ण परिधाकैर्यो और अन्यत् नृ नकायो को कोड सखन्या प्रदान करना;

(छ) इस अनछुदे का पैराग्राफ 2 और अनछुड़े 33(3) का अनसुअर, उस स्थान का मतलब जहां किरश कच्छ माल की खेती की गई थी।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 33

युरोपीय संघ का जीवक उत्पदन लोगो

1. यरुपए सघं का जीवक उत्पडन लोगो का उपयोग इस इविन्यामन का अनपुएलन कर्ण वाल उतपदो की लेबिलगन, पर्सतिउत और वज्ञापन मे इक्या जा सकता है।

यरूपिये सघं का जीवक उत्पदोन लोगो का उपयोग लोगो का असितत्व और विजञापन स सबंधत सच्चुनात्मक और शाकैशक उद्देशेय का उपयोग भी किया जा सकता है, ए बशारत इक इस तरह का उपयोग स विशिष्ट उत्पदो का जीवक उतपादन का सबंधन मे उपभोक्ता को गमुराह करण की सभावना न हो, और बशारत इक लोग को अनलुगन्कवी मे निर्धैरत न्यामो क अनसुरा पनु: पर्सतुत इकाया जाय। ऐस मामल मे,अं अनचुचदे 32(2) और अनलुगंकवी के इबादत 1.7 की अवशक्ताए लाग नहीं होगी।

यरूपपीय सघं का जीवक उत्पदोन लोगो का उपयोग परसंकत्र खादय क िलए नह इक्यागे जसया इक अनछुछदे 30(5) क इबादन (बी) और (सी) मे सदारनभत ह और इन-रपूअतनन उतपदो क लए जसैआ इक अनछछदे 30(3) मे सडंरभट हा

2. पैराग्राफ 1 क दसूर उपपरागराफ क अनसुअर उपयोग इके जन क अलावा, यरूपपय सघं का जीवक उतपादन लोग इविनयमन (ईय)ऊ 2017/625 क अनछुदे 86 और 91 क अनसुअर एक एधिकैरक सत्यपन ह।

3. तीसर दशेओ स आयतत् उत्पदो क िलए युरोपीय सघं क जीवक उतपादन लोगो का उपयोग वकालिपक होगा। जहां ऐस उत्पदो की लैबिलगं मे वह लोग इदखाई देता है,ए वहा अनचुचदे 32(2) मे उलिखत सकंते भी लेबिलीगन मे इदखाई देगं।

4. यरूपिये सघं का जीवक उत्पदन लोग अनलुगंकवी मे निर्धृत मॉडल का अनसुरन करगेआ, तथा उस अनलुगंक मे निर्धैरत न्यामो का पालन करगेआ।

5. राष्ट्रीय लोगो और राष्ट्रीय लोगो का उपयोग इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है।

6. आयोग को यरूपी सघं का जीवक उत्पदन लोगो और उसस सबंधत नियमो का सबंधं मे अनलुगंकवी मे सशनोधन करण वाल अनछुदे54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कत्रयो को अन्न का अधिकार ह।

▼:...

अध्याय 5

प्रमाणन

अनछुछे 34

परमानेंट परनाली

1. किसी भी उत्पाद को 'जीवक' या 'अपरिवर्तत' का उपयोग करके बाजार में रखन स पहले या पूर्वरत्न अविध स पहले, ए अनछुछदे 36 मे नृदशत् विकल्प और विकल्प का समहु जो जीवक या अपरिवर्तत उत्पदो का उत्पाद, तयारी, वितरण या भदनारण करत है,न जो ऐस उत्पदो को इसके तीसरे दशे का लाभ देता है, या जो ऐस उत्पदो को बाजार में रखता है, उन्हें अपनी गीतिविध की सच्चाई उस सदसय राजय का सक्ष्म परिधकारियो को देनी होगी इसमे यह एक अच्छा विचार है उपकर्म नियतंर्ण पर्णाली क अधीन ह

जहस्म सक्छ कैरयो न एक इजममदेअरया सौपनि है या कच्छु अध्यकैरक न्ययतंरन कार्य या अन्य अध्यकैरक गीतिविधयो स सबंधत कछु कार्य एक स अध्याक् न्यात्न परिधाकरण या नियतंर्ण निकाय को सौपं है,न वहा प्रतिपादक या अपात्रेरो क समहू फल उप्परइया मे सद्रंरिभट अघसचुना मे इंगट करेगं इक कौन सा न्यातंरन परिधाकन या न्यातंरन निकय यह सत्यैपत करता है इक काया उनकी गीतिविध इस इविन्यामन का अनपुलन दित ह और अनचुचदे 35(1) मे सडंरिभट परमाण पत्र परदान करता है।

2. व प्रतिवेदक जो अन्तम उपभोक्ता या उपयोगकरता को सीध परिपाकद जीवक उतपद् बचात है,एन उन्हे इस अनचुछदे का परिगराफ 1 मे सदारभत अधसचूना दैत्यव स और अनचछदे 35(2) मे सदारनभत परमाण पतर रखन क दयत्व स छत्तु दिगे, बशारत इक व इबकरी क इबदं क सबंधं मे उतपदन, तयारी, भदनारन न करे, या इसके तीसरे दशे स ऐस उत्पदो का महत्व न करे, या ऐसी गीतिविधयो को इससी अन्य विकल्प को उप-अनबुंधत न करे।

3. जहां एक प्रतिनिधि या दूसरे पक्ष का एक समूह है, इस पक्ष का एक उप-अनबुंधत करात है, और दूसरे पक्ष या तीसरे पक्ष का एक समूह है, इस पक्ष का एक उप-अनुबंध है, और तीसरे पक्ष का एक प्रतिनिधि है। करना होगा, जब तक इक ऑपरटेरो या ऑपरटेरो का समहू न पैराग्राफ 1 मे सदारभत अघसचुना मे यह घोशत नइ इक्या ह इक वह जीवक उत्पदन क सबंधन मे इजममदेअर ह और उसन उस इजममदेरी को उप-अनबुन्धतकरता को हसतातानिरत नहि इक्या ह। अन्यातंरण परिधाकारी या नियतंर्ण निकाय, यह सत्यैप्त करगेआ इक उप-अनबुन्धत गितविधया इस इविन्यामन का अनपुएलन देता है,न उन अपेर्तरो या अपेर्तरो का समहुओ पर नयनातंरन का सदारभ मे इजाहोन्नं अपन गितविधयो को उप-अनबुन्धत इक्या ह।

4. सदसय राजय इसक परिधकरण को नइमत कर सकत है या इसक नकाय को अनमुओदत कर सकत है जो अनचचदे 1 मे नरिदशत अधसचुनाए परपत करगे।

5. ऑपर्टर, ओपार्टर समहू और उपकेदार अपन दवारा की जान वाली विभन्न गीतिविदयो क संबंधं मे इस विनियमन क अनसुअर इरकोर्डिकेगं।

6. सदसय राजय पिरचालो और पिररालो क समहुओ क नाम और पाट वाली अद्यत्न सिउचया राखागं इन्हहोनं अनछुछदे 1 क अनसुअर उन गितिविधयो की अधसचूना दी ह और इस सर्वजिनक करेगं।

▼:

उइचत तारिक स, ए इससमे एक ही इतरनते वबेसिट क लइकन क मधयम स, ए इस दतए क एक वयपक सचुइ, सथ ह उन अपरटेरो और एपरटेरो का समहहुओ को अनछछदे 35(1) क अनसुअर परदान इके गेद परमानपतरो स सबंधत जानकारी शिमल ह। ऐसा करात समय, सदसय राज्यय युरोपीय संसद एवं परिषद् के विनियम (ईवाई)यू 2016/679 के तहत वित्त वर्ष 2019-20 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन करें (1).

7। निवेश की लागत को कवर करने वाला उइचत शलुक दतेआ ह,ए वह नियतंरन परनाली द्वारा कवर इके जान का दर्ज ह।ै सदसय राज्य यह सिनुश्चत करेगं इकतर इके जान वाल इसकी भी शलुक को सर्वजिनक इक्या जाए।

8. आयोग को अभिलखे रक्षण की अवशयक्ताओ क सबंधं मे अनलुगंकII मे ससंधान करन वाल अनछुदे 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कत्रयो को अन्न का अधिकार ह।

9. आयोग मिनमनिलिखत क संबंधं मे वरण और विविनर्दशे प्रदान करण क िलए कार्यान्वयन अधिनयम अपना कर सकते हैं ह:ै

(क) परिया 1 मे निरिदशट अधसचूना का पारपू और तकनीकी साधन;

(ख) अनचुचदे 6 मे नृदशत सिउचयो क प्रकाशन की व्यवस्था; और

(छ) अनछुदे 7 मे नृदशत शलुक क प्रकाशन क लाइए पर्किरयाए और वायवस्थए।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 35

प्रमाणपत्र

1। अनपुलन करता है।

(क) जहां तक सबंह हो इलकेट्रोइनक रापू मेरि जारी किया जाएगा;

(ख) कम स कम ऑपर्टर या ऑपर्टर समहू की पहचान की अनमुति दी जाए इसस्मे सदसयो की सच्चाई, प्रमाण पत्र द्वारका इके गाए उतपदो की शर्नेई और इसकी वधैता की अविधा शैमल हो;

(1) व्यकितगत दत्त का पर्ससंक्रन और ऐस दत्त का मकुतदोय का संबंधन मे पराकिर्तक व्यकितयो की सुरक्षा पर यूरोपियन संसद और परिषद के 27 अप्रैल 2016 के विनियम (ईवाई)ओ 2016/679, और नृदशे 95/46/ एसईसी (सामानय) दतेया सरंक्षण इविन्यामन) को नष्ट करना (ओजे एल 119, 4.5.2016, पशरुत 1)।

▼:...

(छ) परमायनत करे इक अधस्युचत गितिवध इस ववन्यामन का अनपु लन ददता है;ै और

(घ) अनबुधं-VI मे निर्धृत मॉडल का अनसुअरी जारी किया जाएगा।

2. इस अनछुदे का पैराग्राफ 8 और अनछुड़े 34 पर प्रतिकुल प्रभाव डाल इबना (2), ऑपरटर और ऑपरटेरो का समहू अनछूडे 2(1) मे नृदशत उत्पदो को जीवक उतपदो या रपूअतंरन उतपदो का रपू मे बाजार मे तब तक नहीं बचेगा जब तक इक उनक पास पहल स ही इस अनचचडे का पराग्रफ 1 मे नरिदशत परमाण पत्र न हो।

3. इस अनच्छुदे मे सादरंरिभत् प्रमाणपत्र विनियमन (ईय)उ 2017/625 क अनछछदे 86(1) क इबदं (ए) क अर्थ क इनसाइड एक अघकारिक प्रमाणपत्र होगा।

4. एक प्रतिनिधि या प्रतिनिधि का समहू एक ही सदसय राज्य में एक ही शर्नेई का उत्पदो का संबंधन मे की जान ग्यालतिविधयो का संबंधन मे एक स अघक अन्यतन नकाय स प्रमाण पत्र प्राप्त कर्ण का उल्लेख नहीं होगा, इसमे व मामल भी शाइमल है इमानमे ऑपर्टर या ऑपरटेरो का समहू उत्पदान, तयारी और परिवर्तन के विभन्न चरणो में काम करता है।

5. उस ऑपरटेरो का समहू का सदसय, उस ऑपार्टर का समहु का प्रमाण पत्र कवर की गई थी, इसमें भी गीतिविध का उपयोग किया गया था, जिसका प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसस व सबंधत है।

6. अपेर्तेर उन अपेर्तरो के प्रमाण पत्र का सत्यपन करेगा जो उनका अपुरिटकरता है।

7. इस अनछुए का पैराग्राफ 1 और 4 के प्रोजेक्टो का उपयोग करें, उतपादो को इनमनिलिखत शरिएनयो का अनसुअर वर्गीकतरी इक्यागे:

(के) अपरसंकत्र पौध और पौध उपपाद, जन्मे बीज और अन्य पौध प्रयोजन सामग्री शैमल है;ं

(ख) पषधुन और अपरसंक्त्र पषधुन उतपाद;

(छ) शवयाल और अपर्ससंक्त्र जलीय किष उत्पाद;

(घ) खादय के रपू में उपयोग के लिए पर्ससंक्त्रि किष उत्पाद, इसस्मे जलकिष उत्पाद भी शैमल है;ं

(इ) फ़ीड;

(च) शराब;

(छ) इस विनियमन का अनलुगंकआई मे सचुइबध्द अन्य उतपाद या पचली शरीनयो मे शाइमल नहीं

▼:

8. सदसय राजय अनछच्छदे 2 मे इददे गए परमान पत्र का कर्ज मे होन का दयत्व स उन अपेर्तरो को छत्तु द सकत है, जो सिद्ध अंत उपभोक्ता को फिद का साथ अन्य अनपकाद जीवक उतपद बयत है, न बशारत एक व अपेर्तेर इबकरी का इददं क संबंधं मे उपादन, तय्यारी, भण्डारण न करे, या इसके तीसरे दशे स ऐस उत्पदो का महत्व न करे, या ऐसी गीतिविद्यो को इसके तीसरे पक्ष को उप-अनबुन्धत न करे, और बशारत इक:

(क) ऐसी इबकरी परित वर्ष 5000 इलोगराम स अधक नहीं होगी;

(ख)ऐसी इबकरी अनपकाद जीवक उत्पदो क सबंधं मे 20 000 यारू स अधक वारिषक बिज़नेस को नहीं दिखती है;ए या

(जी) ऑपर्ट्र की सभनैवत प्रमाणन लागत उस ऑपर्ट्र द्वारा संचालित अनपकाड जीवक उतपादो क कलु बिजनेस क 2% स अधक ह

यिद नो सदसय राज्य प्रथम उप-अंछुच्छदे मे उलिखत अपेर्तरो को छत्तु दने का निर्न्या लाता ह,ए तो वह प्रथम उप-अंचुछदे मे निर्धैरत सीमाओ स भी अधाख सीमा कठोरए निर्धैरत कर सकता है।

सदसय राज्य प्रथम उप अनछुदे का अनसुअर अपार्ट्मेंट को छतु दाने का इससे भी अधिक लाभ मिलता है और ऐस अवसर को छतु इदे जान की सीमा का बार मे आयोग तथा अन्य सदसय राज्य को लाभ मिलेगा।

9. आयोग को अनलुगंकVI मे निर्धैरत प्रमाणपत्र के मॉडल को सशनोधत करत हएउ अंचछदे 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कत्रयो को अपनान का अधिकार है।

10. आयोग अनुच्छेद 1 मे नृदशत परमान पत्र का पारपू तथा उपयोगकर्ता करण क तकनीकी मध्यम क संबंधं मे ब्यौरा और विनिर्दशे प्रदान करण क इले कार्यान्वयन अधिनियम अपनाएगा।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 36

ऑपरटेरो का समहू

1. ऑपरटेरो का पर्टायके समाहू:

(क) कवेल उन सदसयो स बना हो जो कश्रक या सचनालक हो जो शवयाल या जलीय किरश पशौ का उत्पडन करत हो और जो इसक एतिरकत खाय या चार का परसंक्रण, तयारी या बाजार में इबकरी मे लग हो;न

(ख) कवेल सदसयो स इमलकर बना होगा:

(i) इस्सकी व्यक्तिगत प्रमाणन लागत पर्तयके सदसय क जीवक उत्पदन क टर्नओवर या मानक आउटपुट क 2% स अधक ह और इस्का जीवक उत्पदन का वारिशक टर्नओवरईयूआर25 000 से अधिक नहीं है या इस्का जीवक उत्पादन का मानक आउटपुटईयूआर15 000 परित वर्ष स अधक नहीं ह;ै या

▼ : ...

(ii) जनक पास अधिक्तम् हॉलिड्गंस है:ं

— पाचं हक्तेयेर,

— ग्रीनहाउस क मामल मे 0.5 हकेटयेर, या

— 15 हकीत्येर, विशेषे रपु स सत्यै चारागाह क मामल मे;ं

(छ) इक्कीसदस्य राजय या इक्कीस तीसर दशे मे सथइपत हो;

(घ) कन्नूइ व्यकितितव हो;

▼ **एम6**

(ई) कवेल उन सदसयो स इमलकर बन होगं जानकी उत्पदन गीतिविधया या इबदं (ए) मे सदृभत् सभनैवत अतिरकत गितविधया एक ही सदसय राज्य या एक ही तीसरे दशे में एक दसूर का भूगोइलक नकटता मे होता है;

▼ : ...

(च) समहु द्वारा उतपइदत उतपदो क िलए एक सयंकुत विपन्न परनालि सथइपत करना; तथा

(छ) अतनिरक न्यातंर्न क िलए एक पर्णाली सथैपत करना इस्समे न्यात् र्न गितिवधयो और पर्किरयाओ का एक पर्लखत साएमल होगा इसस अनसुअर एक पहचान इक्या गया व्यकित या नकाय समहू का परतायके सदसय का इस इविन्यामन का अनपुअलन को सत्यैपत कर्ण का िलए इजममदेसार होगा।

▼ **एम6**

आतंरिक न्यातंरन पर्नाली (आई.एस.एस.) मे नमानिलखत पर पर्लखत पर्किरयाए शैमल होगनि:

(i) समहू का सदसयो का पजनीकरण;

(ii) अतिनिरक्षण, इसमे समहू का प्रत्यके सदसय का वारिषक आतनिर्क भौतक ऑन-द-सपोट निरिक्षण, और कोई भी एतिरक्त जोखम-अधिरत निरिक्षण शैमल ह,ई इस्की भी ममल मे आइस्किट प्रबंधक दवारा निर्धैरत और आइस्कि नरिक्षको द्वारा सचनाइलत, इसकी भूमकाए इबादन (एच) मे पीरबहिश्त् की गई;

(iii) एतनिरिक नागरिक निगम के आधार पर एआई व्यवसाय प्रबंधक द्वारा अनमुदन पर मौजुदुआ सदसयो में नए सदसयो का अनमुदन या, जहां उपयकुत हो, नई उत्पदन इकइयो या मजदूआ सदसयो की नई गीतिविधयो का अनमुोदन;

(iv) आईएसआईएस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कम से कम वारिश्क आधार पर होगा और इससमे प्रतिभायोगो दवारा अरिजीत ज्ञान का मलुयक्कन भी शैमल होगा;

(v) समहु क सदसयो को आइसिस पर्किरयाओ और इस विनियम की अवशयक्ताओ पर निरीक्षण दनेआ;

(vi) दस्तावजेओ और अभलखेओ का नियत्रंण;

▼**एम6**

(vii) अतिनिरक्षण के दौरान पता चल गया गैर-अनपुअन के मामले में एक जान वाल उपाय, मुझे उनके अनुवत् भी शैमल ह;इ

(viii) अतानिरक पाद लगन योगयता, जो समहू की संकुत् विपन्न पर्नालि मे वतिरत उतपदो की उत्पतीत को दर्शति ह और सभी चरणो मे सप्तपदो का पता लगन की अनमुइत दती ह,ई जसाई उत्पदन, पर्संक्रण, तयारी या मे बाजार रखना, इसमे समहू के परतायके सदसय की पदैवार का अनमुआन लांग और करोस-चके करना शैमल ह;ै

(एच) एक आईएसआईएस प्रबंधक और एक या अचालक आईएसआईएस प्रबंधक की नियुक्ति करना जो समहू का सदसय हो सकत है।उनक पदो को संयंकुत नहीं इक्या जाएगा। आइसिस्ट नरिक्षको की साखन्या पर्यापत होगी तथा समहू का जीव उत्पडन का पार्कार, सरंचना, आकार, उत्पदो,ं गितिविद्यो तथा आउटपुट का अनरुपु होगी। आइसिस्ट निरिक्षक समहु क उतपादो तथा गीतिविद्यो क संबंधं मे सक्ष्म होगं।

आईसीएस प्रबंधक को:

(i) इब्नद (क), (ख) और (ङ) मे निर्धैरत मनदांदो क संबंधं मे समहू क पर्तयके सदसय की पतरता का सत्यपन करना;

(ii) यह सिनुश्चित करे इक पर्तयके सदसय और समहू के बीच एक लिखत और हसताकिरत सदसयता एग्रीमेंट हो, इससक द्वार सदसय नमनिलखत क इले पितबध हो:।

— इस अनुशासन का अनपुलन करे,

- आइसिस्ट मे भाग ले और आइसिस्ट पर्किरायओ का पालन करे, इसमे आइसिस्ट प्रबंधक दवारा उन्हे सौपं गेद करय और इजममदेराय और इरकोर्ड रखन कायंटव शाइमल ह,ए

- उत्पदन इकाइयो और पिरासो मे पर्वशे की अनमुइत दनेया और आइसिस्ट निरिक्षको दवारा इके जान वाल आतिनरक निरिक्षनो और सक्षम प्रैधाकारी या झा उपयकुत् हो, नयत्न प्रशिक्षार्थी या नयत्नर्न निकाय दवारा इके जन वाल आतिनरक नृयक्षो और सक्ष्म प्रैधाकारी या जहा उपयकुत् हो उपसिथत रहना, उनहें सभी दस्तावजे और इरकोर्ड उपलब्ध करा और नृरक्षा दर्पण पर प्रतिहस्ताक्षर करना,

- इस्क्स्प प्रबंधक याष्म सक परिधाकारी या जहा उपयकुत् हो, न्यातंरन परिधाक् या न्यात्
न् यं क कि कि इसका प्रबंधक
यश् म सक प्रैधकारी या जहा उपयकु ्
-

— सिंदगध गरै-अनपुलन पर तरुतं आइसिस प्रबंधक को सिउचत करे;न

(iii) आईएसआईएस पर्किरयाए और सबंधत दस्तावजे और र्कोर्ड विकास करना, उन्हे अद्यत्न रखें और आईएसआईएस निरिक्षको को तथा जहा पर्सिंगक हो, समहू का सदसयो को आसानी से उपलबध प्रदान करना;

▼**एम6**

(iv) समहु क सदसयो की सचुई तयार करना तथा उस आदतन रखना;

(v) आईएसआईएस निरिक्षको को करय और इजममदेइरिया सौपन्ना;

(vi) समहु क सदसयो और सक्ष्म प्रैधाकारी या, झा उपयकुत् हो, नियतंर्ण संरक्षक या नियतिंर्ण निकाय का बीच सपंर्क शनिदेव, इसमे असाधारणो का इलै अनिुद्ध भी शाइमल ह;ै

(vii) आईएसआईएस के खिलाड़ियों का हितो का मशबांधनी बयानो का वारिस सत्यपन करना;

(viii) अतानिरक नारीकृष्णो की अनसुचुई बनाना तथा इबादन (जी) क दसूर परागाफ क इबदं (ii) मे सदृशभत आइसर्ट्स प्रबंधक की अनसुचुई का अनसुअर उनकी पर्यापत् कार्यानव्यं स्यूनशिच्छत् करना;

I आइसिस्ट नरिक्षको की कश्मताओ और योगयताओ का वारिषक मलुयक्कन;

(x) नय सदसयो या नइ उत्पदन इकइयो या माजदुआ सदसयो की नई गीतिविधयो को मजंरूई दनेआ;

(xi) इब्नद जी क अनसुअर पर्लिखत पर्किरयाओ दवारा सथइपत आइसिस्ट मयो क अनरुपु गराई-अनपुअलन क ममल मेयो मयो पर नरन्या लनेआ तथा अन मयो का अनवुरत्न स्यूनशिचत करना;

(xii) आइसिस्ट एनआरआइएक्सको का कार्यो क उप-ठके संगत गीतिविधयो को उप-ठके पर दने का निरण्य लाना और पार्सिंगक समझौतो या अनबुधनो पर हसताक्षर करना।

आईएसआईएस एनआरआइएक्स को:

(i) आइसिस प्रबंधक द्वारा अनसुचुई और पर्किरयाओ का अनसुअर समहु का सदसयो का अतिनिरक्षण करना;

(ii) एक टेम्प्लेट का आधार पर अटैनिरक नागरिक निगम का ड्राफ्ट तैयार करना और बनाना उस उइचत समय के अंदर आईएसआईसी प्रबंधक को पर्सट्टु करना;

(iii) अन्यायकुत का समय इहतो का मशहा पर लिखत एव हसताकृत वकतव्य पर्सत्तु करना तथा उस पर्तवर्ष अद्यत्न करना;

(iv) परीक्षा में भाग लें

▼:...

2। स्थापना या कार्यपर्णाली मे किमाया, विशेष रपू स ओपरेटेरो क समहु क व्यकितगत सदसयो द्वारा गरइ-अनपुलन का पता लगाना या सबनोधत करण मे विफलताओ क संबंधं मे,ं जीवक और रपूअतन उतपदो की अखण्डता को प्रभावित करता है।

▼**एम6**

कम स कम नमनलिखत सिथतयो को आइसिस्ट मे किमयो का रपू मे माना जाएगा:

(क) नलिंबत/वापस लाइए गेद सदसयो या उत्पदन इकैयो स उत्पदो का उत्पदन, पर्ससंक्रन, तयारी या बाजार में रखें;

(ख) उन उत्पदो को बाजार में लाना इस्नाक लेबिलगन या विजनपन मे जीवक उतपादन क सदंर्भ क उपयोग पर आईसीसर्ट प्रबंधक न पतिबंधं लगा इदया ह;ै

(जी) अतनिरक अनमुदन पर्किरिया का पालन इबाना सदसयो की सचू में नए सदसयो को जोडना या मजादुआ सदसयो की गीतिविधयो मे पिरवरत्न करना;

(घ) इसकी इदा गाए वर्ष मे समहु क इक्कीस सदसय का वरिषाक भौतक मौक पर निरिक्षण न करना;

(ई) सदसयो की सचुई मे उन सदसयो को इगंत करण मे विफल होना जनेह निलिम्बत या वापस ले लिया गया ह;ै

(च) आईएसआईएस निरिक्षको दवारा आईके गए अतानिरक निरिक्षनो और सक्षम प्राधिकारी या जहा उपयक्ुत् हो, नियतंर्ण परिधकारी या नियतंर्ण निकाय द्वारा इकए गए अघैकैरक नियतंर्णो क बीच निष्क्रशो मे गभनिर वचलन;

(छ) आईएसआईएस रिनरिक्षको या सक्ष्म परिधाकारी या झा उपयाकुत हो, न्यातंरन इंकाय क न्यातंरन परैधकारी द्वारा को पहचानना गारे-अनपुलन के उत्तर में उइचत उपाय लग करण या आवष्यक अनवुरति कररवई कर्ण मे गभनिर किमाया;ं

(ज) समहु क जीवक उत्पदन क पकार, सरंचना, आकार, उत्पदो,ं गितविधयो और आउटपुटपुटु क िलए आईसीएसटी र्निरक्षको की अपरयपत सखंया या आईसीएमआर िनरीक्षको की अपरयपत कस्मता।

▼:...

3. आयोग को अनछुए 54 क अनसुअर परतयोइजत कटरियो को अपनान का अधिकार ह,ए इसस्क के तहत इस अनछदे का परिघ्रफ 1 और 2 मे परावधान जोडकर या उन जोड गए परावधानो मे सशनोधन कर्क,ए विशेष रपू स नमिनलिखत क सबंधन मे:।

(क) ऑपरटेरो क समहू क व्यकितगत सदसयो क इजममदेराय;न

(ख) समहु क सदसयो की भौगोइलक नर्कता नृधैरत करण क मनददं, जसाई सिउवधाओ या साथलो का साझाकरण;

(छ) आतंरिक न्यातंरन क इले पर्नाली की स्थापना और कार्यपर्णाली, इसमे इके जान वल नियतंर्णो का महत्व, विषय-वसत् और अवतृत तथा अतंरिक्त नियतंर्न की स्थापना या कार्यपर्णाली में किमयो की पहचान कर्ण का मानदं शाइमल है।

4. आयोग मिनमनिलिखत क संबंधं मे विशिष्ट नियम निर्धैरत करत हएउ कार्यान्वयन अधिनयम अपना कर सकते हैं:ए

(के) ऑपरटेरो का समहू की सरंचना और आयाम;

▼:...

(ख) दस्तावजे और इरकारद रखान की पर्नाल्या,आं अतिनिरक पता लगान की परनाली और ऑपरटेरो की सचूकी;

(छ) ऑपरटेरो क समहु और सक्ष्म प्रैधाकारी या परिधाकैरियो,ं नियतंर्ण परिधाकैरियो या अन्यत्र नकायो के बीच, तथा सदसय राज्यो और आयोग के बीच सचुना का जुड़ाव-परदान।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अध्याय 6

अयधकारक नियतंर्ण और अन्य अयधकारक गीतिविधियाँ

अनछुछे 37

इविन्यामन (ईय)उ 2017/625 क साथ सबंधं और अयधकारक नियतंर्ण और अन्य अयधकारक गीतिविधयो क सबंधं मे अतिरक्त नियम
जीवक उत्पदन और जीवक उत्पदोन की लेबलिंग

इस अध्याय मे अन्य नियम, इविन्यामन (ईय) 2017/625 मे निर्धैरत नियमो का अतिरक्त, इस अनुशासन मे अन्य नियम 40(2) मे अनैथा प्रदान एके गेद कोछोड़कर, और इस अनुशासन मे 29 का अतिरकत्, इस नियम मे क एंचच्छदे 41(1) मे अनैथा पर्दान एके गेद को छोड़कार, उतपदन, तयारी और वतरन के सभी चरणो मे परुई पर्किरिया क दौरान यह सत्यइपत कर्ण का इलै इके गाए एधकैरक न्यातननो और अन्य अयधकैर्क गितविधयो पर लाग होगन इक इस इविन्यामन क अनछुदे 2(1) मे सदृन्भत् उतपद् इस विनियमन का अनपुअलन मे उतपइदत एके गया है।

अनछुछे 38

अइधकारक न्यातंरन और सरकार द्वारा की जान वाली काररवाई पर अतिरकत नियम
सक्ष्म परिचारिका

1. इस विनियमन का अनपुलन क सत्यपन क िलए विविनयमन (ईय)ू 2017/625 क अनुछदे 9 क अनसुअर इके गेद अधकैरक न्यातननो मे वशेष रपू स शाइमल होगं:ए

(के) उत्पडन, तयारी और परिवर्तन के पर्त्यके चरण पर, इस अनुशासन का अनुछ्दे 9(6) और अनछुदे 28 मे उलिखत निवारक और एहितयाति मेयो क अवदेन का ओपरेटेरो द्वार सत्यपन;

(ख) जहां होलिडगं मे गरै-जीवक या रपूअतनरन मे उत्पदन इकाइया शैमल है,ं वहा जीवक, रपूतांरन मे और गैर-जीवक उतपादन इकाइयो के साथ-साथ उन इकइयो दवारा उतपादन सबंधत उतपदो और जीवक, रपूअतांरन मे और गैर-जीवक उतपादन इकैयो का उपयोग एक जान वाल पदारथो और उतपदो के बीच सपष्ट और परभावी पथकक्रण स्यूनशिचत करण क इले अभलखेओ और मयो या पर्किरयाओ या वयवस्थो का सत्यपन; ऐस सत्यपन मे उन परस्लो की जचं शाइमल होगी जनक लाइए पिछली अविध को रपूअतनन अविध क इहस्स क रपु मे पुरुव्वयपि रपु स मान्यता दी गई थी, और गैर-जीवक उतपादन इकैयियो की जचं;

▼ : ...

(जी) जहां जीवक, रपूअतानिरत और जीवक उतपादो को अवसरेरो द्वार एक साथ एकतर इक्या जात ह, ऐ एक ही तैयारियो और उपायो, कश्तर या पिरसर मे तय्यार या भदनाइरत इक्या जात ह, ऐ या अन्य अपरटेरो या इकैयो को ल गया जात ह, ऐ वहा अभलखेओ और उपायो,अं पर्किरयाओ या वैवस्थो का सत्यपन यह सिनुश्चत कर्ण का इलाए मुझे लगता है कि सच सच हो गया है सथान या समय का अनसुअर अलग-अलग एके जात है, एक उपाकुत् स्वच्छता उपाय और, एक उपाकुत हो, उतपदो का परितसथापन को रोकने का उपाय कार्यान्वित एके जात है, एक जीवक उपादो और प्रतिपदो का हर समय पहचान की जात है। इक जीवक, रपूतांनिरत और अजीवक उतपदो को तय्यारी सचानलन स पहले और बाद में एक दसूर स सथान या समय का अनसुअर अलग-अलग भदनाइरत इक्या जात है;

()घ शैलको क समहुओ की अतिनिरक न्यातंरन पर्नाली की स्थापना और कार्यपर्नाली का सत्यापन;

(ई) झा ऑपरटेरो को इस विनियमन का अनचुचदे 34(2) का अनसुअर अधसचुना दयत्व स या इस इविन्यामन का अनचुचदे 35(8) क अनसुअर परमान पतर राखन क दयत्व स चतु दी गई ह, ए वहा यह सत्यपन इक उस छत्तु क लए आवश्यकताए पूरि हो गइ और उन अपेर्तरो द्वाबारा गे उतपदो का सतीपन।

2. इस इविन्यामन का अनपुअलन का सत्यापन क इविन्यामन (ईवाई)यू 2017/625 का अनछुदे 9 का अनसुअर इंस्पैदत अध्यकैरक न्यातनरन, इस इविन्यामन का अनचुचदे 3 का बिदं (57) मे पीरबहिश्त गरै-अनपुलन की सभनावना क आधार पर उत्पडन, तयारी और वतरन क स न चरणो मे परू ी परकिरया क दौरान एके जाएगं, के जो इविनयमन (ईय)ऊ 2017/625 क अनछछदे 9 मे सदारनभत ततवो का अतिरकत, वषषे रपु स ननमनिलिखत ततवो को ध्यान मे रकत हएउ निर्धिरत इक्याउगे:

(क) शैलाको और सिलाको का साम्हो का पार्कर, आकार और सरंचना;

(ख) वह समयाविधि इस्साक के दौरान ऑपर्टर और ऑपर्टर समहु जीव उत्पदन, तयारी और वतन में शाइमल रह;न

(छ) इस अनछुदे का अनसुअर इके गेवेन न्यातन्नो का पिरानाम;

(घ) की गई गीतिविधयो क िलए पार्सिंगक समय इबदं;ु

(ई) उतपद श्रिणया;ँ

(च) उत्पदो का पार्कर, मात्रा और मलूय तथा समय का साथ उनका विकास;

(च) गरै-अधिधातृ उत्पदो या पदारथो क साथ उतपदो क इमशर्न या सदंशुं की सभनावना;

(ज) ऑपरटेरो और ऑपरटेरो का समहुओ दवारा न्यामो मे छतु या एक्सेप्शनल लाग करना;

▼:...

(i) ग़ैर-अनपुअलन क लाइए महतवपरून इबदं तथा उत्पदन, तयारी और वतन का पर्तयके चरण पर गैर-अनपुआलन की सभावना;

(ज)ए उप-ठाके गितिविद्या

3. इससी भी सिथित मे,अं अनचुचदे 34(2) और 35(8) मे सादरभट ओपरेटरो और ओपरेटरो का समहूओ को छोड़कर, सभी ओपरेटरो और ओपरेटरो का समहूओ को वर्ष मे कम एस कम एक बार अनपुलन का सत्यपन का स्वामित्व होना होगा।

अनपुलन का सत्यपन मे भौइतक ऑन-द-सपोत निरिक्षण शैमल होगा, इस्के इसक इमान्लिखत शरते पुरुई हो गया हो:ं

(क) सबंधत अपार्ट्टर या अपार्ट्टर समहु क पछल न्यातंरनो न कम स कम तीन स्थिरांक वर्षो के दौरान जीवक या इन-कनवर्जन उतपदो की अखण्डता को पर्भैवत कर्ण वाल इसकी भी गैर-अनपुआलन को नाही संपर्क इक्या ह;ै और

(ख) सबंधत ऑपरटेरो या ऑपरटेरो का समहू का इस अनछुदे का पैराग्राफ 2 और इविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनचुचदे 9 मे सडंरभट ततवो का आधार पर मलुयक्कन इक्या गया ह इक उनमे गरय-अनपुअलन की काम सभावना ह।

इस मामल मे, दो भूतक मौक पर नृक्षनो के बीच की अवधि 24 महीने स अधक नहीं होगी।

4. इस विनियमन का अनपुलन क सत्यपन क िलए विनियमन (ईवाई)ओ 2017/625 क अनुछदे 9 क अनसुअर इके गेवेन अधकारक न्यातंरन:

(ए) विनिअमन (ईय)उ 2017/625 क अनुछदे 9(4) क अनसुअर इंशापिदत इक्यागे, जबिक यह सिनुशिचत इकायोगे इक ऑपरटेरो या ऑपरटेरो का समहूओ क सभी अध्येकारक न्यातननो का नयनुतम प्रितशत पुरुव सचुना क इबना इक्या जात ह;ै

(ख) यह सिनुश्चित करना इस अनछुए का पैराग्राफ 3 मे उलिलिखत अतिरकत नियतंर्णो का नयनुतं पृष्टशत् लाग इकाया जाय;

(सी) विविनयमन (ईवाई)यू 2017/625 क अनुछदे 14 क इबादन (एच) क अनसुअर लाये गए मन्नुओ की नयनुतम साखन्या लकेर इक्या होगा;

(घ) यह सिनुश्चित करना इक ऑपरटेरो क एक समहु क सदसय नयनुतम सखन्या मे ऑपरटेरो को इस अनचुचडे का पैराग्राफ 3 मे सडंरिभट अनपुलन का सत्यपन का सबंधं मे नियतंमृत इक्या जाता है।

5. अनछुए 35 मे नृदशत प्रमाणपत्र का वतरण या माप
(1) इस अनछुदे का पैराग्राफ 1 एस 4 मे सडंरिभट अनपुलन का सत्यपन का पिरनामो पर लाभ होगा।

▼:...

6. विनियमन (ईवाई)यू 2017/625 क अनुच्छेद 13(1) क अनसुअर इस विनियमन का अनपुएलन को सत्यैपत कर्ण क इले इके गाए गए पर्तयके अध्येकारक न्यातंरन क सबंधं मे तयार इके जन वलिखत इरकॉर्ड्डड को अपर्टर या ऑपरटेरो का समहुओ दवारा उस लिखात इरकोर्ड की परपित की पशूत क रपू मे पार्थहसताकिरत इकायोग।

7. विविनयमन (ईय)उ 2017/625 का अनुछदे 13(1) सक्ष्म परिधाकैरयो द्वारा नियतंर्ण नकायो पर उनके पर्यायवकेशी गीतिविधयो का सदारभ मे इके गेद ऑडिट और निरक्षणो पर लग नहीं गया, इन्हे कछु अइधकैरक न्यात्नं कार्य या। अन्य अध्यकैरक गितविधयो स सबंधत कछु कार्य सौपं गये।।

8. आयोग को अनछुड़े 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कतृयो को अपनान का अधिकार ह:ए

(क) उत्पदान, तयारी और बदलाव सभी चरणो में पता लगाना की कश्मता सिनुश्चत करण और इस अनुशासन का अनपुलन क इलै इके गोएद ऐधकैरक नियतंर्णो क नैशपादन क लाइए विशिष्ट मानदं और शरते निर्धैरत करक इस अनुशासन को पूरक बनाना, इनमनिलिखत क सबंधं मे:ं

(i) दस्तावजे खातो की जाचं;

(ii) ऑपरटेरो की विशिष्ट श्रेणियो पर इके गाए गए न्यातनर्न;

(iii) जहां उपयकुत् हो, वह अविद्या इस्क इन दिस इविन्यामन मे इदा गाए गए न्यातंरन, इसमे इस अनछुदे का पैराग्राफ 3 मे सादरभट भौतक ऑन-द-सपोट निरिक्षण भीमल है,न इंशापिदत इके जान है और वह विशे पिरसर या क्षेत्र जहां उन्हहे इंशापिदत इक्या जाना ह;ई

(ख) व्यवहारिक अनभुव का आधार पर अतिरकत तत्वो को जोड़ाकर या उन जोड़ गए तत्त्वो को सशनोइधत करक इस अनछुदे का परिग्रह 2 को सशनोइधत् करना।

9. आयोग मिन्निलिखत को नृदशत् कर्ण क लाइए कार्यान्वयन अधिनियम अपना अपना कर सकते हैं:ए

(क) पीरचालको या पीरचालको का समहूरो क सव अधकारक न्यातंरनो का नयनुतम प्रितशत जो परिगराफ 4 क इबदं (क) मे निरिदशत अनसुअर पुरुव सचुना क इबना इक्या जाना ह;ै

(बी) खडं 1 मे उलिलिखत अतिरक्त न्यातंरनो का नयनुतं पितशत् (ख) परा 4;

(जी) पैराग्राफ़ 4 क इबदं (जी) मे निरिदशत माणुओ की नयनुतम सखन्या;

(घ) ऑपरटेरो की नयनुतम साखन्या जो पैराग्राफ 4 क इबदं (घ) मे निरिदशट आपरटेरो क समहूं का सदसय है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

▼:...

अनछुछे 39

ऑपरटेरो और समहुओ दवारा की जान वाली काररवाई पर एतिरकत नियम
ऑपरेटर की

1. िविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनुछदे 15 मे नृधैरत दयात्वो क अितिरकत, ऑपरटर और ऑपरटेरो क समहू:

(क) इस अनुशासन का अनुपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) अयधकारक न्यातंरन क इले अवकाश सभी घोषणाए और अन्य सचंकर करना;

(छ) इस विनियम का अनपुलन सिनुशिचत करण क लये पार्सिंगक व्यवहायरक उपाय करना;

(घ) एक घोषणापत्र क रापू मे,हं हसतकाशिरत और अवशयक्तानसूर अद्यतन इक्या जाना:

I अनसुअर इंशापिदत की जान वाली गीतिविधियो का विवरण;

(ii) इस विनियम का अनपुलन सियुनशिचत कर्ण क लिआगेन जान वाल पर्सिंगक व्यवहारिक उपाय;

(iii) वचनबद्धता:

- उत्पदो के करतियाओ को लिखत रपू मे और इबना इस अनावसायक दरेई का सिचुचट करना तथा सक्षम परिधाकारी का साथ, या जहा उपयाकुत हो, न्यातंरन परिचालक या न्यातंरन इंकार के साथ परासिंग भाषा का स्वीकृत-परदान करना, ऐसी सिथित मे जब गराई-अनपुअलन का सँधे इसदध हो गया हो, गैर-अनपुअलन के साधंहे को समापत नहीं इक्या जा सकता है, या यह गरै-अनपुअलन सथादिपत हो गया हो जो सबंधत उतपदो की अखण्डता को पर्भैवत करता हो,

- नयत्नर्ण परिधकारी या नयतंरन परिधाकारी या नयत्नर्ण परिधकारी या नयत्नर्ण परिधकारी या नयत्नर्ण फाइल का हसतात्नरन को सविकार करना या जीवक उत्पदन स हटन की स्थिति मे,अंतम् अन्यत्न परिधकारी या निश्चितं नर्कि द्वार कम स काम पाचं वर्षो तक अन्यतन फाइल को रखना,

-जीवक उत्पदन स पीछ हटन की स्थिति मे सक्ष्म परैधाकारी या अनुच्छेद 34(4) क अनसुअर नैमत परैधाकारी या इंकार को तरुतां सिउचत करना, तथा

- यिद उपकेदेर विभन्नं नियतंर्ण परिधकारनो या नियतंर्ण नकायो का न्यातंरन क अधीन है तो उन परिधकारों या इंकारो के बीच सचुना का अर्पण-परदान को सविकार करना।

2. आयोग मिनमनिलिखत क संबंधं मे वरण और विविनर्दशे प्रदान करण क िलए कार्यान्वयन अधिनयम अपना कर सकते हैं ह:ै

(क) इस अनुशासन का अनपुलन को परदर्शत कर्ण वाल अभिलखे;

▼:...

(ख) घोषणाए और अन्य सत्यंकर जो अध्येकारक न्यातंरन क इले अवशयक है;न

(छ) इस विनियम का अनपुलन सिनुश्चत करण क लये पार्सिंगक व्यवहायरक उपाय।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 40

अयधकारक नियतंर्ण कार्यो और कार्यभरो क प्रत्यययोजना पर अतिरकत नियम अन्य अयधकारक गितविधयो स सबंधत्

1. सक्ष्म परैधाकारी नियतंर्ण नकायो को कछु अध्यकैरक न्यातंरन कार्य और अन्य अध्यकार्य कार्य गीतिविधयो स सबंधत कछु कार्य केवल एक ही सूपं सकत है, जब इविनियमन (ईय)उ 2017/625 का अध्यायतृतीय मे निर्धैरत शरतो क अतिरक्त नमिनलिखत शरते पुरुई हो:ं

(क) प्रत्यययोजना मे प्रत्ययोजित् अघकैर्क न्यत्नर्ण कार्यो और अन्य अध्यकैर्क गीतिविद्यो स सबंधत कार्ययो का वसत्तह व्वरन शाइमल ह,ए इसस्मे इरोपोरिटगं दयत्व और अन्य विश्षट दयन्तव शईमल ह,न और उन शरतो का भी वरन ह इसानक के अधीन न्यातंरन निकाय उन्हे पुरूआ कर सकते हैं।
विशेषे रपु स,ए नियतंर्ण निश्चय को पुरुव अनमुदन क लाइए सक्ष्म परिधकारयो क समक्ष नमाणिलिखत प्रस्तुतु करना होगा:

(i) इसके जोइखम मालुयक्कन पर्किरिया, जो विषे रपू स,ए ओपरेटेरो और ओपरेटेरो क समहुओ क अनपुलन क सथयपन क तीवरता और आवतृत क लए आधार नृधधरत दत ह,ए इसस वव नयमन (ईय)उ 2017/625 क अनचदे 9 और इस वव नयमन क अनचदे 38 मे स ंद रभत ततव क आधार पर सथपतत कया जन ह,य और इसस ऑपरटेरो और ऑपरटेरो का समहुओ पर अधाकैरक न्यातंरन का पालन करना इक्या जाना है;

(ii) मानक न्यातंर्ण पर्किरया, इस्मे न्यातंर्न मायो का वसत्तः व्वरन् शैमल यह इस प्रकार है कि अपन अन्यत्रं का संबंध और अपेर्तरो का समहुओ पर लग करण का दयंतव लता ह;ै

(iii) मेयो की एक सचुई जो अनचुचदे41(4) मे नृदशत सामानय सचुई का अनरुपु ह,ए और जो सिंदगध या सथैपत गरै-अनपुलन का मामला मे ऑपरटेरो और ऑपरटेरो का समहुओ पर लाग इक्या जाना ह;ई

(iv) शैलाको एवं शैलाको का समहुओ का संबंधन मे एके जान वाल अधाकारक नियतंर्ण कार्यो एव अन्य अध्यकैरक गितविधयो स सबंधत कार्ययो की परभावी इंगाराणि की व्यवस्था तथा उन कार्यो पर इपोरितगं की व्यवस्था।

निश्चयंर्ण निश्चय इबदं (i) स (iv) मे निरिदशत तत्त्वो क बाद क सशनोधन को सक्ष्म पराईधकारी को अदिसुचत करगे;

▼:...

(ख) उन सक्ष्म परिधाकैरियो क पास न्यातंरन नकायो क पर्यवकेषण को सिनुश्चित करण क इलै पर्किरायए और वायवस्थै है,ं जनमे यह सत्यैपत करना भी श्यामल ह इक सौपं गोए कार्य परभवी धगं स,ए सवतंर रपु स और वसतिउन्स्थ रपु स एके जा रह है,ं विशेषे रपु स अनपुलन का सत्यपन की तीवरता और अवतरित क सबबन्धं मे.ं

सक्ष्म परिधाकारी, इविन्यामन (ईए)यू 2017/625 क अनुछदे 33 क इबदं (ए) क अनसुअर, वर्ष मे कम स कम एक बार अन्यतन नकायो की आयोइजत करेगं,ए इणहे उन्होनं अध्यकैर्क न्यातन कार्य या अन्य अद्यकार्य गीतिविद्यो स सबंधत कार्य सौपं ह।

2. विनियमन (ई)उ 2017/625 क अनुछदे 31(3) स विचलन क मध्यम स,ए सक्षम परिधाकारी अनुछदे 138 (1) कि इबदं (बी) और उस इविन्यामन क अनुछदे 138(2) और (3) मे परदान एके गए कार्ययो स सबंधत निरण्य को एक नियतंर्ण निकास को सौपं सकत्।

3. विनिअमन (ईय)उ 2017/625 क अनुछदे 29 क इबदं (बी) (iv) क पयोजन क िलए, इस इविन्यामन क अनपुलन को सत्यैप्त करण क इल कछु अध्यकैरक न्यातन कार्यो और अन्य अयधकारक गीतिविद्यो स सबंधत कछु कार्ययो क परितिनिधमदंल क इलै मानद जो इस इविनयमन क म क सबंधन मे पारसिंगक ह,ए 'अनलुप्त मालुयक्कन - उतपदो,अं पर्किरायओ और सवेआओ को पर्मैनत करण वाल नकायो क िलए अवशयक्ता'न क िलए अतंरराष्ट्रिय सामजंसयपरुण मानक का सबस हाल ही मे अधिसूचत संस्कार ह,ए इस्का सडंरभ मे परकाशत इक्या गया ह*यैरूपिये सघं का अध्यकैर्क रोजनामाचा.*

4. सक्ष्म पारिधाकारी नामनिलिखत अध्यकैर्क नियतंर्ण कार्यो और अन्य अध्यकार्य कार्यो स सबंधत कार्यो को नियतंर्ण इंकारो को नहि सौपनेगं:।

(क) अनय नियतंर्ण परिधकारनो या नियतंर्ण निषेधो का पर्यायवकेषण और लक्षेपरीक्षा;

(ख) जीवक उत्पदन स प्राप्त न की गई पादप प्रयोजन सामग्री के उपयोग से प्राप्त छतु क अलावा अन्य छत्तु दने की शकित;

(छ) इस विनियमन का अनुच्छेद 34(1) के अंतर्गत ऑपरटेरो या ऑपरटेरो का समहुओ द्वारा गीतिविधयो की सचुनैए प्राप्त करने का अधिकार;

(घ) इस इविन्यामन का परावधानो का गरै-अनपुलन की सभनावना का स्कैम, जो इविन्यामन (ईय)उ 2017/625 क अनछुदे 54 क अनसुअर सघं मे मकुत सचंलन क इलेजरी कर्ण स पहल जीवक खपे पर भूतक जचं की अवतृत नृधैरत करता ह;ै

(ई) इस विनियमन का अनुच्छेद 41(4) मे सदृणभट मयो की सामानय सचुई की स्थापना।

5।

▼:...

6. सक्ष्म परिधाकारी यह सिनुश्चित करेगं इक इविन्यामन (ईय)ऊ 2017/625 क अनसुअर न्यातंरन नकायो स प्राप्त जानकारी और सथैपत या सभनैवत गरै-अनपुआलन कम मामल मे इनायतनर्ण नकायो द्वारा लाग इके इवे मेयो की जानकारी सक्ष्म परिधाकैरियो दवारा एकतर की जाती है और उनका उपयोग उन अन्यतन नकायो की गीतिविद्यो की इंगारानी की तरह इक्या जाता है।

7. जहां एक सक्ष्म परिधाकारी न विविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनछछदे 33 क इबदं (बी) क अनसुअर कछू अधकारक न्यात्नर्ण कार्ययो या अन्य अध्यकार्यक गीतिविधयो स सबंधत कच्छ कार्ययो क परितिनिदमदंल को परुइ प्रकार या अंतक रपू सा गया ल इलिया ह, ऐ यह तय करगेआ इक उस इंशक या पूरण वापसी की तारीख स पहिला सबंधत न्यातन नकायो दवारारी इके इससी भी परमान पतर को वैध ह या नह, और सबंधत अपेरटेरो को उस नरण्य स सिउचत करगेआ।

8. इविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनुछदे 33 क इबदं (बी) क परित पुरुवगार्ह क इबना, उस इबदं मे सदारनभत ममलो मे अइधकैरक न्यातंरन कार्ययो या अन्य अइधकैर्क गितविधयो स सबंधत कार्ययो क प्रतिनिधमदंल को परुई तरह या अइंशक रापू स वापस लेन स पहले, सक्ष्म परिधाकारी वह प्रतिनिधमदंल को परुई तरह या अइंशक रापु स वापस लेन सक्त है:

(क) 12 महीनो स अहिधक की अवधि क िलाए, इस्साक के दौरान नियत्रंण समापन को
परीक्षा और निरीक्षण के दौरान पहचानी गई किमयो को दारू करना होगा या गराई-अनपुअन को सबोनोधत करना होगा, इस बार मे ज्ञानाय न्यातन परिधकारनो और न्यातन नकायो क साथ, सक्षम अधकैरियो के साथ-साथ इस अनुशासन का अनछुए 43 क अनसुार आयोग क साथ साझा किया गया था; या

(ख) उस अवधि के इलै इस्का दौरान इब्नद (ख) मे नृदशत मान्यता
इस अनुशासन में 40(3) के संबंध में 2017/625 के संबंध में 29 की धारा (iv) को निलम्बित कर दिया गया है

जहां अध्यैरक न्यातंरन कार्यो या अन्य अध्यहकार्य कार्यो का प्रत्यययोजना निलिंबत कर इदया गया ह,ए वहा संबंधत न्यात्नर्ण निश्चय उन भागो के 35 मे निरिदशत परमान पितृसत्ता नहि करैगं जनक इलाय प्रत्यायोजन निलिम्बत इक्या गया ह। करेंगें।

इविन्यामन (ईए)यू 2017/625 क अनछछदे 33 क प रत परूवगा र क इबना, सक्षम परदय क अ ध कार क यनयतन न क र यो या अनय व ध क य ग त व धयो स सबंधत क रय क प र त योजना क नलब न को यथाशीघ्र हटा लेगं,ए जब तयंरभत मनयता क इबदं (ए) मे सदरभत मनयता क नलबन्न को दरू कर लया हो या जब मनयता ननकाय न पहल उप-अंछछदे क इबदं (बी) मे सदरभत मनयता क नलबन्न को हटा लया हो।

9. जहां एक नियतंरन निकाय, इसस सक्ष्म परिधाकैरियो न कछू अध्यकैरक अन्यातंरन कार्य या अन्य अध्यकैरक गीतिविधयो स सबंधत कछु कार्य सौपं है,अं को तीसेर दशेओ मे नियतंरन गितिविधयो को कर्ण क मिलाए इस इविन्यामन का अनछुछड़े 46(1) क अनसुअर आयोग द्वार भी मान्यता दी गई है,ए और आयोग उस मान्यता को वापस लेने का इरादा रखता है या उसे मान्यता वापस ले ली है,ए तो सक्ष्म परिवादी मान्यता की मान्यता को वापस ले ले।

▼:...

इविन्यामन (ईय)उ 2017/625 क अन्चुछदे 33 क इबदं (ए) क अनसुअर सबंधत सदसय राजय(ओ)म मे अपनी गीतिविधयो क सबंधं मे।

10. नियतंर्ण दोषाय सक्ष्म परिधाकैर्यो को नामनिलिखित जानकारी प्रदान करेगा:ए

(क) पर्तयके वर्ष 31 जनवरी तक उन शल्कलको की सचुई, जो कि वर्ष 31 जनवरी तक को उनक नियत्रं क अधीनस्थ थ;ए तथा

(ख) पर्तयके वर्ष 31 मार्च तक विनियमन (ईय)उ 2017/625 क अन्चुछड़े 113 मे सदृभत वरिषक इरपोर्ट के जीवक उतपादन और जीवक उतपदो की लैबिलगन पर भाग की तयारी का समरथ्न कर्ण क इले पछल वर्श इके गेद अइधकारक न्यातंरनो और अन्य अयधकारक गितिवधयो की जानकारी।

11. योग को इस विनियमन का अनुपूरक अनुच्चदे 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कतृय्यो कोएपान का अधिकार ह,ए जो इस अनुछदे का परिग्रह 1 मे निर्धैरत शरतो का अतिरक्त न्यात्नर्ण नकायो को अध्यकार्य न्यातंरन कार्यो और अन्य अधकैर्क गितविधयो स सबंधत कार्यो क प्रत्ययययोजना क इले शरतो क सबंधं मे ह।

अनछुछे 41

▼सी 5

सिंदगढ़ और सिंदगढ़ घटनाओ की स्थिति मे काररवाई के संबंध मे अतिरकत नियम सथैपत गरै-अनपुअलन, और मेयो की सामानय सचुई

▼:...

1. अनच्छेदे 29 के संबंध में, जा एकस्म सक परैधाकारी, या, जा उपयकुत् हो, एक न्यातंरन परैधकारी या न्यातंर्ण निकाय को साधन होता है या उस पशुत् ज्ञान प्राप्त होता है, ए इससमे अनय सक्ष्म परैधकार्यो स ज्ञान शाइमल ह, ए या जहा उपयकुत् हो, अन्य नयनातंरन परिधाकैरियो या नयनातंरन नकायो स, एक विकल्प एक ऐस उत्पद का उपयोग करन या बाजार में रखन का उद्देश्य ह जो इस इविन्यामन का अनपुलन मे नहीं हो सकता ह,ए लाइकन जो जीवक उत्पदन को सदारिनभट करता है,ए या जहा ऐस सक्ष्म परिधाकारी, नियतंर्न 27 क अनसुअर गरै-अनपुआलन क सदंहे क बार मे एक एपर्टर द्वारा स्यूचत इक्या गया ह:ै

(क) यह इस इविन्यामन का अनपुलन की पशुत करण क उद्दशेय स विन्यामन (ईय)ऊ 2017/625 क अनसुअर तुरतं एक अध्यकैरक जचं करगेआ; ऐसी जाचं यथासंभव शिघर, उइचत अविध के भीतर परुई की जाएगी, और उतपद की सथैतव और ममल की जितलता को ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) यह सबंधत उतपदो को जीवक या रपूअतंरन उतपदो का रपू मे बाजार मे लान तथा इब्नद (क) मे नृदशत जचं क पिरानम अन तक जीवक उत्पदन मे उनका उपयोग दो को अनंतम रपु स प्रतिबिन्धत करगे। ऐसा निरन्या लेने स पहले, सक्ष्म परिधाकारी, या, झा उपयकुत् हो, नियतिंर्ण परिधाकारी या नियतिंर्ण निया, दूसरे को इत्पापनि करण का अवसर दगे।

2. यिद अनचुचदे 1 का इबादन (ए) मे सदारिनभत जचं का पिरानाम जीवक या इन-कनवर्जन उत्पदो की अखदंता को पर्भैवत कर्ण वाल इससी भी गैर-अनपुअलन को नहि दर्शन है, तो अपेर्त्र को सबंधत उतपदो का उपयोग करन या उनहे जीवक या इन-कंवर्जन उत्पदो का रपू मे बाजार मे रखन की अनमुति दी जाएगी।

▼:...

3. सदसय राज्यय इस अनुशासन का अध्यायचतुर्थ मे सडंरभट सकंतेओ क चेथधडीपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है तथा उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है।

4।

5. योग ऐस ममलो मे एकसमान व्यवस्था नृदशत करण क लये कार्यान्वयन अधिनम अपना करन ह,य जहा सक्ष्म परिधाकैर्यो को सिंदगध या सथैपत गरै-अनपुलन क संबंधं मे उपाय करना है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 42

▼**सी 5**

अनपुलन न होन की स्थिति मे मेयो पर अतिरकत् नियम

अखण्डता को पराभैवत करना

▼:...

1. उत्पदान, तयारी और वितरण के इस चरण में जीवक या रपूअतनं उतपदो की अखंडता को पर्भैवत कर्ण वाल गैर-अनपुअन की सिथित मे, उदाहरण के लिए अनिधाक्ता उत्पदो, पदारथो याकेनो क उपयोग का पिरानामासस्व्रुप, या गैर-जीवक उत्पदो क साथ ही इमशर्न का, सक्ष्म परिधाकारी, और, झा उपयाकुत हो, अन्यातन परिचायक और अन्यान्यमन (ईए)ओ 2017/625 क अनुछदे 138 क अनसुअर इके जन वाल मायो का एतिरकत यह सिनुश्चित करेगं इक सबंधत परु ल या उत्पदन रन का लैबिलगन और विजन मे जीवक उत्पदन का कोई सादरभ नहीं इदया गया ह।

2. गभनिर, या बार-बार या निरतनर गरै-अनपुलान की स्थिति में, सक्षम परिधाकारी, और, जा उपयकुत् हो, नियतंर परिधाकारी और न्यात्नृण इंकाय, यह सिनुंश्चत करेगं इक सबंधत अपेर्तरो या अपेर्तेरो का समहुओ को, परिराफ 1 मेगाराफ निर्धैरतो उपाय और विशेष रपू स विनिअमन (ईय) 2017/625 क अनछुड़े 138 क अनसुअर घांच गए इससी भी उइचत उपायो का लाभ, एक निश्चत अवधि का लाभ जीवक उत्पदन को संद्रभट कर्ण वाल उत्पदो क विपन्न स परितबिंधत इक्या जात ह,इ और अंछुछदे 35 मे सदरभट उनक परमान पत्र को निलिंबत या वापस ल इलिया जात ह,ै जसैआ उइचत हो।

अनछुछे 43

सचुना का जुड़ाव-पर्दान पर अतिरक्त नियम

1. विन्यामन (ईय)उ 2017/625 क अनुच्छेद 105(1) और अनुच्छेद 106(1) मे निर्धैरत दैत्यवो का अतिरकत, सक्षम प्राधिकारी गर-अन्पुलन का इक्कीस भी सन्दहे पर तरुतं अन्य सक्ष्म परिधकारियो क साथ-साथ आयोग का ज्ञान साझा करेगा, जो जीवक या रपूअन्तरन उतपादो की अखण्डता को प्रभावित करता है।

सक्ष्म परिचालक उस सचुना को अन्य सक्ष्म परिधकारियो और योग के साथ कपंयत्तूर पर्नाली का मध्यम सा साझा करेगा, इसस आयोग द्वार उपलबध को बढ़ावा दिया गया और सक्ष्म परिचालकों को शामिल किया गया।

▼:

2. ऐस ममलो मे जहा अनय नियतंरन परिधाकरणो या नियतंर्ण नकायो क नयत्नर्ण क अतंरगत उत्पदो क संबधं मे सिंदगध या सथैपत गरै-अनपुअलन की पहचान की गई ह,ए नियतंर्ण परिधकरण और नियतंर्ण नकाय तरुतं उन अन्य न्यातनं। परिधकारनो या नियतंरन नकायो को स्यूचत करेगं

3. अन्यातंरण निषेधाज्ञा और नियतंर्ण निषेधाज्ञा और अन्यत्परण निषेधाज्ञा का संयोजन-प्रदान करेगा।

4. सचुना क लए अनिरुद्ध परपत होन पर, जो इस बात की गर्तनि दने की अवशयक्ता स उइचत ह इक उतपाद इस विनियमन का अनसुअर उतपादित इक्या गया ह,ए नियतंर्ण परिधाकारी और अन्यतंर्ण निकाय अन्य सक्ष्म परिधाकैरियो क साथ-साथ आयोग का साथ अपन नियत्रण का पिरनामों पर सचुना का संयोजन-प्रदान करेगा

5।[1]).

6। प्रोजेक्ट के लिए भगवान करण वाली एजेसनी को अपनी अवशक्ताओ का अनसुअर सपनरिश्त की जाए।[2]) और वह अनछुदे का आधार पर अपनाए गए कार्य।

7. इस आयोग अञ्चचछदे क अनसुअर अध्येकारक न्यात्नर्णो और अन्य अध्यकार्यकारक गीतिविधयो क प्राभारी सक्ष्म परिधकारो,न न्यात्नर्ण परिधकारनो और न्यातंर्न इंकायो द्वार प्रदान की जान वाली जानकारी, उस ज्ञान के अंसुअार अध्येकार्ताओ और पर्किरयाओ को। रिदशत करण क लाइए कार्यान्वयन अणिनयमो को अपना कैन ह,ए इस्साक अनसुअर यह ज्ञान प्रदान की जानी ह,ए इस्समे परिग्रह 1 मे सदंरिभत् कपंयतुर इस्सत्तम की कार्यातमकताए भी शैमल है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अध्याय 7

तीसेर दशेओ क साथ व्यापार

अनछुछे 44

जीवक उतपादो का निर्यात्

1. किसी उत्पाद को सघं स जीवक उतपद् को रपू मे निर्यात इक्या जा सकता है और उस पर यारूपीय सघं का जीवक उतपादन लोगो को अन्कत हो सकता है,ए बशारत इक वह इस इविनयमन के तहत जीवक उतपादन के नयमो कापुनलन्त हो।

([1]) युरोपीय संसद और 9 जुलाई 2008 की परिषद् का इविन्यामन (ईसी) साखन्या 765/2008, इसमे उतपादो का विपन्न स सबंधत मान्यता और बाजार इगारानी क िलए आवेशक्ताए निराधैरत की गई है और इविन्यामन (ईईसी) साखन्या 339/93 (ओजे एल 218, 13.8.2008, पृ. 30) को निर्सत् इक्या गया है।

([2]) युरोपीय संसद और 17 इदसंबर 2013 की समाप्ति तिथि (ईवाई)यू सखन्या 1306/2013, समान्य किष नित क वतत्पोषण, प्रबन्धन और इगारानी पर और परिषद् इविन्यामन (ईवाई) की सख्या 1306/2013
साखन्या 352/78, (ईसी) साखन्या 165/94, (ईसी) साखन्या 2799/98, (ईसी) साखन्या 814/2000, (ईसी) साखन्या 1290/2005 और (ईसी) साखन्या 485/2008 (ओजे एल 347, 20.12.2013, पृ. 549).

▼:...

2. आयोग को तीसर दशे मे सीमा शालुक अ धकारयो क िलए अिभपरते द तावजो क संबंधं म इस िवन्यामन क अनपुरूक अंछछदे 54 क अनसुअर पर तयोइजत कत्रययो को अपनान का अ धकार ह,ए वशषे रपु स झा भी सभं हो हो इलकेत्रौनक रपु मे जीवक निर्यात् प्रमाणपत्री करण और यह अश्वासन दने का संबंधं मे इक निर्यात् त जीवक उतपाद इस इविन्यामन का अनपुएलन करत है।

अनछुछे 45

जीवक और रपूअतंरन उत्पदो का अर्थ

1. इक्कीस उत्पद को इक्कीस तीसर दशे स सघं क इनसाइड मार्केट मे जीवक उतपाद क रपु मे या रपूअतनन उतपद क रपु मे रखान क उद्दशेय स श्रेय इक्या जा कैन ह,ए बशारत इक नमानित तीन शरते पुई हो:ं

(क) उतपद अंछुछदे 2(1) मे नृदशत उतपद ह;ै

(ख) नामनिलिखत मे स कोई एक लाघ होता ह:इ

(i) उतपाद इस अनुशासन का अध्याय II, III और IV का अनपुलन करता है, और अनच्छुदे 36 मे सादरभट सभी अपवर्तक और प्रतिपादक समहुओ, इसमे सबंधत तीसर दशे का निर्यातक भीमल है, न अनछुदे 46 क अनसुअर मान्यता प्राप्त परपत न्यात्नर्ण परिधकारनो या न्यात्नर्ण नकायो द्वारा न्यात्यंर्ण का खंड है, और उन परिधाकारनो या इनकायो न ऐस सभी अपार्टेरो, अपार्टेर समहुओ और निर्यात्को को एक प्रमाण पत्र प्रदान करना इक्या ह जो पशुइत करता है इक व इस विनियम का अनपुलन करत है;

(ii) ऐस ममलो मे जहा उतपाद इसी तीसर दशे स अबत ह इसस अनछुदे47 क अनसुअर मनयता प्राप्त ह,ए वह उतपाद पार्सिंगक व्यापार समझौत मे निर्धैरत शरतो का अनपुलन करता ह;ए या

(iii) ऐस ममलो मे जहा उतपाद इसी तीसर दशे स अबत ह इसस अनछुछदे48 क अनसुअर मनयता प्राप्त इक्या जात ह जो उस तीसरे दशे का सक्ष्म परिधकार्यो,न नियतंर्ण परिधाकैरियो या नियतंर्न इंकायो दवारा इक्या गया हो; और

(जी) तीसरे दशेओ मे ऑपरटेर इससी भी समय आयको और सघं तथा उन तीसेर दशेओ मे राष्ट्रिय परिधकारयो को ऐसी जानकारी प्रदान करना करन मे सक्षम है इसस उनक अप्रतिधाकरताओ और उन अप्रतिधकरताओ का न्यातन परिधकारयो या न्यातंरन निषेधाओ की पहचान हो सक,ए तैक सबंधत जीवक या रपूअतंरन उतपाद की पता लगान की कस्मता सिनुशिचत की जा। वह जानकारी निहितको क न्यातंरन परिधाकैरियो या न्यातंरन ंकायो को भी उपलब्ध कराएगी।

2. आयोग अनुच्छेद 24(9) मे निर्धैरत पर्किरया क अनुसार, तीसर दशेओ और सघं क सब्सौर कष्टेरो मे उतपदो और पदारथो का उपयोग क िलए विश्षट परिधाकन पर्दान कर कैन ह,ए इस्समे पधो या बीशो क उत्पदादन मे पयरसिथितक सतलुन, विशेष जलवाय पिरसिथितयो,ं परपंराओ और उन कष्टेरो मे सथानीय पिरसिथितयो मे अतंर को ध्यान मे रखा जाता है।II मे निर्धैरत इद्दधातनो और अनच्छुच्छे24(3) और (6) मे निर्धैरत मनदंदो का अधीनस्थ होगं।

▼:...

3. यह निर्धैरत करण क लीए मनदं पर्दान करत समय इक कयया नो सिथित विषाणकारी पिरसिथितयो क रपू मे योगय ह,इ और अनछुदे 22 क अनसुअर ऐसी पिरसिथितयो स विनपतन क लीए विशेषत नियम नरिधैरत करत समय, कमि थिर दशेओ और सघं क सबस बाहरी क्षत्रो मे पैरसिथितक सतलुन, जलवाय और सथानीय सिथितो मे अतंर को ध्यान मे रक्खेगा।

4. आयोग अनच्छुदे 1 क इबदं (ख) मे नृददशत् प्रमाणपत्रो की विषय-वसत्,उ उनक जारी करण क लाइए अपनाई जान वाली पर्किरया, उनक सत्यपन और प्रमाणपत्री कर्ण क तकनीक साधनो,ं विशेषे रपू सक्षम परिधाकैरयो,ं न्यात्न पूर्ण परिधाकैरयो और नियतंर्ण नकायो की भौमका क सबंधं मे विशिष्ट नियम निर्धैरत करण क लय कार्यान्वयं अधिदिनम अपनेगा, तैक अनचुचदे 1 मे नृदशत् जीवक उत्पदो या इन- कंवर्ज्न उतपदो क रापू मे सघं क बाजार मे राख जन वाल आयतत् उतपादो की पता लगान योगिता और अनपुलन सिनुश्चत इक्या जा सक।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

5. सघं मे अनचुचदे 1 मे उलिखत जीवक उतपदो और इन-कनवर्जन उतपदो का महत्व क िलए शरतो और मयो का अनपुआलन ववइनयमन (ईय)ऊ 2017/625 क एंचुछत 47(1) क अनसुारसीमा नयतंरन चउकयो पर सयूनशचत कया। उस इविन्यामन का अनछुदे 49(2) मे उलिखत भौतक जाचो की अवतृत इस इविन्यामन का अनचुछदे 3 का इबदं (57) मे पिरभैषत गरै-अनपुअलन की सभावना पर नर्भ करगे।

अनछुछे 46

नियतंर्ण निषेधारियो और नियतंर्ण निषेधो की मान्यता

1. आयोग उन नियतंर्ण परैधकरणो और नियतंर्न परायधकरणो को मान्यता देने के लिए वापस आ सकता है ह,ए और मान्यता प्राप्त न्यातंर्ण परिधकारनो और न्यातंर्ण नकायो की एक सचुइ सथैपत कर सकते हैं।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

▼**एम10**

2. अनचुचदे 35(7) मे सचुइबध्द उतपदो की श्रेणियो का महत्व क न्यात्नर्ण क िलए अंछुछेदे 1 क अनसुअर न्यात्नर्ण परैधकारणो और न्यातंरन िनकायो को मान्यता दी जाएगी यिद व नमनलिखत मन्ददनो को परूआ करत है:।

(क) व इक्कीस एक सदसय राज्य या तीसर दशे मे कन्नुई रापू स सथइपत है;न

(ख) उनके पास यह सिनुश्चत करण क िलए नियतंरन करण की कष्मता ह इक अनछुदे 45(1) क इबदं (क), (ख) (i) और (जी) मे और इस अनछुदे मे निर्धृत शरतो को सघं मे अयथता कइले जीवक उतपदो और रपूअतनरन उतपदो क सबंधं मे पुरू इक्या जात ह,ए नियतंरन कार्ययो को सौपं इबना; इस इबादत के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्तिगत अनबुधं या एक औपचारिक ग़ौतौत के तहत काम करना वाल व्यक्तियो द्वारा इके गाए गए न्यातन कार्यो को जो उन्हे प्रबंध न्यातन और अनबुधं न्यात्न अन्धकारयो या न्यातनं न्यातंरन अध्यकैरियो या न्यातनं नकायो की पर्किरायओ क के अंतर्गत रखत है, उन्हें परितिनिधमदंल का रपू में नहीं माना जाएगा, और न्यातंरन कार्यो को सौपन्न का निषेध माणूआकरण पर लग नहीं होगा;

▼**एम10**

(छ) व वसतिनुष्ठा और निष्पक्षता की पर्यापत गर्तनि प्रदान करत है और अपन नियतंरन कार्यो का निश्पादन का संबंधन मे इस्की भी परकार क इहतो का महत्व स मकुत होत है;ं विशेषे रपु स, उनके पास ऐसी पर्किरायए है सिनुशिचत दिस है इक इनायतंरन जो और अन्य कार्य करन वाल कर्मचारी का, इस्की भी परकार का हितो का लाभ स। मकुत हो, और ऑपरटेरो का नरीक्षन एक ही नरीक्षक दवारा कॉन्स्टेंट 3 वर्षो स अघ समय तक न इक्या जाए;

(घ) न्यातंरन नकायो क ममल मे,ं उन्हे इस विनियमन क अनसुअर मनयता क प्रयोजन क इले कवेल एक मान्यता इनकारा 'अनरुपुता मालुयक्कन - उतपदो,ं पर्किरायओ और सवेआओ को पर्मैनत करण वाल नकायो क इलै अवशयकताए'ं क इले पर्सिंगक सामजंसयपरुण क मानक अतंरगत मान्यता दी जात ह,इ इस्सका सडंरभ मे परकेशत इक्या गया ह *यैूरपिये सघं का अध्यकैर्क रोजनामाचा*;

(ई) उनके पास अन्य कार्य करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ, उपकरण और उपकरण हैं। बिनयादि ढाचाना ह,ए तथा पर्यापत सखन्या मे उपयकुत् योगय एवं अनभुवि कर्मचारी है;न

(च) उनके पास इस इविन्यामन और विश्वे रपु स आयोग पर्तययोइजत विनिअमन (इय)ऊ 2021/1698 की अवशक्ताओ क अनसुअर अपन प्रमाणन और नियत्रं गितविधयो को पुरूआ करण की कश्मता और योगयता ह।[1]) पर्तयके तीसरे दशे में पर्तयके परकार का प्रतिनिधि (एकल पर्तकार या प्रतिनिधि का समहू) और पर्तयके तीसरे दशे में इस्साक लाए और मान्यता चाहता है;

(च) उनका पास निष्पक्षता, गनुवत्ता, सिथरता, प्रभावशीलता और उनका दवारा इक्के गए नियतंर्ण और अन्य कार्यो की उपयकुत्ता सिनुश्चित करण कि ले पर्किरयाए और वैवस्थै है;न

(ज) उनक पास पर्यापत योगय और अनभुवी कर्मचारी है तैक नियत्रण और अन्य कररवइया परभावी धगं स और नियत समय में की जा सके;

(i) उनके पास उपयकुट और उइचत रपू स अनरुकिश्त सिउवधाए और उपकरण है ताइक यह सिनुश्चत इक्या जा सक इक कर्मचारी नियतंरन और अन्य कार्य परभावी धगं स और नियत समय मे कर सके;न

(जे)ई उनके पास ऐसी पर्किरायए है इस्सास यह सिनुशिचत हो सक इक उनक करमचैरयो को ऑपरटेरो का पिरसरो और उनका दवारा रख गए दोस्तावजे तक पहुंचें परपत हो, ताइक व अपना करय परुआ कर सके;न

(टी) उनके पास अतंरिक कौशल, परीक्षण और पर्किरायए है जो ऑपरटेरो के साथ-साथ ऑपरटेरो का समहु की अतिनिरक न्यात्नर्ण परनाली, यिद कोई हो, पर निरीक्षण सहत परभावी न्यातंरं करण क इलै उपयकुट है;न

(एल) इसी विशेष तीसरे दशे और/या उतपदो की शर्नेई का लाइए उनकी पछली मान्यता को अनछुदे 2एक का अनसुअर वापस नहीं आया है या उनकी मान्यता को पसंद है भी मान्यता नकाय द्वारा पार्सिंगक अतंरराष्ट्रीय मानक क अनसुअर सथइपत नलबन्न या वापसी क लाइए अपनी पर्किरयाओ क अनसुअर वापस नहीं इलिया गया ह या निलिंबत नहि इक्या गया ह,ए विशे रापू से

---

(1) 13 जुलाई 2021 का परतायोजत विविनयमन (ईय)यू 2021/1698, यरूपिये सदन और पिरषद का इविनयमन (ईय)यू 2018/848 को परूक निर्माण ह,ए इससमे न्यातंरन परिधकारनो और न्यातंरन जिंकाओ की मान्यता का इला पर्किरयातमक अवशक्ताए है जो तीसरे दशे मे परमायनत जीवक अपेर्तरो और अपेर्तरो का समहुओ और जीवक उतपादो पर न्यातंरन करण मे सक्षम है और उनक पर्यायवकेशं और उन न्यात्ंरन परैधकरणो और न्यात्ंरन नकायो द्वारा इके जान वाल न्यात्ं रणो और अन्य कैरवियो पर नियम है (ओजे एल 336, 23.9.2021, पृ. 7)।

▼**एम10**

अतंरराष्ट्रिय मानकीकरण सगंठन (मासओ) मानक 17011 - अनरूपुता मालुयक्कन - मनयता प्राप्त नकायो क इले सामानय अवशयक्तए,ं पछल 24 महिनो क अवधि अनरुपुता मालुयक्कन नकायो को मान्यता देना:

(i) एक ही तीसर दशे और/या उतपदो की एक ही शर्नेई क िलए मान्यता क िलए अनिरुद्ध, इसाय झा पिछली मनयता अनचुछदे 2ए के इबादन (क)के अनसुअर वापस ले ली गई थी;

(ii) प्रत्ययोइजत् विविनयमन (ईय)उ2021/1698 के अनछुए 2 के अनसुअर इस एतिरकत तीसर दशे को मान्यता के तथ्य के विस्तार के लिए उनके अनुरोध, इसक इक इक जहा इपछली मान्यता इस अनछुए के पैराग्राफ 2 ए के इबदां (के)ए के अनसुअर एल ली गई थी;

(iii) प्रत्यययोइजत् विविनयमन (इय)उ2021/1698 क अनछछदे 2 क अनसुअर उतपादो की एक अतिरक्त शृंखला क िलए मान्यता क िवभाग क िवस्तार क िलए उनका अनुरोध;

(एम) नियतंर्ण परिधकारनो क मामल मे,ं व तीसर दशे मे सर्वजिनक परशासिनक सगनथ इस्साक इलै व मान्यता का अनिरुद्ध करत है;न

(एन) व प्रत्यययोजित् विविनयमन (ईय)उ2021/1698 क अध्यायमैं मे निर्धृत पर्किरयातमक अवशयक्ताओ को परूआ करत है;न और

(ओ) वी इक्कीस भी एतिरकत मानदं को परूआ करत है जो अनछुदे7 क अनसुरन मे अपनाए गए परतायोइजात अधिनयम मे निर्धैरत इक्या जा सकता है।

2अ. आयोग की मान्यता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है
किसी विशेष तीसर दशे और/या उतपादो की शरणेई क लीए पराधिकरण या नियतंर्ण नकाय यिद:

(क) अनछुछदे 2 मे निर्धैरत मनयता मानदंदनो मे स एक अब परूआ निह होता ह;ै

(बी) आयोग को पर्तययोइजत् विनिअमन (ईय)उ 2021/1698 क अन्चुछदे 4 मे निरिषत् वारिशक इर्पोर्ट उस अंछुछदे मे नृदशत समय तक सीमा परपत निह हयउ ह या वरिसक इर्पोर्ट मे शिमल अध जानकारीरुई, लनल ह या उस विनियम मे नृधैरत अवशयक्ताओ का अनपुलन निह होता है;

(जी) न्यातंर्न परिधकरण या न्यातं र्ण निकाय अनछुछदे 4 मे निरिदशट टेक्नोलोजी दोइज्यर स सबंधत समसत जानकारी, उसका द्वार लाग न्यातंरन पर्णाली स सबंधत समसत जानकारी, या शैलको या शैलको क समहुओ की अद्यतन सचुई स सबंधत समसत जानकारी या हिं मान्यता क जड़ मे एक वाल जीवक उतपादो स सबंधत समसत ज्ञान उपलबध निह कराता ह या सपंरेशत निह करता है;है

(घ) नियतंर्ण परिधकरण या न्यातंरन निकाय अनचुचदे 4 मे नरिदशत अपन टेक्नोलॉजी दोइजयर मे पिरवरत्न के बार मे 30 कैलेडनर इदनो के इनसाइड योगा को सियचत निह करता ह;ै

(ई) नियतंर्ण परिधकरण या नियतंर्ण निकास आयोग या सदसय राज्य द्वार निर्धैरत् समय सीमा का इनसाइड अनरुओधत जानकारी प्रदान नहीं करता ह, ए या जानकारी अधुरी, गलत ह या इस इविन्यामन मे, न परतायोइजत इविनयमन (ईवाई)यू 2021/1698 मे और पैराग्राफ 8 के अनसुअर अपनाए जान वाल कार्यान्वयन अधिनियम मे निर्धैरत अवशयक्ताओ का अनपुलन नहीं। करता है ह,ए या आयोग के साथ सहयोग नहीं देता ह,ए वशे रपु स गरै-अनपुलन की जचं के दौरान;

▼**एम10**

(च) नियत्रंण परिधाकन या नियतंर्ण निकाय आयोग द्वार शरू की गई मौक पर जाचं या लखे परिक्षा स सहमत नाही ह;ई

(छ) मूक पर की गई जाचं या लकेपरीक्षा क पिराणाम स नियतंरन मयो मे वायवसिथत् मुख्यमंत्री का अंतिम प्रश्न यह है कि आयोग का अंतिम चरण क्या है, इस पर विचार करने के बाद, आयोग को अपने अंतिम कार्य के लिए आवेदन करना होगा।

(ज) नियतंर्ण परिधकरण या नियतंर्ण निकास, सिथित की गभनीरता क अनसुअर आयोग द्वार निषेध समय-सीमा के अंदर, जो 30 कलेडंर इदनो स कम नहीं होगी, गरै-अनपुआलन और उल्लघन्नो के उत्तर मे पर्यापत साधुरातमक उपाय करण मे विफल रहता है;

(i) यिद नो ऑपर्ट्टर अपेन नियतंरन परिधकरण या नियतंर्न न्याय को बदलता है,ए तो अन्यातन परिधाकन या नियतिंर्ण निकाय, प्रतिपादक या नई नियतिं प्रतिपादन या नियतिंर्ण निकाय स सत्थानतंरन क इले अनिरुद्ध प्राप्त होन क बाद अध्याक्तम 30 कलैयदानर इदनो क इनसाइड, अपरत्र क इलिखत इरकोर्ड्डड संहत न्यात्न फरन्हिले क पार्सिंगक तत्त्वो को नए नियत्रंण परिधकरण या नियतंर्ण निश्चय को नहीं बताया गया;

(जे)ए मान्यता का उल्लेख मे एक वाल उपादो की वास्तिवक पर्कित का बार मे उपभोक्ता को गमुराह इके जान का जोखम ह;ई या

(त) नियतंर्ण परिधाकन या नियतंर्ण निकास तीस नरे दशे मे,न इस्साक इलै उस मान्यता परपत ह,इकॉन्स्ट्रेंसी 48 महीनो तक इसके भी ऑपरेटर को परमानेंट नहीं इक्या ह।

▼:...

3. परागराफ 2 क इबदं (डी) मे सदृनभत मनयता कवेल नमनलिखत दवारा पर्दान की जा सकती ह:ै

(के) विनियमन (ई.सी.) साखन्या 765/2008 क अनसुअर सघं मे एक राष्ट्रीय मान्यता या

(ख) सघं क बाह्य एक मान्यता निकास जो अतंरराष्ट्रिय मान्यता मचं क तत्ववधान मे बहपुक्षीय मनयता वैवस्थ का हसताक्षरकर्ता ह।

4. नियत्रंण परिशोधन और नियतंर् निश्चय आयोग को मान्यता प्रदान की जाएगी। है.ं

नियतन परिधाकन सक्षम परिधाकन द्वाररराए नवीनतम मालुयक्कन इपोर्टपोर्ट प्रदान करेगा, एतथा न्यात्नरण नकाय मान्यता जिंकाय द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। नयिमत ऑन-द-सपोट मालुयक्कन, इनगराणी और बहु-उवारिश्क पनुरमल्युयक्कन पर नवीनतम आईपोर्ट भी प्रदान करेगा।

5. अंचच्छदे 4 क अतंरगत उलिखत सचुना तथा नियतंरन परिधकरण या नियतंरन निकाय स सबंधत इक्कीस अन्य ससुगंत सचुना क आधार पर आयोग मान्यता प्राप्त परपत् न्यातंरन परिधकरण और नियतिंर्न परदर्शन और मान्यता की न्यामत समीक्षा कर्क उनका उइचत् पर्यवकेष्ण सिनुश्चत् करगे। उस पर्यवेक्षण के प्रयोजनों के लिए आयोग मान्यता मनायता या सक्ष्म परिधकारयो स,ए जसैया उइचत हो, अतिरकत सचुना का अनिरुद्ध कर सकते हैं।

▼:...

6. अंचछदे 5 मे नृदशत पर्यवकेषण की पर्कित का निर्धरण गैर-अनपुलन की सभनावना क भावना का आधार पर इक्यागे, इसमे विशेष रापू स न्यातन परिधाकरण या नियात्न निक्काय की गितिविध, उसका न्यातं रण मे उतपदो और शीललको का परकार। तथा उत्पदन नियमो और नियतंर्न उपायो मे पूर्वरत्न को ध्यान मे रखा जाएगा।

अनचुचदे 1 मे उलिखत न्यातंरन परैधकरणो या न्यातंरन नकायो की मान्यता विशेष रापू स उस अनचुछदे मे उलिखत पर्किरया क अनसुअर इबाना इस्की दरेई क वापस लेगे, झा परमानन या अनछुड्डे 8 क अनसुअर निर्धैरत न्यात्न और कररवै क सबंधं मे गभनिर या बार-बार उल्लघन्न का पता चला ह और झा सबंधत न्यातंरन परिधाकन या न्यातंरन नकाय आयोग द्वारा निर्धैरत अविध के भीतर आयोग का अनिरुद्ध पर प्रतिकिरया मे उइचत और समय पर उपचारात्मक काररवाई कर्ण मे विफल रहा ह। गभनिरता का अनसुअर निर्धैरत की जाएगी और सामान पर 30 इदनो स कम नहीं होगी।

7. आयोग को अनछुड़े 54 क अनसुअर पर्तययोइजत् कतृयो को अन्न का अधिकार ह:ए

(क) इस अनछुदे का पैराग्राफ 1 मे नृदशत् न्यातंरन परैधकैरियो और न्यातंरन नकायो की मान्यता और ऐसी मान्यता को वापस लेन की लाई इसमे निर्धैरत मन्दानदो मे अतिरकत मनददं जोडकर इस अनचुचदे का परागाफ 2 को सशनोइधत करना, या उन जोद गेद मनददनो को सशनोइधत करना;

(ख) इस अनुशासन को नामनिलिखित क सबंधं मे अनपूरत करना:

(i) अनछुछे1 क अनसु ार आयोग दवारा मनयता प्राप्त परपत नयतंरन परिधकारयो और नयतंरन नकायओ क पर्यवके शन का प्रयोग, इसमे मौक पर जचं भी शाइमल ह;ै और

(ii) उं नियतंर्ण परिधाकैरियो और न्यातंरन इंकारो दवारा इके जान वाल नियतंर्ण और अनय कार्यवैह्य।

8. आयोग सिंदगध या सथैपत गरै-अनपुलन क मामलो क सबंधं मे इके जन वाल मयो क अवदेन को स्यूंशिचत करण क इले कार्यान्वयन अधिनयमो को अपना कैन ह,ए विशशे रपु स इस अनछुदे मे परदान की गई मान्यता क अंडर अहित जीवक या इन- कँव्रज्न उतपदो की अखण्डता को परभैवत कर्ण वल ममलो मे। ऐस मायो मे विशेष रपू स सघं के अंदर बाजार मे उतपदो को राखन स पहल जीवक या इन-कनव्रज्न उतपदो की अखड़ंता का सत्यपन और, जहां उपयकुत हो, सघन के भीतर ऐस उतपदो को जीवक उतपदो या इन-कन्वर्जन उत्पदो के रापू मे बाजार मे रखन के लिय पराधिकरण को निलम्बित करना शाईमल हो सकता है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

9. अनिच्छत पार्थो या पार्थो स सबंधत तत्कालकता क उइचत रपु स उइचत अनिवारय आधारो पर, जो जीवक उत्पदा, उपभोक्ताओ क वश्ववास क सुरुक्षा या अपरतेरो क बीच इंस्पक्ष प्रितसप्रधा की सरुक्ष क िसद्धातनो और न्यामो क साथ ही असगंत है, योग इस अनचुचडे का पैराग्राफ 8 मे सडंरभट मेयो को लेन या इस अनचचडे का पैराग्रफ 1 मे सडंरभट न्यात्न अंधकैरयो और न्यातन नकायओ की मान्यता को वापस लेन पर नरनया लेन का 55(3) मे न्रिदशट पर्किरया क अनसुअर तरुतं लग होन वाल कार्यान्वयन कतरयो को अपनाएगा।

▼:...

अनछुछे 47

व्यापार समझौत के अंतर्गत समोलुयता

अनछुदे 45(1) क इबादन (बी)(ii) मे सदृभत् मनयता प्राप्त तृतीय दशे एक तृतीय दशे ह इसस सघं न व्यापार समझौत के अंतर्गत एक उत्पदन परनाली का रपू मे मान्यता दी ह जो सघं क नयमो क अनसुअर अनरुपुता क अश्वासन क समान सत्र को स्यूंशिचत करण वल न्यामो को लाग कर्क समान उद्दशेयो और इद्दधातनों को पूरआ देता है।

अनछुछे 48

इविनयमन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अतंरगत समल्युयता

1. अनछुदे 45(1) क इबादन (बी)(iii) मे सदृभत् मनयता प्राप्त तृतीय दशे एक तिहाई दशे ह इस इविन्यामन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अनच्छुदे 33(2) क अंतर्गत समलौयता क प्रयोजनो का इए मान्यता दी गई ह, ए इससमे इस इविन्यामन का अन्चुछदे 58 मे परदान एके गाए गए सकर्मणकालिक उपाय क अंतर्गत मान्यता प्राप्त दशे भी शाइमल है ॐ

वह मान्यता समापत हो जाएगी►**एम3** 31 दिसंबर 2026◄.

2. अनचुचदे 1 मे उलिखत तीसरे दशेओ द्वारा उनक द्वारा सथैप्त मेयो का कार्यान और पर्वतारोहण के संबंध मे परत्यके वर्ष 31 मार्च तक आयोग को भजेई जान वाली वरिषक इपोर्ट्पोर्ट के आधार पर, और प्राप्त इसके अलावा अन्य सचुना के आलोक मे,न आयोग मान्यता प्राप्त तीसर दशेओ की मान्यता की न्यूनतम समीक्षा करक उनका उइचत् पर्यवकेष्ण सिनुश्चत् करगे। इस उद्दशेय के इलाए, आयोग सदसय राज्ययो की सहायता का अनिरुद्ध कर सकता है। द्वार की गई इंगारानी और पर्यवकेशी गितिविदयो का पिरानाम और पिछल न्यातंरनो का पिराणाम शैमल होगं। योगे अपनी समीक्षा का पिराणामो पर नियिमत रापू स यरूपिया संसद और पिरशाद को एयरपोर्ट करगे।

3. योग एक कार्यान्वयन अधिनयम क मध्यम स अंच्छुच्छे 1 मे सदुंरिभत् तीसर दशेओ की एक सचुइ सथैपत करगेआ और कार्यान्वयन अधिनयम क मध्यम स उस सचुइ मे ससंशोधन कर सकता है।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

4. आयोग को इस अनछुए का लाभ 3 क अनसुअर सचुइबध्द तीसर दशेओ दवारा भजे जान वाली सच्चून क सबंधन मे इस इविन्यामन का अनपुरूक अनछुड़े 54 क अनसुअर प्रत्ययओइजत कार्य अपनयन का अध्याकार ह,ए जो आयोग दशेओ द्वारा मानयता का पर्यायवकेशन क िलाए आश्वासन ह,ऐ साथ ही आयोग द्वारा उस पर्यावरण का प्रयोग भी आश्वासन ह,ऐ इसमे मौका पर जाचं भीमलाल ह।

5. आयोग सिंदगध या सथैपत गरै-अन्पुलन क मामलो क संबंधं मे मेयो क अनपुरयोग को स्यूंशिचत करण क लाइए कार्यान्वयन अधिन्यामो को अपना कैन ह,ए वशे रपू स इस अनछच्छदे मे सदृभत तिहार दशेओ स अयितत जीवक या इन-कनवर्जन उतपदो की अखण्डता को पर्भैवत कर्ण वल मामलो मे। ऐस उपायो मे विशेष रापू स सघं के अंदर बाजार मे उतपदो को राखन स पहला जीवक या इन-कनव्रज्न उतपदो की अखदंता का सत्यपन और, जहां उपयक्ुत हो, सघन के अंदर ऐस उतपदो को जीवक उतपदो या इन- कंवर्जन उतपादो के रापू मे बाजार मे रखन के लिए खरीददारी को निलम्बित करना शाईमल हो सकता है।

▼:...

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

अनछुछे 49

अनछुए 47 और 47 क अनपुरयोग पर आयोग का रिपोर्ट
48

दवरा►**एम3** 31 दिसंबर 2022◄ को, आयोग यरूपिये संसद और परिषद् को अनछुछदे 47 और 48 का अवदेन की स्थिति पर एक रिपोर्ट परसतत्तु करगेआ, विशेष रपू स लाभ क उद्दशेय क इलै तीसरे दशेओ की मान्यता का सबंध मे।

अध्याय आठ

सामानय परिवहन

खडं 1

जीवक और इन-कन्वर्जन उतपादो की मकुत अवतरण

अनछुछे 50

जीवक उत्पदो का विपन्न पर प्रतिबन्ध न लगना और न ही उस पर रोक लगना और रपूअतनरान उतपाद

सक्ष्म परिधकारी, नियतंर्ण परिधार्मिक और नियतंर्ण निकाय, उत्पदो का उत्पदान, लाबेइलगं या पर्सतिउत स सबंधत आधारो पर, इक्की अन्य सक्ष्म परिधाकारी, इकि अन्य सक्ष्म प्रतिदिकारी या इक्की अन्य सदसय राजय मे सिथत् न्यात्नृण इंकाय। द्वार न्यातनमृत जीवक या रपूअतनं उतपदो क विपन्न को प्रतिबिन्धत या प्रतिबिन्धत नहि करेगं,ए जहां व उतपद इस इविनियमन का अनपुलन करत है। विशेष रपु स,ए विनियमन (ईय)ओ 2017/625 क अंडर इन लो क बाय नो एडकैरक नियतंर्ण और अन्य अध्येकारक गीतिविधया नहीं की जाएगी और उस इविनियमन का अध्यायVI मे दिदे गए अध्यकैरक नियतंर्ण और अन्य अध्यकैरक गीतिविद्यो के अलावा कोई शलुक नहीं इलिया होगा।

अनभुअग 2

सचुना, इरोपोरिटगं और सबंधत जोड़ियाँ

अनछुछे 51

जीवक क्षेत्र और व्यापार स सबंधत जानकारी

1. पर्तयके वर्ष सदसय राज्य आयोग को इस अनुशासन का कार्यान्वयन और अनपुरयोग की योजना बनानी चाहिए, जहां तक सभनवित हो, ऐसी जानकारी प्रदान की जाएगी। आयोग दतिया की जर्रूतो और सभनैवत दतेया सरोतो के बीच तालमले को ध्यान में रखा जाएगा, विशेष रपू स साखनिकीय उद्दशेयो क इले उनके प्रयोग को ध्यान में रखा जाएगा उपयाकुत हो।

2. आयोग अनुच्छेद 1 मे नृशदशत सचुना प्रीष्ट कर्ण क लाईए प्रियकुत की जान वाली पर्णाली, प्रिश्शत की जन वली सचूना का ब्यौरा तथा वह दिनांक इस्साक द्वार वह सच्चुना पृष्टत की जानी ह, ऐ का सबंधं मे कार्यान्वयनकारी अधिन्याम अपनाएगा।

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

▼:...

अनछुछे 52

सक्ष्म परिधाकैरियो,ं नियतंर्न स सबंधत जानकारी परिक्षण और निर्णय निर्णय

1. सदसय राजय ननमनिलखत् की सचुइ नयिमत रपु स अदयतन राखगं:के

(क) सक्ष्म परिधाकैरियो क नाम और पत;ए और

(ख) नियतंर्ण परिधाकैरियो और अन्यतंण निकयो क नाम, पत् और कोड सखन्या।

सदसय राजय उन सिचुय्यो और उनमें से एक भी पहले रत्न को आयोग को प्रदान करेगा और उन्हें सर्वजिनक करेगा, इस तरह इसक इक ऐसा पर्सरण और प्रकाशण विनियमन (ईवाई)यू 2017/625 क अनुछड़े 4(4) क अनसुअर पहल ही हो चकुआ ह।

2. अनचुचदे 1 क अतंरगट दी गई जानकारी का आधार पर, आयोग अनचच्छदे 1 क इबदं (बी) मे सदृशभत न्यात्न परैधकारनो और न्यातंरन इंकायो की अदयतन सचुई न्याइमत रपू स इतरंते पर प्रकाश करगे।

अनछुछे 53

सब्वाल, पराधिकरण और आयात

1. अनबुद्धंII क भाग I क इबादन1.8.5 और अनबुधंII क भाग II क इबादन1.3.4.3 और 1.3.4.4 मे दिदे गाइ जीवक पौधो की प्रयोजन सामग्री का उपयोग और जीवक पौधो का उपयोग स छतु, अनबुधंII क भाग II क इबादन1.3.4.4.2 का अपवाद के साथ, इदनाक 15 जनवरी 2014 को समाप्त हो जाएगा।►**एम3** 31 दिसंबर 2036◄.

2. स►ेएम3 1 जनवरी 2029◄, इस अनछुदे का पैराग्राफ7 मे पर्दान की गई आयपोर्ट मे परसत्तु जीवक पौधो की परजनन सामग्री और जानवरों की उपलब्धा का संबंधन मे निश्क्रशो का आधार पर, आयोग को इस इविनियमन को सशनोइधत कर्ण वाल अनछुछडे 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कतृयो को अपनान का अधिकार हो:

(क) अनबुधंII क भाग I क इबादन1.8.5 और अनबुधंII क भाग II क इबादन1.3.4.3 और 1.3.4.4 मे सदृन्भत् असाधारणो को, अनबुधंII क भाग II क इबादन1.3.4.4.2 क अपवाद क साथ, पुरुव इथित स समापत करना।►**एम3** 31 दिसंबर 2036◄ या उन्हे उस इतिथ स आग गड़ाना; या

(ख) अनलुगंकII क भाग II क इबादन1.3.4.4.2 मे निरिदशत अपवाद को समापत करना।

3. स►ेएम3 1 जनवरी 2027◄, आयोग को अनछुए26(2) के इबादन (बी) मे सशनोधन कर्ण क िलए अंछुछदे 54 क् अनसुअर प्रत्यायोइजत कत्रयो को अपनान का अधिकार होगा, ताइक अंछुछदे 26(2) मे सदुंरिभत सचूना पर्णाली क महा को मृगयो तक सयाया जा सक और अनलुगंकII क भाग II क इबादन1.3.4.3 क अनसुअर मरुगयो स सबंधत असाधारणो को इस पर्णाली का अनसुअर एकतर इके गाए गए दतेया पर हभितरत इक्या जा सक।

▼ : ...

4. स► े **एम3** 1 जनवरी 2026◄ एस, ई आयोग को इस अनछुदे का पैराग्राफ6 क अनसु सदारसय राज्यो दवारा उपलबध किया गया या इस अनचुचदे क पैरागराफ 7 मे सदारभट इपोर्टो मे परसत्तु की गेग मरुगी और साउर क बेस्टो क लाइए जीवक प्रोटीन फीड की उपलब्धता क सबंधन मे जानकारी का आधार पर अनछछडे 54 क अनसुअर प्रत्ययोइजत् कतृयो को अन्नन का अधिकार होगा, इसस अनबुधंII क भाग II क इबादन1.9.3.1(सी) और 1.9.4.2(ग) मे सन्दरीभट मरुगी और साउर का जानवरो का पोषण मे गेराई-जीवक प्रोटीन फीड का उपयोग करन क परिधाचन को प्रथम की तिथि स समापत कर इदया।► **एम3** 31 दिसंबर 2026◄तक ि याई
ा इी ़

5. अनचुचदे 2, 3 और 4 में उलिखत असाधारणो या परिधकारनो का वासतार करत समय आयोग ऐसा समय तक करगे जब तक उसका पास सचुना ह,ए विशेषे रपू स अनचुचदे 6 क अनसुअर सदसय राजयो दव्रा परदान की गई सचूना, जो सबंधत पादप परजनन सामग्री , पश या चार की सघंयि बाजार मे अनपुलबधता की पुषुत होती है

6. पर्तयके वर्ष 30 जनु तक, सदसय राज्य आयोग और अन्य सदसय राज्ययो को नमानलिखत उपलब्ध नामांकित:ए

(के) अनछुए 26(1) मे नृदशट डाटाबेस मे तथा अनछूडे 26(2) मे नृदशट पर्नैलियो मे तथा, यदि पर्सिंगक हो, तो अनछुदे 26(3) मे निरिद्शट्ट पर्नैलो में पर्दान की गयी जानकारी;

(ख) खडं 1 क अनसुअर दी गई छतुओ की जानकारी अनलुगांकII क भाग I क इबादन1.8.5 तथा अनुलग्नकII क भाग II क इबादन1.3.4.3 और 1.3.4.4; तथा

(जी) पोल्ट्री और पोरिसन पशौ के लाइए जीवक प्रोटीन फीड की सघंय बाजार में उपलब्धा और अनलुगंकII क भाग II क इबादन1.9.3.1 (जी) और 1.9.4.2 (जी) के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।

7. दवारा► **एम3** 31 दिसंबर 2026◄, आयोग यरूपिये संसद और परिषद् को सघं क बाजार में उपलब्धता और, यिद पर्सिंगक हो, तो सीमात पहुंच का कारण एक आयात परसत्तु करगे:

(के) जीवक पौध उपचार सामग्री;

(ख) उपबधनो मे नृदशत असाधारणो का अतंरगत अं वाल जीवक पशु अनलुगांकद्वितीय क भाग द्वितीय क1.3.4.3 और 1.3.4.4;

(छ) पोल्ट्री और पोरिसन पशौ क पोषण क िलए अभपर्ते जीवक प्रोटीन आहार, जो अनलुगांकII क भाग II क इबादन1.9.3.1(जी) और 1.9.4.2(जी) मे निरिदशत परिधकारनो का स्वामित्व है।

इर्पोर्ट्त्यार करत समय आयोग, विशेष रपू स अनचुचदे 26 क अनुसुअर एकतिरत आकंडो और इस अनन चुचदे का परिया 6 मे नृदशत अपवादो और परैधकरणो स सबंधत सचुना को ध्यान मे रखा जाएगा।

▼:...

अध्याय 9

पर्किरायतमक, सकर्मणकाल और अनंतम परावधान

खडं 1

पर्किरयातमक परावधान

अनछुछे 54

प्रतिनिधमांडल का अभयास

1. परतायोइजत कतृयो को अपान की शक्ति आयोग को इस अनछुदे मे निर्धृत शरतो का अधीनस्थ प्रदान किया गया है।

2. ► **सी1** अनछुछे2 मे नृदशत पर्तययोइजत् कत्रयो को अपनान की शकित (6), अनछुए 9(11), अनछुए 10(5), अनछुए 12(2), अनछुए 13(3), अनछुड़े 14 (2), अनछूड़े 15(2), अनछूड़े 16(2), अनछूड़े 17(2), अनछूड़े 18(2), अनछूड़े 19 (2), अनछुए 21(1), अनछुए 22(1), अनछुए 23(2), अनछुए 24(6), अनछुए 30 (7), अनछूड़े 32(4), अनछूड़े 33(6), अनछूड़े 34(8), अनछूड़े 35(9), अनछूड़े 36 (3), अनछुड़े 38(8), अनछुड़े 40(11), अनछुड़े 44(2), अनछुड़े 46(7), अनछुड़े 48(4), अनछुड़े 53(2), (3) और (4), अनछुड़े 57 (3) और अनछुदे 58 (2) 17 जनू 2018 स पांच वर्ष की अवधि के लिए आयोग को परदान एके जाएगा◄ आयोग पाचं वर्ष की अवधि समापत होन स नौ महीन पहल शकित क परताययोजना क सबंधं मे एक इपोर्ट तयार करगे। शकित का प्रत्यययोजना को सम अविध की अविध का िलए मोन रपू स ादया जाएगा, जब तक इक यरूपी ससंद या िपरषद ितयके अविध का अतं स तीन महीन पहले इस तरह का िवसतार का िवरोध न कर।

3. अनछुए 2(6), अनछुए 9(11), अनछुए 10(5), अनछुए 12(2), अनछुए 13(3), अनछुए 14(2), अनछुए 15(2), अनछुए 16(2), अनचुछदे 17(2), अनचुछदे 18(2), अनचुछदे 19(2), अनचुछदे 21(1), अनछूड़े 22(1), अनछूड़े 23(2), अनछूड़े 24(6), अनछूड़े 30(7), अनछूड़े 32(4), अनछूड़े 33(6), अनछूड़े 34(8), अनछूड़े 35(9), अनछूड़े 36(3), अनछूड़े 38(8), अनछुड़े 40(11), अनछुड़े 44(2), अनछुड़े 46(7), अनछुड़े 48(4), अनछुड़े 53(2), (3) और (4), अनछुड़े 57(3) और अनछुड़े 58(2) मे नृदशत शकित का परितिनिधमदंल इससी भी समय यरूपिये सासंद या पिरषद द्वार ददद इक्या जा सकता है। यह नारायण का दर्शन का अगल इदान स परभावी होगा।*यरूपिये सघं का ऐधकैरक रोजनामाचा*या फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति इसके बाद की तारीख पर। यह पहला स लग इससी भी परतायोइजत् अधिनिनम की वधिता को पर्भैवत नहि करगे।

4. इक्कीस प्रत्ययोइजत् अधिदिनम को अपनान स पहल, आयोग बहेतर कानून-निर्माण पर 13 अप्रैल 2016 क अतंर-संसथागत समझौत मे निर्धैरत सिध्धातनो क अनसुअर पर्तयके सदसय राजय द्वारा नैमत वषषेञ्चो स परमर्ष करगेआ.

5. जसाई ही आयोग इससी पर्तययोइजत् अधिदिनम को अपनाता ह,इ उस यरूपी सदन और पिरषद को एक साथ अधिसूचत करना होगा।

▼:...

6. अनछुड़े 2(6), अनछुए 9(11), अनछुड़े 10(5), अनछुए 12(2), अनछुए 13(3), अनछुए 14(2), अनछुए 15(2), अनछुए 16(2), अनचुछदे 17(2), अनचुछदे 18(2), अनचुछदे 19(2), अनचुछदे 21(1), अनछूड़े 22(1), अनछूड़े 23(2), अनछूड़े 24(6), अनछूड़े 30(7), अनछूड़े 32(4), अनछूड़े 33(6), अनछूड़े 34(8), अनछूड़े 35(9), अनछूड़े 36(3), अनछूड़े 38(8), अनछुड़े 40(11), अनछुड़े 44(2), अनछुड़े 46(7), अनछुड़े 48(4), अनछुड़े 53(2), (3) और (4), अनछुड़े 57(3) और अनछुड़े 58(2) क अनसुअर साम्य गया पर्तययोजित् अधिदिनम सम लाग होगा जब यरूपिये सदन या युरोपीय संसद द्वारा कोई अप्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकता। यरूपिये सदन और पिरषद को उस अधिनयम की अद्धसचूना के दो माहिन की अवधि के भीतर इस पर विचार करना होगा या उस अविधि की समापित स पहले यारूपीय संसद और परषद को न आयोग को सिक्ख कर इदया ह इक व अपितत नहीं करेगा। युरोपीय संसद या पिरषद की पहली पर उस अवधि को दो माहीं का लाइए दोस्ती इदया।

अनछुछे 55

सिमित की पर्किरिया

1. आयोग को 'जीवक उत्पदन प्रदान' कहा जाता है। यह सिमित विविनयमन (ईय)उ साखन्या 182/2011 क अर्थ मे एक सिमित होगी।

2. जहां इस पैराग्राफ का सदारभ इदया गया ह,ै विनिअमन (ईय)उ साखन्या 182/2011 का अनचुचदे 5 लाग होगा।

3. जहां इस पैराग्राफ का सदारभ इदया गया ह,ै विविनयमन (ईय)उ सखान्या 182/2011 का अनचुचदे 8, इसक अनचुचदे 5 क साथ सयोनोजन मे लाग होगा।

4. झा सिमित कोई राय नहीं दती ह,ए आयोग ड्राफ्ट कार्यान्वयन अधिनियम को नहीं अपनाएगा और इविनियमन (ईय)उ सख्या 182/2011 के अनुछदे 5(4) का तीसरा उप-अनुछदे लाग होगा।

अनभुअग 2

निर्सन तथा सकर्मण्कालिक एव अनंतम प्रवर्तन

अनछुछे 56

रद्द करना

इविनयमन (ई.सी.) साखन्या 834/2007 निरसत् इक्या जाता है।

हलांक, यह इविन्यामन तीसरे दशेओ स लिंबत अवदेनो की जचं परुई करण क उद्दशेय स लग रहगे, जसैया इक इस इविन्यामन का अनछुदे 58 मे परावधान इक्या गया ह।

निर्सत् विविनयमन क सदारभो को इस विनियमन क सदारभो क रपु मे समझा जाएगा।

▼:...

अनछुछे 57

इविनयमन (ईसी) साखन्या क अनच्छुदे 33(3) कअंतर्गत मान्यता प्राप्त न्यातंर्ण परिधकारनो और न्यातंर्ण इंकारो स सबंधत सकर्मणकालीन उपाय 834/2007

1. विनियमन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अनुछदे 33(3) के अंतर्गत दी गई न्यात्नर्ण परिधकारनो और न्यातंर्ण कायदो की मान्यता समापत हो जाएगी ► **एम3** 31 दिसंबर 2024◄ तक।

2. आयोग कार्यान्वयन अधिनयम क मध्यम स विविनयमन (ई.सी.) साखन्या 834/2007 क अनुच्छेद 33(3) क अतंरगत् मनयता प्राप्त न्यातंरन परैधकारनो और नियतंर्ण नकायो की एक सचुइ सथैपत करगेआ, और कार्यान्वयन अधिन्यामो क मध्यम स उस सचुइ मे ससंोधन कर सकते हैं

उन कार्यान्वयनकारी कतृय्यो को अनछुदे 55(2) मे नृदशत परीक्षण पर्किरया क अनसुअर बचेगा।

3. आयोग को इस इविन्यामन का अनुपूरक अनुछदे 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कार्य अपनान का अध्यकर ह,ए जहां तक इस अनुछदे का परिया 2 मे नृदशत् न्यात्न परैधकैरियो और न्यातंरन नकायो द्वार भजे जानवाली सचूना का संबंधन ह,ए जो आयोग दवारा उनकी मान्यता के पर्यावरण के प्रयोग से भी बचाव ह,ऐ साथ ही आयोग द्वारा उस पर्यावरण के प्रयोग से भी बचाव ह,ऐ इसमे मौक पर जाचं भी शैमल ह।

अनछुछे 58

तीसेर दशेओ स प्राप्तत् अवदेनो स सबंधत् सकर्मणकाल उपाय
इविनयमन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अनुछदे 33(2) क अतंरगत परसत्तु इक्या गया

1. आयोग तीसर दशेओ स प्राप्त अवादेनो की जाचं परुई करगेआ जो विनिअमन (ईसी) सख्या 834/2007 क अनुछदे 33(2) का अतंर्गत परसत्तु एके गए हैं और जो 17 जनू 2018 को लिंबत है। लाग होगा।

2. आयोग को इस विनियमन के अनपुरुक अनछुदे 54 क अनसुअर पर्तययोइजत कतृय्यो कोइनान का अधिकार ह,ए इसस अतंरगत् वह इस अनचुच्दे का पैराग्राफ 1 मे सदारभट अवदेनो की जचं क िलए अवशयक पर्किरयातमक न्याम निर्धैरत करगेआ, इसमे तीसर दशेओ दवारा परसत्तु की जान वाली सचुना भी शैमल ह।

अनछुछे 59

नियतंर्ण की प्रथम मान्यता स सबंधत सकर्मणकालीन उपाय परिक्षण और निर्णय निर्णय

अंचच्छदे 61 क दसूर परिघ्रफ मे उलिखत अवादेन की इथित स छत्तु क रापू मे,ं अंचछदे 46 17 जनु 2018 स लाग हो, जहां तक न्यातंरन परैधकैरियो और न्यातंरं नकायो की समय पर मान्यता प्रदान करन क िलए अवकाश हो।

▼: ...

अनछुछे 60

उपैदत जीवक उतपदो क सटोक क लए सकर्मणकालीन उपाय इविनियमन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अनुसर

इविनयमन (ईसी) साखन्या 834/2007 क अनसुअर उतपइदत उतपद►**एम3** 1 जनवरी 2022◄ को उस तारीख के बाद बाजार में रखा जा सकता है जब तक इक सटोक समापत न हो हो जाए।

अनछुछे 61

लगना और लगना

यह इविनयमन इसक पर्कशन क तीसर इदन स लाग होगा।*यूरपिये सघं का ऐधकैर्क रोजनामाचा.*

▼**एम3**

यह 1 जनवरी 2022 को लग जाएगा।

▼: ...

यह विनियमन समपूर्न रपु स बधायकारी होगा तथा सभी सदसय राज्यो पर प्रत्ययक्ष रपु स लग होगा।

▼:...

अनलुगांकमैं

अनचुचदे 2(1) मे उलिलिखत अन्य उत्पद

— भोजन या चार का रपू मे उपयोग इक्या जान वाला यिसट,

- मते, सवितकोर्न, बले का पतत्,ए ताड़ का पतत्,ए हॉप शतुस, और पौधो का अन्य समान खादय भाग और उनस उतपइदत उत्पद,

— समदुरी नमक और भोजन तथा चार किला अन्य लवण,

- रीलगं कइले उपयकुट रशेमकित कोकनू,

— पराकृतक गोदं और रिजन,

— मोम,

- ईथर क थक गया,

— पराकिरतक कॉर्क क कॉर्क सतोपरस, एकतिरत नहि, और इबना इस बधन्न पदारथ क,ए

— कप, कार्डे या कघनी नही,

— ऊन, जो कघना या कघना न इक्या हौ हो,

- कच्ची खाल और अनपुचरित काली,

— पूधो पर हभिरत परपनिरक हरबल तैयरया।

▼: ...

अनलुगांकद्वितीय

अध्यायतृतीय मे उलिलिखत वसत्तः उत्पदन नियम

भागमैं: सयन्तंर उत्पदं नियम

अनुच्छेद 9 स 12 मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का अतिरक्त, इस भाग मे निर्धैरत नियम जीवक पौध उत्पदन पर लग होगं।

1. सामानय अभिवचन

1.1. जीवक लाभे, उन फलों को छोड़कर जो पराकिर्तक रपू स जल मे उगाई जाती है, उन्हें जीवित मद्र मे, या जीवक उत्पदन में अनमुत सामग्री और उतपादो के साथ इमशिरत या निशिचत् जीवित मद्र मे, उप-मदिरा और आधार-शलाई क सबंधं मे उतपइदत इक्या होगा।

1.2. हाइड्रोपोइनक उत्पादन, जो एक ऐस पौधो को ओगन की विधि है जो पराकिरतक रपू स पानी मे नहीं उगता है, और उनके जड़ते कवेल पोषक नासा में या इसी नशीले पदार्थ मध्यम में होता है इजासमे मिश्र धातु इमलाया जाता है ह,ए निषध्द ह।

▼**एम7**

1.3. इब्नद 1.1 स छोटू का रपू मे, नामनिलिखित की अनमुति दी जाएगी:

(क) अकांउरत बीजो का उत्पदन, इस्मे अकांरु, तहिनया और करसे शैमल है, जो कवेल बीजो मे उपलब्ध पोषक तत्वो पर निर्भ्र राहत है, उन्हें साफ पानी में नाम कर्क, एक बीज जीवक। विनाशक्रिय मध्यमं क घटको को अनचुचदे 24 का अनपुअन मे अिधकतृ िकया जाता ह;ै

(ख) इसरो को नुकसान पहुंचाना, इसमे उन्हे साफ पानी में डुबाना भी शामिल है,ऐ बशारत इक पौध की परजनन सामग्री जीवक हो।
इनमें से बहुत से माध्यमों के उपयोग की अनमुति कवेल तब दी जाएगी जब उसके घटकों को अनछुए 24 का अनपुलन में अध्याक्तरी इक्या गया हो।

▼: ...

1.4. इब्नद 1.1 स छोटू का रपू मे, नामनिलिखत पार्थाओ की अनमुति दी जाएगी:

(क) सजावटी पौधो और जडी-बूटयो के उत्पडन के लिए गमलो में पौध ओगाना, इणहे गमलो के साथ अंतम उपभोक्ता को बचा जाना;

(ख) आग का प्रत्यारोपण किला कटन्नरो मे पौध ओना या मोटापा करना।

1.5. इबादत 1.1 एस छतु का रपू मे,न इफनालादं, सविदान और डेनमार्क मे 28 जनवरी 2017 स पहले जीवक का रपू मे परमानेंट की गई सतहो का इले ही सीमान्त कायरयो मे फल ओबन की अनमुति दी जाएगी। उन सतहो के विस्तार की अनमुति नहीं दी जाएगी।

यह छुट्टु समापत हो जाएगा►**एम3** 31 दिसंबर 2031◄.

दवरा►**एम3** 31 दिसंबर 2026◄को, आयोग जीवक किरश मे सीमांकत कायरयो क उपयोग पर यरूपी सासंद और पिरषद को एक रिपोर्ट परसत्तु करगेआ। उस इपोर्ट के साथ, जहां उपयकुट हो, जीवक किरश मे सीमांकत कायरयो का उपयोग पर एक वैधी परस्ताव भी पर्सत्तु इक्या जा सकता है।

▼:...

1.6. उपयोग की जान वाली सभी पौध उत्पादन तकनीक, पर्यावरण के संरक्षण में इसके भी योगदान को रोकेगी या नयनुतम करेगी।

1.7. परिवर्तन

1.7.1. पौधो और पौधो के उत्पदो को जीवक उतपद मन जान का लाइए, इस इविन्यामन मे निर्धैरत उतपादन नयमो को बवुई स कम स कम दो वर्ष फल की रिपूतांरान अवधि पारसल के संबंधं मे लाग इक्यागे, या, चरागाह या स्थिरता चार का मामला मे ,अं जीवक चार क रपू मे उपयोग करण स कम स कम दो वर्ष पहले की अवधि के दौरान, या, चार क के अलावा अन्य बीमा फसलो के मामले मे, दो वर्ष पहले की पहली कटाई स कम स कम तीन वर्ष पहले की अवधि के दौरान।

1.7.2. जहां भीम या उसका एक या अधक तकुद ऐस उत्पदो या पदार्थो स सदंयुषत हो गया है जो जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अध्यक्तरी नहीं है, वहा सक्ष्म परैधाकारी सबंधत भौम या तकुदो के लिए रिपूअतनरान अविध को इबादत 1.7.1 मे निरिदशत अविध स आग मंदिर का न्यारा ल हो सकता है

1.7.3. जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अध्याक्तातृ न कए गए इक्कीस उत्पाद या पदारथ के साथ उपचार का ममल मे, सक्षम परिधकारी को इबादत 1.7.1 के अनुसर एक नई रपूतांरन अवधि की अवशक्ता होगी।

नामनिलिखत दो मामलो मे यह अवधि कम की जा सकती है:ए

(क) इक्कीस ऐस उत्पाद या पदारथ स उपचार, जो सबंधत सदसय राज्य का सक्ष्म परिधाकारी द्वारलोकायेन कीटो या चंदनो,ं इणमे सगंरोध जीव या ग्यानमक परजैता शैमल है, क इलै अइनवाराय नियतंरन उपाय क भाग क रपू मे जीवक उत्पदन मे उपयोग क इलै अघक्तरी नहि ह;

(ख) इक्की ऐस उत्पाद या पदारथ स उपचार जो सबंधत सदसय राज्य का सक्ष्म परैधाकारी द्वार अनमुओइदत वजाइनक परीक्षणो का भाग का रपू मे जीवक उत्पडन मे उपयोग का इले अधिभक्ति नहीं है।

1.7.4. इबदं 1.7.2 और 1.7.3 मे सदृन्भत ममलो मे,ं रपूअतनरान अविध की लबनै इमानिलखत अवशयक्ताओ को ध्यान मे राखत हउ तय की जाएगी:

(क) सबंधत उतपाद या पदारथ क अपघटन की पर्किरिया, रपूअतंरन अविध क अतं मे,ं इमात्ती मे अवशेषो का एक नागनय सत्र की गर्तानी दिनी चाहै और, औषध फल का मामला मे,न पौध मे;ं

(ख) उपचार के बाद प्राप्त परिणाम को जीवक या पिरवारीतत उतपद क रपू मे बाजार मे नहीं रखा जा सकता.

1.7.4.1. सदसय राज्य आयोग और अन्य सदसय दशयो को सुनिश्चित करें I
उनका दवारा लाइए गए इसके निरण्य का वर्णन, जो इसके ऐस उत्पाद या पदारथ का उपचार स सबंधत अनिवार्य उपायो को निर्धैरत करता है,ए जो जीवक उत्पदन में उपयोग का उपयोग अहिधातृ नहीं है।

1.7.4.2. इस प्रकार उतपाद या पदारथ स उपचार क ममल मे जो
जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अध्याक्ता, इबदं 1.7.5(बी) लग नहीं होगा।

1.7.5. जीवक पषधुन उत्पदन स जदुइ भिउम क ममल मे:ं

(क) पूर्वरत्न नियम उत्पदन इकाई क संपूर्ण क्षेत्र पर लग होगं, ईजस पर पश आहार का उत्पदन इक्या जाता है;ए

(ख) इब्नद (क) का बावजदू, गैर-शाकाहारी परजैतयो दवारा उपयोग इके जान वाल चरागाहो और खलु वाय कष्टेरो की लीए रपूतांरन अवध को एक वर्ष से अधिक का समय दिया जा सकता है।

▼:...

1.8. पौधो की उत्पत्ति, इसमे पादप प्रयोजन सामग्री भी शैमल है

1.8.1. पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग करना और उपयोग प्राप्त करना।

1.8.2. पादप प्रयोजन सामग्री के अलावा अन्य उत्पाद का उपयोग करने के लिए उपयोग करें एक जान वाल जीवक पादप प्रयोजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए और, जहां पर विचार हो, अन्य उत्पाद के उपयोग के लिए इस योजना का उपयोग करें अनसुरा कम एस कम एक पीढी का इला, या, बचाव फसलो का मामला मे, दो बहुत सेनो का दौरान कम एस कम एक पीढी का उतपइदत इक्या जाना चाहिए।

1.8.3. जीवक पौध पर्जनन सामग्री का चयन करत समय, सचानलको को जीवक किष क िलए उपयकुत जीवक पर्जन सामगरी को परथिमकता दनेइ चाहिए।

1.8.4. जीवक उत्पदन का उपयक्त जीवक इस्समो का उत्पदान का लाभ, जीवक प्रजनन गितविधयो को जीवक पिरसिथितयो मे सचनायलत इक्या और अनुविषक विधाता को बदायिन,ए पराकिंत प्रजनन कष्मता पर निर्भ्रता क साथ-साथ किश सबंधनी प्रदर्शन, रोग प्रतिरोधक कष्मता और विविध सथानीय इमात्त्ति और जलवाय स्थितियो क अनकुलून पर ध्यान केदंमृत काया।

मिरेस्तमे संवर्द्धन को छोड़ाकर सभी गनून पर्किरायए परमैनत जीवक पर्बधन्न के अधीन की जायगानी।

1.8.5. अतंरर्पूअतंरन और अजीवक पौध प्रयोजन सामग्री का उपयोग।

▼एम 4

1.8.5.1.►**एम11** इबदं1.8.1 स विचलन क रपू मे, जं झा दतेआ
अनुच्छेद 26(1) मे नृदशत दताबेसे या अनुचदे 26(2) मे नरिषहत परनाइलो मे सगंरिहत जानकारी स पतावे ह इक सबंधत जीवक पादप प्रजनन सामग्री के संबंध मे अपरात्तर की गनुतंमक या मातरतम्क अवशयक्ता पर्इद नहि है। प्रतिपादक अनुच्छेद 10(4), दसूर उपपरा ग्राफ़, इबदं (ए) क अनसुअर रपूअतनरन पादप परजनन समग्री का उपयोग कर सकते हैं, ए या इबदं 1.8.6 क अनसुअर अध्यक्तत्र पादप परजनन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

▼एम11

इसक अलावा, जीवक पौधो की उपलब्धता की कमी का ममल मे,अं अनचुचदे 10(4), दसूर उपअनचुचदे, इबदं (ए) का अनपुअलन मे विपन्न इके गए 'अपिरवरत्नीय पौधो' का उपयोग इक्या जा सकता है,ए जब उन्हे मनानासु बनाया गया जाता ह:इ

(क) बीज स लकेर अंतम अकंरु तक खतेइ क चक्र क मध्यम स, जो कम स कम 12 महीन तकावए ह,ए एक भीम खदं पर, इससन समी अवध क दौरान, कम स कम 12 महीण क रपूअतनरन अवध पर्री कर ली ह;ई या

(ख) जीवक या रपूअतनिरत् भीउम खदं पर या कटन्नरो मे यिद वह इबदं 1.4 मे नृदशत् अपवाद का अतंरगत आता है ह,ए बशारत इक पौध रपूतांनिरत बीजो स उत्पनन हउ हो,तथा ऐस भीम खदं पर ओगाए गीद पौध स कट गेहो इससन कम स काम 12 महीने की रपूतांनिरत अविध पर्इ कर ली हो।

जहां जीवक या रपूअतन्तिरत पादप प्रजनन समग्री या इबदं 1.8.6 क अनसुअर अधिक्तातृ पादप प्रजनन समग्री ऑपर्टर की अवशक्ताओ को पुरूआ कर्ण क इले पर्यापत गनुवत्ता या मात्रा मे उपलब्ध न ह,ए वहा सक्ष्म प्ररिधाकारी इबदं 1.8.5.3 एस 1.8.5.8 क अधीनस्थ गैर-जीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग अविधि कर सकता है।

▼**एम11**

ऐसा व्यक्तिगत परिधाकन कवेल मिनमनिलखत सिथितयो मे स इससी एक मे हियरिलिकत इक्यागे:

(के) झा ऑपर्टर दवारा पर्पट की जान वाली परजैतयो की कोई इसम अनछछदे 26(1) मे निरिदशट्ट दतियाबसे या अनछुछदे 26(2) मे निरिदशट्ट पर्णाइलो मे पजनीकतृ नहि ह;ै

(ख) जहां कोई भी ऑपरेटर जो पादप परजन सामग्री का विपन्न करता है,ए पर्सिंगक जीवक या रपूअन्तरित् पादप परजनन समग्री या इब्नद 1.8.6 क अनसुअर परधिक्तातृ पादप परजनन समग्री को बवुई या समाज के लिए समय पर वतिरत करण मे सक्षम नहीं ह,ऐ ऐसी स्थिति मे जहां उपयोगीकरता न पादप परजनन समग्री का आदेश उइचत समय मे इदया ह ताइक जीवक या रपूअतनरत पादप परजनन सामग्री या इब्नद 1.8.6 क अनसुअर परदधकर्ता पादप परजनन सामगरी की तयारी और अप्राप्त की जा सक;के

(जी) जहां ऑपरटर इसस इसम को प्राप्त करना चाहता है, वह अनछुदे 26(1) मे सदृभत डाटाबेस या अनचुचदे 26(2) मे सदंरिभत् परनाइलो मे इबदं 1.8.6 क अनसुअर जीवक या रपूअन्तरित् पादप प्रजनन समग्री या प्रधिभक्ततत्र पादप प्रजनन समग्री क रपू मे पजनीकतृ नहि ह और इसके विपरीत यह पर्दरिषत कर्ण मेरि सक्षम ह इक परजैत की कोई भी पजनीकतरी पिरवरितत इसम विशेष रपु स किष संबंधनि और घास-जलवाय सिथितयो और परपत इके जान वाल उत्पडन क इले अवशयक टेक्नॉलॉजी गनुओ का इले उपयकुत नहि ह;ै

(घ) झा इस अनसुधानन मे उपयोग, लघ-उस्त्रिय कष्टेर परीक्षणो मे परीक्षण, इसाम सरंक्षण क प्रायोजनो या उत्पद नवपर्वरत्न क इले उइचत जजित हो गया तथा सबंधत सदसय राज्य का सक्ष्म परिधकारयो द्वार इस पर सहमित व्यक्त की गई हो।

इस प्रकार किसी भी निषेध का अनिरुद्ध करण स पहले,ए अपेर्तरो को अनुच्छेद 26(1) मे सदृशभत दताबसे या अनुच्छेद 26(2) मे सदृशभत परनाइलो स परामर्ष करना होगा ताइक यह सत्यइपत इक्या जा सक इक परासिंक कार्बिनक या अपिरवरितत पादप परजनन सामग्री या इबदं 1.8.6 क अनसुअर अधाक्त्रा पादप परजनन सामग्री उपलब्ध ह या नहीं और इस परकार उनका अनुरोध न्यायोइचत ह या नहीं।

▼**एम 4**

अनछुछे 6 (i) क अनपुलन मे,ं ऑपर्टर अपन सव्य क हॉलिडगं स प्राप्त जीवक और इन-कन्वर्जन पलटन परजनन सामग्री सद का उपयोग कर सकत है,अं अनचुचदे 26(1) मे नृभहत दताबसे या अनचुछदे 26(2) क इबदं (ए) मे सदृभत पर्णाली क अनसुअर गणुअतम्क और मातरम्क उपलब्धता क बवजदू।

1.8.5.2.►**एम11** इबदं1.8.1 स विचलन का रपू मे, तीसरे पक्ष का प्रतिवेदक दशे अनचुचदे 10(4), दसूर उपअनचुचदे, इबादन (ए) क अनसुअर रपूअतनरन मे पादप परजनन सामग्री का उपयोग कर सकता है, या इबादन 1.8.6 क अनसुअर अध्यक्त्रि पादप परजनन सामग्री का उपयोग कर सकत है,न जब तीसर दशे क कश्तर मे इसस्मे ऑपर्टर सिथत ह,ई जीवक पादप प्राजनन सामग्री पर्यापत गनुवत्ता या मात्रा मे उपलबध नहि होन का औइचतय सदध हो।

पर्सिंगक राष्ट्रीय नियमो का परित पुरुवागढ़ का इबना, तीसर दशे मे अपार्टेर अपन सव्य क सवैमतव स परपत जीवक और पिरिवृतत दो परकार की पादप पर्जनन सामग्री का उपयोग कर सकत है।

▼**एम11**

अनुच्छेद 46(1) क अनसुअर मान्यता प्राप्त पर्पत् न्यात्नर्ण परिधाकन या न्यात्नर्ण निकाय, तीसरे दशेओ मे अपेर्तरो को जीवक उत्पदन इकाई मे अजीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग करन का उपयोग कर सकता है, जब जीवक या प्रतिपादन पादप परजनन समग्र या इबदं 1.8.6 क अनसुअर अधाक्त्रि पादप परजनन समग्री तीसर दशे क कश्तर मे इस्समे अपतरतर सिथत ह,ए इबदं 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 और 1.8.5.8 मे नृधैरत शरतो क अंतर्गत पर्यापत गनुवत्ता या मात्रा मे उपलबध नहीं है

▼**एम 4**

1.8.5.3. गैर-जीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपचार नहीं किया जाएगा
इस इविन्यामन का अनछुदे 24(1) क अनसुअर पौधो की परजनन सामग्री का उपचार क िलए अिधकतृ उत्पदो क के अलावा अन्य पौध संरक्षण उत्पदो का साथ कटौती न करे, जब तक इक सबंधत सदसय राजय का सक्षम परैधकार्यो द्वारा पादप रोगाणारुधि प्रयोजनो क इले इविनयमन (ईवाई)यू 2016/2031 के अनसुअर रसायनिक उपचार निर्धैरत न इक्या गया हो, उस क्षेत्र में इस्की दी गई परजैत की सभी इस्समो और वषम सामग्री का उपयोग इस्समे पौधो की परजनन सामग्री का उपयोग इक्या जाना गया।

जहां पहले पैराग्राफ में नृदधिरत रसायनिक उपचार स उपचरित आजीवक पौध पर्जन सामग्री का उपयोग किया जाता है,ए वहा इसस पारसल पर उपचैरत पौध परजनन सामग्री उग रही है,ए वहहा उपयकुत हो, इददं 1.7.3 और 1.7.4 मे आईडीए गए अनसुरा रापूतांरान अवध का अधीनस्थ होगा।

1.8.5.4. गैर-जीवक पादप प्रयोजन सामग्री के उपयोग का उपयोग करके फल की
बुआई या सिंगापुर स प्रथम लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

1.8.5.5. गैर-जीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग करना
वैयक्तिगत उपयोगकरताओ सीज़न को एक समय में एक का चयन करेगा, और सक्षम प्राधिकारी, नियतन प्राधिकारी या प्राधिकारी का उपयोग करेगा, इसममदेर इंकाय अध्याक्तरी पादप प्रयोजन सामग्री की मात्रा सुनिश्चित करेगा।

1.8.5.6. सदसय राजयो क सक्ष्म परिधाकारी एक सिमित निर्मितं, जो मनानिलिखत कार्य करगे:
परजैतयो,एं उप-परजैतयो या इस्समो की अधकारिक सचुई (यिद लाग हो तो समहुइकातर) इस्सक लाइए यह सथैपत ह इक जीवक या रपूअन्तनिरत पादप परजनन समग्री परायपत मात्रा मे उपलबध ह और उनक कष्टर मे उपयकुत् इस्समो क इलै उपलबध ह.ई उस सचुई मे शिमल परजैतयो,ं उप-पर्जाईतयो या इस्समो क इबदं 1.8.5.1 क अनसुअर सबंधत सदसय राज्य क कशतेर मे तब तक कोई परिधाकरण जारी नहीं होगा जब तक इक य इबदं 1.8.5.1(डी) मे सदृभत् उद्दशेयो मे स इक्कीस एक का द्वार उइचत न हो। यिद सचुइ मे इक्की परजैत, उप-परजाइत या इसाम क िलए उपलब्ध जीवक या रपूअन्तरित् पदप परजनन सामग्री की मात्रा या गनुवत्ता जिंक पिरसिथित्तयो का कारण अपेरायपत या अनपुयकुत हो जाता है ह,ए तो सदसय राजय्यो क। सक्ष्म अध्याकारी इसी परजैत, उप-पर्जैत या इसाम को सचुई स हटा सकता है।

सदसय राजयो क सक्ष्म परिधाकारी अपन सचूकी को वारिषक आधार पर अद्यत्न राखगं तथा उस सचूकी को सर्वजिनक रापू स उपलब्ध अर्थशास्त्री।

वर्ष 30 जनू तक तथा प्रथम बार 30 जनू 2022 तक, सदसय राज्ययो का सक्षम प्रार्थी योग तथा अन्य सदसय राज्ययो को इतरंते वबेसीत का इलकं पर्षेषत करेगं,ए जहां अद्यतन सचुई सर्वजिनक रापू स उपलब्ध करा दिया जाता है। सिउचयो कि इलकन को एक समरिपत वबेसिट पर प्रकाश डाला गया।

1.8.5.7. इबादत 1.8.5.5 स वचलन क रपू मे, सक्ष्म परिधाकारी
सदसय राज्य प्रतिवर्ष सभी सबंधत ऑपरटेरो को नामनिलिखत के उपयोग के लिए सामानय परिधाकरण प्रदान कर सकता है:

(क) कोई दी गई पर्जायत या उप-पर्जैत, जब और जहा तक अनछुए 26(1) मे नृदशत डाटाबेस या अनचुचदे 26(2) क इबदं (क) मे नृदशत पर्णाली मे कोई इसम पजनीकतरी नहीं ह;ै

(ख) इस्से दी गई इसम को मिले जब और जहा तक इबादन 1.8.5.1(जी) मे नर्धिरत शरते परुई होती है

सामानय परिधाकन का उपयोग करत समय, अपेर्तरो को पर्याकुत मात्रा का इकाराद रखा जाएगा तथा परिधापकन के लिए इसममदेर सक्षम परिधाकारी को अध्यक्तृति गैर-जीवक पोध पर्जनन सामग्री की मात्रा सचुइबद्ध करनी होगी।

सदसय राजयो क सक्षम परिधाकारी उन परजैतयो, उप-परजइतयो या इस्मो की सचुई को वारिषक आधार पर अद्यत्न राखगं इसनक लाइए सामानय परैधकारी जारी इक्या गया ह तथा उस सचुई को सर्वजिनक रापू स उपलबध् गोगं।

वर्ष 30 जनू तक तथा प्रथम बार 30 जनू 2022 तक, सदसय राज्ययो का सक्षम प्रार्थी योग तथा अन्य सदसय राज्ययो को इतरंते वबेसीत का इलकं पर्षेषत करेगं,ए जहां अद्यतन सचुई सर्वजिनक रापू स उपलब्ध करा दिया जाता है। सिउचयो कि इलकन को एक समरिपत वबेसिट पर प्रकाश डाला गया।

▼**एम11**

1.8.5.8. सक्ष्म परिधाकारी गैर-जीवक पदारथो का उपयोग अप्राप्तकर्ता नहीं करेगा। उन प्रजातियों के पौधो के मामले में इनका खती चाकर एक ही मौसम में पुआ हो जाता है,ए अर्थ पौध का पर्तयारोपण स लेकर उतपद की पहली कटाई तक।

1.8.6. सक्ष्म परिधाकारी या, जहां उपयकुत् हो, अनच्छुच्छे 46(1) क अनसुअर मान्यता प्राप्त पर्पत् न्यातंरन पराध्यकारी या न्यातंर्ण नकाय, जीवक उत्पाद में उपयोगिता का उपयोग पादप प्रयोजन सामग्री का उदपादन कर्ण वाल सचानलको को गैर-जीवक पादप पर्जनन सामग्री का उपयोग करन का उपयोग कर सकता है, जब मत पौध या, जहां पर्सिंगक हो, पादप परजनन सामग्री का उत्पडन का लाई अभीपरते और इबादन 1.8.2 का अनपुलन मे उत्पदीत अन्य पौध पर्यापत मात्रा या गनुवत्ता मे उपलब्ध नहीं है, और ऐसी समग्री को जीवक उत्पादन में उपयोग करके बाजार में रखन के लिए उपयोग किया जा सकता है, बशारत इक नमानलिखत शरते पुरुई हो:।

(ए) गैर-जीवक पौध प्रयोजन सामग्री का उपयोग इस अनुशासन का अनच्छेद 24(1) क अनसुअर अध्यक्तृत उत्पदो क अलावा अन्य पौध सरंक्षण उत्पदो स कटाई क बाद उपचरित नहि इक्या गया ह,ए जब तक इक सबंधत सदसय राज्य का सक्ष्म परिधकैर्यो द्वार पादप सवच्छता उद्दशेयो क इविन्यामन (ईय)ऊ 2016/2031 क अनसुअर रसायन उपचार नृद्धैरत नहिं इक्या गया हो, उस कश्तर मे इक्कीस दिने गए परजैत की सभी इसमो और षम सामग्री का उपयोग इसमे पोध परजनन सामग्रि का उपयोग नह हो गया। गैर-जीवक पौध पर्जन सामग्री का उपयोग इक्या जात ह, ए वह भीम खदं इसस पर उपचरित पौध पर्जन सामग्री उग रही ह, ए जेहा उपयकुत हो, इबदं 1.7.3 और 1.7.4 मे ददए गए अनसुअर रपूअतनरन अवधि का उल्लेख होगा;

(ख) पर्यकुत् गैर-जीवक पौध पर्जन सामग्री ऐसी परजैतयो का अकारंु नहि ह,इ इस्का स्वर्ण चक्र एक ही सीजन में पूरा हो जाता है, इसमे एकंू का प्रत्यारोपण स लेकर उत्पद की पहली कटिंग तक का समय शैमल होता है;

(जी) अन्य सभी पर्सिंग जीवक पादप उत्पादन अवशयक्ताो क अनपउलन मे काम चलाय जाता है;हाई

(घ) गैर-जीवक पादप प्रयोजन सामग्री का उपयोग उस सामग्री को बोन या रोपन स पहिले परपत िकया जाएगा;

(ई) परिधायकन क िलए इज्मामदेर सक्षम िप्रधिकारी, िनयत् नृ िप्रधिकारी या अन्यत्र नकाय कवेल व्यकितगत उपयोगकरताओ को और एक समय में एक सीज़न का उपयोग करके परदान करगेआ, और अध्यक्तृति सयंतंर परजनन सामग्री की मात्रा सचुइबध करगेआ;

(च) इब्नद (ई) स वचलन क रपु मे,ं सदसय राजयो क सक्षम परिधकारी गैर-जीवक पादप पर्जन सामाग्री की किसी विशेष पर्जित या उप-परजित या इसम के उपयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है, और पर्जैतो, उप-परजायतो या इस्मो की सचुई को सर्वजिनक रापू स उपलबध करा सकता है तथा इस वर्ष पर्जन्य परदान कर सकता है। साकत है। उस सिथित में, वा सक्ष्म परिधाकारी अध्याक्ता गैर-जीवक पादप प्राजनन सामग्री की मात्रा को सचुइबद्ध करेगा;के

(च) इस अनछुदे का अनसुअर पर्दान 31 इदसम्बर 2036 को दिया गया समापत हो जायेगा

वर्ष 30 जनवरी 2023 तक, तथा पहली बार 30 जनवरी 2023 तक, सदसय राज्यो का सक्षम प्राधिकारी आयोग तथा अन्य सदसय राज्यो को प्रथम परागाफ का अनसुअर प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

पहले पैराग्राफ के अनुसर उत्पदीत पादप परजनन सामग्री का उतपादन और विपन्न कर्ण वाल एपरेटेरो को स्वच्छ आधार पर अनुछदे 26(2) के अनसुअर सथाइपत राष्ट्रीय परनैलयो मे ऐसी पादप परजनन सामग्री की उपलब्धता पर परासिंगक विशिष्ट जानकारी सर्वजिनक कर्ण की अनमुति होगी। ऐसी जानकारी शैमल कर्ण का विकल्प चुनुन वाल ऑपरटेरो को यह सिनुशिचत करना होगा एक जानकारी नयिमत रपू सा अद्यतन की जाती है, ऐ और पादप प्राजनन सामग्री उपलबध न होन पर उस राष्ट्रीय परनाइलो स हटाए इलिया जात ह।इ इबदं (एफ) मे संद्रीभट सामानय परिधाकन पर विश्वास करत समय, ऑपरटेरो का उपयोग की गई मात्रा का आईकोर्ड रखना होगा।

▼:...

1.9. मद्रा प्रबंध और उर्वराकरण

1.9.1. जीवक पौधो के उत्पडन मे,न ऐसी जतुई और खेती की पद्धति का उपयोग किया जाएगा जो इमैटटी का कार्बिनक पदारथ को बनाए रखा या छोड़े,न इमैटटी की सिथता और इमैटटी की जावै विविधता को बदाए,न और इमैटटी का सपनिडन और इमटट्टी का कटाव को रोके.

1.9.2. इमात्ती की उर्वता और जीवक गितिविध को बनाए रखा जाएगा और दीयाया जाएगा:

(क) चारागाह या सुदृढ़ चार क मामल को छोड़कार, बहुवर्षीय फसल चक्र का उपयोग दवा, इसमे फ़सलों का चक्र, मखुय या अचर फ़सल का रपू, इन्वाराय फ़लिदार फ़सल और अन्य हरी खाद वाली फ़सलें शिमल है;न

(ख) ग्रीनहाउस या चार क बुस्ट एसेट फसलो क मामल मे,अं अलपकैलक हरी खाद फलो और फिलो के उपयोग के साथ-साथ पौधो की विधा का उपयोग भी किया जा सकता है

(जी) सभी मामलो मे,पशुधुन खाद या जीवक पदारथ,दो को अधमनतः जीवक उत्पदन स कमोपोस्ट कर्क,ए प्रयोग द्वारा।

1.9.3. जहां पौधो की पोषण संबंधी आवश्यकताएं 1.9.1 और 1.9.2 मे उपयोग की गईं, उनमें से 24 का अनुसुहार किया गया। अधिधातृ इक्या गया ह,इ और कवेल अवकाश सीमा तक।►**एम9** सचनालको को यू.एन उतपदो का उपयोग का उद्देश्य रखा जाएगा, इस्मे पर्तयके उतपद का उपयोग की इति या इतिथया, उतपाद का नाम, प्रियकुत मात्रा तथा सबंधत फल और पारसल शैमल होगं।

1.9.4. इन्दरद्शे 91/676/ईईसी मे पीरभैषत अनसुअर, इन-कंवर्जन और जीवक उत्पदन इकैयो मे उपयोग की जान वली पषधुन खाद की कलु मात्रा मृत वर्ष/हकेटयेर किश क्षेत्र मे 170 इक्रोम नाइट्रोजन स अहिधक होना नहीं चाहिए। यह सीमा कवेल खाते की खाद, सखूई खाते की खाद और निर्जलित पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री खाद, खादयकुट खाते की खाद और तरल पश मल सहत खादयकुट पश मल का उपयोग पर लाग होगी।

1.9.5. कृष जोतो क सचानलक जीवक उत्पदन इकइयो स अधशशे खाद फलयान क उददशेय स, एक जीवक उत्पदन न्यामो का अनपुलन कर्ण वाल अन्य किष जोतो और उपकर्मो क सचानलको क साथ वषषे रपू स इलिखत सहयोग गम्हौत सथैपत कर सकत है। 1.9.4 मे उलिखत अध्यक्तम सीमा की गणना ऐस सहायता मे शिमल सभी जीवक उत्पदन इकैयो का आधार पर की जाएगी।

1.9.6. सकुशम जीवो की तैयारी का उपयोग समग्रता में किया जा सकता है।

1.9.7. खाद सकिरायण के लिए उपयकुट पौध-अधिरत तयारया और सकुशम जीवो की तयारी का उपयोग करना संभव है।

1.9.8. खिंज नाइट्रोजन उर्वरो का उपयोग नहीं किया जाएगा।

1.9.9. बायोडायनेमिक तयैरियो का उपयोग कैसे किया जा सकता है

▼:...

1.10. कीट एवं चमकीला पर्बधन्न

1.10.1. कीटो और श्यामलो एस होने वाली चोट की रोकथाम पर नर्भ्र करगे मखुय रपु स सरंक्षण पर:

- पराकृतक शतर्,उ

— परजैतयो, इसमो और विषम सामग्री का चयन,

- फसल चक्र,

— जवैधमुन, यातनिरक और भूतक विधियो जसाई खाती प्रौद्योगिकी, और

- तापीय पर्किरायए जसाई इक सौरिकरण और सरंक्षित फलो का ममल मे,न इमात्ती का उखाड़ा उपचार (अधिभक्तम 10 समेई की गहराई तक)।

1.10.2. जहां पूधो को कीटो स पर्यापत रपू स सरुक्षत नहीं इक्या जा सकता है अनछुदे 1.10.1 मे इदे गोएद परावधान क अनसुअर या इक्कीस फल क इलै सथैपत खातिर की सिथित मे, और कवेल जीवक उत्पदन मे उपयोग कइले अनचुचदे 9 और 24 के अनसुअर अद्धकतृ उत्पदो और पदारथो का ही उपयोग किया जाएगा, और कवेल जीवक उत्पडन मे उपयोग कइले ।।►**एम9** सचनालको को इस उत्पाद के उपयोग की आवश्यकता है परमैनत करण वाल अभलखे रखन होगन, इ जनमे पर्तयके उतपद क उपयोग की इति या इतिथया, न उतपद का नाम, उसका सकिराय पदारथ, पर्यकुत् मात्रा, सबंधत फल और क्षतर, तथा नियतनिरत इके जन वाल कीट या रोग शिमल होग।

1.10.3. tarpay ya iddaspesar me USE ike jan val utapado और darthto ka sabandhan में फेरोमोन के अलावा अन्य उतपदो और पदारथो के मामले में, जाल या इदसपेसनर उतपदो और पदारथो को पर्यायवरण में छोड़ो जान एस रोकेगन और उतपदो और पदारथो और उगई जा रही फालो के बीच सपंराक को रोकेगन। एकतर इक्या होगा और सरुकिश्त रपू स नपतया।

1.11. सफाई और स्वच्छता का उपयोग करने के लिए जान वाल उत्पाद का उपयोग करें

सयंतंर उत्पदन मेशुद्धि और कीतनशुओधन का उपयोग कवेल उन्ही उतपदो का उपयोग किया जाएगा, जो अनछुए 24 का अनसुअर जीवक उत्पदन मे उपयोग का उपयोग किया जाता है।►**एम9** सचनालको को एक उतपदो का उपयोग का उपयोग करके रखा जाएगा, इसमे परतयके उतपाद का उपयोग की इति या इतिथया, उतपाद का नाम, उसका सकिराय पदारथ और ऐस का उपयोग सत्तन शैमल होगा।

1.12. इरकोर्ड रक्खन का दयात्व

सचनालको को सबंधत पारसल और फल की मात्रा का सबंधन मे इरकारड रखना होगा।►**एम9** विशेष रपू स,ए अपेर्त्र पर्त्यके पार्सल पर उपयोग के लिए इसे भी अन्य कहा गया इनपटु का इरकोर्डिखैगन और जाहा लाग हो, इबदं 1.8.5 क अनसुअर प्राप्तत उत्पदन न्यामो स इससी भी वचलन पर उपलबध दस्तावजेई साक्षीगं।

1.13. अपरसंक्त्र उतपादो की तयारी

यिद पर्संक्रन क बू अनय तयारी करय सयंतरो पर इके जात है,न तो भागचतुर्थ के इबादत 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 2.2.3 मे निर्धैरत सामानय अवशक्ताए लग होगनि। *यथोइचत् पूर्वरत्न संहत*इस तरह का कार्ययो क िलए.

▼:...

2. विशिष्ट पौधो और पौध उत्पदो क लाइए वसत्तत्र नियम

2.1. मशरमु उत्पदन क नियम

मशरमु क उतपदन क लए सब्स्ट्रते का उपयोग इक्या जा सकता है यिद व कवेल मिनमनिलिखत घटको स बन हो:ं

(क) खाते की खाद और पशु का मल:

I इकाइयो स;े या

(ii) इबदं1.9.3 मे सन्दरिबहत, केवल तब जब इबादन (i) मे सदंरिभत् उतपाद उपलबध नहि ह,ए बशारत इक खाद बनान स पहिला,खते की खाद और पश मल, मात्रा सामग्री और इससी भी अतिरक्त पानी को छोड़ कर, सब्स्ट्रते का कलु घटको का वजन क 25% सा अधक न हो;

(ख) जीवक उतपादन इकैयो स,ए इबदं (क) मे नृदशत उतपदो क अलावा, किरष मालु क उतपद;

(छ) पीत, रसायनक उतपदो स उपचरित नहि;ं

(घ) लकडी, इसस इग्रान का बाद रसायनिक उत्पदो स उपचिरत नहि इक्या गया हो;

(ई) इबदं 1.9.3 मे उलिख़त ख़िनज उतपद, जल और इमात्त्ति।

२.२. जगंलि पौधो क सगंरह स सबंधत नियम

पराकिरितक कश्तेरो,ं जगंलो और किरश कश्तेरो मे पराकिरितक रपु स उगन वाल जगंलि पधो और उनके भागो के सगंरह को जीवक उत्पदन माना जाता है,ए बशारत इक:

(क) सगंरहन् स कम स कम तीन वर्ष पहले, उन क्षत्रो को जीवक उत्पदन में उपयोग क इले अनचुचदे 9 और 24 के अंतर्गत अघक्तृत उत्पदो या पदारथो के अलावा अनय उतपदो या पदारथो स उपचिरत नहीं किया गया था;

(ख) सगंरहण स पराकिर्तक आवास की सिथता या सगंरहण क्षेत्र में परजैतयो क दोस्ती पर कोई असर नहीं

▼**एम9**

सचनालको को सगंरहण की अवधि और सथान, सबंधत परजैतयो और एकतीरत जगंली पौधो की मात्रा का इरकारड रखना होगा।

▼:...

भागII: पषधुन उत्पदन नियम

अनुच्छेद 9, 10, 11 और 14 मे निर्धैरत उत्पदन नियमो का अतिरकत, इस भाग में निर्धैरत नियम जीवक पषधुन उत्पदन पर लग होगं।

1. सामानय अभिवचन

1.1. मधमुक्खी पालन का ममल को छोड़कर, भूमहीन पषधुन उत्पदाण, जहां जीवक पषधुन उतपदन का इब्राहीम पालन वाला इसान किरष भौम का प्रबंध नहि करता ह और उसन उस पषधुन का उपयोग जीवक उतपादन इकैयो या रपूअतनन उतपदन इकाइयो का उपयोग इसान क साथ लिखत सहयोग सहमति नहीं इक्या ह,इ निषदध होगा।

▼**एम9**

ऑपरटेरो को इबदं 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(सी) और 1.9.4.2(सी) क अनसुअर पषधुन उत्पदन न्यामो स इक्कीस भींद क वचलन पर उपलबध दसतावजे सक्ष्य रखा हो।

▼:...

1.2. परिवर्तन

1.2.1. उत्पदन इकाई, इस उत्पदन इकाई की योजना, चक्र या किसी भीम भीम भी शाइमल ह,ए तथा भाग 1 क इबदं 1.7.1 और 1.7.5(ख) मे नृदशत इस उतपादन इकाई की रपूअतंरन अवधि का अरबन मे इस उत्पदन इकाई पर विद्यामान पशौ क रपूअन्तरन क एक साथ अर्भं होन की सिथित मे,अं पशौ और पश उत्पदो को उत्पदन इकाई की रपूतांरन अवधि का अतं मे जीवक माना जा सकता है,ए भल ही सबंधत पश का पार्कार का लाइए इस भाग का इबदां 1.2.2 मे निर्धैरत रपूतांरन अवधि, उतपदं इकाई का इले रपूतांरान अविध एस आधाक हो।

इब्नद 1.4.3.1 एस विचलन करक, ए एस समकैलक रपूअतनन क ममल मे तथा उत्पदन इकाई क अवधि, रपूतंरन अवध क आरंभ स इस उतपदन विद्वत मे उपसिथत पशौ को रपूतंरन क प्रथम वर्ष क अवधि रपूतंरन उतपदन इकाई मे उतपदत रपूअन्तरान फीद ता/या इब्नद 1.4.3.1 क अनसुअर फीद ता/या जीवक फीद इखलाया जा सकता है।

इबदं 1.3.4 क अनसुअर रपूअतनरान अविधि की शरुउत क बाद गैर-जीवक पशौ को रपूअतंरन उतपदन इकाई मे शाइमल इक्या जा सकता है।

1.2.2. पश उत्पदन क पकार क अनसुअर रपूअतनरन अविध नमनसुअर निर्धैरत की गई ह:ई

(क) मासं उत्पन्न पषौ और अश्ववंशीय पशौ क ममल मे 12 महीन,इ और इससी भी ममल मे उनक व्यापारी का तीन चौथाई स कम नही;ं

(ख) अण्डाधारी पशौ,ं बकिरयो, सउरो तथा दधू उत्पदन वाल पशौ क ममल मे छह माह;

(छ) मासं उत्पदन क िलए मुरगी पालन क िलए 10 सप्तह, पिएकगं बत्तखो को छोड़ाकर, इसमे तीन इदान की उम्र पहली बार लाई गई हो;

(घ) तीन इदान की उमर स पहिला चलि गेल पिएकगं बत्तखो क इलै सात सप्ताह;

(ई) अदना उत्पडन कइले ले गए गए कुकुक्तो का ममल मे,अं तीन इदान की उमर स पहल,ए छह सप्ताह;

(च) मधमुखियो क िलए 12 महीं.े

रपूतांरन अविध के दौरान, माँ को जीवक मधुमुखि पालन स परपत मोम स परितस्थैपत इकायागे।

हलांकि, गैर-जीवक माँ का उपयोग करना संभव है

(i) जहां जीवक मधुमुखि पालन स प्राप्त मोम बाजार में उपलबध नहि ह;ै

(ii) जहां यह साबित हो जाए इक यह उन उतपादो या पदारथो स सदंयुषत नहि ह जो जीवक उत्पदन में उपयोग की आवश्यकता नहीं है;न और

(iii) बशारत यह कपै सा आता हो;

▼:

(छ) खरगोशो कइले तीन माहिने;

(ज) गर्भाशय ग्रीवा पशौ क िलए 12 माहीं

1.3. जानवरो की उत्पति

1.3.1. रपूअतनरन सबंधनि न्यामो पर प्रतिकुलु परभाव दल इबना, जीवक पषधुन का जन्म या पालन-पोषण जीवक उत्पदन इकैयो पर इक्यागे।

1.3.2. जीवक पशौ क प्राजनन क संबंधं मे:ं

(क) पर्जनन मे पराकिर्तक तरीको का उपयोग करना आवश्यक है; तथापि, कैटरिरम पर्जनन की अनमुति होगी;

(ख) परजनन को हारमोन या समान प्रभाव वाल अन्य पदारथो क साथ उपचार दवारा पियरेत या बिधत नहि इक्यागे, इस्वाय इस्की वैकितागत पश का ममल मे पश इचिक्तसा उपचार का रपू मे;न

(जी) कत्रिरम पर्जनन क अनय रपू, जसै कलोइनगं और भरन्तु सथनातनरन, का उपयोग नहीं ठीक होगा;

(घ) नसलो का चयन जीवक उत्पदन क सिद्धधातनो क अनरुपु होगा, पश कल्याण क उच्च मानक को सिनुशिचत करगेआ तथा पशौ को इस तरह से भी पारकर की पीड़ा स बचन तथा उनक अगन-भागन की अवशयक्ता स बचन मे योगदान दगे।

1.3.3. नसलो या नसलो का चयन करत समय, सचनालको को उच्च सत्र की अनुविंशक विविधता वाली नसलो या नसलो को परथिमकता दने पर विचार करना चाहिए, बिसो की सथानीय पिरसिथितयो का अनकुलु धलन की कश्मता, उनक पर्जनन मलूय, उनकी दीर्घता, उ उनका जीवन शकित और बीमारी या स्वस्थ्य समसयाओ का परित उनके प्रतिरोधक कशमता, इन सभी को मिले उनका कल्याण मे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसक अलावा, बेस्टो की नसलो या नसलो का चयन गहन उत्पडन मे उपयोग की जान वाली कछु नसलो या नसलो स जदुदी विशिष्ट बीमारियो या स्वस्थ्य समसयाओ स बचन का लाइए इक्या जाना चाहिए, जसाई इक पोरिसन सत्रसे इस्डान्रोम, जो सभवंतः पीले-नराम- एकस्यादोयतेव (पीएसई) मासं, अचानक मतृय, सु सहज गर्भपात और सीजेरियन अपर्शेण की अवशयक्ता वाल किथन जन्मो कारण का बन सकता है।

पहले पैराग्राफ ग्राफ़ का अनसुअर नसल और उपभदेओ को चुनुन का लाइए, ऑपरटर अनचुदे 26(3) मे संडरिबहट परनैलयो मे उपलब्ध जानकारी का उपयोग करेगं।

1.3.4. अजीवक पशु का उपयोग

1.3.4.1. इबदं 1.3.1 स वचलन क रपू मे,न पजनन पयोजनो क लए, गरै-जीवक रापू स पाल गाए पशौ को जीवक उत्पदन इकाई में तब लाया जा सकता है जब उनके नसले खाते का कारण नष्ट होने का खतरा हो, जसैआ इक विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1305/2013 क अनुछदे 28(10) क इबदं (बी) और उसक आधार पर अपनाए गए अधिन्यामो मे उल्लखे इक्या गया है ऐस मामल मे, उन नसलो के पशौ का इन्वाराय रपू स परजनन न करण वाला होना अवशयक नहीं ह।

1.3.4.2. मद 1.3.1 स चतु क रपु मे,ं मधुमुकख्यायलो क जीर्णोद्धार क इला, जीवक उत्पदन इकाई मे मृत वर्ष 20% रानी मधुमुखियो और जुदानो को गैरी-जीवक रानी मधुमुखियो और झुंडो दवारा प्रतितसथैपत इक्या जा सकता है,ए बशारत इक रानी मधुमुखियो और जुदानो को जीवक उत्पदन इकैयो स एन वाल कघंहो या कघनो की नीव वाल छततो मे रखा जाए। इससी भी मामल मे, मृत वर्ष एक जुडं या रानी मधुमुखि को गैर-जीवक जुडं या रानी मधुमुखि द्वारा प्रतिष्टपति इक्या जा सकता है।

▼:...

1.3.4.3. इबादन 1.3.1 एस वचलन का रपू मे, जहां एक जदां का गठन इक्या जाता है
पहली बार, या नवीनीकृत या पूर्णांकित इक्या गया ह,ए और झा इसानो की गणुअतम्क और मातर्तम्क अवशक्ताओ को परूआ नहीं इक्या जा सकता है,ए सक्ष्म परिधकारी यह नरान्या ल हो सकता है ह इक गैर-जीवक रापू स पाल गे पोल्ट्री को जीवक पोल्ट्री उत्पदन इकाई मुझे लाया जा सकता है ह,इ बशारत इक अदं क उत्पदन क िलए मेरिुगया और मासं उत्प दन क िलए मरुगया तीन इदान स कम पूणि हो। उनस प्राप्त उत्पदो को केवल एक ही समय में जीवक माना जा सकता है जब इददं 1.2 मे नृदशत रपूअतनन अवध का अनपु लन इक्या हो गया।

1.3.4.4. इबादत 1.3.1 स वचलन क रपू मे, जंहा एकतिरत दतेआ
अनुछदे 26(2) क इबदं (बी) मे सदंरिभत् पर्णाली स पतावे ह इक जीवक पशौ क सबंधं मे इसान की गनुतंमक या मातरतम्क जरूते परुई नहीं होती है,ं सक्षम परिधाकारी इबदं 1.3.4.4.1 स 1.3.4.4.4 मे परदान की गई शरतो के अधीनस्थ, जीवक उत्पदन इकाई मे गैर-जीवक पशौ को शाइमल कर्ण को अधिभक्ति कर सकत है।

इस तरह इस छत्तो का अनिरुद्ध करण स पहले, इसान को अनरुद्ध करन 26(2) की इबादत (बी) मे सदृशभत पर्णाली मे एकतिरत दतेआ स परमर्ष करना होगा ताइक यह सत्यइपत इक्या जा सक इक उसका अनिरुद्ध उइचत ह या नहीं।

तीसर दशेओ मे ओपरेटेरो क लीए, अनछुदे 46(1) क अनसुअर मान्यता प्राप्त परपत न्यातंरन परिधाकन और नयनातंरन नकाय इक्कीस जीवक उत्पदन इकाई मे गैर-जीवक पशु को शैमल कर्ण को अधिक्तत्र कर सकत है,न उस दशे क कश्तर मे झा अपेर्तर सिथत ह,ए जीवक पश पर्यापत गनुवत्ता या मात्रा में उपलबध नहीं है।

1.3.4.4.1. परजनन क उद्दशेय स, जब पहली बार जुड़न या जुड़न बनाया गया ह,ए तो गैर-जीवक यवुआ जानवरों को शैमल इक्या जा सकता है। उन्हे दधू छदुआन का तरुतं बाद जीवक उत्पदन नियमो का अनसुअर पाला। इसक अलावा, इस इदं व जानवर जुडं या जुडं मे शाइमल होत है, उस इदं नमनिलखत पितबधं लग होन:ए

(क) गो जातीय पश, उ अश्वीय पश और ग्रीवा पश छह माह स कम उमर का होगं;

(ख) भदे और बकरी जसै पशौ की आय 60 इदन स कम होन चाहै;

(जी) साउरो का वजन 35 किलोग्राम एस कम होगा;

(घ) खरगोश की आय तीन माहीं स कम होना चाहिए।

1.3.4.4.2. परजनन उद्दशयो क लाइए, गैर-जीवक वयस्क नर और गैर-जीवक शनुय
जुडं या जुडं क मीन क लीए मेड पशौ को लाया जा सकता है। बाद में उन्हें जीवक उत्पदन नियमो का अनसुअर पाला जाएगा। इसक अलावा, मैदा पशौ की साखन्या परित वर्ष नामनिलिखत परितबधनो का अधीनस्थ होगी:

(क) अधिक्तम् 10 प्रितशत् वयस्क अश्ववंशीय पश या गो वंशीय पश तथा 20 प्रितशत वयस्क सुर्वाशंनीय पश,उ भदेवाशंनीय पश,उ बकरीवशंय पश,उ खरगोश या ग्रीवावशंय पश खाया जा सकता है;न

(ख) 10 स काम अश्ववश्निय पशौ,गृवावशंय पशौ या वंश गो पशौ या खरगोशो वाली इकैयो क इलै, या पाचं स काम सुरवशंय पशौ,ं भदेवशनि पशौ या बकिरयो वाल इकैयो क इलै, ऐसा कोई भी बाल विवाह परित वर्ष अद्धतम एक पश तक सीमित होगा।

▼:...

1.3.4.4.3. इबादत 1.3.4.4.2 में 40% तक का नुकसान हो सकता है।
बशारत इक सक्ष्म परिधाकारी न पूषित कर दी हो इक नामनिलिखत मे स कोई एक शरत पुरुई हो गई ह:ै

(क) खेत का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया;

(ख) एक नसल को दसूरी नसल स पितसथइपत कर इदया गया हो;

(छ) एक न पषधुन वषेषजंता शरु की गई ह

1.3.4.4.4. इबदं 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 और 1.3.4.4.3 मे सदारिबहत ममलो मे,।
गैर-जीवक पशौ को केवल एक बार जीवक माना जा सकता है जब इबादत 1.2 में नृदशत रपूअतनरान अविद्या का अनपुलन इक्या गया हो। इबादत 1.2.2 मे निर्धैरत रपूअतनन अविध, पशौ को रपूअतंरन उत्पडन इकाई मे शिमल इके जान के बाद, जलद स जलद शुरू होगी।

1.3.4.4.5. इबदं 1.3.4.4.1 एस 1.3.4.4.4 मे सदृन्भत ममलो मे,अं गरै-जीवक
पशौ को या तो अन्य पशौ स को अलग रखा जाएगा या उन्हें इबदं 1.3.4.4.4 मे निरिदशत रपूअतनरान अविध क अतं तक पहचानन योगय रखा जाएगा।

▼**एम9**

1.3.4.5. ऑपरटेरो को उत्पति के इरकोर्ड या दस्तावजेई साक्षात् रखन होगं।
पशौ की पहचान, उपयकुत् पर्णाइलयो (परित पश या बचै/झुड़न/छट क अनसुअर) क अनसुअर, होलिडगं मे पशे इके गेद पशौ क पश इचिक्तसा इरकोर्ड, आगमन की तिथि और रपूअतनरन अविध।

▼:...

1.4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20 ...

1.4.1. सामानय पोषण अवलोकन

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) पशौ क लाइए चरा मखुय रपू स उस किरष जोत स परपत इक्या जाएगा जह पशौ को संरक्षित किया गया है या एक ही क्षेत्र में अन्य जोतो स सबंधत जीवक या रपूअतनरन उतपादन इकैयो स परपत इक्या जाएगा;

(ख) पशौ को जीवक या पिरवारीत आहार इखलाया जाएगा जो पश क विकास क विभन्न चरणो मे पोषण पोषण सबन्धनि अवशयक्ताओ को पूर्णाता ह;ै पश्पुलान उत्पडन मे प्रतिभाबिन्धत आहार की अनमुति नहि दी जाएगी जब तक इक पश इचिक्तसाओ कारण स उइचत न हो;

(छ) पशौ को ऐसी पिरसिटिटयो या आहार में नहीं रखा जाएगा जो अनिमाया को सैरावा द;

(घ) मोटा करण की परथाओ मे हमशे परतायके परजैत का लाए सामान पोषण पेटैरन का समन किया जाएगा और पालन पर्किरिया का परतायके चरण मे पाशौ का कल्याण का ध्यान रखा जाएगा; जब्रदसति इखलाना निषदध ह;ै

(ई) साउरो,म मरुगयो और मधुमुकिखयो को छोड़कार, पशौ को चरागाह तक सथयी पहुंच जाएगी, जब भी पिरसिथित्या अनमुइत देगी या उन्हें चरागाह तक सथयी पहुंच होगी;

▼:...

(च) वृध्द सवंर्धक और इस्थानिएटक अमीनो आइस्ड का उपयोग नहीं होगा;

(छ) दधू पित पशौ को अधमनतः अनछच्छदे 14(3) क इबादन (क) क अनसुअर आयोग द्वारा निर्धैरत नयनुतं अविध क लाइए माता दधू इखलाय; उस अवधि के दौरान रसायनिक रापु स सशंलिष्ट घटको या पौध स उत्पनन घटको वल दधू प्रितिस्थापन का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ज) पादप, शवयाल, पश यास्क मालू की खादय सामग्री जीवक होगी;

(i) पादप, शावहायल, पश यास्किल मालू की गैर-जीवक आहार सामग्री, सकुशमजीवी या खिंज मालू की आहार सामग्री, आहार सहायक और पार्संक्रण सहायक सामग्री का उपयोग केवल तभी संभव हो सकता है जब उन्हें जीवक उत्पाद में उपयोग के लिए 24 के तहत उपयोग किया जा सके।

1.4.2. चराई

1.4.2.1. जीवक भीम पराई

इबादन 1.4.2.2 क पितकुलो प्रभाव का इबना, जीवक पश जीवक भीम पर चरेगाँ, गरै-जीवक पश पर्तयके वर्ष सीमा अवधि का उपयोग कर सकत है, बशारत इक उन्हे इविन्यामन (ईय)उ सखन्या 1305/2013 क अनुछदे 23, 25, 28, 30, 31 और 34 के अंतर्गत समरिथत भीम पर पर्यावरण का अनकुलु तारिक स पाला गया हो और जीवक पसौ के साथ एक ही समय मे जीवक भीम पर मजादू न हो।

1.4.2.2. सार्वजिनक भीम पर चराई और मानव-पिरवरत्न

1.4.2.2.1. जीवक पश सर्वजिनक भौम पर चार सकत है,ं बशारत इक:

(क) सामानय भीम को कम स कम तीन वर्षो तक ऐस उत्पदो या पदारथो स उपचरित नहि इक्या गया ह जो जीवक उत्पदन मे उपयोग क िलए अिधकत्रि नहि है;न

(ख) कोई भी गैर-जीवक पश जो आम भीम का उपयोग करता है,ए उस इविन्यामन (ईय)ऊ साखन्या 1305/2013 के अनछुछदे 23, 25, 28, 30, 31 और 34 के अंतर्गत वर्णित भीम पर पर्यावरण का अनकुलु तारिक स पाला गया;

(छ) जीवक पशौ स प्राप्त कोई भी पषधुन उतपाद, जो उस अवधि के दौरान उतपाद एके गए थे जब व पश सर्वजिनक भीम पर चरत थ,के को जीवक उतपद नहीं माना जाएगा, जब तक इक गैर-जीवक पशौ स प्रायपत पथृकक्रण सबत न इक्या जा सका।

1.4.2.2.2. तारासंहयमूनस की अवधि के दौरान, जीवक जानवर चार सकत हैं
जब उनहे एक चरागाह क्षेत्र स दसूर चरागाह क्षेत्र मे पड़ैल ल जा रहा हो, तो उनहे गैर-जीवक भीम पर ल जाना चाहिए। उस अवधि के दौरान, जीवक पशौ को अन्य पशौ स अलग रखा जाएगा। घास और अन्य वनस्पतियों का रपू मे गैर-जीवक चरा, इसस पर पश चरत है, का सवेन कर्ण की अनमुति दी जाएगी:

(क) अधिक्तम 35 इदनो क मिले, इसमे अन-एजान और वापस लौटो यात्रा शाइमल होगी; या

(ख) परित वर्ष कलु चरा राशन का उपदेश 10%, इस्सकी गणना किष मालु का चरा पदारथो क शशुक पदारथ क प रतशत क रपू म कएगा।

▼:...

1.4.3. इन-कनव्रज्न फ़ीद

1.4.3.1. जीवक पषधुन उत्पदन कर्ण वाली कृष जोतो क लीए:

(ए) दसूर वर्ष एस राशन की फीड फार्मलू का औसत 25% तक प्रतिपूर्ति फीस शैमल हो सकता है यह 100% तक प्रमाणित हो जाए, यह सुनिश्चित हो जाए कि यह पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब तक जारी रखा गया है।

(ख) पशौ को लिखै जन वाल कलु औसत चार की मात्रा का 20 वर्ष तक, भीम क रपूतंरन क प्रथम वर्ष मे,ं सथयी चरागाहो,ं उग्र चरा पर्सलो या जीवक प्रबन्धन क अतंर्गत बोइग प्रोटीन फ़सलों की चराई या कटाई स प्राप्त हो सकता है,ए बशारत एक व भीम सव्य जोत का इहसा हो।

जब इबादन (क) और (ख) मे निरिदशट्ट दो परकार क इन-कनवर्जन फिद का उपयोग इखलान क इक्या जा रहा हो, तो ऐस फिद का कलु संयंकुत प्रितशत इब ददं (क) मे निरिधित प्रितशत स अहिधक नहीं होगा।

1.4.3.2. इबादत 1.4.3.1 मे दीदे गाइ अकदोफ़ की गणना वारिस आधार पर की जाएगी। पौध मालु क चार क शशुक पदारथ का प्रितशत।

▼एम9

1.4.4. भोजन व्यवस्था का रखरखाव

सचनालको को फिदगं वैवस्थ और, जहां पार्सिंगक हो, चराई अविद्या का आइकोर्ड रखना होगा। विशेष रापू एस, ई उन्हे फीड का नाम का निर्धारण किया जाएगा, इसमे इस्तमील इके जन वाल इससी भी परकार का फीड जसाई इम्शिरत फीड, राशन की विभान्न फीड सामगरी का अनपुअत और अपन सव्य का होलिडगन या एक ही किसान स फीड का अनपुअत और, जहां पार्सिंगक हो, चराई कष्टेरो तक पहुंच की अवधि, तेरसाहयमून की अवधि जहां प्रतिबन्ध लग होत है और इबादन 1.4.2 और 1.4.3 का अवदेन के दस्तावजेई सबतू शैमल है।

▼:...

1.5. स्वस्थ्य देखेभाल

1.5.1. रोग की रोकथाम

1.5.1.1. रोग की रोकथाम नाक और सत्रे का चयन पर लाभ होगा, पश्पुलान प्रबन्धन पदधिता, उच्छ गणुवत्ता वाला चरा, व्यायाम, उइचत भण्डारन घनत्व और स्वच्छ पिरसिथित्तयो मे निर्मित किया गया पर्यापत एव उपयकुत् आवास।

1.5.1.2. प्रतिरक्षात्मक पश इचिक्तसा औषधीय उतपादो का उपयोग करना संभव है।

1.5.1.3. रसायनिक रपु स सश्नलिष्ट एलोपीथक पश इचिक्तसा औषधीय उतपद, एटनिबायोइटकस और सशंलियेष्ट एलोपीथक रसायन अनौ का बोलस संगत, निवारक उपचार का उपयोग नहीं किया जाएगा।

1.5.1.4. वृद्ध या उत्पदन को लाभ दने वाल पदारथ (एतनिबायोइटक, वृध्द को लाभ दने क इलै कोकसिडिओसटिटेक्सस और अन्य कत्रिरम सहायताए) तथा पर्जनन को न्यातनमृत करण या अन्य उद्दशेय्यो (जसाई इक कामोतत्जेना को प्रिएरत करना या समनवियत करना) क िलए हरमोण और इसी प्रकार के पदारथो का उपयोग नहीं किया जाएगा।

1.5.1.5. जहां पषधुन गैर-जीवक उत्पदन इकैयो स प्राप्त इक्या जात ह,ै सथानीय पिरसिथतयो क आधार पर सक्रीयंगं परीक्षण या सगंरोध अविध जसाई विशेषे उपाय लग होगं।

▼:...

1.5.1.6. कवेल पषधुन भवनो मेसफाई और कीतानशुओधन क िलए उतपाद
और अन्य अनछुए 24 के तहत जीवक उपाय मे उपयोग के लिए अध्यक्तृति स्थापितनो का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।►**एम9** सचनालको को एक उतपादो का उपयोग का उद्देश्य रखा जाएगा, इसमे उतपाद का उपयोग की इथ या इतिथया, उतपाद का नाम, उसका सकिराय पदारथ और ऐस उपयोग का स्थान शैमल होगा।

1.5.1.7. आवास, पने, उपकरण और बरात ठीक स सफा इके जायेगं और
संक्रमण और बीमारी फलियान वाल जीवो के निर्माण को रोकने के लिए कीतनरुइहत इक्या जाना चाहिए। मल, मतुर और इबाना क या इगरा हउ चरा गधं को कम करन और कीदो या कनृतको को गनिष्ठत करन स बचन क लेइ इजतनी बार अवशेक हो अत्याधिक बार गिरा दिया गया। कृतंकनाके, इसाका उपयोग कवेल जल मे इक्या जाना चाहिए, और जीवक उत्पदन मे उपयोग कइले अनछुदे 9 और 24 के अनसुअर अधिक्तृति उतपाद और पदारथ, बिल्डिंगो और अन्य प्रितस्थनो मे कीटो और अन्य कीटो उन कम्मुन का इस्तेमाल किया जा सकत है झा पशुनचाकरी जाता है

1.5.2. पश इचिक्तसा उपचार

1.5.2.1. जहां एक व्यक्ति बीमार या घायल हो जाता है
पशौ क स्वस्थ्य को सिनुश्चत करण क लाइए उनका तुरतं उपचार किया जाएगा।

1.5.2.2. पश को कष्ट से बचने के लिए रोग का उपचार करना चाहिए।
रसायिनक रापू स सशंलियेष्ट एलोपीथक पश इचिकत्सा औषधीय उतपाद, इनेमे एटनिबायोइटक्स भी शैमल है, न का उपयोग जहा आवशयक हो, सखत् शर्तो का अनुसरण और पश इचिकतस्क की इसममदेरी का कार्य इक्या जा सकता है, ए जब फाइटोथैरेपिय्युटक, होमायोपिथक और। अन्य उत्पदो का उपयोग अनिच्छत हो। विशेषे रपु स, उपचार क पाठयकर्मो और वापसी अविध क संबधं मे प्रतिबन्धं पिरभैषत एके जायगं।

1.5.2.3. खिंज मालू की फीड सामग्री अनछुड़े 24 का अनसुअर अध्यक्तरी है
जीवक उत्पदन में उपयोग, जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अनूच्छदे 24 क अनसुअर अधाकता पोषण संबंधनी मेकर, तथा फाइटोथेरेपेय्युटक और होमायोपिथक उत्पदो का उपयोग एतानिबायोइटक औषधि के साथ-साथ रसायनिक रपू स सशंलियेष्ट लोपिथक पश इचिक्तसा औषधीय उपचार के साथ-साथ उपचार की तालुना में पर्थिमकता दी जाएगी, बशारत इक उनकी इचिकत्सीय परभाव पश की परजैत और उस सिथित के लिए परभावी हो इस्साक लाइए उपचार का इरादा है।

1.5.2.4. टीकाकरण, परजीवियो और जीवनौ क उपचार क अपवाद क साथ
इन्वाराय इनमलून योजनाओ के तहत, जहां किसी पश या पशौ का साम्हू को 12 माहीनो का इनसाइड एटेनबायोइटक दवाओ सहत रसायन रापू स सशंलियेष्ट एलोपीथक पश इचिकत्सा औषधीय उतपदो का सह उपचार का तीन एस अहाधक कोर्स इमलत है, या येदिद उनका उत्तापक जीवन चक्र एक वर्ष एस कम ह,ए तो उपचार क एक स अघक कोरस इमलत है,न न तो सबंधत पषधुन और न ही ऐस पशधुन स प्राप्त उतपद को जीवक उतपदो का रपू मे बचाएगा, और पशधुन इबादन 1.2 मे सदारिभत रपूअतनन अविध का समर्थन होगा।

1.5.2.5. इस्की पश को अंतम बार इदे जन वाल इजंकेश्न क बीच की वापसी अविध सामानय उपयोग की पिरसिथतयो मे एक रसायनिक रापू स सशंलियेष्ट एलोपीथक पश इचिकत्सा औषधीय उतपाद, इसमे एतानिबायोइक भी शाइमल ह,ै और उस पश स जीवक रापू स उतपइदत खद्यय पदारथो का उत्पडन, निर्देश 2001/82/ईसी का अनछुदे 11 में नृदशत् वापसी अवधि स दोगनुआ होगा, और कम स कम 48 घटं होगा।

1.5.2.6. मानव एव पश स्वास्थ्य की सुरुक्ष स सबंधत् उपचार
सघनिय कनु का आधार पर लगाए गए जुरमान की अनमुति होगी।

▼एम9

1.5.2.7. ऑपरटर इस्की भी परकार का इरकोर्ड या दस्तावजेई साक्षीगण।
लग गया इलाज और, विशेष रपू स, इलाज की इतिथ, निदान, खारूक, इलाज का नाम और, जहां लग हो, पश इचिकत्सा दखेभल का लाइए पश इचिकत्सा नासुखा, और पशधुन उत्पदो को विपन्न कर्ण और जीवक रपू मे लेबल कर्ण स प्रथम लाग की गई वापसी अवधि।

▼:...

1.6. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

1.6.1. बिल्डिंग का इनस्लुशेन, हिटगन और वेंटलशेन एस यह सिनुशिचत होगा इक हवा का सचंसार, धलू का सत्र, तापमान, सापकेश वय आद्रता और गैस सदारन्ता ऐसी सीमाओ का इनसाइड जाए जो बीस्टों की गारंटी सिनुशिचत कर। पर्वशे करण की अनमुति हो चाए।

1.6.2. पशौ को मिले आवास उन क्षत्रो मे अइनवार्य नहि हो, जा उपयकुत् जलवाय पिरसिथित्या हो, जंहा पश बाहर रह सके। ऐस ममलो मे,पशु को परितकलू मौसम की स्थिति स बचन क लिय आश्रय या छायादार कश्तेरो तक पहुंच हो जाए चाइहए।

1.6.3. बिल्डिंगो मे पशौ क रहन का घंटाव पशौ क आराम, स्वस्थ्य और परजैत-विशेषत आवश्यक्ताओ को ध्यान में रखा जाएगा, और यह विशे रपू स पशौ की परजैत, नसल और आय पर नर्भ्र करगेआ। इसमे पशौ की वैवहैरक अवशयक्ताओ को भी ध्यान मे रखा जाएगा, जो विषेशे रापू स समहू का आकार और पशौ का इलगं पर निर्भ्र देता है।अंघनतव पशौ को सवभैवक रापू स खद होन,ए इहलन-एडलुन,ए आसानी से एस लटेन,ए घमून ,ए खदु को संवारन,ए सभी पराकिरतक मदुरै अपानन और सभी पराकिरतक दोषे करण,ए जसै इक इचाचनाव और पखं फड़फड़ाना, क लीए पर्यापत सथंन परदान करक उनक कल्याण को सिनुश्चत करगे।

1.6.4. अनुच्छेद 14(3) मे नृदशत कार्यान्वयन अधिनयमो मे निर्धैरत आतनिरक और बाहरी क्षत्रो का इले नयनुतम सतह और आवास स सबंधत तकनीक का अध्ययन करना।

1.6.5. खलुई हवा वाल कश्तेरो को एंशाक रपू सा बढ़ा जा सकता है। बरामदो को खलुई हवा वाल कश्तेरो नहीं माना जाएगा।

1.6.6. कलु भण्डारन घनतव परित वर्ष परित हकितयेर किरष क्षेत्र मे 170 इलोगराम कार्बिनक नाइट्रोजन की सीमा स अघक होगा नहीं।

1.6.7. इबदं 1.6.6 मे नृदशत पषधुन क उपयकुत् घनतव का निर्धारण करण क इलै, सक्षम परिधाकारी पश् उत्पदान क पत् यके पकार क लइले विशेषत अवशयक्ताओ मे नरिधृत आकन्दो का अनसुअर, इबदं 1.6.6 मे निरिदशत सीमा क समल्युय पषधुन इकैयो को निरधिरत करगे।

1.6.8. पशू को पालने के लिए पिजंरो, बक्सो और नमक डके का उपयोग इसलिए भी करना चाहिए।

1.6.9. जब पश इचिकत्सा कारणो स पशौ का व्यकितगत रपू स उपचार इक्या जात ह,इ तो उन्हे ठोस फरश वाली जगह पर रखा जाना चाहिए और उन्हे पॉल या उइचत इबस्त्र उपलब्ध लॉग जाना चहए। पश को आसानी से स गमून और परुई लबनै मे आराम स लटेन मे सक्षम होना चाइए।

1.6.10. जीवक पशु को बहुत गाइल या सोगमी भीम पर नहीं पाला जा सकता है।

इमिट्टी।

▼:...

1.7. पश कल्याण

1.7.1. पशौ को राखन और पिरवाहन तथा वध क अवधि पशौ को सभनलान मे शाइमल सब व्यकितयो क पास पशौ क स्वस्थ्य और कल्याण सबन्धनि आवश्यक्ताओ क सबंधन मे आश्वासन बिधि ज्ञान और कौशल होना चाहिए तथा उनहे पर्यापत परीक्षण प्राप्त करना चाहिए, जसैआ इक विशेष रपु स पिरषद विविनयमन (ईसी) साखन्या 1/2005 मे एक्पेकिष्ट ह।[1]) और पिरषद इविनियमन साखन्या (ईसी) 1099/2009 ([2]), इस अनुशासन में निर्धैरत नियमो का उइचत् अनपुरयोग सिनुश्चत् करण का इलाय।

1.7.2. पश्पुलान की पार्थाओ, इससमे पशौ का घंटाव और आवास की सिथित शैमल ह,ऐ को यह सर्यूशिचत करना चाहिए इक पशौ की वकासातमक, शरीरिक और नियैतक अवशयक्ता पुरई हो।

1.7.3. पशौ को खलु वाय कष्टेरो तक सथयि पच्छं होगी, जो पशौ को व्यायाम करण की अनमुइत तिथि है,ं अधमानतः चरगाह, जब भी मौसम और शिष्य सिद्धया और भूमि की सिथित अनामुति दति ह,ऐ इस्वाय उन मामलो को छोड़कर जहां मानव और पश सवसथ्य की सरुक्षा स सबंधत् प्रतिबन्ध और दयत्व सघंय कनु का आधार पर दिया गया है

1.7.4. पशौ की साखन्या सीमता रक्खी ताइक एतिचरण, मद्रा अपरदन, पशौ दवारा या उनक गोबर का फलियाव सन हो वाल पर वल परदशुण तथा मद्रा अपरदन को नयनुतम इक्या जा सके।

1.7.5. पशौ को बांधना या अलग रखना प्रतिबिन्धत होगा, इस्वाय व्यकितगत पशौ का मामला मे सिमत अविध का होना और जब तक पश इचिक्तसा कारण स ऐसा करना उइचत हो। पशू को अलग रखने के लिए केवल अध्याक्ता इक्या जा सकता है, ऐ और कवेल सीमात अविद्या का लाइए, जब श्रीमको की सरूक्षा स साथ इक्या जात ह या पश कल्याण कारणो स। मविशयो को बंधन की अनमुति दा सकत है, जहां मविशयो को उनक व्यवाहर की अवशयक्ताओ का अनसुअर समहुओ मे रखना सभंव नहीं ह,ए बशारत इक चराई की अवधि के दौरान उनके पास चारागाह तक पहुंच हो और जब चराई सभंव न हो, तो सप्तह मे कम स कम दो बार खलुई हवा वाल कश्तेरो तक उनकी पहुंच हो।

1.7.6. पषधुन क पिरवहन की अविधि नयनुतम रक्खेगी।

1.7.7. इनमें से किसी एक की पीड़ा, दर्द और पीड़ा से बचना चाहिए तथा पश के सपंरुण साहस के दौरान, वध का समय संगत, इस नयनुतम को स्थापित करना चाहिए।

1.7.8. पश कल्याण पर सघनिय कनु मे वकस क प रत परूवागढ़ क इबना, भदेो क पछन कतन, जीवन क पहिली तीन इदनो म चोचं कतन, और सगं नकालना अपवादस्वरुप अनमु त द जा सकत ह,य लइकन कवेल मामला-दर-मामला आधार पर और कवेल म जब उन पार्थो स पषधुन क स्वास्थ्य, कल्याण या स्वच्छता में साधुअरा होता हो या जहां शरिमको की सुरक्षा स अन्यता एग्रीमेंट हो हो। दगं की अनमुति कवेल ममल-एदर-मामला आधार पर दी जा सकती है जब इसस पषधुन का स्वास्थ्य, कल्याण या स्वच्छता मे साधुआर होता हो या जहां शिरमो की सरुक्षा स अन्यता साथ हो बि हो। सक्ष्म प्रार्थी कवेल ऐस सचानलन को अध्यक्तृत करगेआ जा सचानलक न उस सक्ष्म प्रार्थी को सचानलन का बार मे इविधवत अधसिउचत और उइचत जय हो और जा सचानलन योगय करिमयो द्वार इक्या जाना हो।

([1]) पिरवहन और सबंधत कार्यो का अवधि पशौ की सरूक्षा पर 22 इदसंबर 2004 का पिरषद इविनयमन (ईसी) सख्या 1/2005 और निर्देश 64/432/ईईसी और 93/119/इसी और इविनयमन (ईसी) साखन्या 1255/97 (ओजे एल 3, 5.1.2005, पृष्ठ 1) मे ससंोधन।

([2]) पशौ को मारत समय उनक सारांश पर 24 इस्तंबर 2009 का पृष्ठ इविनयमन (ई.सी.) साखन्या 1099/2009 (ओ.जे.एल. 303, 18.11.2009, पृ. 1).

▼:...

1.7.9. पशौ को होने वाली इस तरह से भी परकार की पीड़ा को परयापत एनसेथिसया और/या एनालजिएसया दकेर तथा पर्तयके अपरशेन योगय करीमयो दवारा कवेल सबस उपयाकुत आय मे कर्क कम इक्याओगे।

1.7.10. पश की गनुवत्ता बनाए रखें, शरीरिक बिधायकन की अनमुति दी जाएगी। उतपदो और परपणिरक उतपदन पार्थाओ, लइकन कवेल इबदं 1.7.9 मे निर्धैरत शरतो के अंतर्गत।

1.7.11 पशौ को चढ़ान और उत्तान का कार्य इबाना अनमुइत का इक्यागे। बेस्टो को मज़बूर करण क लाइए इससी भी परकार क विदयतु या अन्य दर्दनक उतत्जेना का उपयोग न करें। पयरवहन स पहले या उसक दौरान एलोपीथक टेरैकंविलाइज़र का उपयोग निषध्द होगा।

▼**एम9**

1.7.12. ऑपरटर इस तरह से भी विशिष्ट का रिकार्ड या दस्तावजेी साक्षीगणे लाग सचानलन और इबादत 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 या 1.7.10 क अवदेन क औइचताय। पशौ को जोतन का सबंधन मे, जंहा परसिंक हो, नमनलिखत दते दर्ज इक्यागे: आय,उ पशौ की सखन्या, वध इके जान वाल पशौ का वजन, उइचत पहचान (परित पश या बचै/झुड़न/छत का अनुसार) परस्थान की इतिथ और गत्वाय।

▼:...

1.8. अपरसंक्त्र उतपादो की तयारी

यिद पर्संक्रन क बू अनय तयारी करय पषधुन पर इके जात है,न तो भागचतुर्थ के इबादत 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 2.2.3 मे निर्धैरत सामानय अवशक्ताए लग होगनि। *यथोइचत् पूर्वरत्न संहत*इस तरह का कार्ययो क िलए.

1.9. अतिरक्त सामानाय नियम

1.9.1. गो वंशीय पशौ,अं भदेइया पशौ,बकिरयो वाल पशौ और अश्वीय पशौ क मिलाए

1.9.1.1. पोषण

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) कम से कम 60% चारित्र फरम स ही आ या, यिद यह सबं नह ह या ऐसा चरा उपलबध सम नहि ह,ए तो कश्तर सा चरा और चरा सामग्री का उपयोग करक अन्य जीवक या इन-कनवर्जन उत्पडन इकैयो और चरा सचानलको का सहयोग स उत्पडन किया जाएगा। यह 70% तक की छूट देता है।

► **एम3** 1 जनवरी 2024 ◄;

(ख) पषौ को चरण क लाइए चरागाह तक पहुंच जाएगी, जब भी पिरसिथित्या अनमुित देगी;

(छ) इब्नद (ख) का होत हउ भी, एक वर्ष स अधक आय क नर गो जातीय पशौ को चरागाह या खलुई हवा वाल कश्तर तक पहुंच जाएगी;

(घ) झा पशौ को चराई अवध का बीच चरागाह तक पहुंचें परपत होता है और झा शीतकालीन आवास वैवस्थ पशौ को सवतंतरपर्वक विचरण करण की अनमुइत दते ह,ए वहा सरिदयो क महीनो क अवधि खलुई हवा वाल क्षेत्र उपलबध करण की बधायता स छतु दी जा हो;

(ई) पालन पर्णैलया वर्ष की विभान्न अविद्या मे चारगाहो की उपलब्धा क सदृभ मे, चरागाह का अध्याक्तम उपयोग पर लाभ होगा;

▼:

(च) दिनाक राशन में शुक पदारथ का कम स कम 60% भाग राग, ताजा या सखुआ चारा या सिलजे सब बनना चाहिए। यह परितशत दयेरी उत्पदन मे लग पशौ क लाइए पररिभक सतनपन अवधि में अद्धतम तीन माहीन तक अबोध 50% इक्या जा सकता है।

1.9.1.2. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(क) आवास का फरश इचकना होगा, परतं इफसलान वाला नहीं होगा;

(बी) आवास में पर्यापत आकार का आरामदायक, साफ और आरामदायक घर या आराम कर्ण का कष्टेर उपलब्ध द्वार, इसमे ठोस निर्माण शैमल होगा जो सल्ल टेडे नहीं होगा। आराम करने के लिए कश्तर में कडू की सामग्री का उपयोग करें।

कडू मे पॉल या अन्य उपयकुट परकिरितक सामग्री शैमल होगी। कडू को इससी भी खिंज उतपद स सधुअरा और समदृध इक्या जा सकता है जो जीवक उत्पडन मे उपयोग के लिए उर्वरक या इमात्त्ति कडनिशानर का रपु मे अनछुछदे 24 का अनसुअर अधाक्तरी ह;

(सी) पीरशाद निर्देश 2008/119/ईसी के अनछुदे 3(1) के पहले उपरायग्राफ़ की इबादत (ए) और अनछुदे 3(1) क दसूर उपरागराफ का बवज्दू (1), शालदो को एक सप्ताह की आय के बाद अलग-अलग बकसो में रखा जाएगा, जब तक इक यह सीमा अवधि का अलग-अलग पशौ क लाए न हो, और जहां तक पश इचिक्तसा कारणो स यह उइचत हो;

(घ) जब पश इचिक्तसा कारणो स शाल्ड का व्यकितगत रपू स उपचार इक्या जात ह,इ तो ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां सॉलिड बारश हो और वह पॉल का इबस्त्र उपलबध हो। शील्ड को आसानी से गमून और परुई लबनै मे आराम सा लेटने में सक्षम होना चाहिए।

1.9.2. गर्भाशय ग्रीवा का जानवरो का इला

1.9.2.1. पोषण

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) कम से कम 60% चारित्र फरम स ही आ या, यिद यह सबं नह ह या ऐसा चरा उपलबध सम नहि ह,ए तो कश्तर सा चरा और चरा सामग्री का उपयोग करक अन्य जीवक या इन-कनवर्जन उत्पडन इकैयो और चरा सचानलको का सहयोग स उत्पडन किया जाएगा। यह 70% तक की छूट देता है।

► **एम3** 1 जनवरी 2024 ◄;

(ख) पषौ को चरण क लाइए चरागाह तक पहुंच जाएगी, जब भी पिरसिथित्या अनमुित देगी;

(छ) जाहा पशौ को चराई अवध का दौरान चरागाह तक पहुंचे परपत होता है और झा शीतकालीन आवास वैवस्थ पशौ को सवतंतरपर्वक विचरण करण की अनमुइत दते ह,ए वहा सरिदयो क महीनो क अवधि खलुई हवा वाल क्षेत्र उपलबध करण की बधायता स छतु दी जा हो;

(घ) पालन परनैलया वर्ष की विभान्न अविद्या मे चरगाहो की उपलब्धा क सदृभ मे चराई का उपदेशम उपयोग पर लाभ होगा;

(1) 18 इदसंबर 2008 का परिषद् निर्देश 2008/119/इसी इसमे शालदो का संरक्षण क इले नयनुतम मानक नृधैरत एके गए हैं (ओजे एल 10, 15.1.2009, पृष्ठ 7)।

▼:...

(ई) दैनिक राशन में शुक पदारथ का कम सा कम 60% भाग रफजे, ताजा या सखुआ चरा या साइलजे होगा। यह प्रितशत दधू उत्पदन मे मैदा गर्भाश्यि पशौ क लाइए परिरिभक सतनपन मे अधिक्तम तीन माहिन की अवधि क 50% तक कम इक्या जा सकता है;

(च) वनसप्त काल के दौरान परत मे पराकीर्तक चराई सिनुश्चत की जाएगी। ऐस बाड़े जो वनस्पित काल का समय चारै द्वार चार उपलब्ध नहीं करा सकात, उन्हें अनमुति नहीं देगा;

(छ) चरा इखलान की अनमिुत कवेल मौसम का कारण चरा की कमी की स्थिति में ही देगा;

(ज) बाड़े मे पाल गाए पशु को स्वच्छ और ताजा पानी उपलब्ध ग्रिड। यिद पशौ क िलए आसानी से उपलबध होने वाला पानी का कोई पराकिर्तक सरोत उपलबध नहीं ह,ै तो पानी इपलान क िलए सथान उपलबध िकया जाएगा।

1.9.2.2. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(क) इहरण पशौ को इच्छपन का साथान, आश्रय और बड़ उपलबध प्रौद्योगिकी जायगं,ए इजास पशौ को कोई नकुसान न पहुँचे;

(ख) लाल बिहारो का बडो मे, जानवरो को तवचा की दखेभल और शरीर का तापमान क न्यामन कइले कीचड मे लोटन मेस्म सक होना चाइहए;

(जी) इससी भी आवास का फरश इचकना होगा, परतं इफ़सलान वाला नहीं होगा;

(घ) इनमे से किसी भी आवास मे आरामदायक, सफ़ा और सखुआ इभान या आराम करने के लिए कश्तर उपलबध का उपयोग करे, इसमे ठोस निर्माण शैमल होगा जो सल्ल टेडे नहीं होगा। आराम करने के लिए कश्तर में कडू की सामग्री सब भरा परयापत सखुआ इबस्त्र उपलब्ध द्वार। कडू मे पॉल या अन्य उपयकुट परकिरितक सामग्री शैमल होगी। कडू को जीवक उत्पदन मे उपयोग क लीए उरव्रक या इमात्त्ति कदनिशनर क रापू मे अनछछदे 24 क अनसुअर अध्याक्त्रि इससी भी खिनज उतपाद स सधुअरा और समदृध इक्या जा सकता है;

(ई) चरागाहो को मौसम स सरुक्षत क्षतेरो मे सथैपत इक्या और पशौ तथा उनका दखेभल करण वाल व्यकिटयो दो क िलए सलुभ होगा। इस इमात्त्ति पर चरागाह सिथत है, एक समेकित इकायागे, तथा चरागाह उपकरणों को छत स सुजिजित इक्यागे;

(च) यिद चार तक सथयी पहुंचं स्यूनशिचत नहि की जा सकत ह,ै तो चरा सथनो को इस पार्कर आईडीजाइन इकया होगा एक सब पश एक ही समय में चार खा सके

1.9.3. सुर जासै जानवरो का इला

1.9.3.1. पोषण

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) कम से कम 30% चारे का फ़्म सा ही आता है या, अगर यह सभंवा नहीं है या ऐसा चारा उपलबध सम नहि ह,ए तो कश्तर सा चारा और चारा सामग्री का उपयोग करक अन्य जीवक या इन-कनवर्जन उत्पदन इकैयो और चारा ओपरेटेरो का सहयोग स उतपइदत किया जाएगा;

▼:...

(ख) कैरा, ताजा या सखुआ कैरा, या सिलजे को डाइनक राशन में शैमल इक्या जाएगा;

(छ) जहां इसान विशेष रपू स जीवक उत्पदन स प्रोटीन आहार प्राप्त करण मे असमरथ है,ए वहा गैर-जीवक प्रोटीन आहार का उपयोग तब तक करें जब तक यह संभव न हो जाए।►**एम3** 31 दिसंबर 2026◄ बशारत िक नामनिलिखत शरते पुरुई हो:

(i) यह जीवक रपु मे उपलब्ध नहि ह;ै

(ii) इस रसायन का इबना उत्पीड़त या तयार इक्या गया हो;

(iii) उपयोग35 इलोगराम तक क सऊर क बचचो को विशेष प्रोटीन यौगक इखलान तक सीमत ह;ै तथा

(iv) उन पशौ क िलए12 माह की अवधि मे अविधि अविधि अध्यक्तम प्रितशत 5% स अ धिक न ह।ै किष मालु स परपत चार क शशुक पदारथ का परितशत गणना की जाएगी।

1.9.3.2. आवास एव पश्पुलान पार्थे

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(क) आवास का फरश इचकना होगा, परतं इफसलान वाला नहीं होगा;

(बी) आवास में पर्यापत आकार का आरामदायक, साफ और आरामदायक घर या आराम करण का कश्तर उपलब्ध लेट जाएगा, इसमे ठोस निर्माण शिमल होगा जो साल्ट टेडे नहीं है। आराम करण का कश्तर मे कडू की सामग्री स भरा परयपत सखूआ इबस्तर उपलब्ध रुकेगा। कडू मे पॉल या अन्य उपयकुट परकिरितक सामग्री शैमल होगी। कडू को जीवक उत्पदन मे उपयोग क लीए उरव्रक या इमात्त्ति कदनिशनर क रापू मे अनछछदे 24 क अनसुअर अध्याक्त्रि इससी भी खिनज उतपाद स सधुअरा और समदृध इक्या जा सकता है;

(छ) हमशेआ पॉल या अन्य उपयकुट सामग्री स बना एक इबस्त्र होना चाहिए जो इतना बड़ा हो इक पेज मे सभी सूरज एक ही समय मे सबस अहाधक जगह घरेन वाल तारिक एस लेट सके;ं

(घ) साउरो को गर्भस्थ का अंतिम चरण और दधू इप्लान की अवधि को छोड़कर, समहू मे रखा जाएगा, इस दौरान साउर को अपन बार मे सवतंर रपू स घमून मे सक्षम होना चाहिए और उसकी अवकाश कवेल छोटी अवधि के मिले परितबिंधत की जाएगी;

(ई) भसू की इससी भी अतिरकत अवशयक्ता पर प्रतिकुलो प्रभाव डाल इबना, अपकेष्ट परसव स कछु इदन पहल,ए सुरौ को पर्यापत मात्रा में भसूआ या अन्य उपयाकुत पराकिरतक सामग्री प्रदान की जाएगी जो उन्हें घोसनल बनान में सक्षम बनाएगी;

(च) व्यायाम क्षेत्रो मे सुर का जानवरो दवारा गोबर डालन और जड खोदन की अनमुति होगी। जद खोदन क उद्दशेय स,ए विभन्न सब्स्तेरे का उपयोग इक्या जा सकता है।

▼:...

1.9.4. मुर्गीपालन का इला

1.9.4.1. पशौ की उत्पतित

गहन विधि का उपयोग रोकन के लिए किया जाए, मेरुगयो को या तो नयनुतम आय तक पाला जाएगा या फिर उन्हे मध्यम गीत एस बंधन वाली मुरुगी परजैतयो स लाई जाएगी जो बाहरी पालन को धारण करेगी।

सक्ष्म परिधकारी मध्यम गीत स बुध न वलि परजैत्यो क मानदं नृधैरत करगे या उन परजैतयो की सचुई तयार करगे तथा यह जानकारी अपरतेरो, अनय सदसय राजयो और योग को उपलबध सोगा।

जहां इसान दवरा धूमिल गीत स बुधन वाली मरुगी परजैतयो का उपयोग नहीं इक्या जात ह,ए वह वध की नयनुतम आय इमानसुअर होगी:

(के) मरुगयो क िलाए 81 इदान;

(बी) कपियोन्स के 150 दिन;

(जी) पिएकगं बको क िलाए 49 आईडीएन;

(घ) माडा मस्कोवी बत्तखो की 70 इदान;

(ई)नर मसुकोवी बत्तखो के 84 इदान;

▼**सी2**

(च) मालुर्ड बत्तखो की 92 इदान;

▼:...

(छ) इग्नी मुरुगी के 94 इदान;

(जे) नर टर्की और रोसिटगं गीज़ के 140 आईडीएन; तथा

(i)मादा टर्की का इला100 आईडीएन।

1.9.4.2. पोषण

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) कम से कम 30% चारे का फ़र्म सा ही आता है या, अगर यह सभंवा नहीं है या ऐसा चारा उपलबध सम नहि ह,ए तो कश्तर सा चारा और चारा सामग्री का उपयोग करक अन्य जीवक या इन-कनवर्जन उत्पदन इकैयो और चारा ओपरेटेरो का सहयोग स उतपइदत किया जाएगा;

(ख) कैरा, ताजा या सखुआ कैरा, या सिलजे को डाइनक राशन में शैमल इक्या जाएगा;

(जी) जहां इसान पोलत्रि परजैतयो क लीए विशेषे रपू स जीवक उत्पदन स प्रोतिन फीड प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, और सक्ष्म प्रार्थी न पशूट की ह इक जीवक प्रोटीन फीड, प्रयाप्त मात्रा में उपलबध नहीं है, ए तब तक गैर-जीवक प्रोटीन फीड का उपयोग करना संभव नहीं है**एम3** 31 दिसंबर 2026◄, बशारत िक नामनिलिखत शरते पुरुई हो:

(i) यह जीवक रपु मे उपलब्ध नहि ह;ै

(ii) इस रसायन का इबना उत्पीड़त या तयार इक्या गया हो;

(iii) इसका उपयोग यवुआ मुरुगयो को विशिष्ट प्रोटीन यौइगक इखलान तक सीमत ह;ै तथा

▼:...

(iv) उन पशौ क िलए12 महीने की अवधि का अविधि अविधि अध्यक्तम प्रितशत 5% स अघक नहीं है।

1.9.4.3. पश कल्याण

मुरगी क जीवत पखं निष्कलना मृतबिन्धत होगा।

1.9.4.4. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(के) फरश कश्मीर का कम एस कम एक इथाई इहसा ठोस होगा, अरथत सल टेडे या गिरड निर्माण का नहीं होगा, और इस पॉल, लकडी का चकन, रते या टर्फ जसाई कडू की सामग्री सा बढ़ेगा;

(ख) अदना दाने वाली मुरगयो क लाइए मुरगी घरो मे,ं मुरगयो क लाइए उपलबध् फरश क्षेत्रर का पर्यापत बदा इहसा पकिष्यो क मल क सगंरह क लइ उपलबध होगा;

▼एम9

(सी) परतायके बचै मे मुरगी पालन का बाद भवनो को पशौ स खाली इक्या जाएगा। इस बिल्डिंग के दौरान और फिटगन को साफ और कीतानुरिहत बनाया जाएगा। इसक अलावा, जब मुरगी पालन का परतायके बचाव का पालन हो जाता है, तो सदसय राज्यो दवारा निर्धैरत अविध के दौरान रन को खाली छोड़ इदयाउगे ताइक वनसपित को इफर स उगन इदया जा सके। या दस्तावजे सबतू रखन होगं अवशक्ताए उन जगहो पर लग नहीं होगनी जहां मुरगी बचैओ मे नहीं इक्या जात ह,ए उन्हे रन मे नाही जात ह और वी परू इदं घमून का इलै सवतंर है;न

▼:...

(घ) मुरगी पालन करण साथियों को अपने जीवन का कम एस कम एक इथाई समय तक खलुई हवा वाल कष्टेर मे रहन की अनमुति होगी। हलाइक, अडना दाने वाली मुरगी और फिंशर मुरगी ने अपने जीवन का पालन-पोषण किया, लोगों को अपने जीवन का कम-से-कम एक इथाई समय तक खलुई हवा वाल क्षेत्र मे रहन की अनमुति होगी, इस्वाय उन ममलो को छोड़कर जहां सघं का काननू का आधार पर अस्थायि पतिबंधन हो गया है ;ं

(ई) यथासभं कम आय स ही तथा जब भी शरीरिक और भूतक पिरसिथित्या अनमुित दे,दं इदं का समय खलुई हवा मे नरतंर पछं पर्दान कीगी, इसवय उन ममलो को छोड़ाकर जहां सघंय कनु का आधार पर अस्थायि पतिबंधन लागू हो गए;

(च) इबदं 1.6.5 स अपवाद क रपू मे, 18 सप्तह स कम आय क प्रजनन पक्षो और मुरगयो का ममल मे, जब सघंय कनु क आधार परलोकित मानव और पश स्वास्थ्य क सरंक्षण स सबंधत पितबधनो और दयातववो क सबंधं मे इबदं 1.7.3 मे नृदशत शरते पुरई हो जाती है और 18 सप्तह स कम आय का पर्जन पकिषयो और मुरगयो को खलुई हवा वाल कश्तेरो तक पहुंच स रोकती है, तो बरामद को खलुई हवा वाल कश्तेरो का रपू मे माना जाएगा और ऐस ममलो मे,न अन्य पकिशयो को बाहर रखन का इलै तार की नकली वाला बाधक होगा;

(च) मुरगीपालन क लाइए खलु वाय कष्टेर मे मुरगयो को पर्यापत सखन्या मे पिन क कुदनो तक सहजता से पहुँचे उपलब्ध होगी;

(ज) मुरगीपालन क लीए खलु वाय कष्टेर मखुयतः वनस्पित स आच्चिदत् होगं;

▼:...

(i)ऐसी पिरसिथितो मे झा रेजं क्षेत्र स चार की उपलब्धा सीमा ह,ई उदाहरण के आइए, बर्फ़ कवर या शशुक सीज़न की सिथित का कारण तक लबें समय, पॉल्ट्री आहार के इहस्स के रपू में रफ़्ज़े का पुरुक आहार शिमल इकायागे;

(जे)जहा सघंय कन्नु क आधार परप्लांट गे पितबधनो या दैत्यवो क कारण मरुगयो को घर का आदर रखा जाता है, वहा उनके नैतिक आविष्कारों को परुआ करण कहा जाता है, उन्हे पर्यापत मात्रा में चरा और उपयाकुत सामग्री तक सथयी पहुंच होगी;

(त) जल पक्षयो को उनके परजैत-विशेष अवशयक्ताओ और पश कल्याण अपकेशाओ का सम्मान कर्ण कि लाइए, जब भी मौसम और स्वस्थ्यकर पिरसिथित्या अनमुइत दे, इसी जलधारा, झील, झील या पालू तक पहुंच जाएगी; जब मौसम की सिथितया ऐसी पहुंच की अनमुति नहीं डेटी है, तो उन्हे पानी तक पहुंच देगी इजास व अपन इसर को आकंठ डूबो सके ताक व अपन पखं साफ कर सके;

(थ) पराकिर्तक प्रकाश को कत्रिरम साधनो दवारा परुक इक्या जा सकता है,ए इस्सास परिंतिदन अध्यक्तम् 16 घटं प्रकाश उपलबध हो सक,एतथा इब्ना कत्रिरम प्रकाश क कम स कम आठ घटं की रातिर विश्राम अवधि हो;

(एम) इससी भी उत्पदन यूनिट के पोल्ट्री घरो में पोल्ट्री को मोटा करण का मिला कलु उपयोगी सतह 1600 मीटर से अधिक नहीं होगी2;

(ढ) इससी ककुक्तु घर क एक कक्ष मे 3000 स अढक अंड दने वाली मरुगया राखन की अनमुति नहीं देगी।

1.9.5. खरगोशो का इला

1.9.5.1. पोषण

पोषण के संबंधं में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) कम स कम 70% चारा फरम सा ही आ या, यिद यह सबं नह या ऐसा चारा उपलबध सम नहि ह,ए तो कश्तर सा चारा और चारा सामग्री का उपयोग करक अन्य जीवक या इन-कनवर्जन उत्पदन इकैयो और चारा ओपरेटेरो का सहयोग स उतपइदत किया जाएगा;

(ख) जब भी पिरसिथित्या अनमुइत दे, खरगोशो को चरण का लाये चारागाह तक पहुंचोगे;

(छ) पालन पर्णैलया वर्ष की विभान्न अविद्या मे चरगाहो की उपलब्धा क सदृभ मे चराई का उपदेशम उपयोग पर लाभ होगा;

(घ) जब घास परायपत न हो तो पौल या घास जसाई रशेदार भोजन की व्यवस्था की जाएगा। आहार में कम एस कम 60% कैरा शैमल होना चाहिए।

1.9.5.2. आवास एव पश्पुलान पार्थे

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(ए) आवास में पर्यापत आकार का आरामदायक, साफ और आरामदायक घर करण का कश्तर उपलब्ध लेट जाएगा, इसमे ठोस निर्माण शिमल होगा जो साल्ट टेडे नहीं है। आराम करण का कश्तर मे कडू की सामग्री स भरा परयपत सखूआ इबस्तर उपलब्ध रुकेगा। कडू मे पॉल या अन्य उपयकुट परकिरितक सामग्री शैमल होगी। कडू को जीवक उत्पदन मे उपयोग क लीए उरव्रक या इमात्त्ति कदनिशनर क रापू मे अनछछदे 24 क अनसुअर अध्याक्त्रि इससी भी खिनज उतपाद स सधुअरा और समदृध इक्या जा सकता है;

▼:...

(ख) खरगोशो को समहु मे रखा गया।

(जी) खरगोश फरमो मेउर पिरसिथिटो के अनकुलु मज़बटू नसलो का उपयोग संभव होगा;

(घ) खरगोशो को इनामिलखत तक पहुंचे प्राप्त होगी:

(i) अधंरे इच्छपन क सथनो संगत बढ़ा हउ आश्रय;

(ii) वनसपित, अधमानतः चरागाह संगत बाहरी सथान;

(iii) एक ऊंचा मचन इसस पर व अदंर या बाहर बथै सके;न

(iv) सभी दूधू इपलान वाली मदाओ का लाये घोसनल बनान की सामग्री।

1.9.6. मधमुकिखयो क इला

1.9.6.1. पशौ की उत्पतित

मधुमुखि पालन का उपयोग करे, नामनिलिखित का उपयोग करे*ईपस मिल्फ़ोरिया*और उनका सथानीय पैरसिटिटकी-परकार।

1.9.6.2. पोषण

पोषण के संबंधं मे नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) उतपदन क मौसम क अतं मे मधुमुखयो क छततो मे सरिदयो मे जीवित रहन क इले शहद और पारे का पर्यापत भण्डार छोड़ दिया जाएगा;

▼**एम1**

(बी) मधुमुखि कालोइनयो को कवेल वही इखलाया जा सकता है पिरसिथित्त्यो का कारण कॉलोनी का असितत्व खातिर मे हो। ऐस ममल मे,ं मधमुक्खी कालोइनयो को जीवक हाई, जीवक पर, जीवक चीनी आईएसआरपी या जीवक चीनी इखलाएगा।

▼:...

1.9.6.3. स्वस्थ्य देखेभाल

स्वस्थ्य दखेभल क सबंधं मे नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

(क) फर्मे, छततो और किंघयो को, विशेष रपू स पीड़ाको स बचन क प्रयोजनो क मिलाए, कवेल जालो मे पर्यकुत् कृतंकनाको,तथा जीवक उत्पद्न मे प्रयोग क इले अनछुदे 9 और 24 क अनसुअर अधिक्तृत उपयाकुत् उत्पदो और पदारथो की ही अनामुत होगी;

(ख) मधमुखि पालन कनेद्रो क कीतनशुओधन क िलए भूतक उपचार जसाई स्टीम या प्रत्यक्ष लौ की अनमुति होगी;

(छ) नर बचच को नष्ट करन की पार्था की अनमुति कवेल सकर्मण को अलग करन क उदयशेय स दी जाएगी।*वरोआ वाधवस्क*;

(घ) यिद सभी निवारक मायो का बवजद्, बस्तिया बीमार या सकंरीमत हो जाता है, तो उनका तरुतं उपचार किया जाएगा और यिद अवशयक हो, तो उन्हें अलग मधुमुखि पालन कनेद्रो मे रखा जा सकता है;

▼:

(ई) फोरमिक आइसड, लैकैटिक आइसड, ऐसिटक आइसड और ऑकसेलक आइसड के साथ-साथ मे मनेथॉल, थियोमोल, याकुलिपटोल या कपूर का उपयोग सकर्मन के मामले मे किया जा सकता है *वैरोआ वधवसंक*;

(च) यिद उपचार रसायन रापु स सशंलियेष्ट एलोपीथक उतपदो,ं इस्समे एतानिबायोइटकस शाइमल है,अं का साथ इक्या जात ह,ए जो जीवक उत्पदन मे उपयोग कइले अनछुदे 9 और 24 क अनसुअर अधाक्तरि उत्पदो और पदारथो का लाभ ह,ए तो उस उपचार की अवधि का लाइए, उपचिरत कॉलोनियो को अलग-अलग मधुमुखि पालन केदारो मे संरक्षित और सभी माँ को जिवक मधुमुखि पालन स आ वाल माँ स बदल इदया। इसक बाद, इबादत 1.2.2 मे नर्धिरत 12 महीन की रपूअतनरान अविध उन कॉलोइनियो पर लाग होगी।

1.9.6.4. पश कल्याण

मधुमुखि पालन क संबंधं मे, नामनिलिखत अतिरक्त सामानय नियम लग होगं:

(क) मधुमुखि पालन उतपदो की कटाई स जदुइ विधा क रपू मे छततो मे मधुमुखियो को नष्ट करना प्रतिबिन्धत होगा;

(ख) रानी मधुमुखि का पाखनो को कण जासै कार्य प्रतिबिन्धत होगं।

1.9.6.5. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(क) मधुमुखिया पालन कनेद्रो को ऐस कष्टेरो में सथैपत इक्या जो रस और परो सरोतो की उपलब्धता सिनुश्चत करत है,ं इनेमे मखुय रपु स जीवक रपु स उतपइदत फासे या जहा उपयकुत हो, सवत्सफ्रूट वनसप्तया या गरै-जीवक रपु स पर्बिन्दत वन या ऐसी फामे शाइमल होगनि इकाका उपचार कवेल कम पर्यारणीय परभाव वाल टिको स इक्या जाता है ह;ै

(ख) मधुमुखिया पालन कनेद्रो को उन सरोतो स पर्यापत दारुई पर रखा जाएगा, इसानस मधुमुखि पालन उत्पदो का सदंशुण हो सकता है या मधुमुखि का स्वास्थ्य खराब हो सकता है;

(छ) मधमुकिखया पालन कनेद्रो का साथन ऐसा होना चाहिए इक मधमुखिखया पालन कनेद्र सथ्ल स 3 क्लेक्टोमीटर की परिध मे, रस और परं क सरोत मखुयतः जीवक रापु स उतपइदत्फसले या सवत्सफ्रूट वनसप्तया या इविनयमन (ईय)उ साखन्या 1305/2013 क अनछुछदे 28 और 30 मे इदये गए मखुयत् कम पर्यारणीय परभाव विधायो स उपचरित लाभे हो, जो मधुमुखि पालन उत्पदन की जीवक होन की योगिता को परभावित नहीं कर सकता।

(घ) मधमुक्खी पालन मे पर्यकुत् छतत् और सामग्री मालुतः पराकृतक सामग्री स बन होगन, इसस्स पर्यावरण या मधुमुखि पालन उतपादो को सदंशुं का कोई खतरा न हो;

(ई) नई नीवं क लाए मोम जीवक उत्पदन इकैयो स आना;

(च) छत्तो मे कवेल पराकिरतक उतपाद जसाई परोपोइलस, माँ और पूधो का सत्य का उपयोग इक्या जा सकता है;ए

▼:...

(च) निश्कृष्ण कार्यो के दौरान इस्थानिएटक रसायन निरोधको का उपयोग नहीं इकया होगा;

(जे) हनी इनकलां का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(i) मधमुखि पालन को जीवक नहीं माना जाएगा जब वह उन क्षत्रियो या इलाको मे इक्या जात ह जनेहहे सदसय राजयो दवारा ऐस कष्टेरो या इलाको का रपू मे नैमत इक्या गया ह जा जीवक मधुमुखि दय वयहैरक नहि ह।

▼एम9

1.9.6.6. इरकोर्ड रक्खन सबंधनि दैयत्व

सचनालको को छत्तो के स्थान का उइचत पमायन या भौगोइलक नर्दशेकन् पर एक मनिचतर रखा जाएगा, इसस नयतंरन परैधकरण या नयतंरन नकाय को उपलब्ध सजा दिया जाएगा, इसमे यह दर्शनेगा इक कॉलोइनयो तक पहुंच योगय क्षेत्र इस इविन्यामन की अवशयक्ताओ को परुआ करत है

भोजन के संबंध मे मधुमुखि पालन कनेदर के राजशास्त्र मे नामनिलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी: पर यकुत उतपाद का नाम, इतिथ, मात्रा और वह छत्ता जहां उतपद का उपयोग किया गया है।

वह कष्टेर जहां मधमुकिखया पालन कनेदर सिथत ह,ै छत्तो की पहचान तथा उनक सथानातन की अविध सहत उनके वर्न दरज इक्यागे।

सभी लाग एके गयो को मधमुक्खी पालने केदार के राजस्त्र मे दर्ज किया जाएगा, इसमे सपुरस को नष्ट कर दिया जाएगा और शहद की उत्पत्ति भी हो जाएगी।

▼:...

भागIII: शवयाल और जलीय कृष्ण जानवरो क िलए उत्पदन नियम

1. सामानय अभिवचन

1.1. उत्पाद विवरण

1.2. जीवक और गैर-जीवक उत्पदन इकैयो को सदसय राजयो द्वारा निर्धैरत नयनुतम पथृकक्रण दायुई क अनसुअर परयपत रपू स अलग इक्यायोग, झा लग हो। इस प्रकार का पथ्रिकक्रण उपाय पराकिरतक सिथित, अलग-अलग जल वितरन पर्नायलो,म दूर्यो,म जवारीया पर्व और जीवक उत्पदन युक्ति का अपसत्रिम और डाउनसत्रिम सथान पर लाभित होगं। कश्तेरो मे एके जात है इन्हे सदसय राज्य परैधकारनो दवारा ऐस सथनो या कश्तेरो क रपु मे नइमत इक्या गया ह जो ऐसी गितिविधयो क इलै अनपुयकुत है।

1.3. जीवक उत्पदन के लिए उपयुक्त वर्ष 20 टन से अधिक जलीय किश उत्पदो का उत्पादन करने के लिए एक नया उत्पाद प्राप्त करना चाहिए, ताकि उत्पाद को लाभ हो सके। तत्काइलक पर्यायवरण और उसका सचानलन क सभनैवत परभावो का पता चलता है। पर्यारणीय मलूयक्कन्न की विषय-वसत् युरूपेय संसद और परषद का निर्देश 2011/92/ईय का अनलुगन्कचतुर्थ पर अर्धीरत होगा (1) यदि उतपदन इकाई प्रथम स ही समलुय मलुयक्कन का स्वामित्व है, तो उस मलुयक्कन का उपयोग इस परियोजना के लिए इक्या जा सकता है।

(1) पर्यारण पर कछु सार्वजिनक और निजि पिरयोजनाओ के परभाव का सारांश पर यारूपिया संसद और परशाद के 13 इदसबंर 2011 के नृदश 2011/92/यूरोपीय संघ (ओज एल26, 28.1.2012, पृष्ठ 1.

▼:...

1.4. मैंगरोव का विनाश की अनमुति नहीं दूँगा।

1.5. ऑपरेटर को जलकिष और शवयाल सगंरहन की लाई उत्पदान इकाई का अनपुअत मे एक सथयी प्रबंध योजना उपलबध करानी होगी।

1.6. योजना को हर साल अपडेट किया जाएगा और इसमे सचानलन का लाभ उठाया जाएगा, और आस-पास का जलीय और स्थिर कार्यक्रम पर कम करन का लाभ उठाया जाएगा, इसस्मे परित उत्पदन चक्र या परित वर्ष पर्यारण मे पोषक तत्त्वो का निर्वाहन शैमल ह।ै योजना मे तकनीकी उपकरणो की इगारानी और मरममट को इरकोर्ड बनाया जाएगा।

1.7. निर्देश 92/43/ईईसी और राष्ट्रीय न्यायमो क अनसुअर इशकैरियो क वरदुध्धांगे गए रक्षात्मक और निवारक मायो को इतकाऊ प्रबंधन योजना में दर्ज किया जाएगा।

1.8. जहां लग हो, प्रबंधन योजना तयार करन मे पडोसी ऑपरटेरो का साथ समनव्य इक्या जाएगा।

1.9. जलकिष और शवयाल वयवसाय सचनालको को इतकौ परबंधन योजना क इहसस क रपु मे अपिशषत नयनुचि त कार्यकर्म तयार करना होगा इसस पिरचालन क अरभन मे लाग इक्या होगा। जहाँ सभन हो, अविशशत उषा का उपयोगी योगदान सरोतो स ऊर्जा तक सीमित हो जाएगा।

1.10. अपरसंक्त्र उतपादो की तयारी

यिद पर्संक्रन क बूट अन्य तयारी करय शवयाल या जलीय किश पशौ पर इके जात है, तो भागचतुर्थ क इबदं1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 2.2.3 मे निर्धैरत सामानय अवशयक्ताए लग होगनि।*यथोइचत् पूर्वरत्न संहत*इस तरह का कार्ययो क िलए.

▼**एम9**

1.11. सचानलको को इबदं 3.1.2.1(डी) और (ई) क अनसुअर परपत जलीय किष पशौ क इले उत्पदन न्यामो स इससी भी विचलन पर उपलब्ध दश्तावजेई साक्षी रखा जाएगा।

▼:...

2. शवयाल क िलए अवशयक्ताए

अनुच्छेद 9, 10, 11 और 15 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो का अतिरकत्, और इस भाग की धारा 1 मे पार्सिंग हो, इस धारा मे निर्धैरत नियम का जीवक सगृह और उत्पदन पर लाग होगं।*यथोइचत् पूर्वरत्न संहत* फाइटोप्लाकंटन के उत्पदन के इलाए।

2.1. परिवर्तन

2.1.1. शवयाल सगंरहन हते उत्पदन इकाई क लीए रपूअतंरन अवधि छह माह होगी।

2.1.2. शवयाल की खाती क लीए उत्पडन इकाई की लीए रपूतांरन अवधि छह महीने या एक पौरूण उत्पडन चक्र, जो भी अघक हो, की अवधि होगी।

२.२. शवयाल क उत्पदन क नियम

2.2.1. जंगली शवयाल और उसके भागो का सगंरह जीवक उत्पदन माना जाता है ह बशारत इक:

(के) ओगन वाल कष्टेर स्वास्थ्य की दशृत स उपयाकुत् है और निर्देशे 2000/60/ईसीसी द्वारा पीरभैषत उच्छ च पैरसिथितक सिथित क है,ं या नामनिलिखत क समकक्ष गनुवत्ता क ह:ं

▼:...

- युरोपीय संसद और परिषद् के विनियमन (ईसी) साखन्या 854/2004 मे ए और बी के रापू मे वर्गीकतृ उत्पदन क्षेत्र (1), 13 आईडीएसबीएन 2019 तक, या

— 14 इदसबंर 2019 एस विविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनसुछदे 18(8) क अनसुअर आयोग द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन अधिनयमो मे निर्धैरत सबंधत वर्गीकरण क्षेत्र;

(ख) सगंरहन् स पराकिर्तक पैरसिथितकी तत्नर की सिथ्रता या सगंरहन् क्षतेर मे परजैतयो का विचार पर महतवपूरन प्रभाव नहीं पड़ता है

2.2.2. शवयाल की खाती ऐस कष्टेरो मे की जानी चाहिए जहां पर्यारण और स्वस्थ्य सबन्धनि विशषेताए कम स काम इबदं 2.2.1(ए) मे उलित विशेषताओ का उदाहरण हो, इसी प्रकार इस जीवक को माना जा सकता है। ई

(क) किशोर शवयाल क सगंरह स लकेर काटने तक, उतपदन क सभी चरणो मे इतकौ पार्थाओ का उपयोग करना उचित होगा;

(ख) यह सिनुश्चत करण क िलए एक वसत्त ृ जीन-पलू बनाए रखा जाए, जगंल मे ईशोर शवयाल का सगंरह नयिमत आधार पर इक्याएगा ताइक इंदौर ससंकृत सटोक की विवधता को बनाए रखा जा सकता है और बनाया जा सकता है;

(जी) उरव्रको का उपयोग, इंग्रैड सिवाधाओ को छोड़कर, नहीं इक्या, और कवेल उसी समय जब उन्हे इस उद्दशेय का उपयोग करने के लिए जीवक उत्पदन का उपयोग करना होगा तो 24 वर्षो के लिए अनसुअर अध्याक्ता का उपयोग करना संभव हो जाएगा।

▼**एम9**

सचनालको को एक उतपदो के उपयोग का इर्चाद रखा जाएगा, इसमे पर्तयके उतपाद का उपयोग की इति या इतिथया, एक उतपद का नाम, तथा पर्यकुत् मात्रा, तथा सबंधत लोट/ताइकन/बिसन की जानकारी शैमल होगी।

▼:...

2.3. शवयाल की खाती

2.3.1. समदुर मे शवयाल संवर्द्धन मे केवल पर्यायवरण मे पराकिर्तक रापू स पाया जन वाल पोषक तत्त्वो का उपयोग इक्यागे, या जीवक जलीय किष पश उतपादन स प्राप्त हित तत्त्वो का उपयोग इक्यागे, जो अधिमानत: हितुससंस्कृत परनाली का भाग का रापु मे नकटवर्ती सथानो पर सिथत होगं

2.3.2. भीम पर सिथत सिउवधाओ मे जहां बाहरी पोषक तत्त्वो का सरोतो का उपयोग इक्या जाता है, ए बिहहसराव वाल पानी मे पोषक तत्त्वो का सत्र सत्यपन योगय रपू स समान या कम होना चाहिए। कवेल जीवक उत्पदन मे उपयोग कइले अनछुड़े 24 क अनसुअर अध्यक्तरी पौध या खिंज मालू क पोषक तत्त्वो का उपयोग इक्या जा सकता है।

▼**एम9**

ऑपरटेरो को एक उतपदो का उपयोग का प्रबंध रखना होगा, इसमे उतपाद का उपयोग की इति या इतिहया, एक उतपद का नाम, तथा उपयोग की गई मात्रा तथा सबंधत लोट/ताकन/ बिसन की जानकारी शिमल होगी।

▼:...

2.3.3. स्वर्ण घनत्व या पिरचलन तीवरता को दर्ज किया जाएगा तथा यह सिनुश्चत कर्क जलीय पर्यायण की अखदंता को बनाए रखा जाएगा, पर्यायवरण परात्पर प्रभाव डाला इबना शवयाल की अद्धतम मात्रा को पार नहीं किया जा सकता।

(1) युरोपीय संसद और 29 अप्रैल 2004 की परिषद का इविन्यामन (ईसी) साखन्या 854/2004, इसमे मानव उपभोग के लिए पश मालू का उतपादो पर अध्येकरक न्यातनन के सगंठन के लिए विशेष नियम निर्धृत इके गए हैं (ओजे)। एल 139, 30.4.2004, पृष्ठ 206।

▼:...

2.3.4. अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे करें, इसका उपयोग कैसे करें।

२.४. जगंली शवयाल का सथयी सगंरह

2.4.1. शवयाल सगंर्हन के अरबन मे एक बार बायोमास का आकलन किया जाएगा।

2.4.2. यूनिट या पिरसर मे दसतावजेई खात बनाए रखा जाएगा और इसस प्रतिनिधि को यह पहचानना होगा और अन्यातंरन परिधाकन या अन्यातंरन इंकाय को यह सत्यैपत कर्ण मे सहायता इमलगेई इक सगंराहको न कवेल इस इविन्यामन क अनसुअर उतपेदत जगंली शवयाल की अपरूइट की है।

2.4.3. सगंर्हण इस तरह से किया जा सकता है, इस प्रकार का उपाय किया जा सकता है। ठीक है पनर्जिवत हो सके और यह सिनुशिचत किया जा सके और उप-पकड़ को छोड़ा जा सके।

2.4.4. यिद शवयाल को साझा या सामानय सगंरह क्षेत्र स एकतर इक्या जात ह,ए तो सबंधत सदसय राजय द्वारा नैमत पार्सिंगक पर्सत्तु दसतावजेई साक्षी उपलबध होगं,ए जो यह दरशत हो इक कलु सगंरह इस इविन्यामन का अनपुलनता हा

3. जलकृष पशौ क िलए अवकाश

अनुच्छेद 9, 10, 11 और 15 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन न्यमो का अतिरकत, तथा झा इस भाग की धारा 1 मे परासिंग हो, इस धारा मे निर्धैरत नियम मछली, करस्तिशेयन, इकिनोडर्म और मोलसक की पर्जायतो का जीवक उत्पदन पर भी लग होगंए व नियम नामनिलिखत पर भी लग होगं: *यथोइचत् पूर्वरत्न संहत*जपुलाकंटन, माइकरो-कर्स टायकैन, रोइटफस, किड और अन्य जलीय फ़ीड जानवरों के उत्पदन के लिए।

3.1. सामानय अभिवचन

3.1.1. परिवर्तन

जलकिष उत्पदन इकैयो क लाइए मिनमनिलिखत रपूअतनरन अविध माजदुआ जलकिष पशौ जलकिष पसौ नमाणिलिखत परकार की जलकिष सिउवधाओ क इलै लाग होगी:

(क) उन सिउवधाओ के लिए जानकी जल नकासी,स्वच्छता और कीतानशुओधन नही इकया जा कैन ह,इ 24 माहिन की रपूतांरन अवधि;

(ख) उन सिउवधाओ के लिए जो जल-नकासी या बजंर हो गया है, 12 महीने की रपूअतंरन अवधि;

(जी) उन सिउवधाओ क लाइए जानकी जल नकासी,स्वच्छता और कीतानशुओधन हो चकुआ ह,ए छह महीने की रपूतांरान अवधि;

(घ) खलु जल सिउवधाओ क िलए, इसमे बाइवालव मोलसक उतपदन करण वाली सिवाए भी शैमल है, तीन माहिन की रपूतांरन अविध।

3.1.2. जलीय कृष पशौ की उत्पतित

3.1.2.1. जलकृष पशौ की उत्पतित क संबंधं मे, नामनिलिखत बाते ध्यान दने योगय ह:ं नियम लग होगं:ए

▼:...

(क) जीवक जलकिष जीवक बर्डूसटॉक और जीवक उत्पदन इकैयो स उत्पन्न यवुआ सटोक की देखभाल पर लाभ होगा;

(ख) सथानिया रपू स ओगै गे परजैतयो का उपयोग किया जाएगा, तथा परजनन का उद्दशेय ऐस उपभदेओ का उत्पदन करना होगा जो उत्पदन स्थितियो क िलए बहेतर रपु स अनकुलु हो, इसस पशौ का अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सिनुश्चत हो तथा चरा ससनाधनो का अच्छा उपयोग हो। उनके उत्पति और उपचार के दस्तानावजेई साक्ष्य सक्ष्म परिदकारी, या, झा उपयकुत् हो, नियतंर्ण परैधाकारी या नियतंर्ण उपाय को उपलबध स्थापित किया जाएगा;

(जी) ऐसी परजैतिओ का चयन किया जाएगा जो मज़बतू हो और इसका उत्पडन जगंली पशौ को महतवपरून क्षित पयानाए इबना इक्या जा सक;के

(घ) परजनन क उद्दशेय स,ए जगंली पकड़ गय या गरै-जीवक जलीय किष पशौ को कवेल उइचत रपू स नययोइचत ममलो मे ही हॉलिडगं मे लाया जा सकता है, ए जहां कोई जीवक नसल उपलबध न ह या जहा परजन क उड्डशेय स न ए अनवुंशक सटोक को उतपादन यूनिट में लाया गया ह, ए नय नउंसक सटोक की उपयकुत्ता मे सधुअर कर्ण क उद्दशेय सस्म सक परैधकारी द्वार पर परैधकारी इदे जान के बाद। इस जानवर को परजनन के लिए इस्तमाल करना होगा, एक जान एस पहले कम एस कम तीन माह तक जीवक प्रबंधन के तहत रखा जाएगा। लुप्तप्राय प्रजाइतयो कीआईयूसीएन रदे इलसट मे शैमल बयसो क लए, जगंली पकड़ गय माणुओ का उपयोग करन का परधकरण कवेल सरंक्षण प्रयास क परभरी परसंगक सरवज नक दवरा मनयता परपत सरनकषन कार्यकर्मो क संदरभ मे इदया जा सकता है;

(ई) भूत उद्दशेयो क इलै, जगंलि जलकिष इशोरो का सगंर्ह विषषे रपु स नामनिलिखत ममलो तक सिमत होगा:

(i) मछली पकड़ने या काटने से रोकने के लिए तालाबो लारवा और इकोशोरो का प्राकृतिक पर्व;

(ii) आर्द्रभिउमयो, जसै खार पानी क लाडलो, जवरिया क्षतेरो और तट लगनुओ क अदंर व्यापक जलीय कृष खाती मे लुप्तपराय परजैतयो कीआईयूसीएन लाल सचुई मे शिमल न होन वाली परजैतयो का जगंली फेराई या करस्तिशेयन लार्वा का पनु:भडनरन, बशारत इक:

- पनु:भदानारण सबंधत परजैतयो क सतत दोहन को सियुंश्चत करण क इले सबंधत परिधकारयो दवारा अनमुओइदत प्रबंधनो उपाय क अनरूपु ह,ए तथा

— पशौ को कवेल पर्यारण मे पराकिर्तक रपु स उपलब्ध चारा ही इखलाया जाता है।

इबादन (ए) स वचलन क रपू मे,न सदसय राजय इस जीवक उत्पदन यंत्र पर आग की खती क मिले अघक्तम 50% गैर-जीवक परजैतयो क इशोरो को पशे करण को अघक्तरी कर सकत है,न इहनेह सघं दवरा जीवक रपु मे वकिसत नहि इक्या था.►**एम3** 1 जनवरी 2022◄, बशारत इक उत्पदन चक्र की अवधि का कम स कम अंतम दो इथै भाग का पर्बंधन जीवक पर्बंधन के अंतर्गत इक्या जाए। इस प्रकार की चतुर्थी अध्यातम दो वर्षो की बताई जा सकती है और इसका माप नहीं किया जा सकता है।

सघं क आउट सिथत जलकिष जोतो क िलए, ऐसी छतत्तु कवेल न्यातंरन परैधकारनो या न्यातं ण नकायो दवारा दी जा सकता है िजनहे अन्छछदे 46 (1) क अनसुअर उन प्रजातयो क िलए मानयता दी गई ह जनेह् उस दशे क क्षत्र मे या सघं मे जीवक रपु मे वकिसत नहि इक्या गया था इसमे वह जोत सिथत ह।ऐ ऐसी चतुर्थ अध्यक्तम दो वर्षो की अवधि की अवधि दी जा सकती है और इस नवीनिकत्र नहि इक्या जा सकगेआ।

▼:...

3.1.2.2. परजनन क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लग होगं:

(के) हारमोन और हारमोन-वयत्तुपन का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) मोनोसस्केस उपभदेओ का कत्रिरम उतपादन, हसत्-चटानई, बहुगुंता पर्रेन, कतृरम सँकरन और कलोइन्गं को छोड़ाकर, उपयोग नहीं इक्या जाएगा;

(छ) उपयकुत् इसमो का चयन करना।

▼**एम1**

3.1.2.3. इकोशोर उत्पदन

समदुरि मछली परजैतयो का लार्वा पालन मे, पालन परनाली (अधमानतः 'मसेओकोसम' या 'बड़ी मात्रा में पालन') का उपयोग इक्या जा सकता है।

(क) पररिम्भक भण्डारन घनत्व परित किलो 20 एडं या लारवा स कम होगा;

(बी) लार्वा पालन टैकन का आयतन नयनुतम 20 मीटर होगा3; और

(जी) लारवा टैकन मे विकास होन वाल पराकिर्तक प्लवक पर भोजन करगेआ, इसस बाहय रपु स उतपइदत फाइटो पल्वक और जपुलवक द्वारा उइचत रपु स पुरुक इक्या जाएगा।

▼**एम9**

3.1.2.4. सचनालक पशौ की उत्पत्तित का इरकोर्डिखैगं,ए इससमे पशौ की पहचान की जाएगी। पशौ/पशौ क समहुओ, आगमन की इतिथ और परजैतयो का पार्कार, मात्रा, जीवक या अजीवक सिथित, तथा रपूअतनरन अविध।

▼:...

3.1.3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 20 ...

3.1.3.1. फिश, कर्स्टीशयन और इकाइनोडरम क मिलाए भोजन का सबंधं मे,ं नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

(क) पशौ को ऐसा चारित्रा इखलाया जाएगा जो उनका विकास के विभन्न चरणो मे उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओ को पूरा किया जाता है;

(ख) आहार व्यवस्था नामनिलिखत परथिमकताओ क साथ तयार की जाएगी:

(i) पश स्वस्थ्य एवयन्;

(ii) उतपद की उच्छ्च गनुवत्ता, इसस्मे उतपद की पोषण संरक्षण भी शैमल ह,ई जो अन्तम खादय उतपद् की उच्छ गणुवत्ता सिनुश्चत् करगे;

(iii) कम पर्यावरण प्रभाव;

(छ) चार का पादप अशं जीवक होगा और जलीय जानवरो स प्राप्त चार का अशं जीवक जलीय ससंकृत या मत्स्य पालन स उत्पनन होगे इसस इविनयमन (ईय)उ साखन्या 1380/2013 मे निर्धैरत इद्दधातानो क अनरूपु सक्षम परिधकारी द्वार मान्यता प्राप्त योजना के तहत इतकौ क रापू मे परमईन्त इक्या गया ह;ै

▼:...

(घ) पौध,ए पश,उ शवयाल यास्क मालू की गैर-जीवक फ़ीड सामग्री, खिंज या सकुशमजीव मालू की फ़ीड सामग्री, फ़ीड योजक और पार्संक्रण सहायक सामग्री का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब उन्हें जीवक उत्पडन मे उपयोग के लिए इस विमान के अंतर्गत सहायक सामग्री का उपयोग किया गया हो;

(ई) वृध्द लाभ वाल और इस्थानिएटक अमीनो आइस्ड का उपयोग नहीं होगा।

3.1.3.2. दिवाकपति मोलसक और अन्य परजैतयो क सबंधं मे इजनहे भोजन नहि इदया जात
मनशुय द्वार नाहि, बालिक पराकिर्तक प्लवक पर भोजन करण वाल जीवो का इलै, नमनलिखत नियम लग होगं:ए

(क) ऐस इफलत्र-फीदगं पशौ को उनके सभी पोषण सबंधनी आवशयकताए पर्किरित स प्राप्त होगा, इस्वै हचैरी और नरसिरियो मे पाल गाए इशोरो का मामला को छोड़कर;

(ख) ओगन वाल कष्टेर स्वास्थ्य की दशृत स उपयकुत् होगं और या तो निर्दशे 2000/60/ईसी द्वारा पीरभैषत उच्च पर्यायवरणीय सिथित का होगं या नामनिलिखत का समितुय गनुवत्ता का होगं:ए

— इविन्यामन (ईसी) साखन्या 854/2004 मे ए क रापू मे वर्गीकतृ उत्पदन क्षेत्र, 13 इदसम्बर 2019 तक, या

— 14 इदसबंर 2019 एस विविनयमन (ईय)उ 2017/625 क अनसुछदे 18(8) क अनसुअर आयोग द्वारा अपनाए गए कार्यान्वयन अधिनयमो मे निर्धैरत सबंधत वर्गीकरण क्षेत्र।

3.1.3.3. मासान्हाहारी जलीय किष पशौ क िलए आहार पर विश्षत नियम

मासान्हारी जलीय किरष पशौ क लाइए चारा नमनिलखत पार्थिमकताओ क साथ उपलबध पुस्तकालय:

(क) जलकिष मालू का जीवक चरा;

(ख) मछली, कर्स्टीशयन या मोलसक स प्राप्त जीवक जलीय किश चटनई स मछली का भोजन और मछली का विवरण;

(छ) मछली का भोजन और मछली का स्वाद तथा मछली मालू की आहार सामग्री जो इतकौ मतस्य पालन मे मानव उपभोग कइले पहिले स पकडी गई मछलीयो,ं कर्सतिशयसं या मोलसक का अवशषेओ स प्राप्त की गई हो;

(घ) मछली का भोजन और मछली का आहार तथा मछली मालू की आहार सामग्री जो साधारण है मत्स्य पालन में पकड़ी गई मछली, कर्सटेशन या मोलस्क का लाभ होता है और मानव उपभोग का उपयोग नहीं किया जाता है;

▼**एम1**

(ई) पौध या पाश मालू की जीवक फ़ीड सामग्री।

▼:...

3.1.3.4. कछु जलीय किरश पशौ कइले आहार पर विशिष्ट नियम

वृद्ध चरण मे,अं अतंरदशेय जल मे रहन वाली मछलीयो,पनेइड जिगना और मीठ पानी का जिगानो और उशंकितबधनीय मीठ पानी की मछलीयो को नमनसुअर इखलाया जाएगा:

▼:...

(के) उन्हे झीलो और झीलो मे पराकिरितक रापू स उपलबध चारिखलाया जाएगा;

(बी) झा इबादन (ए) मे उलिलिखत पराकिर्तक चारा परयापत मात्रा मे उपलबध न ह,ए वहा पोध स प्राप्तत् जीवक चरा, अद्धमानतः खाते पर ही धारण किया हुआ चरा, या शवयाल का उपयोग इक्या जा सकता है। सचानलको को अतिरक्त चरा उपयोग करण की अवश्यक्ता क मित्रतावजेई साक्षात् रखन होगं;

(जी) जहां पराकृतक आहार को इबदं (ख) के अनसुअर पुरुक इक्या जात ह:ए

(i) पनीएड जिगना और मीठ पानी का जिगनो का आहार राशन (*Macrobrachium* एसपीआई) मे अधिक्तम 25% मछली का भोजन और 10% मछली का मानक शाइमल हो सकता है जो इतकौ मत्स्य पालन स प्राप्त होता है;

(ii) सियामी कातिफशां का फ़िदा राशन (*Pangasius*(सपी) मे अधिक्तम 10% मछली का भोजन या इतकौ मत्स्य पालन स प्राप्त मछली का उत्तम शाइमल हो सकता है।

▼**एम7**

नरश्री और हचाई एरीज़ में वृद्ध चरण और परिरिभक जीवन अवस्थो मे, और कार्बिनक कोलसेट्रल का उपयोग करें, जिगना और मट्ठा पानी का जिगनो का आहार को पूरक करण का उपयोग किया जा सकता है (*Macrobrachium*एसपीआई), ताइक उनकी मातरतम्क आहार सबन्धनि अवशयक्ता को सरुक्षत इक्या जा सक।

▼**एम9**

3.1.3.5. उत्तरदाता विशेष फीदगं वैवस्थो का इर्कोर्डिखगं,ए विशेषे रपु स,ए चार का नाम और मात्रा तथा अतिरक्त चार का उपयोग, तथा इखलाए जान वाल सबंधत पशौ/मपशाउ क बचैओ क सबंधं मे।

▼:...

3.1.4. स्वस्थ्य देखेभाल

3.1.4.1.रोग की रोकथाम

रोग की रोकथाम के संबंध में नामनिलिखित नियम लागू होगं:ए

(क) रोग की रोकथाम पशौ को उपयकुत् सत्थान पर इष्टतम सिथित मे रखन पर ठीक होगी, इसमे अन्य बातों का साथ-साथ प्रजातयो की अच्छी जल गणुवत्ता, पर्व और इविनमय दर की अवशयक्ताओ, जोत का इष्टतम इदजाइन, अच्छी शिक्षा और परबंधन प्रथाओ का अनपुरयोग, इसमे पिरसर की नईमत सफाई औरता की अवसहायकताओ, उच्च गनुवत्ता वाला चारा, उपयकुत् भण्डारन घनतव, और नसल और तनाव का चयन शिमल ह,ई को ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) प्रतिरक्षात्मक पश इचिक्तसा औषधि का उपयोग करना संभव है;

(जी) पश स्वस्थ्य उपचार योजना में जवाई सुरक्षा और रोग निवारण का उपाय होगा, इसमे उत्पदन विद्या का अनपुअत मे स्वास्थ्य परमर्श की लीलखत अथता शैमल होगा, इसमे योगय जलकिष पश स्वास्थ्य सवेए शैमल होगनी, जो परित वर्ष कम स कम एक बार या बिवालव शलेश्श का मामला मे, हर दो साल मे कम एस कम एक बार फार्म का दौरा करेगा;

▼:...

(घ) होलिडगं इस्सतम, उपकरण और बरत्नो को उइचत रपू स साफ और कीतनरुइहत इकया होगा;

(ई) जावै-दशूनकारी जीवो को कवेल भूतक साधनो या हाथ से निकाला जाएगा और झा उपयाकुत हो, उन्हे फरम स कछु दारुई पर समदुर मे वापस लौट आऊंगा;

(च) कवेल जीवक उत्पदन मे उपयोग क इले अनचुचदे 24 क अनसुअर अधाकता उपकरण और उपकरण की सफाई और सफाई का उपयोग किया जा सकता है;

(छ) परती भीम क संबंधं मे नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

I नकाय यह नृधैरत करगेआ इक काया परती भीम को छोड़ना आवशयक ह और उइचत अविध नरहधैरत करगेआ इसस समदुर मे खलु जल न्यातंरन पर्णैलयो मे पर्तयके उतपादन चक्र क बाद लाग इकायगे और दस्ताविएजत कायगे;

(ii) यह बइवलव मोलसक की खाती क िलए अिनवारय नह होगा;

(iii) परती भीम पर रहन क दौरान जल-पालन पश उत्पडन क लए उपयोग आईके जन वाल पजंर या अन्य सरंचना को खाली कर इदा जात ह,ए रोगाणाुइहत इक्या जात ह तथा पनुः उपयोग करन स पहिले खाली कर इदया जात ह;

(ज) जहां उपयकुत् हो, पानी की स्थिति की गनुवत्ता के संबंधं मे महतवपूरन पर्यावरण क्षति के लिए, बीमारी के जोखिम को दूर करने के लिए, बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए, और कीड़ों या कैंसर को समाप्त करने के लिए, मछली-आहार के लिए, मछली-आहार के लिए, मछली और मछली के लिए मछली खाने के लिए;

(i) पराबैगनी प्रकाश और ओजोन का उपयोग कवेल हचारी और नरसिरियो में इक्या जा कैन ह;ै

(जे)ए बाहय परजीवियो क जीवक नयतंरन क इलै स्वच्छ मछली क उपयोग तथा मीठ पानी, समदुरी पानी और सोडियम क्लोराइड नासा का उपयोग ठीक से करेगा।

3.1.4.2. पश इचिक्तसा उपचार

पश इचिक्तसा उपचार का सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

(ए) पश को दर्द से बचाव के लिए रोग का उपचार करना चाहिए। रसायनिक रपु स सशंलियेष्ट एलोपीथैक पश इचिक्तसा औषधीय उतपद, इसमे एटनिबायोइटक्स भी शाइमल है, इसका उपयोग झा आवशयक हो, सखत शरतो का उपयोग और पश इचिकतस्क की इसममदेरी का अधीन इक्या जा सकता है, ए झा गाइटोथेरेपिय्युटक, होमायोपिथक और अन्य उतपदो का उपयोग अनुचत् ह। झा उपयकुत् हो, उपचार क पाठयकर्मो और वापसी अविध क सबंधं मे प्रतिबन्धं पिरभैषत एके जाएगा;

(ख) सघंय कनु क आधार पर मानव और पश स्वास्थ्य की सरुक्षा स सबंधत उपचारो की अनमुति दी जाएगी;

(जी) जब इबदं 3.1.4.1 मे नृदशत पश स्वस्थ्य सिनुश्चत करण क इलै इनवारक मयो क बाल्जडू कोई स्वस्थ्य समसाया उत्पनन होता है, तो पश इचिक्तसा उपचार का उपयोग शहर के नामनिलिखित कर्म में किया जा सकता है:

▼:...

(i) पूधो,ं जानवरो या खिन्जो स प्राप्त होमायोपिथक तंकुरन मे पदारथ;

(ii) पौध और उनक अरक जनमे सवांदेनाहारी परभाव नहीं होता; और

(iii) त्रिसे तत्त्व, धात,उ पराकिर्तक प्रतिरक्षा उत्त्जेक या अधातृक प्रोबायोइटक्स जसै पदारथ;

(घ) एलोपिथक उपचारों का उपयोग परित वर्ष उपचारों के दो कोर्स तक सीमित होगा, टीकाकरण और अन्वारय उनमलून योजनाओ का अपवाद के साथ। हलांकि, एक वर्ष से कम का उत्पदन चक्र का मामला मे, एक एलोपैथिक उपचार की सीमा लाग होगी। जहां एलोपीथक उपचारों का उपयोग किया जा सकता है, वहीं सबंधत जलीय किष पशौ को जीवक उतपदो का रपू मे विपन्न नहि इक्या जाएगा;

▼**एम7**

(ई) सदसय राजयो दवारा सचनैलात अइनवारय न्यातंरन योजनाओ क बू परजीवी उपचार का उपयोग नामानसुअर सिमत इक्यागे:

(i) सलामन क िलाए, परित वर्ष उपचार क अध्यक्तम दो कोर्स, या जहा उत्पदन अक्षर 18 माहिन स कम ह,ए वहा परित वर्ष उपचार का एक कोर;

(ii) सलामन के अलावा अन्य सभी परजैतयो के लाइए, परित वर्ष उपचार के दो पाठ्यकर्म, या परित वर्ष उपचार क एक पाठयकर्म, जहां उत्पदन चक्र 12 माहिन स कम ह;ै

(iii) सभी प्रजातियों के लिए, प्रजातियों के उत्पदन चक्र की देखभाल इके इबना, कलु इमलाकर उपचार क चार पाठ्यकर्मो स अधक न;ं

▼:...

(च) इबादन (घ) क अनसुअर एलोपीथक पश इचिक्तसा उपचार और परजीवी उपचार का इला रिटर्न अविध, इसमे अइनवाराय इनायतंर्ण और उन्मलून योजनाओ के तहत उपचार शैमल है,एन नर्दशे 2001/82/ईसी का अनचुचदे 11 मे रिदशट रिटर्न अविध स दोगनुनि होगी या जहां यह अविध रिदशत नहि ह,ए 48 घटन होगी;

(छ) पश इचिक्तसा औषधीय उतपादो का इसका भी उपयोग की घोषणा सक्ष्म परिधाकारी को, या जहा उपयक्तु हो, न्यातंर्ण परिधाकारी या न्यातंर्ण इंकाय को, पशौ को जीवक उत्पदो का रपू मे विपन्न इके जन स पहल की जाएगी। उपचरत सटोक सप्त रपु स पहचान योगय होना चाइहए।

▼**एम9**

3.1.4.3. रोग की रोकथाम का आईकोर्ड रखें

सचनालको को रोग निवारन मयो का इकारद रखा जाएगा, इसमे परती भीम,स्वच्छ और जल उपचार का उपचार इदया जाएगा, तथा इससी भी पशुचिकित्सा और अन्य परजीवी उपचार का इवर्ण इदया होगा, तथा वशे रपू स उपचार की इथथ, निदान, औषध विज्ञान, उपचार उतपद का नाम, और पशुचिकित्सा दखेभल क लए पशुचिकत्सा नसुख, जह लाग हो, तथा जल सवंरध्न उतपदो को विपन्न करण और जीवक क रपू मे लबल करण स पहले लग की गई वापसी अविध का ववरण िदया जाएगा।

▼:...

3.1.5. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

3.1.5.1. बादं पनु:पिरश्चंरान् जलीय किष पष उत्पदान् सिउवधाः
जीवक आहार जीवो क लाइए पर्यकुत् परजैतयो क उत्पदन हते हचरी और नरसिरियो या सिउवधाओ को छोड़कार, सर्व पर प्रतिबन्धन ह।

3.1.5.2. जल को कत्रिम रपू स गरम या थडना करण की अनमुइत कवेल इनामनिलिखत सथानो पर दी जाएगी:
हाचारी और नारीश्री। उत्पाद के सभी चरणो में पानी को गर्म या ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करें।

3.1.5.3. जलकृषि पशु का पालन-पोषण वातावरण होगा
इस तरह की इदज़ाइन इक्या गया ह इक, उनकी परजैत-विशेषता अवशयक्ताओ का अनसुअर, जलीय कृष्ण जानवर:

(क) उनक कल्याण क लाइए पर्यापत सथं हो और अनछुदे 15(3) मे निरिदशट कार्यान्वयन अधिन्यामो मे पार्सिंगक सातोइकगं घनतव निर्धैरत हो;

(ख) उन्हे अच्छी गनुवत्ता वाल जल मे सुरक्षित रखा गया,ऐ इस्मे अन्य बातो के साथ-साथ पर्यापत पर्व और विविनमय दार, पर्यापत उत्सव और विविनमय दार, पर्यापत उत्सव और मताबोलाइटस का नमन सत्र होता है;

(छ) परजैतयो की अवशयक्ताओ और भौगोइलक स्थिति को ध्यान में रखत हउ तापमान और प्रकाश की स्थिति में रखा जाता है

उतपैदत मछली का कल्याण पर भण्डारण घनत्व का प्रभावो पर विचार करत समय, मछली की स्थिति (जसै पखं की क्षित, अन्य चोटते, विकास दर, व्यवहार और समग्र स्वास्थ्य) और पानी की गनुवत्ता की इगारानी कीगी और इस ध्यान में रखा जाएगा।

मीठ पानी की मछली का ममल मे, तल का परकार यथासंभव पराकिरतक पिरसिथतयो का करीब होना चाहिए।

कार्प इसी और परकार की परजैतयो का ममल मे:ं

- निंदा पराकृतक इमात्त्ति होगी,

- तालाबो और झीलों का जीवक और खिंज उरावक्रिकेशन कवेल उन उरव्रको और मदीरा कंडिशनरो का साथ इक्याएगा जनेह जीवक उत्पदन मे उपयोग के लिए अनचुचदे 24 का अनसुअर अधाक्तरि एकया गया ह,ए अद्धक्तम 20 एकलोगराम नाइट्रोजन/हकेटयेर का उपयोग क साथ,

- उतपादन जल मे माजदु हाइड्रोफाइट्स और पादपज क न्यातंरन क िलए इस्थानितेक रसायनो स यकुत् उपचार निषध्द होगं।

▼एम9

सचनालको को पश कल्याण और जल गनुवत स सबंधत इंगारानी और सीख मयो का इरकोर्ड रखना होगा। तालाबो और लेको मे उरव्रक डालन का मामला मे सचानलको को उरव्रको और मदारा कडनिशनर का इस्तमील का इरकोर्ड रखा जाएगा, इसतमील की इतिथ, उतपद का नाम, इसतमील की गई मात्रा और इसतमील का सथान शैमल होगी।

▼:...

3.1.5.4. जलीय नियत्रंण पर्नैल्यो का इडजाइन और निर्माण
पर्वाह दर और भूतक-रसायनक मापदण्ड प्रदान करे जो पषौ का स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करे, तथ उनकी वैवहैरिक अवशेषों की पूर्ति करे।

▼:...

अनुच्छेद 15(3) मे नृदशत् कार्यान्वयन अधिनयमो मे निर्धैरत परजैतयो या पर्जायतयो क समहु क इलै उत्पदन परनैलयो और नियतंर परनैलयो की विशेषत विषषेताओ का अनपुलन इक्यागे।

3.1.5.5. भीम पर उपदेश इकैयो को नामनिलिखत शरतो को पुरूआ करना होगा:

(क) पर्व-मार्ग पर्नैलया, अदंर अन वाल और बाहर जन वाल जल अध्ययन का पर्व दर और जल गनुवत्ता की इंगारानी और नियत्रण की अनमुति देगी;

(ख) परिध ('भीउम-जल इतंरफसे') क्षत्र क कम स कम 10% भाग पराकृतक वनस्पित होगी।

3.1.5.6. समदुर मे नियतंर्ण पर्णिलया नामनिलिखत शरतो को पुरूआ करेगा:

(क) उन्हे वहा सथैपत इकायगे जहां जल पर्व, गहराई और जल-निकाय विविनमय दरे समदुर तल और आस-पास का जल निकास पर प्रभाव को नयनुतम कर्ण क इले पर्यापत हो;न

(ख) शैलान वातावरण का सबंधं मे अनक आईपीजंर का इडजाइन, निर्माण और सीखना उपयकुत् होगा।

3.1.5.7. इस पर्कार इडजाइन को रोकने के लिए, एविसिट और सचेनाइलट का उपयोग करें I घटनाओ का जोखम को नयनुतम इक्या जा सक

3.1.5.8. यदि मछली या कर्सटेशन भाग जाए, तो उइचत काररवाई की जाएगी
सथनिया पयरसिटिटकी ततंर पर पडन वल परभाव को कम करना, इसमे उइचत सथं पर पनु: कर्जा करना भी शिमल ह।इ इरकोर्ड रख जाएगा।

3.1.5.9. मछली तालाबो, टैकोनो या रसेव मे जलीय किष पश उत्पडन का इला, खतेओ मेशिषत् पोषक तत्त्वो को इकट्टथ कर्ण क लाइए पराकिरतक-इफ़लात्र बडे, सैटलेमेटं तालाब, जीवक इफ़्लात्र या यातनिरक इफ़्लात्रकण जाइगं या शवयाल या बीस्तो (दिवावलव) का उपयोग इक्यागे जो अपिशात् की गनुवत्ता को बहेतर बनान में दान करत है। जहां उइचत हो, वहा नयिमत अतंराल पर अपिशष्ट की इंगारानी की जाएगी।

3.1.6. पश कल्याण

3.1.6.1. जलकिष पशौ को राखन मे शाइमल सभी व्यकिटयो के पास नामनिलिखत अधिकार होना चाहिए:
उ पशौ क स्वास्थ्य और लाभं सबंधनि अवशयक्ताओ क संबंधं मे अवशयक बिनयादि ज्ञान और कौशल।

3.1.6.2. जलकृष पशौ की हदनिलगं कम स काम की जाएगी, तथापि अतायतं सावधानी स इक्या जाना चाहिए। हैडनिलगन पर्किरयाओ स जदु तनाव और शरीरिक क्षति स बचन क इचत उपकरण और प्रोटोकॉल का उपयोग इक्या जाना चाहिए। बद्रूसटॉक को इस तरह से सबहानाला जाना चाहिए, इक शरीरिक चिंता और तनाव कम एस कम हो, और जहा उइचत हो, वहा एनसेथिसिया के तहत सबहानाला जाना चाहिए। मछली के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मछली के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

3.1.6.3. कत्रिरम प्रकाश क उपयोग पर नामनिलिखत प्रतिबन्धं लग होगं:

▼:...

(क) पराकिर्तक इदान की लबनै सैदान क लाइए, यह उस अद्धतम सीमा स अधक नहीं होगी जो पशौ की नैतक अवशयक्ताओ, भूगोइलक स्थितयो और सामान स्वास्थ्य का सम्मान करती है; यह अध्यक्तम सीमा प्रतिदं 14 घटं स अधक नही होगी, इस्वाय जहा परजनन उद्दशेयो क इले अवशयक हो;

(ख) मदनं प्रकाश या पृष्ठभिउम् प्रकाशश वैभव क उपयोग क मध्यम स पूर्वरत्न क समय प्रकाश की तिवर्तता में अचानक मृत्यु रत्न से बचाव होगा।

3.1.6.4. पशौ का कल्याण और स्वस्थ्य को सिनुश्चित कर्ण क लाये वतन की अनमुति दी जाएगा। यातनिरक एर्तर को अधमानत: धार्मिक ऊर्जा सरोतो द्वार सचानाइलत इकायागे।

3.1.6.5. ऑक्सीजन का उपयोग कवेल पश स्वास्थ्य और कल्याण अवकाश स जदु उपयोग क इलै और उत्पदन या पिरवहन की महतवपरून अविधयो क इक्या जा सकता है, ऐ और कवेल मिनमनिलिखत ममलो मे:ं

(क) तापमान मे पूर्वरत्न, वायमुदंलीय दबाव में इग्रावट या अक्सिमक जल परदशूण क विशेष मामल;े

(ख) कभी-कभार सटोक परबधन्न पर्किरयाए, जसै नमनुआ लाना और चटनई;

(छ) कृष्ण उपजी का असितत्व को स्यूंश्चित करण का लाभ।

▼**एम9**

ऑपरेटर ऐस यूज़ का इर्कॉर्डिकेगन, इसमे यह दरशाया जाएगा इक काया उनका यूज़ इबादन (ए) (बी) या (सी) के तहत इक्या ह गया है।

▼:...

3.1.6.6. अविद्या को बनाए रखने के लिए उइचत माए का पालन करना चाहिए जलकिष पशौ का पिर्वाहं नयनुतं इक्या।

3.1.6.7. सपंरुण जीवन काल मे इसी प्रकार की पीड़ा को नयनतम रखा जाएगा। पश की हत्या का समय भी।

3.1.6.8. नतेर्वृत्तं का पथिक्रण, इस्मे बधाव जसै सभी समान पार्थे शैमल है,न चिरा लाँग और चटकी कण परितबिन्धत ह

3.1.6.9. वध तकनीक स मछली तरुतं बहोष हो जाएगी और दर्द का प्रति असवंदेनशील। वध स प्रथम सभनल इस प्रकार स की जानी चाहिए इक चोट लगन स बा जा सक और पीड़ा और तनाव को कम स कम रखा जा सक। रखा जाना चाहिए.

3.2. मोलसक क िलए वसत्ततर् नियम

3.2.1. बीज की उपज

बीज की उत्पत्ति के संबंध में नामनिलिखत नियम लग होगं:

(क) उतपादन इकाई की सीमाओ क आउट एस जगंली बीज का उपयोग बाइवालव शलीफश का ममल मे इक्या जा सकता है, बशारत इक पर्यारण को कोई महतवपरून क्षित न हो, बशारत इक सथानीय कनु द्वारा इसका अनमुति हो और बशारत इक जगंली बीज नमनिलिखत स अब आता हो:

(i) ऐस बसावत सथ्ल जो शीत ऋत मे एतकन मे असमार्थ हो या अवशयक्ता स अधक हो;ं या

(ii) सगंराहको पर शखं बीज का पराकिर्तक जमाव;

▼:

(बी) कपड ऑयस्ट्र का इला (*करसोस्तिरया इग्गास*), प्रथमिकता उस सटोक को दी जो जगंल मे सपोइन्गं को कम करण के लिए चिउंदना रपू स पर्जनन इक्या गया हो;

(जी) जगंली बीज कासाई, कहा और कब एकतिरत आई थी, आईस इरकारड रखा गया जब तक उसका पता नहीं चल जाता, तब तक सगंरहन लागते

(घ) जगंली बीज कवेल एकतिरथ इक्या जा सकगे जब सक्ष्म परिधाकारी न ऐसा करन का इलाए परिधाकन पर्दान कर इदया हो।

3.2.2. आवास एवं प्रशिक्षण लाभ

आवास और पश्पालन पार्थाओ क सबंधं मे, नामनिलिखत नियम लाग होगं:ए

(ए) उतपादन को पानी का एक ही किनारे मे इक्या जा सकता है जहां जीवक पखंदार मछली और शवयाल का उत्पडन होता है, एक बहसुसंकृत परनाली मे इसकौ प्रबंधन योजना मे परलीखत एकया जाएगा। धर्मसंकृत मे पियरीवकंल जसाई गैसट्रोपोड मोलसक का साथ बायवल्व मोलसक भी ओबे जा सकत है;न

(ख) जीवक बाइवालव मोलसक उपादन, पोसट, फलोट या अन्य सपष्ट इचहनो दवारा सीमांकत कश्तेरो के अंदर इक्यागे और झा उपयाकुत हो, वह नाटे बागी, पजंरो या अन्य मानव निरिमत साधनो दवारा छोड़ देंगे;

(छ) जीवक शखं फरम संरक्षण इहत की परजैतयो क आय जोखम को कम स कम करेगं।ए यिद िशकारी जाल का उपयोग इक्या जात ह,ै तो उनक इदजाइन स साधारण प कशयो को नकुसान नह पचाना चाइहए।

3.2.3. खती

खाती क सबंधं मे नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

(क) मसल रसिसियो पर खाती और अनछुदे 15(3) मे नृदशत् कार्यान्वयन अधिन्यामो मे सचुइबध्द अन्य विधायो का उपयोग जीवक उत्पडन मे इक्या जा सकता है;

(बी) मोलसक की तली की खाती की अनमुइत कवेल उसी समय दी जाती है जब सगंरह और खाती क सथलो पर नो महतवपरून पर्यावरणीय परभाव न हो। नयनुतम पर्यायण प्रभाव का साक्षात् का समथर्न कर्ण वाला एक संरक्षण और इपोर्ट्रोत्र सथयी प्रबोधन योजना में एक अलग अध्याय का रपू मे जोडाएगा, और सचानलन शुरू करन स प्रथम अपार्टेर द्वारा सक्षम परिधाकारी को, या, जा उपयकुत् हो, अन्यत्र प्रतिबन्धन या न्यायतंरन न्याय को प्रदान किया जाएगा।

3.2.4. प्रबन्धन

पर्बधन्न क संबंधं मे नामनिलिखत नियम लग होगं:ए

(ए) उतपादन मे सात्विकगंघनतव का उपयोग सातनीय सत्र पर गैर-जीवक मोलसक क इले उपयोग इके जान वाल घनटव स अधक नहीं होना चाहिए। बायोमास का अनसुतार छतनै, पतला करना और सात्विकगं घनत्व समायोजित किया जाएगा और पश कल्याण और उच्छत् उपाद गनुवत्ता सिनुश्चत की जाएगी;

▼:...

(बी) बायोफॉइलगं जीवो को भौइटक साधनो या हाथ से हटा दिया गया और जाहा उइचत हो, उन्हे मोलसक फ़ार्मो स दारू समदुर मे वापस भजे इदया। प्रतिसपधि फाउलगं जीवो को नियतनमृत करण की प्राप्ति उत्पदान चार के दौरान मोलस्क को एक बार चनु क श्वास स उपचरित्र इक्या जा सकता है।

3.2.5. सीपो की खाती क विशिष्ट नियम

टर्सेटल पर बैगाई मे खाती की अनमुति होगी। व या अन्य सरंचनाए जनमे सीप राख जात है, न उन्हे इस प्रकार सथैपत इकायगे इक तटरखे क साथ कलु अवरोध का निर्माण स बचा जा सका। होगा। उतपादन अनच्छुच्छे 15(3) मे सदृन्रिभत् कार्यानव्येन अधिन्यामो मे निर्धैरत अवशयक्ताओ को पुरूआ करगेआ।

भागचतुर्थ: पर्ससंक्तृ खादय उत्पदन नियम

अनुच्छेद 9, 11 और 16 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो का अतिरक्त, इस भाग में निर्धैरत नियम परसंकत्र भोजन का जीवक उत्पदन पर लग होगं।

1. पर्ससंक्तृ खद्यय उत्पदन क िलए सामानय अवशयक्तये

1.1. खादय पर्संक्रण के उपयोग के लिए जान वाल खादय मेकर, पर्संक्रण सहायक सामग्री और अन्य पदारथ और अवाय तथा धमूरपान जसाई कोई भी पर्संक्रण पद्धति, अचछ विनिर्माण अभ्यास के सिद्दधातनों का पालन करगी (1).

1.2. पर्सांकित खाय पदारथ उतपादत कर्ण वाल स्यालको को महतवपरून पार्संक्रण चरणो की वयवसिथत पहचान का आधार पर उपयकुत् पर्किरयाए सथैपत करणी होगी और उन्हे अद्यत्न करना होगा।

1.3. इबादत 1.2 मे सदृन्भत पर्किरयाओ क अनपुरयोग स यह स्यून्शिचत होगा इक उतपइदत परसंक्तृ उतपाद हर समय इस इविन्यामन का अनपुलन करत है।

1.4. अपर्टर इबादन 1.2 मे नृदशत पर्किरयाओ का अनपुलन और कार्यान्वयन करेगा, और अनछुदे 28 के परितकुलो प्रभाव का इबना, विशेषे रपु स:से

▼एम9

(क) हितायती उपाय करना तथा उन उपायो का कार्यान्वयन रखना;

▼:...

(ख) उपयकुत्शुद्धि उपाय को लागू करना, उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा उन कार्यों का रिकार्ड रखने;

(जी) यह गर्तानी दनेया एक गैर-जीवक उतपादो को जीवक उतपादन का समर्थन करता है। मुझे नहीं रखा जाएगा।

1.5. पार्संक्तृ जीवक, इन-कनवर्जन और गैर-जीवक उत्पदो की तयारी को समय या स्थान मे एक दसूर स अलग रखा जाएगा। जहां जीवक, इन-कनवर्जन और गैर-जीवक उतपद, इसके भी सयंनोजन मे, सं सबंधत तयारी इकाई मे तयार या सगंरहित एके जात है,न वहा विकल्प को:

(क) सक्ष्म परैधाकारी को, या जहा उपयकुत् हो, नियतंरं परैधकारी या न्यातंरं इंकार को, तदनसुअर सिउचत करगेआ;

(1) भोजनय पदारथो क सपंरक् मे आन वलि समागिरयो और वसतौ क लए अच्छा इविनरमाण अभ्याससस पर योग इविन्यामन (ईसी) सख्यां 2023/2006 इदनकं 22 इदसबंर 2006 क अनछछदे 3(ए) मे पिरभैषत अच्छा विविनरमन अभ्यास (जी एमपी) (ओजे एल 384, 29.12.2006, पश्रित 75)।

▼ : ...

(ख) उत्पडन परुआ होन तक कॉन्स्टेंट पिरचालन करना, इससी अन्य परकार का उतपाद (जीवक, अजीवक या अजीवक) पर एक गाए गए समान पिरचलन स अलग स्थान या समय पर;

(जी) जीवक, जीवरित्त और अजीवक उत्पदो को पहले और बाद में, स्थिर करना या समय क अनसुार एक दसूर स अलग करक भंदरत करना;

(घ) सभी पिराचलनो और ससंैधत मातरो का अद्यतन रिजसत्र उपलब्ध रखना;

(ई) लोट की पहचान सिनुशिचत करण तथ जीवक, अजीवक तथ अजीवक उत्पदो क बीच में इमशर्न या विविनमय स बचन क िलए आवशयक उपाय करना;

(च) उतपादन उपकरणो की उपयकुत्स्वच्छता के बाद ही जीवक या रपूअतनरन उतपदो पर कार्य करना।

1.6. ऐस उत्पद, पदारथ और तकनीके जो जीवक खादय का पर्ससंक्रण और भण्डारण मे नष्ट हो चाकु गणुओ को पनुः निरमित दित करता है, जो जीवक खादय के पर्संक्रण में मोक्ष का पर्संक्रण और भण्डारण मे नष्ट हो जाता है, न या जो जीवक खादय का पर्संक्रण मे विपन्न इके जन वाल उतपदो की वास्तिवक पर्कित के बार में अनैथा भारक हो सकता है, उनका उपयोग नहीं होगा।

▼ एम9

1.7. यिद ऑपरटेरो न अनचुचदे 25 क अनसुअर पर्सांकत्र जीवक खादय क उत्पडन क िलए गैर-जीवक कृष अवायवो का उपयोग क िलए पिर्ाधकरण परपत कर िलया ह या उनका उपयोग कर िलया ह,ै तो उन्हे अनसु ार 25 क अनसुअर परसंकितर् जीवक खायय क उतपदन कइले गैर-जीवक किष अवायवो क उपयोग क लइय परैधकारनो पर दस्तावजेई साक्षी उपलब्ध रखा जाएगा।

▼ : ...

2. पर्ससंक्तृ खादय क उत्पदन क लय वसत्तः अवशयक्तये

2.1. पर्ससंक्तृ जीवक खादय की सरंचना पर नामनिलिखत शरते लग होगनि:

(क) उतपाद मखुयतः किरश सामग्री या अनबुधंआई मे सचुइबध्द खदाय क रपू मे उपयोग क इलै अभपरते उतपदो स उतपइदत इक्यागे; यह निर्धैरत करण क पयोजन क िलए इक कयया उतपाद मखुयतः उन उतपदो स उतपदत इक्या गया गया ह,इ इमलाए गए पानी और नमक को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(ख) किसी भी जीवक घटक के साथ गैर-जीवक घटक का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(छ) कोई भी रूपान्तरण घटक घटक के साथ जीवक या अजीवक रपू में मजादू नहीं होगा।

२.२. खादय पर्ससंक्रण मे कछु उत्पदो और पदारथो का उपयोग

2.2.1. केवल खाद्यय योजक, पर्संक्रण सहायक पदारथ और गैर-जीवक किरश सामग्री, जो जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अनछुए 24 या अनछुए 25 के अनसुअर अध्यक्तृत है, तथा इबदं 2.2.2 में सदृभत् उत्पदो और पार्थो का उपयोग क्षय के पर्संक्रन में। इक्या जा सकता है, ऐ वाइन कश्मीर के उपाय और पदारथो के अपवाद के साथ, इस्साक इलै भागVI का इबदं2 लाग होगा, और कड़वे एक्सक्लूसिव के साथ, इस तरह भाग VII का इबदं1.3 लाग होगा।

▼:

2.2.2. खादय पर्ससंक्रण मे नामनिलिखत उत्पदो और पदारथो का उपयोग इक्या जा सकता है:ए

(क) सामानयतः खादय पर्ससंक्रण मे उपयोग इके जन वाल सकुशम जीवो और खादय एजेइमो की तैयैरया, बशारत इक खादय के रपू मे उपयोग इके जन वाल खादय एजेइमो को जीव उत्पडन मे उपयोग का इलै अनचुचदे 24 क अनसुअर अहिधाकतरि इक्या गया हो;

(बी) विनियमन (ईसी) साखन्या 1334/2008 क अनछुदे 3(2) क इबादन (सी) और (डी) (ऐ) मे पइरबहिषत पदारथ और उतपाद इन्हे उस इविन्यामन क अनुछदे 16(2), (3) और (4) क अनसुअर पराकिर्तक स्वाद पदारथ या पराकिरितक सवद तयैरयो क रापू मे लेबल इक्या गया ह;

(जी) विनिअमन (ई.सी.) साखन्या 1333/2008 क अनछुदे 17 क अनसुअर मासं और अंड क इछलको पर महुर लगान क लाइए रागन;

(घ) वर्ष की इस तरह की निश्चित अवधि में बाजार में बच्चों का इरादा स उतपइदत सारा अदनो क खोल का परपंिरक सजावटी रगं क िलए पराकिरतक रगं और पराकिरतक रगं पदारथ;

(ई) पेयजल और जीवक या अजीवक नमक (इस्मे मालू घटक का रपू मे सोडियम) क्लोराइड या पोथीश्याम क्लोराइड हो) जो आमतौर पर खादय पर्ससंक्रण मे उपयोग इक्या जाता है;

(च) खिंज (सकुष्म तत्त्व शैमल), वैतइमान, अमीनो इसद और सकुष्म तत्व, बशारत िक:

(i) सामानय उपभोक्ता के लिए भोजन मे उनका उपयोग 'सीध कनुई रपू स अवकाश' ह,ए इस्का अरथ ह इक सघं कनू क परावधानो या सघन कनू क साथ सगंत राष्ट्रीय कनू क परावधानो दवारा सीध आविष्कार, इससका अरथ ह इक सघं कनू क परावधानो या सघन कनू क परावधानो द्वारा सीध अवकाश, इससका अरथ ह इक सघं कनू क परावधानो या सघन कनू क साथ, इससका अरथ ह इक सघं कनु क परावधानो या सघन कनू क परावधानो दवारा सीध वषयक, इसक परणामसवपू खदय को सामानय उपभोग क लए भोजन क रपू बाजार मे म इबक्लु भी नह रखा जा सकता ह यिद उन खिन्जो,ं वतइमानो,ं अमीनो इसद या सकुशम पोषक तत्वो को नही जोड़ा जाता है;ए या

(ii) बाजार मे राख गये खादय पदारथो क सबंधं मे,अं जनमे स्वस्थ्य या पोषण क सबंधं मे या उपभोक्ताओ क विशेष समहू की अवशयक्ताओ क संबंधं मे विशेष विशेषे या प्रभाव होत है:

- यूरपी स्संद और पिरषद क विविनयमन (ईय)उ साखन्या 609/2013 क अनुछदे 1(1) क इबदं (ए) और (बी) मे सडंरिभट उतपदो मे (1) उनका उपयोग उस इविन्यामन द्वारा अध्याक्त्रा ह और सबंधत उत्पदो का उपयोग उस इविन्यामन का अनछच्छदे 11(1) का आधार पर अपनाए गए कार्य है, या

— आयोग निर्देश 2006/125/ईसी द्वारा विविनयिमत उत्पदो मे (2), उनका उपयोग वह निर्दशे द्वारा अधिभक्ति ह

(1) इशौ और छोटे बच्चो के लिए भोजन, विशेष इचिकत्सा प्रयोजनो के लिए भोजन, और वजन कम करने के लिए भोजन, और वजन कम करने के लिए भोजन, और वजन घटाने के लिए कलु आहार प्रतिस्थापन पर यारूपीय संसद और परामर्श के लिए 12 जनवरी 2013 के इविन्यामन (ईय)उ सख्या 609/2013 और आयोग के निर्देश 92/52/ईईसी, आयोग के निर्देश 96/8/ईसी, 1999/21/ईसी, 2006/125/ईसी और 2006/141/ईसी, आयोग के निर्देश और आयोग के निर्देश 2009/39/ईसी और आयोग के निर्देश (ईसी)साख्य 41/2009 एवं (ईसी) साखन्या 953/2009 (ओजे एल 181, 29.6.2013, पशुत 35) को निसार करना।

(2) इशशौ और छोट बचचो क लाइए पर्सांकित अनाज भभीरत खादय पदारथो और इश आहार पर आयोग का निर्देश 2006/125/ईसी, 5 आईडीएसबंर 2006 (ओजे एल 339, 6.12.2006, पृष्ठ 16)।

▼:...

2.2.3. पर्ससंक्रण मे उपयोग का उपयोग 24 क अनसुअर अध्यक्तातृत्व और कीतनशुओधन उत्पदो का ही वह प्रयोजन का उपयोग करना संभव होगा।

▼एम9

सचानलको को एक उतपादो के उपयोग का प्रबंध रखना होगा, इसमे पर्तयके उतपाद का उपयोग की तारीख या तारीख, एक उतपाद का नाम, उसका सकिराय पदारथ और ऐसे उपयोग का स्थान शम्मील होगा।

▼:...

2.2.4. अनचुचदे 30(5) मे निरिदशट्ट गणना क प्रयोजन क लाइए, नमनलिखत नियम लग होगं:ए

(क) जीवक उत्पदन मे उपयोग क इले अनछुछदे 24 क अनसुअर अधाकतरि कछु खादय योजको की गणना किश सामाग्री का रपू में की जाएगी;

(बी) इबादन 2.2.2 क इबादन (ए), (सी), (डी), (ई) और (एफ) मे सदारिनभत तयैरया और पदारथ किरश सामग्री का रपू मे गणना नहीं की जाएगी;

(जी)कैश और म्यूजिक उतपदो की गणना किरश सामग्री का रपू में की जाएगी।

▼एम9

2.3. सचनालको को खादय उत्पदन मे उपयोग के लिए जान वाल इसमें भी इनपटु का रिकार्ड रखना होगा। इमशिरत उतपदो क उत्पदन क ममल मे,ं इनपतु और आउटपत्तु की मात्रा दर्शन वाल परुण नासुख/एस्तूर सक्ष्म परिधकारी या नियतंर्ण नकाय क लइ उपलब्ध रख जाएगा।

▼:...

भागवि: पर्ससंक्तृ फीद उत्पदन नियम

अनुच्छेद 9, 11 और 17 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो का अतिरकत, इस भाग में निर्धैरत नियम परसंकत्र चार का जीवक उत्पदन पर लग होगा।

1. पर्ससंक्त्र फीद क उत्पदन क िलए सामानय अवशयक्ताए

1.1. फ़ीड पर्ससंक्रण क िलए पर्यकुत् फ़ीड मेकर, पर्संक्रण सहायक सामग्री और अन्य पदारथ और अवायव, तथा धमूरपान जसाई कोई भी पर्संक्रण पद्धति, अचछ विनिर्माण अभ्यासों के इद्दधातनों का अनलन करगे।

1.2. पर्सांक्त्रि फीद का उत्पदान कर्ण वाल श्लैकोको को महतवपरुण पर्संक्रण चरणों की वैश्वित पहचान का आधार पर उपयकुत् पर्किरयाए सथैपत करन होगनी और उन्हे आदतन करना होगा।

1.3. इबादत 1.2 मे सदृन्भत पर्किरयाओ क अनपुरयोग स यह सयून्शिचत होगा इक उतपइदत परसंक्तृ उतपाद हर समय इस इविन्यामन का अनपुलन करत है।

1.4. अपर्टर इबादन 1.2 मे नृदशत पर्किरयाओ का अनपुलन और कार्यान्वयन करेगा, और अनछुदे 28 के परितकुलो प्रभाव का इबना, विशेषे रपु स:से

▼एम9

(क) हितायती उपाय करना तथा उन उपायो का कार्यान्वयन रखना;

▼:...

(ख) उपयकृत्शुद्धि उपाय को लागू करना, उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा उन कार्यों का रिकार्ड रखने;

(जी) यह गर्तानी दनेया एक गैर-जीवक उतपादो को जीवक उतपादन का समर्थन करता है। मुझे नहीं रखा जाएगा।

▼:...

1.5. पार्संक्तृ जीवक, इन-कनव्रज्न और गैर-जीवक उत्पदो की तयारी को समय या स्थान मे एक दसूर स अलग रखा जाएगा। जहां जीवक, इन-कनवर्जन और गैर-जीवक उतपद, इसके भी सयंनोजन मे, सं सबंधत तयारी इकाई मे तयार या सगंरहित एके जात है,न वहा विकल्प को:

(क) नियतंर्ण परिधाकन या नियतंर्ण निकास को तदनसुअर सिउचत करगेआ;

(ख) उत्पडन परुआ होन तक कॉन्स्टेंट पिरचालन करना, इससी अन्य परकार का उतपाद (जीवक, अजीवक या अजीवक) पर एक गाए गए समान पिरचलन स अलग स्थान या समय पर;

(जी) जीवक, जीवरित्त और अजीवक उत्पदो को पहले और बाद मे, स्थिर करना या समय क अनसुार एक दसूर स अलग करक भंदरत करना;

(घ) सभी पिराचलनो और ससंैधत मातरो का अद्यतन रिजसत्र उपलब्ध रखना;

(ई) लोट की पहचान सिनुशिचत करण तथ जीवक, अजीवक तथ अजीवक उत्पदो क बीच मे इमशर्न या विविनमय स बचन क िलए आवशयक उपाय करना;

(च) उतपादन उपकरणो की उपयकुत्स्वच्छता के बाद ही जीवक या रपूअतनरन उतपदो पर कार्य करना।

2. पर्ससंक्तृ फ़ीद क उत्पदन क िलए वसत्तह अवश्यक्ताए

2.1. जीवक फ़ीड सामग्री, या रपूअतनन फ़ीड सामग्री, गैर-जीवक तरीको स उतपादत समान फ़ीड सामग्री के साथ, जीवक फ़ीड उत्पाद की सरंचना मे एक साथ बदलाव नहीं करगी।

२.२. जीवक उत्पदन मे पर्यकुत् या पर्ससंक्त्र इससी भी फीड सामग्री को रसायन रापु स सशंलिष्ट वलयको की सहायता स पर्ससंक्त्र नहीं इक्या जाना चाहिए।

2.3. कवेल पौध,ए शावयाल, पश यास्काईल मालू की गैर-जीवक फ़ीड सामग्री, खिंज मालू की फ़ीड सामग्री, और जीवक उत्पादन मे उपयोग के लिए अनछुड़े 24 के अनसुअर अधाक्तरी फीड मेकर और पारसंक्रन सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं हा

२.४. पर्ससंक्रण मे उपयोग का उपयोग 24 क अनसुअर अध्यक्तातृत्व और कीतनशुओधन उत्पदो का ही वह प्रयोजन का उपयोग करना संभव होगा।

▼**एम9**

सचानलको को एक उतपादो के उपयोग का प्रबंध रखना होगा, इसमे पर्तयके उतपाद का उपयोग की तारीख या तारीख, एक उतपाद का नाम, उसका सकिराय पदारथ और ऐसे उपयोग का स्थान शम्मील होगा।

2.5. सचनालको को फीड उत्पडन मे उपयोग के लिए एक जान वाल आईसीआई भी इनपटु का आईकोर्ड रखना होगा। इमशिरत उत्पदो क उत्पदन क ममल मे,अं इनपटु और आउटपटु की मात्रा इदखान वाली परुई रिस्प/फॉरमलूआ सक्ष्म परिधकारी या न्यातंरन नकाय क लइ उपलबध रगेगी।

▼ : ...

भागVI:

1. दायरा

1.1. अनच्छुदे 9, 10, 11, 16 और 18 मे नृद्धैरत सामानय उत्पडन न्यामो का अतिरक्त, इस भाग में नृधैरत नियम यम वियमन (ईय)उ साखन्या 1308/2013 क अनछछदे 1(2) के इबदं (एल) मे नृदशत् इन कष्टेर का उत्पदो का जीवक उत्पदन पर लग होगं।

1.2. आयोग विनियम (ईसी) सख्या 606/2009 (1) और (ईसीई) सख्या 607/2009 (2) इस भाग में अन्यता सप्त रपू स उलिखत क इसवाय, लग होगं।

2. कछु उतपादो और पदारथो का उपयोग

2.1. वेन कष्टेर क उतपाद जीवक कच्छ माल स उतपइदत इकाय नइगं।

२.२. क्य जीवक उत्पदन में उपयोग के लिए अन्चुचदे 24 क अनसुअर अधाक्ता उत्पदो और पदारथो का उपयोग वाइंस कश्तर के उतपदो क निर्माण के लिए इक्या जा सकता है, ए इसस्मे ओनोलॉजकल पार्थाओ,ं पर्किरयाओ और दो क अवधि भी शिमल ह,ए जो इविन्यामन (ईय)उ साखन्या 1308/2013 और इविन्यामन (ईसी) साखन्या 606/2009 मे निर्धैरत शरतो और प्रतिबधनो का संबद्ध ह,ए और विशेषे रपु स बाद का इविन्यामन का अनलुगांकआईए मे.ं

▼ एम9

2.3. सचनालको को वाइन उत्पदन तथा स्वच्छता और कीतानशुओधन मे पर्यकुट इस्की भी उत्पद और पदारथ का उपयोग का इकाराद रखाहोगा, इसमे पर्तयके उतपाद का उपयोग की इथ या इतिथया,अं उतपद का नाम, उसका सकिराय पदारथ और झा लग हो, इस उपयोग का सथान शैमल होगा।

▼ : ...

3. ओनोलॉजिकल पार्थाए और प्रतिबन्ध

3.1. इस भाग का खंड 1 और 2 तथा इबादन 3.2, 3.3 और 3.4 मे इदाए गए विशेषत निषधी और परितबधनो का परित पुरुवागृह का इबना, कवेल मिदरा सबंधनी पार्थाओ, पर्किरायओ और उपचारो को अनमुति दी जाएगी, इनेमे विनियम (ईय)ऊ साखन्या 1308/2013 क अनछछदे 80 और अनछछड़े 83(2) मे,न इविन्यामन (ईसी) साखन्या 606/2009 क अनछछदे 3, अनछछदे 5 एस 9 और अनछछड़े 11 एस 14 मे,न और 1 अगस्त 2010 एस प्रथम उपयोग इके गए। विविनयमो क अनलुगन्को मे इदे गवे पतिबंधं शाइमल है।

3.2. नामनिलिखत मिदरा-संधानि पार्थाओ, पर्किरायओ और उपचारो का उपयोग निषध्द होगा:

(ए) विविनयमन (ईय)उ साखन्या 1308/2013 क अनलुगंकआठवीं का भाग I का भाग बी.1 के इबदं (सी) क अनसुअर शीतलन क मध्यम स अन्सक सदार्ता;

(बी) विनियमन (ईसी) साखन्या 606/2009 क अनलुगनक आईए क इबादन 8 क अनसुअर भौइतक पर्किरयाओ दवारा सल्फ़र डाइऑकसाइड का उल्लेख;

(सी) विविनयमन (ईसी) सखन्या 606/2009 क अनलुगन्कआईए के इबदन36 का अन्सार वाइन का टार्टिरक सिथरीकरण को सियुनशिचत कर्ण के लिए इलकेट्रोडायलिसस उपचार;

---

(1) आयोग विनिअमन (ईसी) साखन्या 606/2009 इदनाकं 10 जालुई 2009, इसस्मे अगांरू उपादो की श्रिएनयो, विआना सबंधनी पार्थाओ और लाग परितबधनो क सबंधं मे पिरशाद इविन्यामन (ईसी) साखन्या 479/2008 क कार्यान्वयं क लाइए कछु वसततृ नियम निर्धैरत कए गए हैं (ओजे एल 193, 24.7.2009, पश्रुत 1)।

(2) 14 जलुई 2009 का आयोग विविनयमन (ईसी) साखन्या 607/2009, इसस्मे सरंकिश्त उतपतित पदनाम और भौगोइलक सकंते, परपनिरक शरतो,ं लेबिलगं और कछु वाइन क्षेत्रर क उतपादो की पर्सतिउत क सबंधं मे पिरषद वियमान (ईसी) साखन्या 479/2008 क कार्यान्वयन क इले कछु वसततृ नियम निर्धैरत एके गए हैं (ओजे एल 193, 24.7.2009, पशुरुत 60)।

▼:...

(घ) विनियमन (ईसी) साखन्या 606/2009 क अनुलुगनक आईए क इबादन 40 क अनसुअर शराब का नुकसान रपू एस शराबमकुटीकरण;

(ई) विनियमन (ईसी) सखन्या 606/2009 क अनलुगन्कआईए के इबदन43 के अनसुअर वाइन क तारतिरक सिथराक्रियेशन को स्यूंशिचत करण क लये धनायन एक्सचेजंरस क साथ उपचार।

3.3. नामनिलिखत मिदारिवज्ञान संबंधनि पार्थाओ, पर्किरायओ और उपचारो का उपयोग अनमिुत नामनिलिखत शरतो क वनिहित ह:य

(ए) विनियमन (ईसी) साखन्या 606/2009 क अनलुगनक आईए क इबदं 2 क अनसुअर ताप उपचार, तापमान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं;

(बी) विविनयमन (ईसी) साखन्या 606/2009 क अनलुगनक आईए क इबदं 3 क अनसुअर नैशक्रिय इफलातिरगं एजेटन क साथ या उसक इबना सेटरिफाययूजगं और इफलत्रशेन, बशारत इक इच्छारो का आकार 0,2 माइक्रोमीटर सा छोटा न हो।

3.4. इविन्यामन (ईसी) सखन्या 1234/2007 या इविनयमन (ईसी) साखन्या 606/2009 मे परदात मिदरा-वजैनक पार्थाओ, पर्किरयाओ और उपचारो का सबंध मे 1 अगस्त 2010 के बाद कोई भी सशनोधन, मिदरा का जीवक उतपदन पर समय लग हो सकता है, जब उन मायो को इस खंड मे अनमुत रपू स शैमल कर लिया गया हो, और यिद अवशयक, हो तो इस विनियमन का अनचुचदे 24 क अनसुअर मलुयक्कन के बाद।

भागVII: भोजन या चार का रपू मे पर्यकुत्चाइश

अनुछदे 9, 11, 16, 17 और 19 मे निर्धैरत सामानय उत्पदन नियमो का अतिरकात, इस भाग मे निर्धैरत नियमम मददय या चार का रपू मे उपयोग इके जान वालश क जीवक उत्पदन पर लग होगं।

1. सामानय अभिवचन

1.1. जीवकैश के उत्पदन के लिए, केवल जीवक रपू स उतपादत सब्स्ते का उपयोग इक्या जाना चाहिए। हलांकि, जब तक►**एम3** 31 दिसंबर 2024◄, कार्बिनकैश्म क उत्पाद का वजन कम करे (शशुक पदारथ का वजन मापे) मे 5% तक गैर-कार्बिनकस्टिन उत्सर्जित करना या ऑटोइलसटे को जोडन की अनमुइत ह, ए जेहा विकल्प कार्बिनक उत्पाद का वजन कम करना या ऑटोइलसटे का वजन कम करना।

1.2. जीवकैश को जीवक खादय या चार में गैर-जीवककैश के साथ नहीं इमलाया जाना चाहिए।

1.3. नामनिलिखत उत्पदो और पदारथो का उपयोग जीवकैश का उत्पडन, इम्थाई और निर्माण मे इक्या जा सकता है:

(क) जीवक उत्पदन में उपयोग क िलए अनछुदे 24 क अनसुअर अध्यक्ता परसंक्रण सहायता;

(ख) भागचतुर्थ क इबदं2.2.2 क इबदं (क), (ख) और (ड) मे नृदशत उत्पद और पदारथ।

1.4. पर्ससंक्रण मे उपयोग का उपयोग 24 क अनसुअर अध्यक्तातृत्व और कीतनशुओधन उत्पदो का ही वह प्रयोजन का उपयोग करना संभव होगा।

▼**एम9**

1.5. सचनालको को यिसुत उत्पदन तथा शुद्धि और कीतनशुओधन का उपयोग करना चाहिए, एक जान वल ऐसी भी उत्पद और पदारथ का उपयोग करना होगा, इसमे पर्तयके उतपद का उपयोग की तिथि या तारीख, उतपाद का नाम, उसका साकिरय पथ और ऐस उपयोग का सथान शाइमल होगा।

▼:...

अनलुगांकतृतीय

सगंरहून, पकाइजगं, पिरवहन और भण्डारन

उत्पाद

1. उतपदो का सगंरहन और तयारी इकाइयो तक पिरवहन

जीवक, गैर-जीवक और गैर-जीवक उत्पदो का एक साथ संग्रह, जब जीवक, गैर-जीवक और गैर-जीवक उत्पदो का भी एक अच्छा लाभ हो सकता है। पहचानना स्यूंशिचत करण क इचत इचत कए गय हो।

2. अन्य विकल्प या इकइयो को उतपदो की पकाइजगं और पिरवाहन

▼**एम5**

2.1. परदान की जान वाली जानकारी

2.1.1. सचनालक यह सिनुशिचत करेगं इक जीवक उतपाद और पिरवारीतत उतपद थोक वकरतेआओ और खदुरा वकरतेआओ संगत अन्य सचानलको या इकइयो को कवेल उइचत पकाइजगं, कटननेरो या मकानो मे इस तरह स बदं कर्क भजे जाए इक सामग्री मे पिरवरत्न, इसमे परितसथापन भी शैमल ह,ए इबना चढेछाद या सील को नकुसान पचाने परपत न हो सक और सघं कन्नू द्वारके अपिष्टत इस्की भी अन्य सकांत के परित पुरुवागढ़ का इबना, एक लेबल परदान इक्या जाए:

(के) ठेकेदार का नाम और पता तथा जहां इभन्न हो, वह उत्पद का स्वामी या वकर्ते का नाम और पता;

(ख) उतपद का नाम;

(जी) उस नियत्रंण परिधकरण या नियतंर्ण निकाय का नाम या कोड साखन्या इस्साक अधीनस्थ ऑपर्ट्र ह;ै और

(घ) झा पर्सिंगक हो, राष्ट्रीय सत्र पर अनमुओइदत या नियतंर्ण परिधाकन या नियतंर्ण नकाय क साथ सहमत अकन पर्णाली क अनसुअर लोत पहचान इच्छन और जो अनछुदे 34(5) मे निरिदशत अभलखेओ क सथ लोट को जोडन की अनमुत दतेआ ह।

2.1.2. सचनालक यह सिनुशिचत करेगं इक थोक वकर्तेआओ और खदुरा वकर्तेआओ संगत अन्य सचानलको या हॉलिडगंस को पिरवाहन इके जान वाल जीवक उत्पडन मे अध्यक्तृति इमसिरत फिदद को, सघं काननु दवारा अपकीशत इस्की अनय सकंते क बूम, एक लेबल परदान इक्या जाए:

(क) इबादत 2.1.1 मे दी गई जानकारी;

(ख) जहां पर्सिंगक हो, शशुक पदारथ का भार का अनसुअर:

(i) जीवक फिड सामग्री का कलु प्रितशत;

(ii) रपूअतनरान फीद सामग्री का कलु प्रितशत;

(iii) इबादत (i) और (ii) दवारा नहीं की गई फ़िद सामग्री का कलु परितशत;

(iv) किरश मालु क चार कालू पितशत;

▼**एम5**

(जी) जहां पर्सिंगक हो, जीवक चार्य सामग्री का नाम;

(घ) झा पर्सिंगक हो, रपूअतनरन फीद समागिरयो का नाम; और

(ई)इम्शिरत फ़िद के लाइए इसस अनछुदे 30(6) के अनसुअर लेबल नहीं इक्या जा सकता है,आई यह भी कहा जा सकता है कि इस तरह की योजना बनाने के लिए इस तरह की फ़ीड का उपयोग कैसे किया जाए।

2.1.3. निर्देश 66/401/इसी क परित पुरुवागढ़ का इबना, सचनालक यह सिनुश्चत करेगं इक कछु विभन्न पादप परजैतयो क जीवक और अपिरक्षत्र या अजीवक बीजो वाल चरा पादप बीजो क ईमशर्न क पकाइजगं क लेबल पर, इस्साक इलै इस इविनयमन क अनलुगंकद्वितीय के भागमैं क इबदं1.8.5 मे नृद्धैरत पर्सिंगक शरतो का अत्यान्तर्गत पराधाकरण जारी किया गया ह,ए इमशर्न क घटको का बार मे ज्ञान परदान किया गया ह,ए जो पर्तयके घटक परजैत क भार का परितशत द्वार दर्षाई गय ह,ए और जा उपयकुत हो वहा इस्मो एक बार मे भी दी गई जानकारी

इनरद्शे 66/401/ईईसी क अनलुगंक चतुर्थ क अतंर्गत पर्सिंगक अवशयक्ताओ क एतिरकत, उस सचुना मे इस इबादन का पहला पैराग्राफ मे अपेकिशत साकंतेओ का अलावा इमशर्न की घटक परजैतयो की सचुई भी शैमल होगी इसहे जीवक या गैर-रपूतांरन क र मे लेबल इक्या गया ह। वज़न परितशत कम स कम 70% होना चाहिए।

यदि इमशर्न में गैर-जीवक बीज शाइमल है, तो लेबल मे नमानलिखित कथन भी शाइमल होना चाहिए: 'इमशर्न का उपयोग कवेल परैधकरण के मूल मे और सक्षम परैधकारी के सदसय राज्य का कष्टर में ही अनमुत ह,ए इस्सान जीवक उत्पदन और जीवक उत्पदो की लेबलगं पर विनिअमन (ईवाई)यू 2018/848 के अनलुगन्कII क इबदं1.8.5 क अनरुपु इस इमशर्न क उपयोग को अधिधातृ इक्या ह।'

इबादन 2.1.1 और 2.1.2 मे उलिखत जानकारी कवेल एक सालंगन दस्तावजे परसतुत की जा सकती है,ए यिद ऐसा दस्तावजे उत्पद की पकाइजगं, कटन्नेर या वाहन पिरवहन स नरिवाद रपू स जदुआ हो। इस सालंगन दस्तावजे में अप्रोइटकरता या टेरसंपोर्टर के बार में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

▼:...

2.2 पाकीजगं, कटन्नेर या वाहनों को खराब करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां:

(क) पिरवहन सीध दो अपरटेरो का बीच होता है,ए जो दो ही जीवक न्यातंरन पर्नाली का अधीन है;ं

(ख) पिरवहन मे कवेल जीवक या कवेल रपूअतानिरत उतपद शैमल है;न

(जी) उत्पदो क साथ इबदं 2.1 क अतंरगत अपेकिष्ट ज्ञान दने वाला दस्तावजे सलंगन ह;ै तथा

(घ) शीघ्रस्ता कर्ण वाल तथा पर्पत् कर्ण वाल दो परचालक, न्यातंरन पराधिकरण या नियत्रं नकाय क लाइए ऐस पिरवाहन सलाहनो क दस्तावजेइ इर्कराड उपलब्ध राखेगं।

3. अन्य उत्पदन या तयारी इकाइयो या भण्डारन पिरसरो मे फीड का पिरवाहन का इलै वशे नयं

अन्य उत्पदन या तयारी इकाइयो या भदनारन पिरसरो मे फीड का पिरवाहन करत समय, ओपरेटेरो को यह सिनुशिचत करना होगा इक इनामनिलिखत शरते परुई हो:ं

▼:...

(क) पिरवहन का समय, जीवक रपू स उतपइदत फीद, रपूअतांरन फीद और गैर-जीवक फीद को परभावी रपु स भूतक रपु स अलग इक्या जात है;

(ख) गैर-जीवक उतपदो का पूर्वाहन कर्ण वाल वाहनो या कटन्नरो का उपयोग केवल जीवक या रपूअतानिरत उतपदो क पिरवाहन क इक्या जात ह,इ यिद:

I एके गए हो, एक जानकी प्रभाववाद की जाच की गई हो और सचनालक उन कार्यों का आइकोर्ड रखत हो;

(ii) न्यात्नर्ण वयवस्था क अनसुअर मालुय्यंकत जोइखमो क आधार पर सब्यकुत् को किरणनिवत एकया जात ह,ै और झा अवशयक हो, सचनालक यह गर्तानि तिथि है इक गैर-जीवक उत्पदो को जीवक उतपादन का उल्लाके करत हएउ बाजार में नहीं रखा जा सकता है;

(iii) ऑपरटेरे ऐस पिरवाहन पिरचालनो क दस्तावजेई अभलखेओ को नियतंरन परिधकरण या न्यातंरन िनकाय क िलए उपलब् धति ह;ै

(छ) तैय्यर जीवक या रपूअन्तरिरत फीड का पीरवहन को अन्य तैय्यर उतपदो का पीरवहन स भौइतक रपू स या समय पर अलग इक्या जात ह;ै

(घ) पिरवहन के दौरान, परर्भन में उत्पदो की मात्रा और इडलीवरी दौर के दौरान वतिरत पर्तयके व्यकितगत माता दरज की जाती है

4. जीवित मछली का पिरवाहन

4.1 जीवित मछली को स्वच्छ जल वाल उपयकुट टैकोनो मे ले जाया जाएगा जो तापमान और घुलट ऑकिसिजन के सदंरभ मे उनके शरीरिक अवशयक्ताओ को परुआ करगेआ।

4.2. जीवक मछली और मछली उतपदो के पहले, ताको को अच्छी तरह सा साफ, कीतनरुइहत और दोस्ती मिलेगी।

4.3. तनाव को कम करने की जरूरत है, सौजन्य से। पिरवहन के दौरान, घंटव उस सत्र तक नहीं पहुंचना चाहिए जो परजैत्यो क लाइए हानिकारक हो।

4.4. इबादत 4.1, 4.2 और 4.3 मे सदंरिभत कार्यो के लिए इर्क्रॉर्ड रख जाएगा।

5. ► **सी6** अन्य विकल्प या इकाइयो स उतपादो का स्वागत◄

जीवक या रपूअन्तनिरत उतपाद की परपित पर, अपतर्टर पकाइजगं, कटन्नर या वाहन को बदन करण की जचं करगेआ, जहां यह अवशेक हो और धारा 2 मे इदे गेद सकांतो की उपसिथित की जचं करगेआ।

ऑपरटर धारा 2 में उलिखत लेबल पर दी गई जानकारी को सालंगन दस्तावजेओ पर दी गई जानकारी एस करोस-चके करगेआ। उन सत्यापनो के पिरानाम को अंच्छुच्छे 34(5) मे उलिलिखत अभलखेओ मे सप्त रपु स उलिलेखत इक्यागे।

6. एक सी तीसर दशे स उतपद् प्राप्त करन क लीए विशेषे नियम

जहां जीवक या रपूअतंनिरत उतपदो का इस तीसरे दशे सा हिस्सा इक्या जात ह,ए वहा उन्हे उइचत पकाइजगं या कटंनेरो मे पिरवहन इक्यागे, उन्हे इस परकार बदं इक्यागे इक सामगरी को प्रित्सथैपत न इक्या जा सक और उन पर न्यारातक की पहचान और अन्य। इच्छन और सखन्या अिंकत होगनी जो लोट की पहचान करण क लए काम आती है, और जहा उपयकुट हो, उनका साथ तीसर दशेओ स अथता क लए नयतंरन परमानपतर भी सलंगन कया जाएगा।

▼:...

किसी तीसरे दिन स अइतत जीवक या पिरवारीत उतपद की परपत्त पर, वह परकीरितक या कन्नुई वकित इसस अइतत खपे वतिरत की जाती है और जो इस आग की तयारी या विपन्न के इलै परपत् दत ह,ई पकाइजगं या कटन्नर क बदन होन की जच करगेआ और अनछुदे 45(1) क इबादन (बी)(iii) क अनसुअर अइतत उतपदो क ममल मे,न जाच करगेआ इक उस अञ्चच्छदे मे सदृशत् नृक्षण प्रमाण पत्र खपे मे निहत् उतपद् क परकार को कवरत ह।ै इस सत्यपन के पिरानाम को अनचच्छदे 34(5) मे सदृशभत् अभलखेओ मे सप्त रपु स उल्लखे इक्यागे।

7. उतपादो का भण्डारन

7.1. उत्पदो का भण्डारण क िलए कष्टेरो का प्रबन्धन इस तरह से किया जाएगा जैसे कि लोट की पहचान सिनुशिचत हो सक और जीवक उत्पडन न्यामो का अनपुलन मे न एन वाल उत्पदो या पदारथो का साथ किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन- कँव्रज्न उतपदो को हर समय सप्त रपु स बित जा सकगे।

7.2. जीवक उत्पदन मे उपयोग के लिए 9 और 24 क अनसुअर अध्यक्ता उत्पदो या पदारथो क अलावा इसके भी अन्य इनपतु उतपाद या पदारथ को जीवक या पिरवारीत संतंर और पषधुन उतपदन इकाइयो मे सगंरहित नहि इक्यागे।

7.3. एटनिबायोटिक दवाओ संगत एलोपीथक पश इचिकत्सा औषधीय उतपादो को किश और जलीय किरश जोतो मे सगंरहित इक्या जा सकता है, ए बशारत इक उन्हे भागII क इबदं1.5.2.2 और अनुलग्नकद्वितीय क भाग तृतीय क3.1.4.2 (ए) मे सदारभत उपचार का सबंधन मे पश इचिकतस्क दवारा निर्धैरत इकाया गया हो, इक उन्हे एक पर्यवकेष्ट सथान पर सगंरहित इक्या गया हो और उन्हे अनुछदे 34(5) मे सदारभत अभलखेओ मे दरज इक्या गया हो।

7.4. जहां पर जीवक या जीवक उत्पन्न होता है, या जीवक या गैर-जीवक उत्पन्न होता है, और जीवक या पूर्ण-जीवक उत्पदो में वृद्धि होती है, या इस्समे अन्य किरुष उत्पन्न होती है। एके जात है:ं

(क) जीवक या पिरवारीतत् उपदो को अन्य किरुष उत्पदो या खादय पदारथो स अलग रखा जाएगा;

(ख) माल की पहचान सिनुश्चत करण तथ जीवक, अजीवक तथा अजीवक उतपादो के बीच इमशर्न या विविनमय स बचन क िलए हर सभंव उपाय एके जाएगा;

(जी) जीवक या रपूअतनिरत् उतपादो का भण्डारण स प्रथम उपयाकुत्स्वच्छता उपाय इके जाएगा। इसकी प्रभावशीलता की जांच की जाएगी और सचनालको को एक कार्य का आइकोर्ड रखना होगा।

7.5. कॅ अन्चुछदे 24 के अंतर्गत जीवक उत्पदन मे उपयोग का वेल अध्याक्षात्रशोधन और कीतनशुओधन उत्पदो का उपयोग उस प्रयोजन के लिय भण्डारण सिवुधाओ में किया जाएगा।

▼ : ...

अनलुगांकचतुर्थ

अनचुचदे 30 मे उलिखत शरतें

बी.जी.: जीवविज्ञान.

जी: इकोलॉजिक, बायोलॉजिक, ऑर्गिनको।

सीएस: पार्सिथितक, जीवक।

डी.ए.: ओकोलोजसक.

डी.ई.: पारिस्थितक, जीवविज्ञानी।

एट: माह, ई ओकोलोगिलन.

ईएल: बीटालोगिक.

: संकेत: जीवक।

: जीवविज्ञान.

जी: ऑर्गनेच.

हर: इकोलोस्की.

यह: biloizko.

एल.वी.: जीवविज्ञानी, पारस्थितकीजीवज्ञानी।

टीपी: पैरसिटिटकी.

एलय: जीवविज्ञान, जीवविज्ञान।

ह्यय:ू ökológiai.

मांसिट्रक टन: ऑर्गिएनक.u

एनएल: जीवविज्ञान.

पी.एल.: पैरसिटिक.

पीटी: जीवविज्ञान.

रवीन्द्रनाथ टैगोर: पैरसिटिक.

असक:े पार्सिथितक, जीवक।

एस.एस.: इकोलोस्की.

एफ़: लोनोनमकुनैने.

एसवी: पैरसिटिक.

▼:...

अनलुगांक-वी

यूरूपिये सघं और यूरूपिये सघं का जीव उत्पदान लोगो
कोड साखन्या

1.लोगो

1.1. युरोपीय सघं का जीव उत्पदन लोगो को नीचा दिखाया गया मॉडल का अनपुलन करगेआ:

▼एम13

1.2. सदंरभ रागंसीएमवाईके पर्किरिया मे हरा50/0/100/0 ह,ए पणितों रागं चरत मे साखन्या 376 और आरजीबी रगं मॉडल मे169/201/56 हॅं।

1.3. युरूपिया सघं का जीवक उत्पडन लोग काल और सफदे रागन में भी इस्तमील इक्या जा सकता है ह जसाईया इक नीचा दिखाया गया है, ए या पुरुई तरह स विपरीत सफदे और काल रगं मे (नकारात्मक पररापू), लाइकन कवेल वही जाहा रागन मॉडल का उपयोग करना व्यावहिरक न हो:

▼:...

1.4. यिद पकाइजगं या लेबल का पशुतभिउम रगं गहरा ह, ए तो पर्तिको का उपयोग पकैजगं या लेबल का पशुथ्भुम रगं का उपयोग करक कंप्लीटम रगं गहरा हो सकता है।

▼**एम13**

1.5. यदि इसी लोगो का उपयोग ऐसी पशुरुतभिउम पर किया गया है, तो इसस उस दखेना किथन हो जाता है, ए तो पशुरुतभिउम क साथ कटनरसात्त को बहेतर बनान क इलै लोग का चारो ओर एक सीमाकंक बाहरी राखेआ का उपयोग किया जाएगा।

▼:...

1.6. जहां पकाइजगं पर एक ही रागन मे सकंते हो,ं वहा युरोपीय सघं का जीवक उत्पदन लोग एक ही रागन में इस्तमाल इक्या जा सकता है।

1.7. युरोपीय संघ का जीव उत्पडन लोगो की उचनै कम एस कम 9 इम्मी और चोदाई कम एस कम 13.5 इम्मी होन चाइहए; उचनै/चौदाई का अनपुअत हमशे 1:1.5 होना चाहिए। एक्सक्लूसिवसव्रपू, बहुत चोट पकाएजो कि मिले नयनुतम आकार को 6 इम्मी की उचनै तक कमाया जा सकता है।

1.8. युरूपेय सघं का जीवक उत्पदन लोगो को जीवक उत्पडन का उल्लखे करन वाल गरीबीकल या पाठ्य तत्वो के साथ इस शरत् का अधोगति जोडा जा सकता है। 32 क अनसुअर प रबहसत इसकय भी सकंते को। जब इबादत 1.2 मे इदा गाए गए सदंरभ रागं स अलग हर रागन का उपयोग कर्क राष्ट्र या निजी लोग स जदुअहा होता ह,ए तो यरूपए सघं का जीव उत्पदान लोगो का उपयोग उस गैर-सदंरभ रागं मे इक्या जा सकता है।

2. कोड साख्य

कोड सखन्या का सामानय पररापू नमनसुअर होगा:

एबी-सीडीआई-999

कहा:ँ

(क) 'एबी' उस दशे का अविश्वसनीय कोड ह झा इनायतंर्ण होता है;ए

(ख) 'सीदी' एक शब्द ह,ए इसस तीन अक्षरो मे दर्शन जात ह,ए इस्का निरण्य आयोग या प्रत्यके सदसय राज्य द्वार इकाया जात ह,ए जसै 'बायो' या 'ओको' या 'ओराजी' या 'इको' जो जीवक्तपदन क साथ संबंधं सथैपत करता ह;ै तथा

(जी) '999' सदंरभ साखन्या ह,ए जो अघक्तम तीन अकनो मे दर्शनेगा, इसस इनामनिलिखत द्वारा निरिदशट क्या होगा:

I इंकारो को सौपंता ह इजनहे उस्सन नियतंर्न कार्य सौपं ह;ं

(ii) आयोग को:

- अंछूछदे 46 क अनसुअर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, न्यातंरन परिधकरण और न्यातंरन िनकाय,

- अंचछदे 48 क अनसुअर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त तीसर दशेओ क सक्ष्म परिधकारयो को।

▼**एम12**

अनलुगांकछठी

प्रमाण पत्र का मॉडल

ऑरिजिनक पर विनियमन (ईवाई)यू 2018/848 के अनुच्छेद 35(1) के अनसुअर प्रमाणपत्र जीवक उत्पदो का उतपादन और लैबिलगं

भागमैं: **अनिवार्य तत्व**

1. दस्तावजे सखन्या	2. (उपयकुत् चनुए)ः — ओपन — ऑपरटेरो का समहु – इबादन 9 दखें
3. ऑपर्ट्टर या ऑपर्ट्टर साम्हू का नाम और पता:	4।

5. उपयाकुट का रपू मे चनुए।

- उत्पदान

- तयारी

— व्यापार/बाजार में रखें

— भदनारण

-

- निनरयत

6. यरूपे स संद और प रषद क व नयमन (ईय)उ 2018/848 क अनच चदे 35(7) म न द र श त उतपदो क श र न य य श र य (1) और उत्पदन विधि (उपयकुत् क रपू मे चनुए)

(के) अपरसंकत्र पौध और पौध उपाद, जनमे बीज और अन्य पौध प्राजनन सामग्री शैमल है उत्पदन विधि:

☐ रपूअतंरन अवधि क दौरान जीवक उत्पदन को छोड़कार
☐ रपूअन्तरान् अविधि के दौरान उत्पदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(ख) पषधुन एव अपरसंक्तृ पषधुन उतपद उतपदन विधि:

☐ रपूअतंरन अवधि क दौरान जीवक उत्पदन को छोड़कार
☐ रापूतांरन अविध क अवधि उत्पदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(सी) शवयाल और अपर्ससंक्त्र जलीय किष उत्पाद उत्पदन विधि:

☐ रपूअतंरन अवधि क दौरान जीवक उत्पदन को छोड़कार
☐ रापूतांरन अविध क अवधि उत्पदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(घ) खादय क रपू मे उपयोग क लाइए परसंकत्र किरष उतपाद, इसमे जलीय किष उतपद भीम है,न उत्पदन विधि:

☐ जीवक उत्पदो का उतपादन
☐ रपूअतांरन उतपादो का उतपदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(1) जीवक उत्पदन और जीवक उत्पदो की लैबिलगं पर यारूपिया संसद और पिरषद के 30 मई 2018 के विविनयमन (ईवाई)ओ 2018/848 और परिशद इविनयमन (ईसी) सखन्या 834/2007 (ओजे एल 150, 14.6.2018, पशुत 1) को नष्ट करना।

▼**एम12**

(इ) फ़ीड

उतपद विधि:

☐ जीवक उत्पदो का उतपादन
☐ रपूअतांरन उतपादो का उतपदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(च) शराब

उतपद विधि:

☐ जीवक उत्पदो का उतपादन
☐ रपूअतांरन उतपादो का उतपदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

(जी) विविनयमन (ईय)उ 2018/848 क अनलुगंकआई मे सचुइबध्द अन्य उतपाद या पचली शरीनयो मे शैमल नहि हैं

उतपद विधि:

☐ जीवक उत्पदो का उतपादन
☐ रपूअतांरन उतपादो का उतपदन
☐ जीवक उत्पदन के साथ अजीवक उत्पदन

यह दस्तावजे इविन्यामन (ईए)यू 2018/848 क अनसुअररी इक्या गया ह ताइक यह परमानेंट इक्या जा सक इक ओपर्टर या ऑपरटेरो का सामहू (उपयकुट का रपू मे चनुए) वह इविन्यामन का अनपुलन करता है।

7. इदनाकं, सथान जारी करण वाल सक्ष्म परिधाकारी की ओर स नाम और हसताक्षर, या झा उपयकुत् हो, नियतंर्ण परिधाकारी या नियतंर्ण निकाय, या योगय इलकेत्रोइनक माह्रर:	8. प्रमाणपत्र ...[तारीख डाला गया]न स ...[तारीख डाला गया]न तक बताया गया है

9. विनयमन (ईय)उ 2018/848 क अनछुछदे 36 मे प रबहसत अपरतेरो क समहू क सदसयओ क सचुई

सदसय का नाम	पता या सदसय पहचान का अनय रपू

भागद्वितीय: **विशिष्ट वैकल्पिक तत्त्व**

यिद सक्ष्म परिधाकारी या जहा उपयकुत् हो, नियतंर्ण परिधाकरण या न्यातंर्ण निकाय द्वारा निरण्य इलिया जात ह तो एक या एक स अध्य तत्वो को पुरूआ इक्या जाना चाहिए, जो इविनयमन (ईय) 2018/848 क अनुछदे 35 क अनसुअर प्रतिवेदक या ऑपरटेरो का समहू को परमानेंट पत्रीरीज करता है

1. उतपादो की निंदा

उपद का नाम और/या संयंकुत नाम (सीएन) कोड जसैया इक पिरशाद इविन्यामन (ईईसी) साखन्या 2658/87 मे सदारिभत ह (1) विनियमन (ईवाई)यू 2018/848 क ढाँचा मे एक वाल उतपादो का इला	☐ जिवाक ☐ मे-नृपूतंरान

(1) टायरफ और साखन्याकी नामकरण और सामानय सीमा शालुक टायरफ पर 23 जुलाई 1987 का परशाद इविन्यामन (ईईसी) साखन्या 2658/87 (ओजे एल) 256, 7.9.1987, पृ. 1)।

▼**एम12**

2. उतपदो की मात्रा

इविन्यामन (ईईसी) सख्या 2658/87 मे उलिखत उतपाद का नाम और/या सीन कोड	☐ जिवाक ☐ मे-नृपूतंरान	इकलोगराम, क्रोलो या झा पार्सिंगक हो, इकइयो की सख्या मे अनमुइनात मात्रा

3. भीम पर जानकारी

उत्पद का नाम	☐ जिवाक ☐ मे-नृपूतंरान ☐ गैरे जिवाक	सतह हक़ीक़त में

4. पिरासरो या इकाइयो की सचूकी झा ऑपरटर या ऑपरटेरो का साम्हू दवारा गितिविद नशपदत की जाती है

पता या भौगोलिक स्थान	एंचच्छदे 5 मे उलिखत गितविध या गितिवधयो का वर्णन भागमैं

5. ओपरेटर या एपर्चर के समहू द्वार की जानकारी और काया गितिविध उनक अपन उद्देशेय के बारे में जानकारी और काया उपकेडियर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। गितविधयो कइले इजममदे बनार रहते हैं

गितिविध या गितिविधयो का वर्णन जसाईया इक भागमैं क इबदं5 मे सदृन्भत् है	☐ अपन उद्दशेय के लिए गीतिविध/गीतिविधया करना ☐ इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प के साथ संपर्क करें अज़ानम दनेया, जाबिक उपकेदेर इंशापिदत गितिविध या गितिविद्यो क लाइए इज्मामदेअर रहता है

▼**एम12**

6. इविन्यामन (ईय)उ 2018/848 क अनुच्छेद 34(3) क अनसुअर उप-अनबुन्धत तृतीय पक्ष द्वार की जानकारी

गितिविध या गितिविधयो का वर्णन जसाईया इक भागमैं क इबदं5 मे सदृन्भत् है	☐ ऑपर्टर या ऑपरटेरो का समहु इज़मदार बना रहेगा ☐ उप-अनबुन्धत तृतीय पक्ष इज्मामदेर है

7. इविन्यामन (ईवाई)यू 2018/848 क अनछछदे 34(3) क अनसुअर एपर्टर या एपरटेरो क समहु क लाइए गितिवध या गितविधयो को आजनम दने वाल उपकडेयरो की सचुई, इससक आईल एपर टेअर या एपरटेरो सम काहू जीवक उतपादन सब कंधं मे इजममडियरो की सच्चाई इस्साक इलै उसन उस इज्मामदेरी को उपकेदार को हसतातानिरत नहीं इक्या है

नाम और पता	एंचच्छदे 5 मे उलिखत गितविध या गितिवधयो का वर्णन भागमैं

8. इविनयमन (ईय)उ 2018/848 क अनुछदे 40(3) क अनसुअर न्यातंरन अंकाय की मान्यता पर जानकारी

(क) मान्यता इनकार का नाम;

(ख)मान्यता प्रमाणपत्र के लिए हाइपरटिलकं.

9. अनय् सचूना